Hkkjr ds

fu;a=d&egkys[kkijh{kd

dk

31 ekpZ 2006 dks lekIr gq, o"kZ dk

çfronu

¼flfoy½

fcgkj ljdkj

Hkkjr ds

fu;a=d&egkys[kkijh{kd

dk

31 ekpZ 2006 dks lekIr gq, o"kZ dk

çfrosnu

¼flfoy½

fcgkj ljdkj*

* http://www/cag.gov.in\states\Bihar\2006

fc"k; &lIph

	lnHk	
	dfMdk	i"B
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
v/;k;&I		
jkT; ljdkj dk foÙk		
सारांश		
प्रस्तावना	1.1	1–4
राज्य के राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन	1.2	4
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.3	4–5
मुख्य सूचकों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था	1.4	5–8
संसाधनों का उपयोग	1.5	8–12
आबंटीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.6	13–17
परिसम्पित्तयाँ एवं दायित्त्व	1.7	17–20
अनिर्वाहित दायित्त्व	1.8	20–23
घाटा प्रबंधन	1.9	24–25
राजकोषीय अनुपात	1.10	25–27
v/;k;&II		
vkcVu gr çkFkfedrk, rFkk fofu;ktu		
प्रस्तावना	2.1	29
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	29–30
आबंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	30–36
बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय नियंत्रण	2.4	36–38
v/;k;&III		
fu"iknu leh{kk,		
xg ¼vkj{kh½ foHkkx		
राज्य आरक्षी बल का आधुनिकीकरण	3.1	39–52
ek/;fed] çkFkfed ,o o;Ld f'k{kk foHkkx		
सर्व शिक्षा अभियान	3.2	53–69
[kk|] vkifr ,o okf.kT; foHkkx		
लक्षित जन वितरण प्रणाली	3.3	70–79

	l nHk	
	dfMdk	i"B
i ;kioj.k ,o ou foHkkx		
वाल्मिकी व्याध्र परियोजना	3.4	80–89
ef=eMy lfpoky; ,o leUo; foHkkx ¼fuokpu 'kk[kk½		
निर्वाचन व्यय	3.5	90–95
Hkou fuek.k foHkkx		
भवन निर्माण विभाग के क्रियाकलाप	3.6	96–104
dY;k.k foHkkx		
अनुसूचित जाति/जनजाति का शैक्षणिक विकास	3.7	105–109
v/;k;&**IV**		
l iknu y [kkijh{kk		
diVi.k fudklh@nfofu;kt u@xcu@gkfu	4-1	111
ty lalk/ku foHkkx		
कपटपूर्ण भुगतान	4.1.1	111
xkeh.k fodkl foHkkx		
सरकारी धन का दुर्विनियोजन/गबन	4.1.2	112–113
ty lalk/ku foHkkx		
मिट्टी की संदेहास्पद ढुलाई का भुगतान	4.1.3	113–114
अवमानक सिमेंट की आपूर्ति के कारण हानि	4.1.4	114–115
xkeh.k fodkl foHkkx		
खाद्यान्नों का लेखा जोखा नहीं	4.1.5	115–116
अनधिकृत भुगतान	4.1.6	116–118
ekuo lalk/ku fodkl foHkkx ¼mPprj f'k{kk½		
अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन के भुगतान के कारण क्षति	4.1.7	118–119
fu"Qy@0;Fk 0;; ,o vf/kd Hkqxrku	4-2	119
ykd LokLF; vfHk;a=.k foHkkx		
बोली के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि.	4.2.1	119–120
ekuo lalk/ku fodkl foHkkx		
नवनियुक्त निष्क्रिय शिक्षकों को वेतन भुगतान करने के कारण क्षति	4.2.2	120–121

	lanHkZ	
	dafMdk	i`"B
ekuo lalk/ku fodkl foHkkx ¼mPp rj f'k{kk½		
प्रोत्साहन वेतन वृद्धि की अनियमित स्वीकृति	4.2.3	121–122
xzkeh.k fodkl foHkkx		
निष्फल व्यय	4.2.4	122–123
ty lalk/ku foHkkx		
आपूर्तिकर्ता को अदेय सहायता के कारण 72.57 करोड़ रुपये की क्षति	4.2.5	123–124
iFk fuekZ.k foHkkx		
सरकार को क्षति	4.2.6	124–125
उपिर पुल पथ के निर्माण के लिए सहमति ज्ञापन	4.2.7	125–128
yksd LokLF; vfHk;kaf=.k foHkkx		
संदेहास्पद भुगतान	4.2.8	128–129
ifjgk;Z@vkf/kD;@fu"Qy O;;	4-3	129
uxj foekuu foHkkx		
वायुयान का क्रय	4.3.1	129–131
y?kq flapkbZ foHkkx		
वेअर के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3.2	131–132
xzkeh.k fodkl foHkkx		
एस जी आर वाई के राज्य हिस्से की निधि का बिक्री कर एव विपणन शुल्क के भुगतान में दुरूपयोग	4.3.3	132–133
ty lalk/ku foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.4	133
कार्य के अतिरिक्त मद पर अधिक व्यय	4.3.5	134
निष्फल व्यय	4.3.6	134–135
fujFkZd@fuf"Ø; LFkkiuk@vo:) fuf/k	4-4	136
m|ksx foHkkx		
कम राजस्व की वसूली	4.4.1	136

		lnHkZ	
		dafMdk	i"B
v/;k;&V			
vkarfjd fu;a=.k ra=			
LokLF; foHkkx			
स्वास्थ्य विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली		5.1	137–147
ifjf'k"V			
I	1.1 भाग–क सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप	1.1	149
	भाग–ख वित्त लेखे का अभिन्यास	1.1	150–151
	भाग–ग अध्याय–I में प्रयुक्त शब्दों की सूची एवं उनकी गणना का आधार	1.3	152
	1.2 राज्य के निजी राजकोषीय सुधार मार्ग के परिणाम संकेतक	1.1.4	153
II	बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	1.3	154–155
III	वर्ष 2005–06 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	1.3	156–159
IV	निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.3	160
V	राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़ें	1.3	161–162
VI	मार्च 2005 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2005 तक अप्राप्त थे	1.6.5	163–165
VII	स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण	1.6.6	166
VIII	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	1.7.3	167
IX	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं	1.7.3	168
X	वैसे क्षेत्र जिसमें वृहत बचत (दस करोड़ रुपये एवं उससे अधिक) हुई	2.3.2	169–171
XI	वैसे मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से कम हुआ (2 करोड़ रुपये से अधिक तथा प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत थी)	2.3.3	172–174
XII	प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये से अधिक लगातार बचत के मामले	2.3.4	175
XIII	वर्ष 1977–78 से 2005–06 तक का आधिक्य	2.3.5	176

		I nHk	
		dfMdk	i"B
XIV	अधिकाई व्यय के महत्त्वपूर्ण मामले जिसके प्रत्येक लघुशीर्षों में प्रावधान के विरूद्ध प्रत्येक में एक करोड़ रुपये या अधिक का आधिक्य था	2.3.5	177–178
XV	विवरणी जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे	2.3.7	179–180
XVI	मामलों की विवरणी जहाँ प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक साबित हुए (प्रत्यक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक बचत)	2.3.7	181
XVII	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे (प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक) की विवरणी	2.3.7	182
XVIII	अनुचित/अधिक अभ्यर्पितों की विवरणी (एक करोड़ रुपये या अधिक)	2.3.8	183–185
XIX	अभ्यर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचत (एक करोड़ रुपये से अधिक)	2.3.9	186–187
XX	मार्च 2006 के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि	2.3.9	188–190
XXI	सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं किये जाने की विवरणी (दो करोड़ रुपये या अधिक के प्रत्येक मामले)	2.3.10	191–194
XXII	अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण	2.3.11	195
XXIII	मार्च 2006 में व्यय की तीव्रता	2.3.12	196
XXIV	असमाशोधित व्यय की विवरणी	2.3.13	197–198
XXV	(i) योजनागत योजना के अंतर्गत बचत की विवरणी	2.3.14	199
	(ii) योजनागत योजनाओं के अंतर्गत पाँच करोड़ रुपये या अधिक की बचत विवरणी	2.3.14	200–205
XXVI	वार्षिक योजनाओं के प्रस्तुतीकरण की तैयारी से स्वीकृति स्तर तक का विवरण	3.1.7	206
XXVII	वर्ष 2001–06 के दौरान भवन निर्माण के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य उपलब्धि तथा पूर्ण एवं अपूर्ण दोनों कार्यों पर हुए व्यय की विवरणी	3.1.8	207
XXVIII	अनुमोदित दर से अधिक व्यय की विवरणी	3.1.11.1	208
XXIX	एस आर आई निष्कर्ष का सार	3.2.5	209–212
XXX	सर्व शिक्षा अभियान की कोष प्रवाह आरेख	3.2.6.3	213
XXXI	नमूना जाँचित नौ जिलों में निधि की स्थिति एवं व्यय	3.2.6.4	214
XXXII	नौ नमूना जाँचित जिलों में जिला, डी पी सी एवं जनगणना के आँकड़ों में 2003 से 2004 की तुलना में डाइस आँकड़ों में अंतर	3.2.7.1	215
XXXIII	सीमेंट के दबावयुक्त शक्ति की तुलना	4.1.4	216

		I nHk	
		dfMdk	i"B
XXXIV	प्रथम निविदा के विरूद्ध आपूर्तिकर्ताओं को कियागया अधिक भुगतान	4.2.1	217
XXXV	विलम्ब से सामग्रियों की आपूर्ति किए जाने पर जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया	4.2.1	218
XXXVI	जी ए डी अनुमोदन से पूर्व इरकॉन द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाना	4.2.7	219–220
XXXVII	किंग एअर सी 90 बी की विशिष्टताओं की तुलना उन्नत माडल के किंग एअर सी–90 जी टी के साथ	4.3.1	221

çkDdFku

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2 इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, विभिन्न विभागों में सम्पादन लेखापरीक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं।

4 सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

5 प्रतिवेदन में उल्लेखित वैसे मामले हैं जिन्हें वर्ष 2005–06 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामले भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे ; वर्ष 2005–06 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।

fogxkoyksdu

इस प्रतिवेदन के दो अध्यायों में बिहार सरकार के वर्ष 2005–06 के वित्तीय एवं विनियोग लेखे पर की गई टिप्पणी को समावेशित करते हुए तीन अन्य अध्यायों में चार निष्पादन समीक्षाओं, तीन लंबी कंडिकाओं, 22 कंडिकाओं तथा स्वास्थ्य विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ–साथ सरकार के वित्तीय लेन–देन की लेखापरीक्षा को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकी नमूना प्रणाली के साथ–साथ विवेक के आधार पर लिए गए हैं। कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए अपनाई गई विशेष लेखापरीक्षा प्रणाली का उल्लेख समीक्षाओं के भीतर किया गया है। सरकार के दृष्टिकोण पर विचारोपरांत ही लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए एवं अनुशंसाएँ की गईं हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति एवं कुछ योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकार के निष्पादन के साथ–साथ स्वास्थ्य विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी का सारांश निम्नलिखित हैं :

1 jkT; ljdkj dh foÙkh; fLFkfr

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2005–06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (17837 करोड़ रुपये) में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय (17756 करोड़ रुपये) में हुई वृद्धि 21 प्रतिशत थी परिणामस्वरूप 81 करोड़ रुपये का राजस्व बचत हुआ। पूँजीगत व्यय (2084 करोड़ रुपये) राजकोषीय संशोधन पथ में प्रक्षेपित आकलन से कम था। चालू वर्ष में कम राजस्व बचत के साथ पूँजीगत व्यय (2084 करोड़ रुपये) में वृद्धि से राजकोषीय घाटा बढ़ गया। राज्य की वित्तीय स्थिति में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्य का अपना संसाधन 2001–02 के 27 प्रतिशत से घटकर 2005–06 में 23 प्रतिशत रह गया। राजकोषीय दायित्त्व जी एस डी पी का 77 प्रतिशत था जो अप्रत्याशित रूप से ऊँचा था।

2 fofu/kku çkFkfedrk,¡ ,oa fofu;kstu

2005–06 के दौरान 28976.40 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान के विरूद्ध हुई 6757.49 करोड़ रुपये की बचत एवं 349.56 करोड़ रुपये के आधिक्य का शुद्ध परिणाम 6407.93 करोड़ रुपये की समग्र बचत थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत आधिक्य व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित होगा। 40 मामलों में प्राप्त किए गए 1572.02 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक साबित हुए।

3 fcgkj esa jkT; vkj{kh cy dk vk/kqfudhdj.k

राज्य आरक्षी बल की कार्य निपुणता एवं मारक क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य आरक्षी बल के आधुनिकीकरण की योजना लागू की गई। निष्पादन समीक्षा से ज्ञात हुआ कि गतिशीलता, शस्त्र, संचार एवं प्रशिक्षण से संबंधित संरचना के अंतर को पाटने में योजना का न्यूनतम असर पड़ा। आवश्यकता का आकलन करते समय बी पी आर डी मानक का ध्यान नहीं रखा गया। योजना में कुल आवश्यक भवनों के केवल छः प्रतिशत को ही शामिल किया गया। पुलिस बल की मारक क्षमता में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए प्राप्त किए गए वाहनों की तैनाती अन्य

जगह कर दी गई। पुलिस अधिकारियों की निपुणता में वृद्धि नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य में कोई अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी नहीं था।

(कंडिका 3.1)

4 lo'f'k{kk vfHk;ku

सर्व शिक्षा अभियान, एक केन्द्र प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा था, को छः से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारम्भ किया गया। राज्य में योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार से प्राप्त निधि के न्यून उपयोग के कारण प्रभावित हुआ। अतिरिक्त वर्ग कक्ष, बच्चियों के लिए शैचाालय, पेयजल सुविधा इत्यादि जैसे संरचनात्मक सुविधा अपर्याप्त थी क्योंकि अधिकांश असैनिक कार्य अपूर्ण थे। केवल आधे लक्षित प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा नहीं गया। परिणामतः छात्र–शिक्षक अनुपात 40:1 के निर्धारित मानक से काफी अधिक था एवं विद्यालय छोड़ने की दर 63 प्रतिशत थी, जो बहुत ऊँची थी। 2003 तक सार्वभौम नामांकन को पूरा कर लेने के लक्ष्य के विरूद्ध 2004 में राज्य में 33.15 लाख बच्चे विद्याालय से बाहर थे। अतः योजना के उद्देश्य की उपलब्धि किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं थी।

(कंडिका 3.2)

5 yf{kr tu forj.k ç.kkyh

गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को परिदानित खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु जून 1997 में लक्षित जन वितरण प्रणाली लागू की गई। योजना की समीक्षा से बी पी एल/ए ए वाई परिवारों को चिह्नित करने के मानकों में घालमेल का पता चला, साथ ही साथ प्रखंडों में राशन कार्ड के वितरण संबंधी अभिलेखों की पुष्टि के अभाव से खराब कार्यक्रम प्रबधन उजागर हुआ। उचित मूल्य की दुकानों में वितरण के अपूष्ट अभिलेख, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण, अकार्यशील निगरानी समितियों के साथ बी पी एल श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति कम खाद्यान्न की उपलब्धता ने अभीष्ट परिवारों को खाद्यान्न के वितरण का कम भरोसा प्रदान किया।

(कंडिका 3.3)

6 okfYedh O;k?kz ifj;kstuk

बाघों की पर्याप्त आबादी को सुनिश्चित करने हेतु बिहार में क्रियान्वित, एक केन्द्र प्रायोजित योजना, वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि योजना में त्रुटि, अपर्याप्त निधि की विमुक्ति एवं परियोजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण विभाग द्वारा आरक्षित क्षेत्र में शुरू किए गए रक्षण एवं संरक्षण उपाय कुल मिलाकर अप्रभावी रहे। कोर एवं बफर जोन के आस–पास स्थित 149 गाँवों को पुर्नस्थापित करने में विफलता के कारण आरक्षित क्षेत्र पर पड़ने वाले जैवीय दवाब को कम नहीं किया जा सका। नेपालियों द्वारा अतिक्रमित की गई 2152 हेक्टेयर भूमि को वापस लेने की कोई कारवाई नहीं की गई। अल्प अवधि के अंदर बाघों की आबादी में गिरावट के साथ–साथ नर–मादा अनुपात में विपर्यव से अवास्तविक आकलन का पता चलता था। गस्ती शिविर को वाहन उपलबध नहीं किया गया जिसके कारण प्रभावी गस्ती संभव नहीं थी।

(कंडिका 3.4)

7 puko [kp

लोक सभा चुनाव 2004 एवं विधान सभा 2005 पर हुए चुनाव खर्च की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि वित्तीय प्रबंधन त्रुटीपूर्ण था जो अग्रिम को व्यय के रूप में दर्ज करना, अग्रिम असमायोजित रहना, डी सी बिल तैयार नहीं करना तथा बिना बी एस टी/ सी एस टी एवं सेवा कर संख्या के ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में प्रतिबिम्बित होता था। डिजीटल कैमरा का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए क्रय किया गया था। फोटो पहचान पत्र को तैयार करने एवं निर्वाचक नामावली की फोटोकॉपी कराने की दर में कोई समरूपता नहीं थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किया गया चुनाव खर्च का अनुश्रवण खराब एवं त्रुटीपूर्ण था।

(कंडिका 3.5)

8 Hkou fuek.k foHkkx d dk;dyki

भवन निर्माण विभाग के कार्यकलाप के नमूना जाँच से ज्ञाता हुआ कि वित्तीय नियंत्रण अस्तित्वहीन था जो अत्यधिक बचत एवं व्यय के अवास्तविक मूल्यांकन से प्रतिबिम्बित होता था। 1599 कार्य को पूरा करने के लक्ष्य के बदले केवल 808 कार्य पूरे किए गए तथा 471 कार्य अपूर्ण रहे एवं 320 कार्य शुरू ही नहीं किए गए। बिना तकनीकी स्वीकृति के ही 64.80 करोड़ रुपये के कार्य क्रियान्वित किए गए जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई। तकनीकी कर्मियों के अभाव में विभाग का रुपांकन स्कंध करीब–करीब अस्तित्वहीन था। गुण नियंत्रण अवर प्रमंडलों द्वारा निर्गत गुणवत्ता प्रमाणपत्र संदेहास्पद थे क्योंकि गुणवत्ता जाँच के लिए आवश्यक संरचना एवं उपकरण प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिका 3.6)

9 v- tk-@v- t- tk- dk 'kf{kd fodkl

अ. जा./अ. ज. जा. योजना का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अ.जा./अ.ज.जा. के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि, उच्चतर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में तथा नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना था। योजना की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छात्रवृति के भुगतान, छात्राओं को यूनीफार्म की आपूर्ति एवं छात्रावासों के उपयोग से संबंधित कल्याण योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं किया गया।

(कंडिका 3.7)

10 LokLF; foHkkx e vkrfjd fu;=.k ç.kkyh

स्वास्थ्य विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ कि स्थापित प्रक्रिया/पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इस प्रकार विचलन को रोकने में बजटीय एवं परिचालन नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे। क्रियान्वयन में खामियों के कारण लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम लक्षित आबादी को अभीष्ट सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहे। आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र त्रुटिपूर्ण था जिसका पता आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध एवं सांविधिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के खराब अनुपालन से चलता था।

(कंडिका 5.1)

11 laiknu ys[kkijh[kk ds fu"d"k

सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय संपादन लेखापरीक्षा, जो नमूना जाँच तक सीमित थी, से 95.23 करोड़ रुपये से अधिक के कपटपूर्ण भुगतान, दुर्विनियोजन/लेखा–जोखा विहीन, दुरूपयोग, हानि तथा निष्फल व्यय के मामले का पता चला जो निम्नलिखित थे :

- जल संसाधन विभाग (4.19 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास विभाग (10.01 करोड़ रुपये) तथा मानव संसाधन विभाग (0.88 करोड़ रुपये) के कुल 15.08 करोड़ रुपये के कपटपूर्ण भुगतान, गबन, संदेहास्पद भुगतान तथा लेखा–जोखा विहीन जैसे मामले पाए गए।

- मानव संसाधन विभाग (6.13 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास विभाग (1.08 करोड़ रुपये), जल संसाधन विभाग (0.73 करोड़ रुपये), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (4.65 करोड़ रुपये) एवं पथ निर्माण विभाग (0.97 करोड़ रुपये) के कुल 13.56 करोड़ रुपये के व्यर्थ/निरर्थक के मामले पाए गए।

- लघु सिंचाई विभाग (0.75 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास विभाग (2.67 करोड़ रुपये) एवं जल संसाधन विभाग (39.82 करोड़ रुपये) के कुल 43.24 करोड़ रुपये के परिहार्य भुगतान, निष्फल/अधिक व्यय के मामले पाए गए।

- कम राजस्व की उगाही का एक मामला उद्योग विभाग में (23.35 करोड़ रुपये) पाया गया।

कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास विभाग में गिट्टी की ढुलाई (0.18 करोड़ रुपये), गबन (0.10 करोड़ रुपये), मिट्टी की संदेहास्पद ढुलाई (2.86 करोड़ रुपये) एवं अयोग्य व्यक्तियों को आई ए वाई निधि से भुगतान (1.43 करोड़ रुपये) के मद में कुल 4.57 करोड़ रुपये के संदेहास्पद/अनधिकृत भुगतान के चार मामले पाए गए।

(कंडिका 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 एवं 4.1.6)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बोली की दोषपूर्ण मूल्यांकन के कारण क्रयादेश अनियमित रूप से निर्गत किया गया परिणामस्वरूप 2.45 करोड़ रुपये की क्षति हुई एवं 58 लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया।

(कंडिका 4.2.1)

डी एस ई, आरा एवं मधुबनी में प्राथमिक विद्यालय के निष्क्रिय शिक्षकों के वेतन पर 1.92 करोड़ रुपये एवं भीमराव अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अयोग्य कर्मचारियों को 88.21 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.1.7 एवं 4.2.2)

17 उपरि पूल पथ के निर्माण के लिए इरकॉन के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय राज्य के वित्तीय हित की सुरक्षा में विफलता 86.28 करोड़ रुपये के न्यूनतम अतिरिक्त दायित्व की बचनबद्धता का कारण बना।

(कंडिका 4.2.7)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बिना सामग्रियों के क्रय प्रमाणक, कार्यरत मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर एवं कार्य के आकलन के बिना हस्तपावती पर 1.62 करोड़ रुपये का संदेहास्पद भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.2.8)

सरकार राशि का पूरा मूल्य प्राप्त करने में विफल रहीं क्योंकि बिना प्रतियोगी बोली आमंत्रित किए इसने 13.23 करोड़ रुपये की लागत पर एक चलन से बाहर हुए विमान की खरीद की जबकि मामूली अधिक लागत पर उसी कंपनी का पर्याप्त उन्नत मॉडल विमान उपलब्ध था।

(कंडिका 4.3.1)

खुली नहर एवं सुरंग का निर्माण नहीं किए जाने के कारण सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई क्षमता सृजित करने के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी एवं 37.51 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल साबित हुआ तथा 1.86 करोड़ रुपये का अपरिहार्य अतिरिक्त ब्याज का सृजन हुआ।

(कंडिका 4.3.6)

v/;k;&I

jkT; ljdkj dk foÙk

lkjka'k

o"k 2005&06 d nkjku iooorh o"k dh ryuk e jktLo 0;; ¼17756 djkM+ #i;½ e 21 çfr'kr dh of) d fo:) jktLo çkflr;k ¼17837 djkM+ #i;½ e 14 çfr'kr dh of) gbZ] gkykafd jkT; ljdkj d viu lalk/kuk dh çfr'krrk 27 çfr'kr ¼o"k 2001&02½ l ?kVdj o"k 2005&06 e 23 çfr'kr gks x;hA dUnh; dj vrj.k ,o lgk;rk vunku dk ;kxnku jktLo çkflr;k dk yxHkx 77 çfr'kr FkkA iol o"k dh ryuk e o"k 2005&206 e dUn ljdkj l çklr lgk;rk vunku e 19 çfr'kr dh of) gbA

कर राजस्व के स्रोत के मुख्य अंशदाता बिक्री कर (49 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (14 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (नौ प्रतिशत) तथा वाहन कर (आठ प्रतिशत) थे। करेत्तर राजस्व के स्रोत के अलौह/खनन एवं धातुकर्म उद्योग (19 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (41 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे।

राज्य का सकल व्यय वर्ष 2004–05 के 16971 करोड़ रुपये से 27 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2005–06 में 21588 करोड़ रुपये हुआ। राजस्व व्यय (17756 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 82 प्रतिशत था। राजकोषीय दायित्व (46495 करोड़ रुपये) वर्ष 2005–06 के दौरान पूर्व वर्ष से नौ प्रतिशत बढ़ा जो राजस्व प्राप्तियों का तीन गुणा था।

घाटे के वित्त पोषण हेतु मुख्यतः उधार पर निर्भरता जारी रहने के कारण ब्याज भुगतान वर्ष 2004–05 के 3474 करोड़ रुपये से पाँच प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2005–06 में 3649 करोड़ रुपये हो गया।

पूँजीगत व्यय (2084 करोड़ रुपये) में वृद्धि के साथ–साथ राजस्व अधिशेष में कमी के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा जो कि सरकार के कुल उधार तथा इसके कुल संसाधन अन्तर को प्रदर्शित करता है, 198 प्रतिशत बढ़ गया। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय करों का राज्यांश एवं गैर योजनागत सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण ही चालू राजस्व में धनात्मक शेष था। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के तहत व्यय में वृद्धि के कारण ही पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व अधिशेष में कमी आयी।

जी. एस. डी. पी. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात 77 प्रतिशत था एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता था जिससे बढ़ते हुए कर्ज/जी एस डी पी अनुपात के साथ–साथ राज्य का असहनीय कर्ज प्रदर्शित होता है।

1-1 çLrkouk

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा में रखे जाते हैं (परिशिष्ट 1.1 – भाग–क)। बिहार सरकार का वित्त लेखा 19 विवरणियों में तैयार किया जाता है जिसमें बिहार राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियाँ एवं व्यय को राजस्व एवं पूँजीगत के

रूप में दर्शाया जाता है। वित्त लेखा की रूप रेखा परिशिष्ट 1.1 – भाग – ख में प्रदर्शित है।

1-1-1 çkfIr;ksa ,oa laforj.kksa dk lkjka'k

सारणी–I वर्ष 2005–06 के लिए बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय तथा लोक ऋण से प्राप्तियाँ/संवितरण समाहित है जो वित्त लेखे के विवरणी–I एवं अन्य विस्तृत विवरणियों से परिलक्षित होते हैं।

rkfydk &I % o"kZ 2005&06 ds nkSjku çkfIr;k¡ ,oa laforj.kksa dk lkjka'k

¼djksM+ #i;s esa½

2004&05	çkfIr;k¡	2005&06	2004&05	laforj.k	2005&06		
				[k.M&d % jktLo	xSj ;kstuk	;kstuk	dqy
15714.14	राजस्व प्राप्तियाँ	17836.71	14638.41	राजस्व व्यय	15020.05	2735.95	17756.00
3347.39	कर राजस्व	3561.10	7803.48	सामान्य सेवाएँ	8107.18	415.41	8522.79
417.79	करेत्तर राजस्व	522.30	4794.98	सामाजिक सेवाएँ	5450.16	1411.76	6861.92
9117.13	संघीय कर/शुल्कों का हिस्सा	10420.59	2035.67	आर्थिक सेवाएँ	1458.31	908.78	2367.09
2831.83	भारत सरकार से अनुदान	3332.72	4.28	सहायतानुदान एवं अंशदान	4.20		4.20
				[k.M&[k % iwathxr			
	विविध पूँजिगत प्राप्तियाँ		1204.52	पूँजीगत व्यय	23.24	2060.66	2083.90
14.83	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	50.86	1127.84	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	1645.74	102.08	1747.82
7622.58	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	3770.37	3083.72	लोक ऋण की अदायगी*			980.76
	आकस्मिकता निधि			आकस्मिकता निधि			
4092.67	लोक लेखा प्राप्तियाँ	5694.52	5519.18	लोक ऋण संवितरण			4414.87
–352.08	आरंभिक नकद शेष	1518.47	1518.47	अंतिम नकद शेष			1887.58
27092-14	;ksx	28870-92	27092-14	;ksx			28870-92

वर्ष 2005–06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पूर्व वर्ष से 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः संघीय करों एवं शुल्कों में 14 प्रतिशत राज्यांश बढ़ने तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 18 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुई थी। राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 2123 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जिसमें संघीय करों में हिस्सा (1303 करोड़ रुपये) मुख्य अंशदाता था। राजस्व व्यय भी 3118 करोड़ रुपये बढ़ा था जिसमें

* *अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ते हुए*

सामाजिक सेवा (2067 करोड़ रुपये), आर्थिक सेवा (332 करोड़ रुपये) एवं सामान्य सेवा (719 करोड़ रुपये) पर व्यय में वृद्धि मुख्य कारक थे।

1-1-2 jkt dks"kh; mÙkjnkf;Ùo ,oa ctV çca/ku ¼,Q vkj ch ,e½ v/;kns'k] 2006

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) के लिए फरवरी 2006 में अध्यादेश जारी किया गया था जो अप्रैल 2006 में अधिनियम बना। अध्यादेश की परिकल्पना के अनुसार राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने तथा राजस्व घाटे के क्रमिक विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय दीर्घता के साथ संगत ऋण प्रबंधन की दूरदर्शिता, सरकार के राजकोषीय संचालन में व्यापक पारदर्शिता तथा सामान्य भाव के ढ़ाँचे में राजकोषीय नीति संचालित करते हुए सामाजिक एवं भौतिक अंतःसंरचना में सुधार तथा जन मानस के विकास के लिए अवसर में वृद्धि करना राज्य सरकार का दायित्त्व है।

अधिनियम में वर्णित राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार अधोलिखित कार्य करेगी ;

(क) वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्रारंभ से एवं राजस्व घाटे के मामले में आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप राजस्व घाटा/सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी एस डी पी) के अनुपात को प्रतिवर्ष कम से कम 0.1 प्रतिशत कम करते हुए वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा को विलोपित कर एवं उसके बाद राजस्व आधिक्य सृजित करेगी।

(ख) अगर राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात तीन प्रतिशत से अधिक है तो वित्तीय वर्ष 2006–07 के प्रारंभ से प्रतिवर्ष इस अनुपात को न्यूनतम 0.3 प्रतिशत कम करेगी एवं वर्ष 2008–09 तक इस अनुपात को 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने देगी।

हालाँकि, आन्तरिक बाधा या प्राकृतिक आपदा अथवा उन असाधारण कारणों से जिसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय इस खण्ड के अधीन व्याख्या की गयी राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा की सीमा से बढ़ने का प्रावधान होगा।

अगर घाटे की यह राशि उपरवर्णित सीमा से जैसे ही बढ़ती है तत्पश्चात् शीध्रताशीध्र एक विवरणी जिसमें प्रथम प्रावधान के कारण या कारणों के सम्बन्ध में व्याख्या हो, विधायिका के सदन अथवा सदनों में उपस्थापित करनी होगी।

1-1-3 jkt dks"kh; uhfr fooj.kh@foojf.k;k 2005&06

चूँकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) के लिए अध्यादेश फरवरी 2006 में जारी हो गया था अतः अध्यादेश के अनुरूप बजट के साथ राजकोषीय नीति विवरणी राज्य सरकार द्वारा सदन में उपस्थापित किया जाना अपेक्षित था, जो वर्ष 2005–06 के बजट के साथ उपस्थापित नहीं किया गया।

1-1-4 ,Q-vkj-ch-,e- vf/kfu;e@fu;eksa esa of.kZr jkt dks"kh; y{;ksa dh çkfIr gsrq iFk vkjs[k

राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय सुधार पथ (रा. सु. प.) विकसित किया है जिसमें वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–2010 की अवधि के लिए क्रियान्वयन की निर्धारित तिथि के साथ परिणामी सूचकों के मील के पत्थर को प्रदर्शित किया गया है (परिशिष्ट 1.2)। वर्ष

2004–05 एवं 2005–06 की अवधि के परिणाम सूचकों के तहत उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है।

1-2 jkT; dh jktdks"kh; fLFkfr dk fogaxkoyksdu

1-2-1 jktdks"kh; lewg esa çofr

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति तालिका–2 में दी गयी है।

rkfydk&2

¼djksM+ #i;s esa½

2004&05	Øe la-	eq[; lewg	2005&06
15714	1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	17837
3347	2	कर राजस्व (निवल)	3561
418	3	करेत्तर राजस्व	522
11949	4	अन्य प्राप्तियाँ	13754
15	5	xSj&_.k iwathxr çkfIr;k	51
15	6	*जिसमें* ऋणों की वसूली	51
17888	7	dqy çkfIr;k ¼1$5½	17888
13495	8	xSj ;kstuk O;;	16689
12642	9	राजस्व लेखा पर	15020
3474	10	*जिसमें* ब्याज भुगतान	3649
35	11	पूँजीगत लेखा पर	23
818	12	संवितरित ऋण	1646
3476	13	;kstuk O;;	4899
1996	14	राजस्व लेखा पर	2736
1170	15	पूँजीगत लेखा पर	2061
310	16	संवितरित ऋण पर	102
16971	17	dqy O;; ¼13$18½	21588
(+)1076	18	राजस्व घाटा (9+14–1)	(+)81
(–)1242	19	राजकोषीय घाटा (17–1–5)	(–)3700
(+)2232	20	प्राथमिक घाटा (19–10)	(–)51

राजस्व लेखे के गैर योजना व्यय (19 प्रतिशत) एवं योजना व्यय (37 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण वर्ष 2004–05 का राजस्व अधिशेष 1076 करोड़ से घटकर वर्ष 2005–06 में 81 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व अधिशेष में पर्याप्त ह्रास के अतिरिक्त, गैर योजना शीर्ष के तहत पूर्व वर्ष की तुलना में ऋण संवितरण में 100 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि एवं पूँजीगत योजना व्यय में 76 प्रतिशत की वृद्धि के कारण मुख्यतः राजकोषीय घाटा (198 प्रतिशत) में वृद्धि हुई।

1-3 ys[kkijh{kk dk;Z ç.kkyh

वर्ष 2005–06 के वित्त लेखे की विवरणियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्राप्तियों एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समष्टियों की प्रवृत्ति को दर्शाती है जहाँ कहीं भी आवश्यक है, इन्हें कालबद्ध आँकड़ों (ifjf'k"V&II ls V) तथा आवधिक तुलनाओं के आलोक में विश्लेषित किया गया है। कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटा इत्यादि जैसे मुख्य राजकोषीय समाष्टियों को चालू बाजार दर पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी एस डी पी) की

प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1993–94 के आधार पर राज्य सरकार के सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, योजना एवं विकास विभाग के निदेशक द्वारा प्रकाशित नई जी एस डी पी श्रृंखलाओं का उपयोग किया गया हैं। कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, राजस्व व्यय आदि के लिए उत्प्लावक प्रक्षेपण भी प्रदान किए गए है जिससे कि जी एस डी पी द्वारा प्रतिनिधित्व आधार की तुलना में उतार–चढ़ावों के और आगे के विस्तार का आकलन किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए मुख्य सूचक (i) मात्रा एवं स्रोतों के आधार पर संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्त्व तथा (iv) घाटा प्रबन्ध हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों में संसाधन जुटाने के प्रयासों, ऋण अदायगी तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संयुक्त प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है। एक निकाय के रूप में राज्य सरकार का सकल वित्तीय प्रदर्शन अनुपातों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे राजकोषीय समाष्टियों के संबंधात्मक व्याख्या के लिए साधारणतया अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के वित्तीय निष्पादन के चयनित सूचकों को भी इस खण्ड में सूचीबद्ध किया गया है ; इस संदर्भ में व्यवहृत कुछ बिन्दुओं की परिशिष्ट 1.1 खण्ड 'ग' में व्याख्या की गयी है।

1-4 e[; lpdk d }kjk jkT; dh foÙkh; fLFkfr

1-4-1 llk/kuk d ifjek.k ,o lkr

राज्य सरकार के संसाधन में राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजिगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियों यथा पूँजी–बिक्री से आगम, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंक से कर्ज) से ऋण प्राप्ति तथा भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियों के साथ–साथ लोक लेखा में अर्जित–उपार्जन शामिल हैं। तालिका–3 दर्शाता है कि वर्ष 2005–06 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 27352.46 करोड़ रुपये थीं। इनमें से राजस्व प्राप्तियाँ 17836.71 करोड़ रुपये थी जो कुल प्राप्तियों का 65 प्रतिशत था। लोक लेखा से उधार एवं प्राप्तियों के कारण शेष था।

rkfydk&3 % fcgkj d llk/ku

¼djkM #i; e½

I	jktLo çkfIr;k	17836-71
II	itxr çkfIr;k	3821-23
	ऋण एवं पेशगियों की वसूली	50.86
	लोक ऋण प्राप्तियाँ	3770.37
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	–
III	vkdfLedrk fuf/k	&
IV	ykd y[kk ikfIr;k	5694-52
क.	लधु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1087.66
ख.	आरक्षित निधि	439.62
ग.	जमा एवं पेशगियाँ	1886.05
घ	उचन्त एवं विविध	211.45
ङ	प्रेषण	2089.74
	dy çkfIr;k	27352-46

1-4-2 jktLo çkfIr;k

वित्त लेखा की विवरणी 11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में इनके अपने कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उसकी वार्षिक वृद्धि दर, जी एस डी पी से इन प्राप्तियों का अनुपात तथा उनकी उत्पलावकता तालिका–4 में प्रदर्शित है।

rkfydk&4 % jktLo çkfIr;k & vk/kkjHkr ekud

¼djkM+ #i;s esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर)	9839	10968	12456	15714	17837
निजी कर (प्रतिशत)	2319 (24)	2761 (25)	2890 (23)	3347 (21)	3561 (20)
करेतर राजस्व (प्रतिशत)	287 (3)	261 (2)	320 (3)	418 (3)	522 (3)
केन्द्रीय कर स्थानान्तरण (प्रतिशत)	6177 (63)	6549 (60)	7628 (61)	9117 (58)	10421 (58)
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	1057 (11)	1397 (13)	1618 (13)	2832 (18)	3333 (19)
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)11.97	11.47	13.57	26.16	13.51
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	20.90	20.63	23.82	27.50	29.43
जी एस डी पी के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	*	0.89	*	2.82	2.32
जी एस डी पी के संदर्भ में राज्य के अपने संसाधनों की उत्पलावकता	0.26	1.48	*	1.71	1.06
राज्य के निजी कर के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता (अनुपात)	0.69	0.61	2.91	1.65	2.11
जी एस डी पी वृद्धि (प्रतिशत)	0.26	12.89	(–)1.62	9.27	6.06

* ऋण उत्पलावकता दर्शाते हैं।

lkekU; çof`Ük : कुल राजस्व में लगभग 77 प्रतिशत केन्द्रीय कर स्थानान्तरण एवं सहायता अनुदान का योगदान था जबकि औसत दर पर लगभग 23 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति अपने स्रोतों से हुई थी।

dj jktLo : राज्य के कर राजस्व का वृहत स्रोत बिक्री कर (49 प्रतिशत) था जिसके बाद मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (14 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (आठ प्रतिशत) थे। निजी कर वसूली 3561 करोड़ रुपये थी जो राजकोषीय सुधारात्मक मार्ग में वर्ष 2005–06 के लिए अनुमानित वसूली 3934 करोड़ रुपये से 373 करोड़ रुपये कम थी तथा टी एफ सी द्वारा पूर्वघोषित अवधि में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के विरूद्ध निजी कर राजस्व में वृद्धि मात्र 6.39 प्रतिशत ही थी।

djsrj jktLo : करेतर राजस्व के स्रोतों में खनन एवं धातुकर्म उद्योग (19 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ : 41 प्रतिशत (मुख्यतः 168.81 करोड़ रुपये के नकद शेष के निवेश से प्राप्त ब्याज के कारण) प्रमुख कारक थे। शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (25.64 करोड़ रुपये) तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (6.46 करोड़ रुपये) से भी करेतर

राजस्व में वृद्धि हुई थी। हालाँकि पुलिस, लोक सेवा आयोग, सिंचाई एवं अन्य प्रशासकीय सेवाओं से वर्ष के दौरान करेतर राजस्व की वसुली में कमी आयी थी।

dUnh; dj LFkkukUrj.k : पूर्व वर्ष की तुलना में केन्द्रीय कर स्थानान्तरण में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

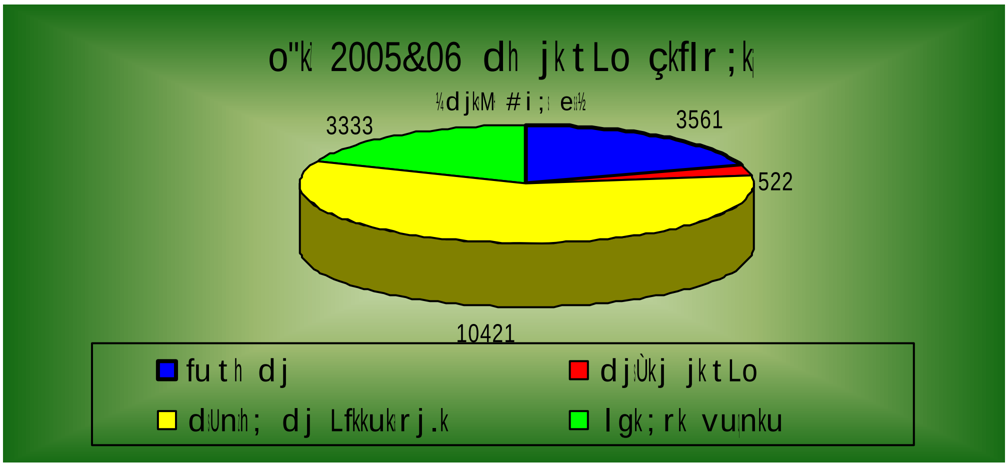

lgk;rk vuqnku : पूर्व वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 17.69 प्रतिशत की वृद्धि थी। गैर योजना अनुदान एवं केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान में 517.09 करोड़ एवं 79.66 करोड़ रुपये की वृद्धि थी लेकिन राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के लिए अनुदान में क्रमशः 87.24 करोड़ रुपये एवं 8.62 करोड़ रुपये की कमी हुई थी। वर्ष 2005–06 के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित गैर योजना अनुदान में 443.99 करोड़ रुपये का खंड विशिष्ट अनुदान एवं 289.30 करोड़ रुपये का शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए अनुदान शामिल थे।

1-4-3 çkfIr;ksa dk lzksr

वर्ष 2001–06 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत राजस्व प्राप्तियों के स्रोत तथा जी एस डी पी निम्नवत तालिका 5 में प्रदर्शित है :

rkfydk&5 % çkfIr;ksa dk lzksr&çofÙk

¼djksM #i;s esa½

o"k	jktLo çkfIr;k	iwathxr çkfIr;k				dqy çkfIr;k	ldy jkT; ?kjsyw mRikn
		xSj _.k çkfIr;k	_.k çkfIr;k	vkdfLedrk fuf/k çkfIr;k	yksd y[kk ekeys tek		
2001–02	9839	13	3758	––	7719	21329	47090
2002–03	10968	16	4190	––	5584	20758	53161
2003–04	12456	10	5069	––	7440	24975	52299 पी
2004–05	15714	15	7623	––	4092	27444	57145 क्यू
2005–06	17837	51	3770	––	5695	27353	60607 ए

पी–प्रोविजनल, क्यू–क्वीक, ए–एडवांस

वर्ष 2001–06 के दौरान राजस्व प्राप्ति का आपेक्षिक अंश 46 से 65 प्रतिशत के मध्य में बढ़ते हुए प्रवृत्ति (वर्ष 2003–04 के अतिरिक्त) को दर्शाता था एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ 54 से घटकर 35 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2005–06 जिसमें पूर्व वर्ष की तुलना में ऋण प्राप्ति में 49 प्रतिशत की कमी थी, को छोड़ राज्य की ऋण प्राप्तियाँ बढ़ती हुई प्रवृति को दर्शाती थी।

1-5 l l k/kuk dk mi;kx

1-5-1 0;; e of)

वित्त लेखे की विवरणी 12 लघु शीर्षो द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय तथा वृहत शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय प्रदर्शित करती है। राज्य अपने राजसत्ता के परिचालन, सामाजिक एवं आर्थिक सेवा प्रदान करने सम्बन्धी वर्तमान तरीका को बनाए रखने, पूँजीगत व्यय एवं निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क फैलाने तथा अपने ऋण सेवा दायित्व के निर्वहन के लिए संसाधनों की उगाही करता है। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2001–02 के 12435 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 21588 करोड़ रुपये हो गया। कुल व्यय, इसका वार्षिक वृद्धि दर तथा राज्य जी एस डी पी एवं राजस्व प्राप्तियों से व्यय का अनुपात तथा जी एस डी पी एवं राजस्व प्राप्तियाँ से सम्बन्धित उत्पलावकता को तालिका–6 में दर्शाया गया है।

rkfydk&6 ^ dy 0;; & vk/kkjHkr ekud

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
कुल व्यय (** (करोड़ रुपये में)	12435	13972	16829	16971	21588
वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)18.53	12.36	20.5	0.84	27.21
कुल व्यय/ जी एस डी पी अनुपात (प्रतिशत)	26.41	26.28	32.18	29.70	35.62
आर आर/ कुल व्यय अनुपात (प्रतिशत)	79.12	78.50	74.02	92.59	82.62
fuEukfdr l dy 0;; dh mRiykodrk					
जी एस डी पी (अनुपात)	*	0.96	′	0.09	4.49
आर आर (अनुपात)	1.55	1.08	1.51	0.03	2.01

** कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं पेशगियाँ सम्मिलित हैं।

* ऋणात्मक उत्पलावकता को दर्शाता है।

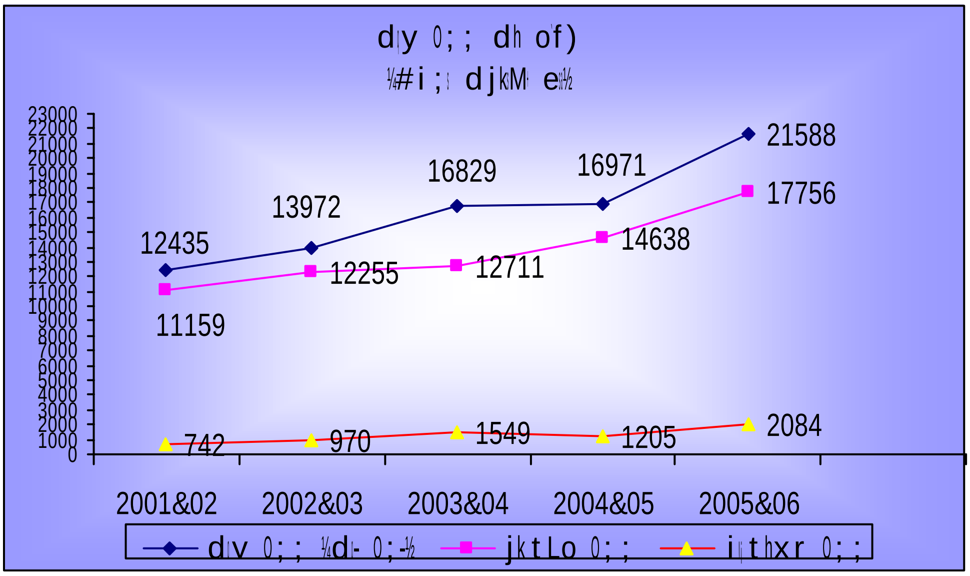

राज्य का कुल व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2005–06 के दौरान 27.21 प्रतिशत बढ़ा। सामाजिक सेवाओं पर 45.78 प्रतिशत, ऋण एवं पेशगियों के संवितरण पर 54.96 प्रतिशत एवं पूँजीगत व्यय में 72.95 प्रतिशत व्यय बढ़ जाने के कारण ही व्यय में तीक्ष्ण वृद्धि हुई। वर्ष 2005–06 के दौरान कुल व्यय का 82.62 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति था।

dk;ldyki d }kjk dqy 0;; dh çofÙk

कार्यकलाप के संदर्भ में कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आंशिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋणों एवं पेशगियों से समायुक्त माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के पारस्परिक अंश को तालिका–7 में दर्शाया गया हैं।

rkfydk&7 % 0;; d ?kVd & ikjLifjd va'k

¼çfr'kr e½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
सामान्य सेवाएँ	51.00	47.63	42.77	46.38	39.81
इनमें से ब्याज भुगतान	41.58	45.97	46.59	44.52	42.81
सामाजिक सेवाएँ	28.75	29.04	24.93	29.6	33.31
आर्थिक सेवाएँ	15.94	17.96	17.01	17.89	18.76
सहायता अनुदान	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ऋण एवं पेशगियाँ	4.29	5.35	15.27	6.65	8.10

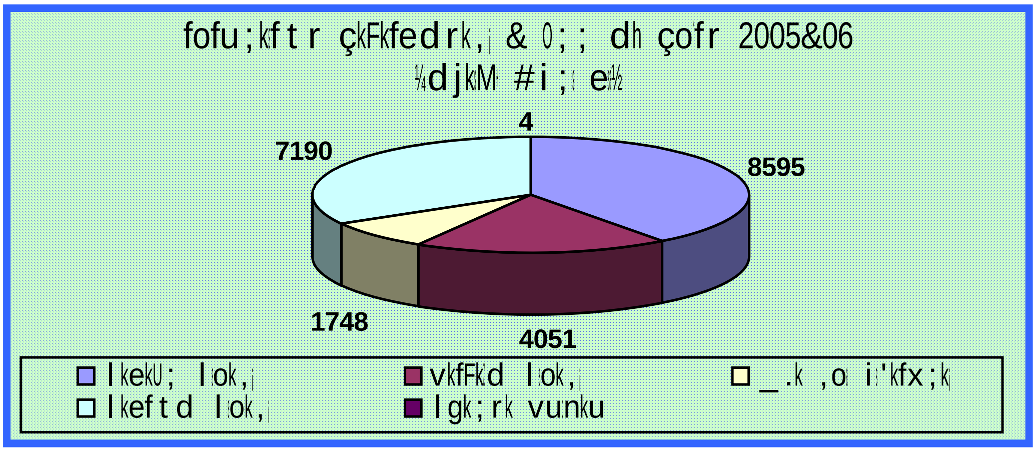

व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचालन यह दर्शाता था कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाों का अंश वर्ष 2001–02 के 28.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 33.31 प्रतिशत हो गया, इसी अवधि के दौरान सामान्य सेवाओं का पारस्परिक अंश 51. 00 प्रतिशत से घटकर 39.81 प्रतिशत हो गया जिनमें ब्याज भुगतान 41.58 एवं 46.59 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा। इसी अवधि के दौरान ऋण एवं पेशगियाँ 4.29 प्रतिशत से बढ़कर 8.10 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं का अंश 2.83 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 15.94 से बढ़कर 18.76 प्रतिशत हो गया।

1-5-2 jktLo 0;; dk çHkko

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने एवं भूत के दायित्व, जिससे राज्य के अन्तः संरचना एवं नेटवर्क सेवा के परिणाम में कोई वृद्धि नही होती है, के भुगतान के लिए किया जाता है। समग्र राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, राजस्व प्राप्तियाँ एवं जी एस डी पी के साथ राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी उत्पलावकता को तालिक–8 में दर्शाया गया है।

rkfydk & 8 % jktLo 0;; % vk/kkjHkwr ljpuk ekud

¼#i;s djksM+ esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
राजस्व व्यय (आर ई) इनमें से	11159	12255	12711	14638	17756
गैर योजना राजस्व व्यय (एन पी आर ई)	10292 (92)	10901 (89)	11627 (91)	12642 (86)	15020 (85)
योजना राजस्व व्यय (एन पी आर ई)	867 (8)	1354 (11)	1084 (9)	1996 (14)	2736 (15)
वृद्धि दर (प्रतिशत) एन पी आर ई	(–)18.76	5.92	6.66	8.73	18.81
पी आर ई	3.33	56.17	(–)19.94	84.13	37.07
एन पी आर ई / जी एस डी पी (प्रतिशत)	21.86	20.51	22.23	22.12	24.78
टी ई की प्रतिशतता के रूप में एन पी आर ई	82.77	78.02	69.09	74.49	69.58
आर आर की प्रतिशतता के रूप में एन पी आर ई	104.59	99.39	93.34	80.45	84.21
fuEufyf[kr ds lkFk jktLo 0;; dh mRiykodrk					
जी एस डी पी (अनुपात)	*	0.76	*	1.63	3.51
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.45	0.86	0.27	0.58	1.58

* ऋणात्मक उत्पलावकता का द्योतक है। कोष्ठक के अंक आर ई के साथ प्रतिशतता दर्शाती है।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2001–02 के 11159 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 17756 करोड़ रुपये हो गया। गैर योजनागत राजस्व व्यय (एन पी आर ई) और योजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) बढ़कर क्रमशः वर्ष 2001–02 के 10292 करोड़ रुपये से वर्ष 2005–06 में 15020 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2001–02 के 867 करोड़ रुपये से वर्ष 2005–06 में 2736 करोड़ रुपये हो गए। एन पी आर ई का वृद्धि दर 2001–02 के (–) 18.76 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 18.81 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान पी आर ई 3.33 से बढ़कर 37.07 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति से एन पी आर ई की प्रतिशतता वर्ष 2001–02 के 104.59 से घटकर वर्ष 2005–06 में 84.21 प्रतिशत हो गयी। इसी अवधि के दौरान जी एस डी पी के साथ एन पी आर ई की प्रतिशतता 20.51 से 24.78 प्रतिशत के मध्य रहा। गैर योजनागत राजस्व व्यय

(15020 करोड़ रुपये) राजकोषीय सुधारात्मक मार्ग में बनायी गयी 15953 करोड़ रुपये की परिकल्पना से 933 करोड़ रुपये कम थी। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में गैर योजनागत राजस्व व्यय 92 से घटकर 84 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान योजना व्यय 8 से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया।

1-5-3 çfrc) 0;;

osru ij 0;;

rkfydk & 9 % osru ij 0;;

¼#i;s djksM+ esa½

0;;	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
osru ij 0;; उनमें से	5275.89	5073.07	5019.88	5005.36	5783.35
गैर योजना शीर्ष	4958.55	4748.05	4467.59	4564.16	5152.79
योजना शीर्ष	317.34	325.02	552.29	441.20	630.56
जी एस डी पी के प्रतिशत	11.20	9.54	9.60	8.76	9.54
आर आर के प्रतिशत	53.62	46.25	40.30	31.85	32.42
आर ई के प्रतिशत	47.28	41.40	39.49	34.19	32.57

राज्य के राजस्व प्राप्ति का लगभग 32 प्रतिशत केवल वेतन पर व्यय किया गया था। वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान जी एस डी पी से वेतन व्यय की प्रतिशतता 8.76 से 11.20 प्रतिशत के मध्य थी। गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन व्यय में वृद्धि वर्ष 2001–02 के 4959 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 5153 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान योजना शीर्ष के अन्तर्गत यह 317 करोड़ रुपये से बढ़कर 631 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2005–06 के दौरान वेतन व्यय में 778 करोड़ रुपये (15.5 प्रतिशत) की बढ़त मुख्यतः सरकारी कर्मियों के विभिन्न भत्तों में बढ़त के कारण थे जो मूल वेतन में 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता समावेशित करने के कारण हुआ और जिसमें महँगाई, गृह किराया तथा क्षतिपूर्ति भत्ता भी शामिल था। इसके अलावा, वर्ष 2005–06 के दौरान पूर्ववर्ती बकाए की प्रतिपूर्ति हेतु महँगाई भत्तों की दरों में अधिकाई वृद्धि ने भी वेतन व्यय के स्तर में वृद्धि किया। निवल ब्याज भुगतान एवं पेंशन को मिलाकर कुल वेतन विपत्र राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत था एवं राज्य सरकार को उपयुक्त उपाय आरंभ कर इसके स्तर को घटाकर 35 प्रतिशत करने के आवश्यकता थी जैसा कि अवार्ड अवधि के दौरान अपनी योजना के अनुरूप राज्य की वित्त व्यवस्था को पुनःसंरचित करने के लिए बारहवीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित था।

isa'ku Hkqxrku

rkfydk & 10 % isa'ku ij 0;;

¼#i;s djksM+ esa½

'kh"kZ	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
पेंशन पर व्यय	2273	2049	2269	2325	2456
जी एस डी पी से प्रतिशतता	4.83	3.85	4.34	4.07	4.05
आर आर से प्रतिशतता	23.10	18.68	18.22	14.80	13.77

पेंशन भुगतान वर्ष 2001–02 के 2273 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 2456 करोड़ रुपये हो गया। जब सेवा निवृत्ति की तिथि पर लगी दो वर्षों की रोक समाप्त होगी (मार्च 2007) तब राज्य का पेंशन दायित्त्व और बढ़ने वाला है। पेंशन पर व्यय का

वृद्धि दर 10 प्रतिशत से कम था जबकि बारहवीं वित्त आयोग द्वारा 10 प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया गया था। सरकार ने वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर 2748 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान परिगणित कर पूर्वानुमान किया था जो कि वर्ष 2005–06 के वास्तविक व्यय (2456 करोड़ रुपये) से 292 करोड़ रुपये अधिक था। राज्य सरकार ने पेंशन मद पर दीर्घ अवधि के दायित्त्व को घटाने के लिए केन्द्रीय पद्धति पर एक नयी अंशदायी पेंशन योजना भी प्रारंभ किया है जो 1लीं सितम्बर 2005 को या उसके बाद योगदान देने वाले कर्मियों पर लागू थी।

C;kt Hkqxrku

rkfydk&11 ¼ C;kt Hkqxrku

o"kZ	dqy jktLo çkfIr;k¡	C;kt Hkqxrku	fuEufyf[kr ls C;kt Hkqxrku dh çfr'krrk	
	¼djksM #i;s e½		dqy jktLo çkfIr;k¡	jktLo 0;;
2001–02	9839	2629	26.72	23.56
2002–03	10968	3022	27.55	24.66
2003–04	12456	3343	26.84	26.30
2004–05	15714	3474	22.11	23.73
2005–06	17837	3649	20.46	20.55

घाटे के वित्त पोषण हेतु उधार पर निर्भरता जारी रहने के कारण निरपेक्ष तौर पर ब्याज भुगतान वर्ष 2001–02 में 2629 करोड़ रुपये से 38.80 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2005–06 में 3649 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार ब्याज भुगतान राज्य के अपने राजस्व का 89 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान में बढ़ोत्तरी ने विकास व्यय एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया था।

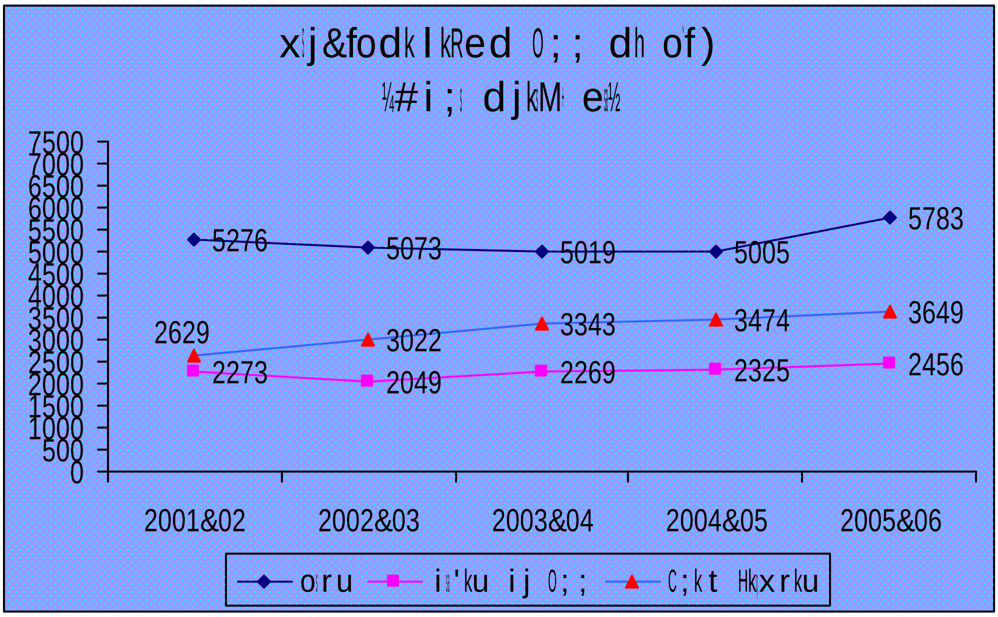

1-6 fofu/kkfur çkFkfedrkvksa }kjk 0;;

1-6-1 0;; dh xq.koÙkk

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अन्तःसंरचना की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता का द्योतक होती है। इसलिए पूँजीगत व्यय का कुल व्यय के साथ ही जी एस डी पी से अनुपात एवं चालू सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के दक्ष एवं प्रभावी तरीके से चलाए रखने के लिए किए जा रहे राजस्व व्यय का समानुपात व्यय की गुणवत्ता का निर्धारण करेगा। कुल व्यय एवं जी एस डी पी के साथ इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। वर्ष 2001–06 के दौरान इन अनुपातों को तालिका 12 दर्शाती है।

rkfydk&12 ¼0;; dh xq.koÙkk ds lwpd

¼#i;s djksM+ esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
iwathxr 0;;	742	970	1549	1205	2084
jktLo 0;;	11159	12255	12711	14638	17756
buesa ls					
सामाजिक एवं आर्थिक सेवा के साथ	5557	6568	7058	7968	11241
(i) वेतन घटक	2398 (43)	2934 (45)	3824 (54)	3699 (46)	4304 (38)
(ii) गैर–वेतन घटक	3159 (57)	3634 (55)	3234 (46)	4269 (54)	6937 (62)
dqy 0;; dh çfr'krrk ds :i esa					
पूँजीगत व्यय	6	7	11	8	11
राजस्व व्यय	94	93	89	92	89
th ,l Mh ih dh çfr'krrk ds :i esa					
पूँजीगत व्यय	1.58	1.82	2.96	2.11	3.44
राजस्व व्यय	23.70	23.05	24.30	25.62	29.30

(कोष्ठक के अंक सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गए कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं गैर वेतन अंश की प्रतिशतता को दर्शाता है।)

राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश काफी अधिक था एवं वर्ष 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान 89 से 94 प्रतिशत तक था जिसने पूँजीगत व्यय के अंश को 6 से 11 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। पूँजीगत व्यय (2084 करोड़ रुपये) राजकोषीय सुधार उपाय (एफ सी पी) में प्रक्षेपित आकलन (3307 करोड़ रुपये) से 1223 करोड़ रुपये कम था जो इंगित करता था कि एफ सी पी में दर्शाए गए प्रक्षेपित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय की आवश्यकता थी। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गए राजस्व व्यय वर्ष 2001–02 के 5557 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 11241 करोड़ रुपये हो गए। यद्यपि वेतन एवं गैर वेतन दोनों घटकों पर इस अवधि के दौरान व्यय बढ़ा लेकिन वर्ष 2003–04 को छोड़कर गैर वेतन घटक का अंश लगातार अधिक रहा। चूँकि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में गैर वेतन मद का अंश वर्ष 2004–05 के 54 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 62 प्रतिशत हो गया था, वर्ष 2005–06 के दौरान गैर–वेतन मद में किए गए व्यय में स्पष्ट वृद्धि पायी गयी।

1-6-2 lkekftd lsokvksa ij O;;

यह तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं पेयजल तथा स्वच्छता सुविधा इत्यादि जैसे जन विकास सूचकों का गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है, राज्य में इन सेवाओं के विस्तार एवं दक्षतापूर्ण तरीके से किए जाने के सम्बन्ध में एक आकलन तैयार करना दूरदर्शीता होगी। वर्ष 2001–06 के दौरान राज्य में सामाजिक सेवाओं के विस्तार एवं मजबूतीकरण पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का समेकन तालिका–13 में दिया गया है।

rkfydk&13 % lkekftd lsokvksa ij O;;

¼#i;s djksM+ esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
f'k{kk] ØhMk] dyk ,oa lLdfr					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	2478.13	2703.51	2821.76	3142.23	4393.96
इनमें से					
(क) वेतन मद	1305.33 (94.18)	1729.02 (99.42)	2126.25 (96.21)	2128.60 (99.34)	2326.50 (99.91)
(ख) गैर वेतन मद	1172.80	974.49	695.51	1013.63	20657.46
iwathxr O;; ¼lh bZ½	23.57	46.69	54.16	17.59	29.14
mi&;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	2501-62	2750-20	2875-92	3159-82	4423-10
LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	518.62	553.30	534.25	607.47	876.94
इनमें से					
(क) वेतन मद	292.97 (59.73)	297.74 (72.48)	476.23 (63.23)	459.29 (69.28)	618.75 (66.56)
(ख) गैर वेतन मद	225.65	255.56	58.02	148.18	258.19
iwathxr O;; ¼lh bZ½	2.72	18.34	4.78	21.94	137.91
mi&;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	521-34	571-64	539-03	629-41	1014-85
tykiwfrZ] LoPNrk] vkokl ,oa 'kgjh fodkl					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	136.33	219.11	200.49	251.09	407.49
इनमें से					
(क) वेतन मद	63.46 (100)	55.03 (100)	72.51 (100)	73.40 (99.46)	80.16 (92.06)
(ख) गैर वेतन मद	72.87	164.08	127.98	177.69	327.33
iwathxr O;; ¼lh bZ½	17.00	75.02	75.74	69.64	124.20
mi&;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	153-33	294-13	276-23	320-73	531-69
lkekftd lsok,¡					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	399.14	439.79	476.93	794.19	1183.53
इनमें से					
(क) वेतन मद	199.10 (48.74)	111.56 (58.04)	190.89 (54.97)	210.52 (60.19)	330.19 (36.36)
(ख) गैर वेतन मद	200.04	328.23	286.04	583.67	853.34
iwathxr O;; ¼lh bZ½	0.20	2.07	28.76	28.11	37.18
mi&;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	399-34	441-86	505-69	822-30	1220-71
;ksx ¼lkekftd lsok,¡½					

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
jktLo 0;; ¼vkj b½	3532.22	3915.71	4033.43	4794.98	6861.92
इनमें से					
(क) वेतन मद	1860.86 (84.04)	2193.35 (93.66)	2865.88 (89.57)	2871.81 (91.68)	3355.60 (87.49)
(ख) गैर वेतन मद	1671.36	1722.36	1167.55	1923.17	3506.32
i¦thxr 0;; ¼lh b½	43.49	142.12	163.44	137.28	328.43
d¦y ;ksx ¼vkj b $ lh b½	3575-71	4057-83	4196-87	4932-26	7190-35

(कोष्ठक के अंक गैर योजनागत वेतन मद की वेतन मद से प्रतिशतता को इंगित करती है।)

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राज्य के कुल व्यय का 29 से 36 प्रतिशत व्यय हुआ था। सामाजिक सेवाओं पर किए गए व्यय में से शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर 62 से 70 प्रतिशत व्यय किए गए थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 13 से 14 प्रतिशत तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास पर चार से सात प्रतिशत तक व्यय किए गए थे। वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान इन मदों पर हुए व्यय का 47 से 68 प्रतिशत तक का व्यय वेतन पर किया गया था।

1-6-3 vkfFkd lsokvks ij 0;;

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वैसे सभी व्यय सम्मिलित हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राज्य की आर्थिक उत्पादकता की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। कुल व्यय का 20.42 प्रतिशत व्यय आर्थिक सेवाओं (4051 करोड़ रुपये) पर किया गया था (तालिका–14)। इसमें से कृषि एवं तत्सम्बन्धित गतिविधियाँ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उर्जा तथा परिवहन पर लगभग 60.26 प्रतिशत व्यय किए गए थे।

rkfydk & 14 % vkfFkd {k= ij 0;;

¼#i;s djksM+ esa½					
	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
df"k ,o rr lEcfU/kr xfrfof/k;k					
jktLo 0;; ¼vkj b½	260.58	249.29	248.66	396.84	410.45
इनमें से					
(क) वेतन मद	118.09 (97.38)	126.86 (89.07)	173.20 (94.69)	173.33 (92.89)	191.49 (92.43)
(ख) गैर वेतन मद	142.49	122.43	75.46	223.51	218.96
i¦thxr 0;; ¼lh b½	नगण्य	5.67	5.67	10.32	93.19
mi&;kx ¼vkj b $ lh b½	260-58	254-96	254-33	407-16	503-64
fl|pkbl ,o ck< fu;=.k					
jktLo 0;; ¼vkj b½	324.30	356.74	319.09	423.02	482.77
इनमें से					
(क) वेतन मद	140.42 (98.99)	189.59 (100)	247.61 (92.08)	242.28 ()91.22	265.93 (91.00)
(ख) गैर वेतन मद	183.88	167.15	71.48	230.74	216.84
i¦thxr 0;; ¼lh b½	299.95	309.88	521.36	442.52	591.46
mi&;kx ¼vkj b $ lh b½	624-25	666-62	840-45	915-54	1074-23
fo|r ,o mtk					
jktLo 0;; ¼vkj b½	13.72	36.66	1.15	1.74	1.2
इनमें से					
(क) वेतन मद	..	..	..	..	..
(ख) गैर वेतन मद	13.72	36.66	1.15	1.74	1.42

					¼#i;s djksM+ esa½
	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
iwathxr O;; ¼lh bZ½	10.73	..	300.39	26.50	302.01
mi&;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	24-45	36-66	301-54	28-24	303-43
ifjogu					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	127.75	194.08	204.61	224.61	285.01
इनमें से					
(क) वेतन मद	0.62 (100)	190.98 (99.49)	85.01 (98.81)	83.63 (99.22)	107.45 (100)
(ख) गैर वेतन मद	127.13	3.10	119.60	140.98	177.50
iwathxr O;; ¼lh bZ½	34.40	90.97	61.53	144.06	274.99
mi&;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	162-15	285-05	266-14	368-67	560-00
vU; vkfFkZd lsok,¡					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	576.07	926.70	724.67	939.47	1187.44
इनमें से					
(क) वेतन मद	278.24 (54.63)	69.47 (92.13)	284.31 (85.47)	198.92 (94.51)	251.60 (91.41)
(ख) गैर वेतन मद	297.83	857.23	440.36	740.55	938.84
iwathxr O;; ¼lh bZ½	338.63	340.18	474.55	376.18	421.90
dqy ;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	914-70	1266-88	1199-22	1315-65	1609-34
;ksx ¼vkfFkZd lsok,¡½					
jktLo O;; ¼vkj bZ½	1302-42	1763-47	1498-18	2035-68	2367-09
इनमें से					
(क) वेतन मद	537-37 ¼74-74½	576-90 ¼96-55½	790-13 ¼91-00½	698-16 ¼93-53½	816-47 ¼92-59½
(ख) गैर वेतन मद	765-05	1186-57	708-05	1337-52	1550-62
iwathxr O;; ¼lh bZ½	679-80	746-70	1363-50	999-58	1683-55
dqy ;ksx ¼vkj bZ $ lh bZ½	1982-22	2510-17	2861-68	3035-26	4050-64

(कोष्ठक के अंक वेतन मद से गैर वेतन मद की प्रतिशतता को इंगित करती है।)

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान राजस्व लेखा में आर्थिक सेवाओं पर राज्य का कुल व्यय 1302 करोड़ रुपये से 2367 करोड़ रुपये के बीच तथा पूँजीगत लेखा में 680 करोड़ रुपये से 1684 करोड़ रुपये तक था जिनमें से वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान वेतन भुगतान पर 20 से 28 प्रतिशत के मध्य था।

1-6-4 LFkkuh; fudk;ksa ,oa vU; laLFkkvksa dks foÙkh; lgk;rk

वर्ष 2001–06 के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदान एवं ऋणों के द्वारा दी गई सहायता का परिमाण तालिका – 15 में प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk&15 % foÙkh; lgk;rk

¼#i;s djksM+ esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालयों, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों इत्यादि)	369.13	461.13	545.94	564.99	803.65
नगर निगम एवं नगर पालिकाएँ	28.99	99.98	83.71	117.91	277.56
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थान	109.60	292.34	133.92	2.63	3.75
विकास अभिकरण	12.87	34.81	3.87	110.15	18.56
अस्पताल एवं अन्य चैरिटेबुल संस्थान	...	..	..	5.00	3.00
अन्य संस्थान	47.05	133.45	20.99	12.68	3.92
;ksx	564-64	1021-71	788-43	813-36	1110-44
आर ई से प्रतिशतता के रूप में सहायता	5.06	16.10	6.20	5.56	6.25

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान राज्य के द्वारा दी गयी सहायता आर ई का पाँच से छः प्रतिशत तक थी, केवल वर्ष 2002–03 में यह 16 प्रतिशत थी।

1-6-5 mi;ksfxr çek.k i=ksa dks çLrqrhdj.k esa foyEc

वर्ष 2005–06 तक भुगतान किए गए कुल 2928.94 करोड़ रुपये के अनुदान एवं ऋणों से सम्बन्धित देय 770 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प.) में से 2764.16 करोड़ रुपये की राशि के 722 उपयोगित प्रमाण पत्र लम्बित थे। लम्बित उ. प. की विभागवार विवरणी **ifjf'k"V&VI** में दी गई है।

1-6-6 Lok;Ùk'kklh fudk;ksa dk fu"iknu dk lkj

राज्य में तीन निकायों के लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने, लेखापरीक्षा को लेखा समर्पित करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किए जाने एवं विधायिका में इसका प्रस्तुतीकरण **ifjf'k"V&VII** में दर्शाया गया है।

1-7 ifjlEifÙk;ka ,oa nkf;Ùo

सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि एवं भवन जैसी अचल सम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। हालाँकि सरकारी लेखा सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को जरूर दर्शाता है। 31 मार्च 2005 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2006 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार **ifjf'k"V&II** दर्शाता है। जहाँ इस परिशिष्ट में दायित्त्व मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ, लोक लेखे तथा आरक्षित निधि से प्राप्तियों से निर्मित होता है, परिसम्पत्तियाँ मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं पेशगियाँ और नकद शेष से निर्मित होती हैं। **ifjf'k"V&V** वर्ष 2001–2006 की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्त व्यवस्था पर कालबद्ध आंकड़ा प्रदर्शित करता है।

1-7-1 flapkbZ dk;Z dk foÙkh; ifj.kke

सरकार के वित्त लेखे के विवरण 3 में सिंचाई कार्य का वित्तीय परिणाम प्रदर्शित है जो दर्शाता है कि वर्ष 2005–06 के दौरान कोई उत्पादक कार्य नहीं हुआ। वर्ष 2005–06 तक चार पूर्ण नहरों में सरकार ने 3.76 करोड़ रुपये का पूँजीगत परिव्यय किया, वर्ष 2005–06 में इन नहरों से 3.82 करोड़ रुपये की वसूली हुई जबकि 8.29 करोड़ रुपये रखरखाव मद पर (पूँजीगत परिव्यय पर सूद सहित) व्यय किया गया। 8.29 करोड़ रुपये के कार्यशील व्यय के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति से 4.47 करोड़ रुपये का अधिकाई व्यय हुआ।

1-7-2 viw.kZ ifj;kstuk,¡

31 मार्च 2006 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित परियोजना सूचना तालिका 16 में दी गई है।

rkfydk&16 % viw.kZ ifj;kstukvksa dh ifj;kstuk :ijs[kk

Øe la-	ifj;kstuk@;kstuk dk uke	o"kZ 2005&06 rd O;; ¼djksM+ #i;s esa½
1	कोशी परियोजना	389.15
2	गंडक परियोजना फेज–II	47.50
3	उत्तर कोयल परियोजना	836.11*
4	दुर्गावती जलाशय	361.09*
5	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	745.54*
6	नकटी जलाशय परियोजना	14.01
	;ksx	2393-40

* विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा।

1-7-3 foHkkxh; okf.kfT;d miØe

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप किए जाते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय परिचालन के परिणाम को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखा तैयार करना पड़ता है जिससे सरकार उनके कार्यों के परिणाम को निर्धारित कर सके। प्रोफार्मा लेखा तैयार करने में विभागवार बकाए की स्थिति एवं सरकार द्वारा किए गए निवेश क्रमशः **ifjf'k"V&VIII ,oa IX** में दिए गए है।

1-7-4 fuos'k ,oa izfrQy

31 मार्च 2006 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थानों में 805.64 करोड़ रुपये का निवेश किया था (तालिका–17)। विगत पाँच वर्षों में इस निवेश का प्रतिफल शून्य प्रतिशत था जबकि वर्ष 2001 से 2005–06 के दौरान इस उधार पर सरकार ने औसतन 8.20 से 9.59 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान किया था।

rkfydk&17 % fuos'k ij çfrQy

o"kZ	o"kZ dh lekfIr ij fuos'k	çfrQy	çfrQy dh izfr'krrk	ljdkjh m/kkj ij vkSlru C;kt dk nj
	¼djksM+ #i;s esa½			¼izfr'kr½
2001–02	686.67	0.01	शून्य	8.71
2002–03	694.34	0.02	शून्य	9.00
2003–04	700.01	0.04	0.01	9.00
2004–05	708.66	0.04	शून्य	9.59
2005–06	805.64	0.04	शून्य	8.20

वर्ष 2005–06 के अन्त तक सरकार ने सांविधिक निगमों में 105.63 करोड़ रुपये, सरकारी कम्पनियों में 338.80 करोड़ रुपये, संयुक्त पूँजी कम्पनियों में 3.88 करोड़ रुपये एवं सहकारिता बैंक तथा समितियों में 357.33 करोड़ रुपये (कुल निवेश का 44 प्रतिशत) का निवेश किया था। सरकारी उधार पर औसत 8.20 प्रतिशत के ब्याज दर पर 66.06 करोड़ रुपये के विरूद्ध इन निवेशों पर प्रतिफल महज 0.04 करोड़ रुपये थे। वर्ष के दौरान सरकार ने कुल निवेश (96.99 करोड़ रुपये) में से 85 करोड़ रुपये सहकारिता क्षेत्र में किया था जो भारत सरकार के पुनरूत्थान पैकेज की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल था। बैंकिंग नियामक अधिनियम की धारा 11(2) के दायरे से बाहर 14 डी सी सी बी के कार्य करने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका अतः निवेश निष्फल साबित हो गया।

1-7-5 jkT; ljdkj }kjk _.k ,oa is'kfx;k¡

सहकारिता समितियों, निगम एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार इन संस्थानों/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं पेशगियाँ भी प्रदान करते आ रही है। 31 मार्च 2006 को कुल 13574 करोड़ रुपये का ऋण एवं पेशगियाँ लम्बित थे (तालिका–18)। इन ऋण पेशगियों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज पूर्व वर्ष के 0.63 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005–06 में 1.59 प्रतिशत थे।

rkfydk&18 % jkT; ljdkj }kjk çnÙk _.kksa ij vkSlr C;kt dh çkfIr

¼#i;s djksM+ esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
आदि शेष	6952.84	7473.60	8205.21	10763.68	11876.69
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	533.71	747.19	2568.92	1127.84	1747.82
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	12.95	15.58	1045.00	14.83	50.86
अंतशेष	7473.60	8205.21	10763.68	11876.69	13573.65
निवल वृद्धि	520.76	731.61	2558.47	1113.01	1696.96
प्राप्त ब्याज	11.75	53.01	23.08	75.06	216.07
बकाए ऋणों एवं पेशगियों में प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	0.16	0.65	0.21	0.63	1.59

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं पेशगियाँ 533.71 करोड़ रुपये से 2568.92 करोड़ रुपये के मध्य थे। वर्ष 2005–06 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए कुल ऋण एवं पेशगियों (1735.27 करोड़ रुपये) में से 99 प्रतिशत ऋण की खपत विद्युत परियोजनाओं पर हुई थी।

1-7-6 jkdM 'k"k dk çc/ku

सामान्यतया यह वांछित होता है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह उसके व्यय के दायित्त्वों के सदृश हो। हाँलाकि संसाधनों के प्रवाह तथा व्यय के दायित्त्वों के बीच अस्थायी प्रतिकूलता की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों (डब्लू एम ए) की एक प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। बिहार के लिए पहलीं अप्रैल 2005 से अर्थोपाय पेशगियाँ की सीमा 380 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2005 से रखी गई भारत सरकार की जमानत पर पहलीं अप्रैल 2005 के प्रभाव से 20.37 करोड़ रुपये, पहलीं जुलाई 2005 के प्रभाव से 20.15 करोड़ रुपये, पहलीं अक्टूबर 2005 के प्रभाव से 19.92 करोड़ रुपये, ग्यारह अक्टूबर 2005 के प्रभाव से 13.18 करोड़ रुपये, 13 अक्टूबर 2005 के प्रभाव से 20.35 करोड़ रुपये तथा पहलीं जनवरी 2006 के प्रभाव से 20.17 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा पर विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ उपलब्ध कराए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट, इसके उपयोग करने की संख्या तथा भुगतान किए गए ब्याज की विवरणी तालिका–19 में वर्णित है।

rkfydk&19 % jkT; d vFkkZik; i'kfx;k ,o vkoj Mk¶V

¼#i; djkM e½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
vFkkZik; i'kfx;k					
वर्ष के दौरान उपभोग	2593.23	7.12	1708.45	3.50	शून्य
अवसर की संख्या	79.00	शून्य	40.00	1.00	
लम्बित डब्लू एम ए, अगर कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किया गया ब्याज भुगतान	7.86	0.13	3.71	नगण्य	शून्य
दिनों की संख्या	106	1	49	3	शून्य
vkoj Mk¶V					
वर्ष के दौरान उपभोग	3229.53	शून्य	1142.89	शून्य	शून्य
अवसर की संख्या	99	शून्य	5	शून्य	शून्य
दिनों की संख्या	123	शून्य	44	शून्य	शून्य
किया गया ब्याज भुगतान	3.94	शून्य	1.42	शून्य	शून्य

1-8 vfuokfgr nkf;Ùo

राज्य के कुल दायित्त्व में राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखा के अर्न्तगत दायित्त्व, साथ ही लोक क्षेत्र उपक्रम द्वारा ली गयी ऋण एवं प्रतिभूति सहित विशेष उद्देश्य गाड़ी तथा अन्य समतुल्य साधन, जिसके मूलधन एवं/या ब्याज को राज्य बजट के द्वारा सम्पोषित किया जाता है, सम्मिलित है।

1-8-1 jkt dk"kh; nkf;Ùo & ykd _.k ,o çfrHkfr;k

दायित्त्वों के दो वर्ग यथा लोक ऋण एवं अन्य दायित्त्व हैं। राज्य के आन्तरिक ऋण में समाहित लोक ऋण को समेकित निधि – पूँजीगत लेखा के अर्न्तगत वार्षिक वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित किया जाता है। इसमें बाजार ऋण, आर बी आई द्वारा निर्गत विशेष ऋण पत्र तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियाँ सम्मिलित है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य अपने संचित निधि को ऋणाधार बनाकर

समय–समय पर विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्धारित वैसी सीमा के अन्दर भारत के प्रादेशिक सीमा के भीतर ऋण ले सकता है एवं निर्धारित सीमा के अधीन गारन्टी दे सकता हैं। अन्य दायित्त्व जो लोक लेखा का एक भाग है, में लघु बचत योजना, भविष्य निधि एवं अन्य जमाओं के अन्तर्गत जमा सम्मिलित है।

तालिका 20 राज्य के राजकोषीय दायित्त्वों, उसके वृद्धि दर, इन दायित्त्वों का जी. एस. डी. पी., राजस्व प्राप्तियाँ एवं स्वयं के संसाधनों के प्रति अनुपात तथा इन मानकों के प्रति राजकोषीय दायित्त्व की उत्पलावकता को भी दर्शाती है।

rkfydk&20 % jktdks"kh; nkf;Ùo & ey ekud

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
राजकोषीय दायित्त्व (करोड़ रुपये में)	31883	35249	37453	42483	46495
वृद्धि का दर (प्रतिशत)	12.09	10.56	6.25	13.43	9.44
fuEukfdr dk jktdks"kh; nkf;Ùo ls vuqikr					
जी एस डी पी (प्रतिशत)	67.71	66.31	71.61	74.34	76.72
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	324.01	321.38	300.68	270.35	260.67
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	1223. 451166.41	1166.76	1128.37	1138.75	
fuEukfdr dk jktdks"kh; nkf;Ùo ls mRiykodrk					
जी एस डी पी (प्रतिशत)	46.93	0.82	*	1.45	1.56
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	*	0.92	0.46	0.51	0.70
स्वयं के संसाधन	*	0.66	1.01	0.78	1.12

* ऋणात्मक उत्पलावकता का द्योतक, # आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियाँ, लघु बचतें एवं अन्य दायित्त्वों (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं आकस्मिकता निधि छोड़कर) सहित

राज्य का समग्र राजकोषीय दायित्त्व वर्ष 2001–02 के 31883 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 46495 करोड़ रुपये हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2005–06 के दौरान वृद्धि दर में 3.99 प्रतिशत की गिरावट थी। जी एस डी पी के राजकोषीय दायित्त्व का अनुपात वर्ष 2001–02 के 67.71 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 76. 72 प्रतिशत के करीब पहुँच गया। वर्ष 2005–06 की समाप्ति पर ये दायित्त्व राजस्व प्राप्तियों के 2.61 गुना एवं राज्य के स्वयं के संसाधन के 11.39 गुना थे। वर्ष के दौरान जी एस डी पी के साथ इन दायित्त्वों की उत्पलावकता 1.56 प्रतिशत थी। वर्ष 2001–06 के दौरान ऋण–जी एस डी पी का बढ़ता हुआ अनुपात दर्शाता था कि ऋण असह्य था।

1-8-2 çfrHkwfr;ksa dh fLFkfr & vkdfLed nkf;Ùo

जिन कर्जदारों के लिए राज्य द्वारा प्रतिभूति दिए गए हैं, अगर उनके द्वारा अवहेलना होती है तब प्रतिभूतियाँ राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्त्व हो जाती है। सरकार ने राज्य के समेकित निधि की सुरक्षा के लिए दी गई प्रतिभूतियों पर कोई स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं किया है। ''प्रतिभूति निर्मुक्ति निधि'' जैसा कोई कोष सृजित नहीं किया गया है।

वित्त लेखे की विवरणी 6 के अनुसार तालिका–21 में वर्ष 2001–02 से लेकर इस वर्ष की समाप्ति तक राज्य द्वारा दिए गए प्रतिभूमि की अधिकतम राशि एवं लम्बित प्रतिभूतियाँ दर्शायी गयी है।

rkfydk & 21 ¼ fcgkj ljdkj }kjk nh x;h çfrHkwfr;k¡

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	çfrHkwfr dh vf/kdre jkf'k	çfrHkwfr dh yfEcr jkf'k	jktLo çkfIr ls vf/kdre çfrHkwfr dh izfr'krrk
2001–02	अ	209.21	..
2002–03	अ	393.44	..
2003–04	1531.08	470.72	12.29
2004–05	1531.08	473.44	9.74
2005–06	1531.08	604.87	8.58

अ – सूचना अनुपलब्ध दर्शाता है।

लम्बित प्रतिभूति की राशि वर्ष 2001–02 के 209.21 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 604.87 करोड़ रुपये हो गई। सहकारिता बैंक एवं समितियाँ (170 करोड़ रुपये), बिहार राज्य वित्त निगम (179 करोड़ रुपये) एवं बिहार राज्य विद्युत पर्षद (139 करोड़ रुपये) इन प्रतिभूतियों के मुख्य प्राप्तकर्त्ता थे।

सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के लिए सीमा निर्धारण हेतु कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया था। सरकार ने ऐसी प्रतिभूतियों से होने वाली किसी क्षति को टालने हेतु अनुश्रवण करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया था।

1-8-4 fuf/k;ksa dh fuoy miyC/krk

ऋण के सुदृढ़ता का अन्य महत्त्वपूर्ण सूचक पूर्व के अनुबंधित दायित्त्वों से सम्बन्धित मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के उपरान्त निधियों की निवल उपलब्धता है।

ब्याज एवं पुनर्भुगतानों की देयता के बाद आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियाँ तथा अन्य दायित्त्वों के लिए कुल उपलब्ध निधि वर्ष 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान (–) 9 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच नीचे–ऊपर होती रही।

वर्ष 2005–06 में कुल उपलब्ध निधि 626 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) थी। वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान कुल ऋण प्राप्ति 5863 करोड़ रुपये से 10907 करोड़ रुपये के मध्य था।

नीचे की तालिका–22 राज्य के विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक ऋण प्राप्ति एवं अदायगी तथा अन्य राजकोषीय दायित्त्वों की स्थिति को बतलाती है।

rkfydk&22 ¼ m/kkj yh x;h fuf/k;ksa dh fuoy miyC/krk

¼#i;s djksM+ esa½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
vkUrfjd _.k					
प्राप्तियाँ	2681	2935	4249	5969	3769
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	987	923	1766	2047	2485
निवल उपलब्ध निधि	1694	2012	2483	3922	1284
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	63	69	58	66	34
Hkkjr ljdkj ls çkIr _.k ,oa is'kfx;k¡					
प्राप्तियाँ	1077	1255	820	1654	2
पुनर्भुगतान	1926	3195	3894	3881	1512

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
(मूलधन+ब्याज)					
निवल उपलब्ध निधि	(–)849	(–)1940	(–)3074	(–)2227	(–)1510
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	(–)79	(–)155	(–)375	(–)135	(–)755
vU; nkf;Üo					
प्राप्तियाँ	2105	3137	3119	3284	2283
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	1859	2629	3303	3199	1431
निवल उपलब्ध निधि	246	508	(–)184	85	852
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	12	16	(–)6	3	37
dqy nkf;Üo					
प्राप्तियाँ	5863	7327	8188	10907	6054
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	4772	6747	8963	9127	5428
निवल उपलब्ध निधि	1091	580	(–)775	1780	626
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	19	8	(–)9	16	10.34

1-8-5 _.k fuokZgrk

किसी समयावधि तक ऋण – जी एस डी पी अनुपात को स्थिर रखने के सामर्थ्य को ऋण निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्यतया लोक ऋण उस समय तक निर्वहन योग्य समझा जाता है जिस समय तक आय में वृद्धि का दर, ब्याज दर या लोक उधार की राशि से अधिक हो, बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो धनात्मक हो या शून्य हो। दिए गए दर विस्तार (जी एस डी पी वृद्धि दर – ब्याज दर) एवं परिमाण विस्तार (ऋण x दर विस्तार), ऋण निर्वहन की स्थिति बताता है। अगर आरंभिक घटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तब ऋण – जी एस डी पी अनुपात या तो स्थिर या निर्वहन योग्य होगा। दूसरी तरफ अगर आरंभिक घाटा परिमाण विस्तार से अधिक हो तब ऋण जी एस डी पी अनुपात बढ़ेगा एवं अगर आरंभिक घाटा परिमाण विस्तार से कम हो, तब यह घटेगा।

तालिका–23 की प्रवृति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001–06 की अवधि के दौरान पाँच में से तीन वर्ष आरंभिक घाटा एवं परिमाण विस्तार का योग ऋणात्मक है जो बढ़ते हुए ऋण – जी एस डी पी अनुपात तथा राज्य में घटते हुए ऋण निर्वाहता की स्थिति को दर्शाता है।

rkfydk&23 % _.k fuokZgrk & C;kt nj ,oa th ,l Mh ih of)
¼çfr'kr eas½

	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
प्रभावी ब्याज दर	8.71	9.00	9.20	8.69	8.20
जी एस डी पी वृद्धि	0.26	12.89	(–)1.62	9.27	6.06
ब्याज विस्तार	(–)8.46	3.89	(–)10.82	0.57	(–)2.14
परिमाण विस्तार (करोड़ रुपये में)	(–)1816	939	(–)2856	178	(–)723
आरंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	46	34	(–)1020	2232	(–)51

1-9 ?kkVk çcU/ku

सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्तियों और व्यय के बीच अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेकशीलता का सूचक है। इसके अतिरिक्त घाटे को वित्तपोषित करने तथा संसाधन को बढ़ाने का तरीका इसके राजकोषीय तन्दुरूस्ती का महत्त्वपूर्ण परिचायक है।

राज्य का राजस्व घाटा दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय अधिक था जो वर्ष 2001–02 के (–) 1320 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में (+) 81 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के कुल उधार एवं इसके कुल संसाधन के कुल अंतर का द्योतक है, वर्ष 2001–02 के (–)2583 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2005–06 में (–)3700 करोड़ रुपये हो गया। राज्य के पास वर्ष 2001–02 में (+)46 करोड़ का अधिशेष था जो वर्ष 2005–06 में 51 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गया जैसा कि तालिका–24 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2005–06 के दौरान राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटे का अनुपात (–)2.19 प्रतिशत होना दर्शाता था कि समग्र उधार ली गयी निधि का उपयोग चालू खपत पर किया गया था। जीएसडीपी के अनुपात में वर्ष 2005–06 में राजस्व घाटा 0.13 प्रतिशत एवं राजकोषीय घाटा (–) 6.10 प्रतिशत पर पहुँच गया था। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा का उच्च अनुपात भी दर्शाता था कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार सिकुड़ रहा था एवं बढ़ते हुए उधार के एक भाग (राजकोषीय दायित्त्व) को किसी परिसम्पति का सहारा नहीं था।

rkfydk&24 % jktdk"kh; vlryu & ey ekud

ekud	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	(–)1320	(–)1287	(–)255	(+)1076	(+)81
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	(–)2583	(–)2988	(–)4363	(–)1242	(–)3700
आरंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	(+)46	(+34)	(–)1020	(+)2232	(–)51
आरडी / जीएसडीपी (प्रतिशत)	(–)2.80	(–)2.42	(–)0.49	(+)1.88	(+)0.13
एफडी / जीएसडीपी (प्रतिशत)	(–)5.48	(–)5.62	(–)8.34	(–)2.17	(–)6.10
पीडी / जीएसडीपी (प्रतिशत)	(+)0.10	(+)0.06	(–)1.95	(+)3.91	(–)0.08
आरडी / एफडी (प्रतिशत)	(+)51.08	(+)43.07	(+)5.84	*	*

* वर्ष 2004–06 के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था।

वर्ष 2004–05 एक असाधारण वर्ष था क्योंकि राज्य के पास 1076 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष था एवं 1242 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था। मुख्यतः केन्द्रीय स्थानान्तरण एवं भारत सरकार से सहायता–अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा पूँजीगत व्यय के 1549 करोड़ रुपये (2003–04) से घटकर 1205 करोड़ रुपये (2004–05) हो जाने के कारण ऐसा हुआ था। राज्य सरकार ने राज्य की राजकोषीय स्थिति पर अपनी टिप्पणी के पृष्ठभूमि में कहा था (मार्च 2006) कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में विधानसभा चुनाव के कारण कम व्यय हुआ था।

वर्ष 2005–06 में व्यय में वृद्धि के कारण जी एस डी पी के साथ राजकोषीय घाटा वर्ष 2005–06 में 1242 करोड़ रुपये (2.17 प्रतिशत) से बढ़कर 3700 करोड़ रुपये (6.10 प्रतिशत) हो गया।

1-10 jkt dk"kh; vuqikr

राज्य के वित्त को सुदृढ़, नम्य एवं अभेद्य होना चाहिए। निम्न तालिका–25 कुछ सूचकों के सापेक्ष वर्ष 2001–2006 के दौरान सरकार के वित्त की सार–स्थिति को दर्शाती है जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता व प्रभावशीलता तथा उनकी प्रयुक्तता को निर्धारित करने व महत्त्व के क्षेत्रों को उजागर करने तथा उसके प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद करते हैं।

rkfydk&25 % jkt dk"kh; fLFkfr dk lpd ¼çfr'kr e½

jkt dk"kh; lpd	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
1	2	3	4	5	6
I- l|lk/ku l?kVu					
राजस्व प्राप्तियाँ / जी एस डी पी	20.90	20.63	23.82	27.50	29.43
राजस्व उत्पलावकता	(–)46.43	0.89	(–)8.37	2.82	2.23
स्वयं कर / जी एस डी पी	4.92	5.19	5.53	5.86	5.88
II- 0;; çc/ku					
कुल व्यय / जी एस डी पी	26.41	26.28	32.18	29.70	35.62
कुल व्यय / राजस्व व्यय	79.12	78.50	74.02	92.59	82.62
राजस्व व्यय / कुल व्यय	89.74	87.71	75.53	86.25	82.25
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर वेतन व्यय / राजस्व व्यय	21.49	22.61	28.76	24.39	24.62
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर गैर–वेतन व्यय / राजस्व व्यय	21.83	23.74	14.75	22.28	28.48
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	6	7	11	8	11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	6.08	6.72	10.71	7.18	10.14
राजस्व प्राप्ति के साथ कुल व्यय की उत्पलावकता	1.55	1.08	1.51	0.03	2.01
राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय की उत्पलावकता	1.45	0.86	0.27	0.58	1.58

jktdk"kh; lpd	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2005&06
1	2	3	4	5	6
III- jktdk"kh; vlrlyu dk çc/ku					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	(–)1320	(–)1287	(–)255	(+)1076	(+)81
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	(–)2583	(–)2988	(–)4363	(–)1242	(–)3700
आरंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	(+)46	(+)34	(–)1020	(+)2232	(–)51
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	51	43	6	(–)87	(–)2
IV- jktdk"kh; nkf;Ùo dk çc/ku					
राजकोषीय दायित्त्व/ जीएसडीपी	67.71	66.31	71.61	74.34	76.72
राजकोषीय दायित्त्व/ आर आर	324.01	321.38	300.68	270.35	260.67
राजस्व प्राप्ति के साथ राजकोषीय दायित्त्व की उत्पलावकता	(–)1.01	0.92	0.46	0.51	0.70
स्व–प्राप्ति के साथ राजकोषीय दायित्त्व की उत्पलावकता	(–)0.47	0.66	1.01	0.78	1.12
आरंभिक घाटा के साथ–साथ परिमाण विस्तार	2420.25	1279.16	4741.48	2457.83	962.05
कुल उपलब्ध निधि	1091	580	(–)775	178	626
V- vU; jktdk"kh; fLFkfr lpd					
निवेश पर प्रतिफल	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रुपये में)	(–)1246	(–)1039	(–)638	924	685.02
वित्तीय परिसम्पतियाँ/ दायित्व	72	72	72	78	80

mi lgkj

राजस्व, राजकोषीय एवं आरंभिक घाटा जैसे मुख्य कारकों के संदर्भ में राज्य की वर्ष 2001–06 की अवधि की समग्र राजकोषीय स्थिति में मिश्रित प्रवृति परिलक्षित होता है। वर्ष 2004–05 के महत्वपूर्ण सुधार की स्थिति से जब आरंभिक एवं राजस्व लेखा में अधिशेष दर्शाया गया था एवं राजकोषीय घाटे में पूर्ववर्त्ती वर्षों से काफी गिरावट आई थी, वर्ष 2005–06 की अवधि में इन मुख्य मानकों के परिप्रेक्ष्य में राज्य की राजकोषीय स्थिति अधिक खराब हुई थी। वर्ष 2004–05 में राजकोषीय स्थिति में गुणात्मक सुधार का मुख्य कारण केन्द्रीय स्थानांतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय में गिरावट तथा वर्ष के अंत में अधिक रोकड़ शेष था। वर्ष 2005–06 में राजस्व लेखा में गिरावट का मुख्य कारण गैर योजना राजस्व व्यय (19 प्रतिशत) एवं योजनागत राजस्व व्यय (37 प्रतिशत) में हुई वृद्धि थी। राजस्व अधिशेष में स्पष्ट कमी के अलावे राजकोषीय घाटे में वृद्धि (198 प्रतिशत) का मुख्य कारण पूर्व वर्ष से गैर योजना शीर्ष के तहत ऋण के वितरण में 100 प्रतिशत से कुछ अधिक तथा पूँजीगत योजना व्यय में 76 प्रतिशत की वृद्धि का होना था। वर्ष 2005–06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय स्थानान्तरण का महत्वपूर्ण योगदान जारी था एवं राज्य के

अपने संसाधन में मामूली सुधार हुआ था। अतः राज्य को अपने संसाधनों की उत्पलावकता में सुधार, साथ ही साथ इसके राजकोषीय असंतुलन में सुधार करने हेतु मानक के अनुसार गैर योजना राजस्व व्यय में वृद्धि को संभालने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। एफ आर बी एम अधिनियम 2006 में वर्णित राजकोषीय प्रबन्धन के उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए परिव्यय के बँटवारे की प्राथमिकता को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है। राज्य की बढ़ती हुई ऋण दायित्त्व, जिसे मुख्यतः जी एस डी पी से राजकोषीय दायित्त्वों के अनुपात के रूप में दर्शाया गया है, को भी राज्य में सुदृढ़ राजकोषीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

v/;k;&II

vkcaVu gsrq çkFkfedrk,a rFkk fofu;ksx

2-1 çLrkouk

प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले विनियोग लेखा में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के दोनों भारित एवं दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूँजीगत एवं राजस्व व्ययों को दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक महा–लेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के तहत है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है, उसे उस प्रकार प्रभारित किया गया है अथवा नहीं। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

2-2 fofu;kstu ys[kkvksa dk lkjka'k

52 अनुदानों एवं विनियोजनों के विरूद्ध वर्ष 2005–06 की अवधि में किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति निम्नवत है :

lkj.kh&I

¼#i;s djksM+ esa½

	0;; dh çd`fr	ewy vuqnku@ fofu;kstu	iwjd vuqnku@ fofu;kstu	dqy	okLrfod 0;;	cpr
दत्तमत	I. राजस्व	15117.27	1434.50	16551.77	14075.10	2476.67
	II. पूँजीगत	2970.56	457.41	3427.97	2083.90	1344.07
	III. ऋण एवं अग्रिमें	1048.28	700.41	1748.69	1747.82	0.87
dqy nÙker		19136-11	2592-32	21728-43	17906-82	3821-61
भारित	IV. राजस्व	4017.55	5.91	4023.46	3680.89	342.57
	V. पूँजीगत	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09
	VI. ऋण एवं अग्रिमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VII. लोक ऋण	3175.01	4941	3224.42	980.76	2243.66
dqy Hkkfjr		7192-56	55-41	7247-97	4661-65	2586-32
आकस्मिक निधि (यदि कोई हो का विनियोजन)					..	..
dqy ;ksx		26328-67	2647-73	28976-40	22568-47	6407-93

कुल व्यय का कम से कम 28.16 करोड़ रुपये तक कम वर्णित किया गया जिसके लिये वर्ष 2005–06 के दौरान कोषागारों से अभिश्रव प्राप्त नहीं किये गये तथा व्यय को राज्य की संचित निधि में लेखांकित नहीं किया गया एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) के उचंत खाता में रखा गया।

कुल व्यय को 1791.86 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया क्योंकि ये संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित थे परंतु उनके विस्तृत आकस्मिक विपत्र नहीं प्रस्तुत किये गये। वर्ष 2005–06 के दौरान 417.26 करोड़ रुपये की राशि शून्य भुगतान अभिश्रवों द्वारा विभिन्न जमा शीर्षों में स्थानांतरित किये गये। यह भी व्यय आँकड़े को बढ़ाया जबकि वास्तविक रूप से राशि सरकार द्वारा रख ली गई थी।

2-3 vkcVu gsrq çkFkfedrkvksa dh iwfrZ

2-3-1 vkcVu gsrq çkFkfedrkvksa }kjk fofu;ksatu

कुल प्रावधान 28976.40 करोड़ रुपये के विरूद्ध कुल बचत 6407.93 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 22 प्रतिशत) 6757.49 करोड़ रुपये के बचत एवं 349.56 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के प्रावधानों के उल्लंघन में राज्य सरकार ने वर्ष 2005–06 में चार दत्तमत अनुदानों में 349.56 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन करने की आवश्यकता है जैसा कि सारणी II में नीचे प्रदर्शित किया गया है। बचत/आधिक्य के विवरण नियंत्री पदाधिकारियों को उनके महत्त्वपूर्ण विचलन के स्पष्टीकरण हेतु भेजे गये थे जो प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

lkj.kh&II

fofu;eu gsrq vuqnkuksa ls vf/kd dh foj.kh

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	vuqnku dh la[;k ,oa uke	dqy vuqnku ¼ewy $ iwjd½	okLrfod O;;	vkf/kD; jkf'k ¼dqy çko/kkuksa ds fo:) vkf/kD; dk çfr'kr½	dkj.k
d & jktLo nÙker vuqnku					
1	39 आपदा प्रबंधन विभाग	156.33	450.81	294.48 (188.37)	सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2006)।
2	46 पर्यटन विभाग	4.39	4.81	0.42 (9.57)	–वही–
	dqy ¼d½	160-72	455-62	294-90 ¼183-49½	
[k & iwathxr nÙker vuqnku					
3	10 उर्जा विभाग	1985.80	2038.50	52.70 (2.65)	–वही–
4	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3.18	3.20	0.02 (0.63)	–वही–
5	46 पर्यटन विभाग	6.25	8.19	1.94 (31.04)	–वही–
	dqy ¼[k½	1995-23	2049-89	54-66 ¼2-74½	
	dqy ;ksx ¼d$[k½	2155-95	2505-51	349-56 ¼16-21½	

2-3-2 ogr cpr

अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय आदि प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर विभागों को अपने प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता थी। बजट निर्माण तथा बजट प्रबंधन के सिद्धांतों को नहीं लागू करने के कारण निधियों का अवैधानिक विनियोग हुआ जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, लोक कार्य आदि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वृहत बचत हुई। 8 मामले जिसमें 81 अनुदान एवं विनियोजन शामिल थे, 100 करोड़ रुपये या अधिक की अत्यधिक बचत एवं प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत से अधिक कुल 4176.32 करोड़ रुपये (कुल बचत 6757.49 करोड़ रुपये का 62 प्रतिशत) का अत्यधिक बचत पायी गई जैसा कि सारणी III में दर्शाया गया है।

lkj.kh&III

ogr cprkdk ekeys ¼100 djksM+ #i;s ls vf/kd ,oa çR;sd ekeys esa 20 çfr'kr ls vf/kd½

Øe l-	vuqnku l[;k ,o uke	vuqnku			okLrfod O;;	cpr ¼&½	izko/kku ls cpr dk izfr'kr
		ewy	iwjd	dqy			
	jktLo & nÙker						
1	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1104.27	226.60	1330.87	873.74	457.13	34.35
2	50 लघु सिंचाई विभाग	292.40	55.43	347.83	218.86	128.97	37.01
3	51 कल्याण विभाग	702.12	21.98	724.10	511.24	212.86	29.40
	iwathxr & nÙker						
4	36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	323.04	7.92	330.96	121.00	209.96	63.44
5	41 पथ निर्माण विभाग	645.55	..	645.55	260.42	385.13	59.66
6	42 ग्रामीण विकास विभाग	627.71	5.33	633.04	407.73	225.31	35.59
7	49 जल संसाधन विभाग	696.98	180.03	877.01	563.71	313.30	35.72
	iwathxr & Hkkfjr						
8	14 लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3175.01	49.41	3224.42	980.76	2243.66	69.58
	dqy	7567-08	546-70	8113-78	3937-46	4176-32	

8 अनुदानों एवं विनियोजनों के 41 योजनाओं में 3893.09 करोड़ रुपये (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये या अधिक) की वृहत बचत हुई जिसके विवरण ifjf'k"V&**X** में दिये गये है।

बचत के कारणों को विभाग द्वारा नहीं सूचित किया गया, कुछ मामलों में बचत का कारण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये गये, योजना परिव्यय कीकमी, पदों का रिक्त रहना एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के कारण निधि का आहरित न होना बताए गये।

2-3-3 cpr d: vU; ekey:

25 मामलों में दो करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय की कमी हुई तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक 645.68 करोड़ रुपये की भी कमी हुई जिसे ifjf'k"V&**XI** में दर्शाया गया है।

2-3-4 lrr cpr

21 मामलों के 18 अनुदान एवं विनियोजनों में कुल प्रावधानों का 10 प्रतिशत तथा दो करोड़ रुपये से अधिक की सतत बचत पायी गयी जिसे ifjf'k"V&**XII** में प्रदर्शित किया गया है।

2-3-5 vkf/kD; d: fofu;eu dh vko';drk

çko/kku l: vf/kd vkf/kD; d: fofu;eu dh vko';drk

भारत के संविधान की धारा 205 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार का यह दायित्त्व है कि वह अनुदान या विनियोग से आधिक्य के व्यय को राज्य विधानमंडल से विनियमित कराये। वर्ष 1977–78 से 2004–05 तक 6675.15 करोड़ रुपये अभी तक (अक्टूबर 2006) विनियमित नहीं कराये गये। यह विनियोजनों पर वैधानिक नियंत्रण का उल्लंघन है। पुनः संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के दौरान चार अनुदानों में 349.56 करोड़ रुपये के आधिक्य सहित कुल 7024.71 करोड़ रुपये के विनियमन की आवश्यकता थी जैसा कि ifjf'k"V&**XIII** में प्रदर्शित किया गया।

y?kq 'kh"kksa e: çko/kku l: vf/kd dk 0;;

छह अनुदानों एवं विनियोजनों के 10 मामलों में प्रत्येक मामले स्वीकृत प्रावधान से एक करोड़ रुपये या अधिक तक का व्यय कुल 368.20 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया जैसा कि ifjf'k"V&**XIV** में प्रदर्शित किया गया है।

fcuk çko/kku d: 0;;

बजट नियमावली के अनुसार किसी योजना/सेवा पर बिना प्रावधान के व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि यह पाया गया कि मूल प्राक्कलन में प्रावधान या पूरक माँग की कोई पुर्नविनियोजन आदेश के बिना चार मामलों में (प्रत्येक मामलेमें 1 करोड़ रुपये या अधिक) 19.42 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जैसा कि सारणी–IV में दर्शाया गया है।

lkj.kh&IV

y?kq 'kh"kksZa esa fcuk ctV çko/kku ds 0;;

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	vuqnku@fofu;ksx dh la[;k ,oa uke	y?kq 'kh"kZ ¼ogr@e/;e@mi 'kh"kZ@;kstuk½	çko/kku ¼ewy $ iwjd½	okLrfod 0;;	vkf/kD;
	iwathxr nÙker vuqnku				
I	46&i;ZVu foHkkx	5452&i;ZVu ij iwathxr ifj0;;			
1		0101–भवन का निर्माण/क्रय 01–101–0101	0.00	2.71	2.71
2		0101–पर्यटन स्थलों में पथ का निर्माण 80–800–011	0.00	5.08	5.08
II	49&typ lalk/ku foHkkx	4701&e/;e flapkbZ ij iwathxr ifj0;;			
3		0110–दक्षिणी बिहार सिंचाई परियोजना 040–800–0110	0.00	8.19	8.19
4		0113–उत्तरी बिहार सिंचाई परियोजना 04–800–0113	0.00	3.44	3.44
	dqy		0-00	19-42	19-42

ubZ lsok@ubZ lsok lk/ku

संविधान के अनुच्छेद 205 में व्यवस्था है कि वार्षिक वित्तीय विवरणी में नई सेवा पर व्यय का उल्लेख न होने पर व्यय विधानमंडल द्वारा पारित निर्दिष्ट प्राधिकरण के बाद ही किया जा सकता है। अनुदान से अधिक व्यय वृद्धि पूर्व के दत्तमत से देगुना या दो लाख जो भी अधिक हो, नई सेवा कहलाया जाता है।

प्रावधान से अधिक या बिना प्रावधान के दो लाख रुपये से अधिक का व्यय नई सेवा का उदाहरण है। विधानमंडल के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किये बिना व्यय को पुनर्विनियोजन से पूर्ति किया गया।

2-3-6 ewy ctV ,oa iwjd çko/kku

वर्ष के दौरान 2647.73 करोड़रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो मूल बजट प्रावधान (रुपये 26328.67 करोड़) का 10.06 प्रतिशत एवं पिछले वर्ष की तुलना में 10.95 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान 2598.32 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान (लोक ऋण को छोड़कर) प्राप्त किया गया जबकि अंतिम कुल बचत (लोक ऋण को छोड़कर) 4164.27 करोड़ रुपये था।

2-3-7 vuko';d@vR;f/kd@vi;kIr iwjd çko/kku

- अगस्त 2005 से मार्च 2006 की अवधि में 40 मामलों में 1572.02 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय अपने मूल प्रावधानों तक भी नहीं हो पाया था जिसे **ifjf'k"V&XV** में दर्शाया गया है।

- 8 मामलों में मात्र 334.83 करोड़ रुपये के वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध 348.84 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त किये गये परिणामतः 14.01 करोड़ रुपये का बचत हुआ (प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक) जैसा कि **ifjf'k"V&XVI** में विवरण दिया गया है।

- तीन मामलों में पूरक प्रावधान 702.56 करोड़ रुपये अपर्याप्त थे जिससे 347.61 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया। इन मामलों का विवरण **ifjf'k"V&XVII** में दिया गया है।

2-3-8 fuf/k dk vR;f/kd@vuko';d iqufoZfu;kstu

पुनर्विनियोजन में निधि का स्थानांतरण एक ही अनुदान के अंतर्गत एक इकाई से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, में की जाती है। 12 अनुदानों/पुनविर्नियोजन के 18 मामलों में पुनर्विर्नियोजन द्वारा 195.39 करोड़ रुपये का आहरण के कारण प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्विनियोजन अनुचित था जबकि 152.22 करोड़ रुपये का अधिक व्यय पहले ही हो चुका था जैसा कि **ifjf'k"V&XVIII** में वर्णित किया गया है।

2-3-9 vuqekfur cpr dk vH;iZ.k ugha fd;k tkuk

व्यय करने वाले विभागों को अपनी बचत का अनुमान होते ही उन अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके किसी भाग को वित्त विभाग में अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए तथापि वर्ष 2005–06 के अंत में राजस्व प्रभाग के अनुदानों/विनियोजनों के 20 मामलों तथा पूँजीगत प्रभाग के अनुदानों/विनियोजनों के नौ मामलों में 1038.16 करोड़ रुपये की बचत प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का अभ्यर्पण विभागों द्वारा नहीं किया गया था ;**ifjf'k"V&XIX** ।

70 मामलों में कुल बचत 6407.93 करोड़ रुपये में 6070.81 करोड़ रुपये मार्च 2006 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये थे जो व्यय के अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाते है। विस्तृत विवरण **ifjf'k"V&XX** में दर्शाया गया है।

2-3-10 lEiw.kZ çko/kku dk vH;iZ.k

14 अनुदानों एवं विनियोजनों के 41 योजनाओं में राज्य सरकार संपूर्ण प्रावधान 2517.91 करोड़ (प्रत्येक मामले में 2 करोड़ से अधिक) उपयोग करने में असफल रही। संपूर्ण प्रावधान जैसा कि **ifjf'k"V&XXI** में दर्शाया गया है, पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किये गये।

2-3-11 okLrfod cpr ls vf/kd dk vH;iZ.k

तीन मामलों में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत की अपेक्षा अधिक थी। 84.03 करोड़ रुपये के बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि 187.78 करोड़ रुपये होने के फलस्वरूप 103.75 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ (ifjf'k"V&**XXII**)। तदनन्तर 2 मामलों में 269.21 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये यद्यपि 2142.13 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान से रुपये 2489.31 करोड़ रुपये का व्यय, फलस्वरूप अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन के 616.39 करोड़ रुपये का अधिक होना अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का द्योतक है जैसा कि नीचे सारणी–V में प्रदर्शित है।

lkj.kh&V

fofHkUu vuqnkuksa@fofu;kstuksa ds vUrxZr vuqfpr vH;iZ.k@iqufoZfu;kstu

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	vuqnku@ fofu;kstu dh la- ,oa uke	dqy çkO/kku ¼ewy$iwjd½	okLrfod O;;	vH;iZ.k@ fofu;kstu ds iwoZ vkf/kD;	vH;iZ.k ¼iqufoZfu;kstu½	vH;iZ.k@ iqufoZfu;kstu ds ckn vkf/kD;
	jktLo nÙker					
1	39आपदा प्रबंधन विभाग	156.33	450.81	294.48	145.42	439.90
	iwathxr nÙker					
2	10उर्जा विभाग	1985.80	2038.50	52.70	123.79	176.49
	dqy	2142-13	2489-31	347-18	269-21	616-39

2-3-12 O;; dh rhozrk

वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय व्यय का विवरण पूरे वर्ष एक समान होना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता उक्त प्रावधान का सरासर उल्लंघन माना जाता है। वर्ष के चारों तिमाही एवं मार्च 2006 की व्यय विवरणी (राजस्व एवं पूँजीगत) ifjf'k"V&**XXIII** में दर्शायी गयी है जिससे यह पता चलता है कि मार्च 2006 को समाप्त होने वाली तिमाही में किया गया व्यय वर्ष के कुल व्यय का 42 प्रतिशत था जो बजट राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंत में करने की प्रवृति का द्योतक है।

2-3-13 vlek'kksf/kr O;;

वित्तीय नियमों के अनुसार विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार द्वारा दर्ज आँकड़ों से समय–समय पर कराया जाना चाहिए। वर्ष 2005–06 की अवधि में विभिन्न नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा 79 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 14669.90 करोड़ रुपये के व्यय असमाशोधित रहे। विस्तृत विवरण ifjf'k"V&**XXIV** में दिया गया है। असमाशोधित व्यय कुल व्यय (22568.47 करोड़ रुपये) का 65 प्रतिशत रहा।

2-3-14 ;kstuk dk fu"iknu

सरकारी व्यय का वर्गीकरण मुख्यतः योजना तथा गैर–योजना एवं राजस्व तथा पूँजीगत में किया गया है। योजना एवं पूँजीगत व्यय सम्पत्ति के सृजन से जबकि गैर योजना तथा राजस्व व्यय रख रखाव स्थापना एवं सेवाओं आदि पर व्यय से जाना जाता है।

वर्ष 2005–06 के लिए राज्य सरकार की विनियोग लेखा में यह पाया गया कि बजट प्रावधानों में से राज्य सरकार 2018.03 करोड़ रुपये (29 प्रतिशत) विभिन्न राज्य योजना मदों के अंतर्गत (1530.21 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (477.75 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय योजना मद (10.07 करोड़ रुपये) का व्यय करने में विफल रही (ifjf'k"V&**XXV(i)**)

47 मामले जिनमें 12 अनुदान एवं विनियोजन शामिल थे 2943.51 करोड़ रुपये प्रावधान के विरूद्ध 1630.55 करोड़ (55 प्रतिशत) रुपये की भारी बचत प्रत्येक मामले में पाँच करोड़ रुपये से अधिक राज्य सरकार द्वारा योजनागत योजनाओं के अक्रियान्वयन या धीमा क्रियान्वयन के कारण हुआ जैसा कि ifjf'k"V&**XXV(ii)** में दर्शाया गया है। 10 मामलों में राज्य सरकार संपूर्ण प्रावधान 133.53 करोड़ रुपये उपयोग करने में विफल रही ifjf'k"V&**XXV(ii)** ।

राष्ट्रीय सम विकास योजन द्वारा नये आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार 1370.43 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को मुहैय्या कराई। परंतु राज्य सरकार वर्ष 2005–06 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 881.36 करोड़ रुपये का उपयोग कर पाई। फलतः 489.07 करोड़ रुपये की भारी बचत हुई।

2-4 ctVh; çfØ;k ,oa O;; fu;a=.k

2-4-1 ctV cukus dh fy, ys[kkijh{kk dh vuns[kh

सतत बचत, सतत आधिक्य, निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन, अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नहीं होना, वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता इत्यादि के मामले जिसकी चर्चा इस अध्याय में पहले की गयी है, बजटीय व्यय नियंत्रण के अभाव का द्योतक था।

2-4-2 olwfy;ksa rFkk m/kkjksa dh çofr

बजट के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत (राजस्व तथा पूँजीगत) व्यय की कुल राशि के लिए अनुदानों/विनियोजनों हेतु माँग किया जाना चाहिए तथा वसूलियों को ''प्राप्तियों' एवं वसूलियों की कटौती व्यय की कमी के रूप में बर्ताव '' के तरह शीर्ष के नीचे अलग–अलग से दर्शाया जाना चाहिए। बिहार सरकार के बजट में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया फलस्वरूप व्यय में से वसूलियों के विस्तार की सुनिश्चितता नही पायी गयी।

2-4-3 lkj vkdfLed foi=ksa dk vlek;kstu

बिहार वित्तीय नियमावली के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी डी ओ) द्वारा आकस्मिक (एसी) विपत्रों की निकासी स्थायी आदेशों अथवा वित्त विभाग की सहमति के साथ सरकार के प्रशासी विभागों की स्पष्ट स्वीकृति के बाद ही की जायगी। कोषागार में दूसरे एसी विपत्रों के प्रस्तुतीकरण के पहले अथवा कोषागार से उनके आहरण तिथि से 60 दिनो से अधिक नहीं, अवधि के एक वित्तीय वर्ष में कोषागार से अग्रिम के रूप में

निकासी की गई एसी विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्रों को तैयार कर महालेखाकार (ले. एवं हक.) के यहाँ भेजना है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो स्वयं प्रतिहस्ताक्षर के लिए अधिकृत नहीं है उन्हें विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रतिमाह अपने नियंत्री पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजना है।

उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया कि बहुत से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा इन नियमों की अवहेलना की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी इन गलतियों के लिए उत्तदायित्व निर्धारित करने में असफल रहे। महालेखाकार (ले.एवं ह.), बिहार, पटना के यहाँ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोई भी विस्तृत आकस्मिक विपत्र विस्तृत शुल्क एवं संबंधित अभिश्रवों के साथ साठ दिनों के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना था कि पिछले मास निकासी की गई एसी विपत्र का डीसी विपत्र 60 दिनों के अंदर प्रस्तुत किये गये एवं व्यय आहरित अग्रिम मद के लिये किया गया। न तो नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों ने एसी विपत्र पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही कोषागार पदाधिकारियों द्वारा नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों से ऐसे प्रमाण पत्र की माँग हेतु दबाब दिया एवं नि. एवं व्ययन पदाधिकारी कोषोगारों से निकासी किए गए पिछले एसी विपत्रों का डीसी विपत्र जमा किये बगैर एसी विपत्रों पर अग्रिमों की निकासी करते रहे।

अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि एसी विपत्रों पर कुल 3657.15 करोड़ रुपये की निकासी के विरूद्ध केवल 63.20 करोड़ रुपये का डीसी विपत्र ही महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार, पटना को समर्पित किये गये। वर्ष 2002–03 से 2005–06 की चार वर्षो की अवधि में बारंबार अनुरोध एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों के बावजूद शेष 3593.95 करोड़ रुपये का डीसी विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि सारणी–VI में दर्शाया गया।

नियम के तहत जैसा कि आवश्यक है नि. एवं व्ययन पदाधिकारी डीसी विपत्रों के प्रस्तुतीकरण का अनुवीक्षण नहीं किया गया एवं एसी विपत्रों के आहरण का विवरण दर्ज करने हेतु कोई अलग पंजी अथवा अव्यवहृत शेष के प्रेषण का विवरण नहीं रखा। नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा एसी विपत्रों के आहरण से संबंधित संवैधानिक नियमों एवं आदेशों की अवहेलना के कारण 3593.95 करोड़ रुपये का असमायोजित एसी विपत्र पड़ा रहा। उत्तरवर्ती कंडिकाओं से जैसा कि स्पष्ट है कि विभाग द्वारा ऐसी परंपरा को रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा लंबे समय तक भारी लोक निधि को डी सी विपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा बिना कोई समायोजन के भारी वित्तीय अनियमितता/पुनर्विनियोजन का खतरा है।

इस मामले में सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे जाँच पड़ताल कर लंबे समय तक पड़े असमायोजित निधियों की वास्तविक उपयोगिता की स्थिति की सुनिश्चतता किया जा सके।

lkj.kh&VI

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	o"kZ	, lh foi=ksa dh jkf'k	Mh lh foi=ksa dh jkf'k	, lh foi= dh 'ks"k jkf'k
1	2002–03	332.22	4.32	327.90
2	2003–04	548.41	9.82	538.59
3	2004–05	957.72	22.12	935.60
4	2005–06	1818.80	26.94	1791.86
	dqy	3657-15	63-20	3593-95

2-4-4 ^^'kU;^^ Hkxrku vfHkJok }kjk y[kkvk e tek gr fuf/k dk LFkkukUrj.k

बिहार कोषागार संहित खंड I में प्रावधान है कि (I) संचित निधि से जबतक कि तुरंत भुगतान की आवश्यकता न हो राशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए एवं (II) राशि का व्यय उसी उद्देश्य हेतु किया जाना चाहिए जिसके लिए विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में प्रावधानित है।

तथापि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर वित्तीय वर्ष 2005–06 के अंत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 417.26 करोड़ रुपये बजट अनुदान का व्ययगत होने से बचाने हेतु निकासी किये गये एवं वृहत शीर्षों (I) 8443–सिविल जमा : 231.30 करोड़ रुपये[1] एवं (II) 8448–स्थानीय कोष जमा : 185.96 करोड़ रुपये[2] लेखा में व्यय के रूप में प्रदर्शित करते हुए जमा किया।

इस प्रकार व्यय में 417.26 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई जबकि राशि वास्तविक रूप में सरकार के पास था। फिर भी जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिका से स्पष्ट है कि विभाग ने ऐसी परंपरा को रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। कार्यपालकों/विभागों/नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा बिना निगरानी के कोष का विभिन्न जमा शीर्षों में स्थानांतरण वर्षों से निधियों के पड़े रहने के साथ–साथ उनके उपयुक्त उपयोगिता ही केवल अनियमित नहीं थे, बारंबार लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं अनुरोध के बावजूद लोकधन पर वैधानिक नियंत्रण को अव्यवस्थित कर दिया था।

---

[1] *8443–सिविल जमा : 231.30 करोड़ रुपये (प्राप्तियाँ : 664.98 करोड़ रुपये; भुगतान : 433.68 करोड़ रुपये)*

[2] *8448–स्थानीय कोष जमा : 185.96 करोड़ रुपये (प्राप्तियाँ : 1178.68 करोड़ रुपये ; भुगतान : 992.72 करोड़ रुपये)*

v/;k;&III

fu"iknu leh{kk,¡

xg ¼vkj{kh½ foHkkx

3-1 jkT; iqfyl cy dk vk/kqfudhdj.k

eq[;kd"kZ.k

राज्य पुलिस बल की कार्य क्षमता एवं मारक शक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना अधिक राशि की व्यवस्था के साथ वर्ष 2000–01 से प्रारंभ की गई। आंतरिक सुरक्षा वातावरण, उग्रवादी गतिविधियाँ एवं राज्य के कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य पुलिस बलों के परिचालन कार्यक्षमता में वृद्धि कर उसे सक्षम बनाना ही इस योजना का उद्देश्य था। वाहन, शस्त्र, संचार एवं प्रशिक्षण की कमी को अपर्याप्त योजना एवं स्वीकृति देने में विलंब के कारण दूर नहीं किया जा सका। मुख्य बिन्दुएँ निम्न प्रकार से है :

xg foHkkx }kjk Lohd`fr esa foyEc fd, tkus ds dkj.k U;wu 0;; gksus ls o"kZ 2001&06 ds nkSjku jkT; ljdkj Hkkjr ljdkj ds }kjk nh tkus okyh 121-02 djksM+ #i;s dh va'k jkf'k ls oafpr jghA

¼dafMdk 3-1-6½

o"kZ 2003&04 ds 77-23 djksM+ #i;s dh okf"kZd ;kstuk dks foyEc ls çf"kr fd, tkus ds dkj.k xg ea=ky; }kjk Lohd`fr ugha nh xbZA

¼dafMdk 3-1-7½

jkT; iqfyl cy ds fy, 59614 vkoklh; bdkbZ;ksa dh vko';drk ds fo:) dsoy 1045 bdkbZ;k¡ gh iw.kZ dh tk ldhA

¼dafMdk 3-1-8½

4-61 djksM+ #i;s dh ykxr ls Ø; fd, x, ok;jysl lsV v0;oâr iMs+ jgs D;ksafd muds lkFk lgk;d lkefxz;ksa dk Ø; ugha fd;k x;kA

¼dafMdk 3-1-9-1½

jkT; ljdkj }kjk fufonk 'kÙkksZa dk ikyu ugha fd, tkus ds dkj.k iksyuV ij 4-96 djksM+ #i;s dk 0;; csdkj gqvkA

¼dafMdk 3-1-9-2½

Ø; çfØ;k ds fu"iknu esa foyEc ds dkj.k o"kZ 2002&06 ds nkSjku okguksa ,oa 'kL=ksa dk Ø; mPprj nj ij fd, tkus ds dkj.k 3-10 djksM+ #i;s dk vfrfjä 0;; gqvkA

¼dafMdk 3-1-11-1½

jkT; Lrjh; çkf/kd`r lfefr dh cSBd flQZ Ø; çLrkoksa dh Lohd`fr ds fy, gqbZ ,oa blds }kjk ;kstuk ds fØ;kUo;u dk vuqJo.k ugha fd;k x;kA

¼dafMdk 3-1-15½

3-1-1 ifjp;

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपराध, आतंक एवं नक्सली गतिविधियों की रोकथाम के लिए राज्य पुलिस बल की क्रियात्मक क्षमता को परिमार्जित करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 में राज्य पुलिए बल के आधुनिकीकरण योजना प्रारंभ की गई। सावधिक समीक्षाओं के उपरांत भारत सरकार ने वर्ष 2000–01 के प्रभाव से इसे अगले 10 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया। वर्तमान अंतःसंरचना जैसे, भवन, परिचालन, शस्त्र, संचार प्रणाली, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (वि. वि. प्र.), कार्यालय उपकरणों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2003–04 से केंद्रांश को पचास से बढ़ाकर पचहत्तर प्रतिशत कर दिया गया।

3-1-2 laxBukRed lajpuk

सरकार के स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग की थी। आरक्षी महानिदेशक (डी. जी. पी.), सहायक आरक्षी महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण), महानिरीक्षक (प्रोविजन), उपमहानिरीक्षक (प्रशासन), उपमहानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएँ एवं संचार), निदेशक (वि वि. प्र.) की सहायता से योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस भवनों का निर्माण कार्य बिहार पुलिए भवन निर्माण निगम (वि. पु. भ. नि. नि.) द्वारा किया जाता था। जिलास्तर पर अपने अधीनस्थ 840 पुलिस थानों में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वरीय आरक्षी अधीक्षकों/आरक्षी अधीक्षकों (व.आ.अधी./आ.अधी.) की थी।

शीर्ष स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गृह सचिव, विकास सचिव, वित्त सचिव एवं आ. महा. की सदस्यता वाली राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन वार्षिक योजनाओं की स्वीकृति एवं उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण करने के उद्देश्य से किया गया था।

3-1-3 ys[kkijh{kk ds mís';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इनकी जाँच करना था कि :

- वार्षिक योजनाएँ राज्य पुलिस बल की आवश्यकताओं के अनुरूप थी ;
- योजना के लिए प्रदत्त राशि का अधिकतम उपयोग हुआ था ;
- वर्ष 2000–01 में आकलित वर्तमान अंतःसंरचना की कमी को दूर किया गया एवं संवर्धित अंतःसंरचना का सृजन कर पुलिस बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे उपलब्ध कराया गया था ;
- आधुनिकीकरण योजना से पुलिस के घटनास्थल पर पहुँचने एवं अनुसंधान समय में कमी हुई थी ;
- योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रभावशाली ढंग से किया गया था।

3-1-4 y[kkijh{kk dk vk/kkj

योजना के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा आधार निम्न थे :

- योजना के विभिन्न अवयवों पर व्यय किए जाने संबंधी भारत सरकार का मानक;
- बिहार वित्तीय नियमावली की क्रय प्रक्रिया ;
- आरक्षी अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा तय मानक एवं भारत सरकार के निर्देश ;
- इस योजना में प्रस्तावित अनुश्रवण प्रणाली।

y[kkijh{kk vkPNknu ,o çfØ;k

वर्ष 2001–06 की अवधि के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण की निष्पादन समीक्षा फरवरी से मई 2006 की अवधि में की गई। आई. जी. (प्रॉविजन) एवं डी. आई. जी. (प्रॉविजन) के साथ आरंभिक बैठक अप्रैल 2006 में आयोजित हुई। समीक्षा के दौरान सचिव, गृह विभाग, डी. जी. पी., ए. डी. जी. (आधुनिकीकरण), आई. जी. (प्रोविजन), आई. जी. (होमगार्ड), आई. जी. (तकनीकी सेवाएँ एवं संचार), निदेशक (वि. वि. प्र.), केन्द्रीय शस्त्र भंडार, केन्द्रीय भंडार (वाहन एवं उपकरण), अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (वि. रा. पु. भ. नि. नि.) के साथ उसके चार प्रमंडलों[1], आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय (आ. प्र. वि.) नाथनगर, भागलपुर एवं 40 पुलिस जिलों में से पाँच नक्सल प्रभावित जिलों[2] सहित कुल नौ जिलों[3] के अभिलेखों की जाँच की गई। वार्षिक योजना के निरूपण एवं क्रियान्वयन, वाहन, शस्त्र, उपकरणों का क्रय, आरक्षी भवनों के निर्माण एवं इनके उपयोग से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा की आपत्तियों पर आरक्षी महानिरीक्षक (प्रॉविजन) एवं अपर सचिव, गृह विभाग के साथ अक्टूबर 2006 में आयोजित बहिर्गमन बैठक में चर्चा की गई एवं उनके विचारों को इस समीक्षा में शामिल किया गया।

3-1-6 foÙkh; çca/ku

वर्ष 2000–03 के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना का वित्तपोषण 50 : 50 के अनुपात में किया जाता था। किन्तु वर्ष 2003–04 से वित्तपोषण विधि को परिमार्जित करते हुए इसका अनुपात भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में कर दिया गया। किन्तु इसके साथ निधि निर्गत करने के लिए एक शर्त्त जोड़ते हुए यह कहा गया कि पूर्व के वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरांत ही बाद के वर्षों के लिए निधि जारी की जाएगी एवं खर्च नहीं की गई राशि के बराबर अगले वर्ष में उपबंध से काट ली जाएगी। आधुनिकीकरण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निर्णय लिया (नवम्बर 2003) कि वर्ष 2003–04 से भवन को छोड़कर अन्य मदों की राशि सीधे आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सियों को प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2001–06 के दौरान इस योजना के लिए स्वीकृत राशि, भारत सरकर द्वारा निर्गत राशि, राज्यांश एवं उसके विरूद्ध किए गए व्यय का विवरण निम्नवत थे :

---

1 *पटना, भागलपुर, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर*

2 *औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई एवं पटना*

3 *औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा*

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	Lohd`r ;kstuk	ctV mica/k	dsUnzka'k	fuxZr dh xbZ fuf/k		dqy miyC/k jkf'k	o"kZ ds nkSjku O;;
				dsUnz	jkT;		
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	118.99	108.00	59.49	54.00	54.00	108.00	23.24
2002–03	101.17	108.00	50.59	10.93	76.83#	87.76	23.59
2003–04	शून्य	108.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	35.19
2004–05	108.31	108.00	81.23	46.49	43.61	90.10	101.32*
2005–06	106.55	108.00	81.00	39.87	36.00	75.87	67.96^
dqy	**435.02**	**540.00**	**272.31**	**151.29**	**210.44**	**361.73**	**251.30**

वर्ष 2000–01 के योजना की भवन निर्माण कार्य हतु पी एल खाते में रखे गए 65.90 करोड़ रुपये इसमें शामिल थे।

* इसमें वर्ष 2004–05 के दौरान भारत सरकार द्वारा आपूरित 45.01 करोड़ रुपये की सामग्रियों का मूल्य शामिल था।

^ इसमें वर्ष 2005–06 में भारत सरकार द्वारा आपूरित 30.87 करोड़ रुपये की सामग्रियों का मूल्य शामिल था।

निम्नलिखित बातें प्रकाश में आई :

jkT; ljdkj 121-02 djksM+ #i;s ds dsUnzka'k ls oafpr gqbZ

- भारत सरकार ने अपने अंश के 272.31 करोड़ रुपये में से सिर्फ 151.29 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराया एवं राज्य सरकार को 121.02 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ा। गृह विभाग द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत करने में पाँच से तेरह महीने का विलंब निधि के धीमा उपयोग के लिए जिम्मेदार था।

- केन्द्रीय अनुदान की राशि का राज्य सरकार के द्वारा उपयोग करने की असमर्थथता के कारण भारत सरकार ने वर्ष 2004–06 के दौरान 75.88 करोड़ रुपये की सामग्री* खरीदकर राज्य सरकार को आपूरित किया।

- चालु वर्ष के बजट प्रावधान से पिछले वर्षों (2000–03) की योजना में शामिल सामग्रियों का क्रय 88.11 करोड़ रुपये की राशि से वर्ष 2001–05 के दौरान किया गया यद्यपि पिछले वर्षों की स्वीकृत योजना पर व्यय करने के लिए चालु वित्तीय वर्ष के बजट में पुनर्नवीकृत बजट प्रावधान नहीं किया गया।

वार्षिक योजना निधि, जिसमें केंद्रांश एवं राज्यांश भी शामिल है, का मदवार विवरण एवं उसके विरूद्ध किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से थे :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	vo;o	Lohd`r ;kstuk 2000&06	o"kZ 2001&06 ds nkSjku O;;	deh
1	भवन	227.57	59.62	167.95
2	संचार	38.96	15.17	23.79
3	कार्यालय ऑटोमेशन एवं उपकरण	59.71	27.23	32.48
4	वाहन	165.49	94.95	70.54
5	शस्त्र	52.21	51.44	0.77
6	फॉरेंसिक विधि प्रयोगशाला	1.13	0.22	0.91
7	प्रशिक्षण	5.12	2.67	2.45
	dqy	550-19#	251-30	298-89

इसमें वर्ष 2000–01 के लिए स्वीकृत 115.17 करोड़ रुपये भी शामिल है जिसका व्यय वर्ष 2001–06 की अवधि में किया गया।

---

* *वाहन, शस्त्र एवं पॉलनेट*

उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत योजना के विरूद्ध व्यय में बहुत अधिक गिरावट देखी गई जिसपर आगे की कंडिकाओं में प्रकाश डाला गया है :

3-1-7 ;kstuk

ch ih vkj ,o Mh d vk/kkj ij vko';drk vkdfyr ugh dh xbZ

पुलिस बल की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, भवन, प्रशिक्षण, संचार सुविधा मुहैय्या कराने हेतु वार्षिक योजना बी पी आर एवं डी की कसौटी पर बनाई जानी थी। किन्तु योजना बनाते समय बी पी आर एवं डी मानक को ध्यान में नहीं रखा गया एवं क्षेत्र कार्यालयों से आवश्यकता की जानकारी भी नहीं ली गई।

योजना में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :

- बी पी आर एवं डी मानक के अनुसार बैट्री, केबल, एण्टिना इत्यादि सहित उच्च क्षमता के बेतार सेटों की आवश्यकता का न तो आकलन किया गया और न योजना में उसे शामिल किया गया।
- 59614 इकाईयों की आवश्यकता के विरूद्ध सिर्फ 3421 (छः प्रतिशत) भवनों के निर्माण को योजना (2000–06) में शामिल किया गया।
- कुल 8383 वाहनों की आवश्यकता के विरूद्ध योजना (2000–06) में सिर्फ 4892 वाहनों (58 प्रतिशत) को ही शामिल किया गया।
- शस्त्र की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया।

दूरगामी योजना (2000–05) भारत सरकार को समर्पित नहीं की गई। वार्षिक योजना के संबंध में भारत सरकार ने निर्देश दिया (अप्रैल 2001) कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अपनी योजना अप्रैल महीने में समर्पित कर दे। किन्तु पाया गया कि वार्षिक योजना गृह मंत्रालय को समय पर नहीं सौंपी गई। वार्षिक योजनाओं को तैयार करने से स्वीकृति के स्तर तक की स्थिति ifjf'k"V&XXVI में दी गई है।

xg foHkkx }kjk Lohdfr foyc l fuxr

उपर्युक्त परिशिष्ट की तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर योजनाओं को बनाने में दो से नौ महीने तक का बिलंब हुआ। गृह मंत्रालय से अनुमोदित हो जाने के उपरांत भी गृह विभाग द्वारा स्वीकृति निर्गत करने में पाँच से तेरह महीने का विलंब हुआ। वर्ष 2003–04 की 77.23 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई क्योंकि गृह विभाग द्वारा इसे समर्पित करने में 17 महीने का विलंब किया गया जिसमें आठ महीने का समय प्रस्तावों को कार्यरूप देने में ही लगा दी गई। महानिरीक्षक (प्रॉविजन) द्वारा प्रस्तावों के सही समय में समर्पित कर दिए जाने के बावजूद विस्फोटक डिटेक्टटर, भी एच एफ हैन्डसेट, बुलेट प्रुफ जैकेट, पैसिभ नाईट विजन उपकरण की खरीद एवं आ. प्र. विद्यालय, नाथनगर में जल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव (8.97 करोड़ रुपये) विभाग के पास 2005–06 में लंबित थी जिसके कारण 8.31 करोड़ रुपये अभ्यर्पित कर दिया गया।

3-1-8 Hkouk dh deh

dqy vko';drk dk doy N% çfr'kr Hkouk dk ;kstuk esa 'kkfey fd;k x;k

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिसकर्मियों के लिए शत प्रतिशत आवास की व्यवस्था करने की अनुशंसा (1977) किया था। वर्ष 2000–06 की योजनाओं में पूरे पुलिस बल के लिए 2001–02 के शुरू में 59614 आवासीय इकाईयों[4] की आवश्यकता के विरूद्ध सिर्फ 3421[5] (छः प्रतिशत) इकाईयों को शामिल किया गया। बि. पु. भ. नि. निगम द्वारा बी पी आर एण्ड डी मानक के आधार पर आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया।

योजना में सम्मिलित किए गए 3421 इकाईयों के विरूद्ध सिर्फ 1608 इकाईयों का निर्माण शुरू किया गया। वर्ष 2001–06 के दौरान भवन निर्माण से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि, पूर्ण एवं अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्य पर व्यय का विस्तृत विवरण **ifjf'k"V&XXVII** में दी गई है। यह पाया गया कि वर्ष 2001–06 के दौरान 78.52 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए 1608 आवासी इकाइयों में से रुपये 34.38 करोड़ रुपये के व्यय पर सिर्फ 1045 इकाईयों (65 प्रतिशत) का कार्य ही पूरा किया जा सका। सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण चार पुलिस थाना का निर्माण जून 2006 तक शुरू नहीं किया जा सका।

fc- iq- Hk- fu- fuxe laosndksa dks fo:) ,djkjukek dh 'krksZa dks ykxw djus esa foQy jgk

- वर्ष 2001–03 के दौरान 559 आवासीय इकाईयों के निर्माण का कार्य संवेदकों को दिया गया जिसे 10 महीने से एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लेना था। निर्माण स्थल पर विवाद, बाकी बचे कार्यों के लिए पुनः निविदा में विलंब एवं वि. पु. भ. नि. निगम द्वारा संवेदकों को सामग्रियों (छड़ एवं सिमेंट) की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण तीन वर्ष बीत जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहे। फिर भी एकरारनामा के अनुरूप दोषी संवेदकों पर विलंब दंड नहीं लगाया गया। यद्यपि अगस्त 2006 तक संवेदकों को 18.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वि. पु. भ. नि. निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव का मुख्य कारण वर्ष 2001–02 की योजनाओं के लिए स्वीकृत्यादेश निर्गत करने में विलंब एवं सरकार द्वारा निगम के परिसमापन की अधिसूचना (जुलाई 2003) थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2001 एवं 2002 में संवेदकों को आबंटित कार्य (2000–01 योजना की) जून 2006 तक अपूर्ण पड़े थे।

- तीन नमूना जाँचित प्रमंडलों[6] में 3.36 करोड़ रुपये की लागत से अगस्त 2004 से दिसंबर 2005 के बीच निर्मित 67 आवासीय इकाईयों को वि. पु. भ. नि. निगम द्वारा स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण जून 2006 तक आबंटित नहीं किया जा सका।

जनवरी 2001 से मार्च 2005 के बीच 1.61 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आवास रहित चार पुलिस थाने, दस एल एस आवास सहित एक थाना एवं एक पुलिस लाइन

---

[4] *आवश्यकता : पुलिस थाना : 523, पुलिस लाईन : 17, जिला नियंत्रण कक्ष : 40, पुलिस अधीक्षक कार्यालय : 23, आर डी जी : 9, जोनल आई जी : 4, अनु. पु. कार्या. : 56, आराम कक्ष/महिला बैरक : 893, एल एस आवास : 50142, यू एस आवास : 7907 (स्रोत : बी पी आर एण्ड डी पुस्तिका एवं गृह मंत्रालय को समर्पित डी जी पी प्रतिवेदन)*

[5] *अनु. योजना : पु. थाना : 146, पु. लाईन : 8, जि. नि. क. : 40, एस डी पी ओ कार्यालय : 2, आ. क./ म. बैः 24, एल एस आ : 2137, यूस एस आ : 1064*

[6] *पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर*

संबंधित पुलिस अधिक्षक[7] को स्थानांतरित की गई किन्तु एल एस एवं यूस एस आवास की कमी तथा सुरक्षा हेतु चहारदीवारी नहीं बनाए जाने के कारण इन भवनों का उपयोग नहीं हो सका। पाँच पुलिस थाना में से 27.01 लाख रुपये की लागत पर {सिमरा (औरंगाबाद)–1, तिलौथु (रोहतास)–1,, छविलापुर (नालंदा)–1 एवं आँटी (गया)–1} में निर्मित चार पुलिस थाना भवन को उग्रवादियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। वि. पु. भ. नि. निगम द्वारा नवम्बर 2002 एवं अप्रैल 2005 में स्थानांतरित कर दिए जाने के बावजूद क्रमशः डेल्हा थाना (गया) एवं पुलिस लाइन, रोहतास आजतक अव्यवहृत रहे क्योंकि दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा नए भवन में स्थानांतरण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। चहारदीवारी, जल, विद्युत एवं जल निकास का अभाव तथा नक्सली समस्या ही नए भवन में नहीं जाने का मुख्य कारण थे।

3-1-9 lapkj

पुलिस थाना स्तर से मुख्यालय स्तर तक संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं रिस्पोंस समय को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 2001–06 के दोरान 38.96 करोड़ रुपये की अनुमोदित योजना के विरूद्ध सिर्फ 15.17 करोड़ रुपये (39 प्रतिशत) ही खर्च किए जा सके।

3-1-9-1 vdk;Z'khy ok;jysl lsV

निम्नलिखित तालिका में जून 2006 तक बी पी आर एंड डी के मानक के आधार पर बैट्री के साथ भी एच एफ, एच एफ एवं एच एच सेट की आवश्यकता एवं उसके विरूद्ध उनकी उपलब्धता दर्शाई गई है :

	ch- ih- vkj- ,.M Mh ekud ds vk/kkj ij vko';drk ¼la[;k esa½						miyC/k					deh ¼la[;k esa½				
	dqy Hkh ,p ,Q lsV	fLFkj Hkh ,p ,Q lsV	,p ,p lsV	,p ,Q lsV	cSVjh 13 IysV	cSVjh 25 IysV	Hkh ,p ,Q lsV	,p ,p lsV	,p ,Q lsV	cSVjh 13 IysV	cSVjh 25 IysV	Hkh ,p ,Q lsV	,p ,p lsV	,p ,Q lsV	cSVjh 13 IysV	cSVjh 25 IysV
नमूना जाँचित जिला	1418	526	949	अनु.	1052	अनु.	964	636	50	397	9	454	313	अनु.	655	91
बिहार	4561	1558	4699	191	3116	382	3542	3330	102	1127	40	1019	1369	अनु.	1989	164

(बी पी आर एंड डी मानक के अुनसार प्रत्येक स्थिर भी एच एफ एवं सभी एच एफ सेटों के लिए दो बैट्री आवश्यक)

आवश्यकता के संदर्भ में भी एच एफ सेट (68 प्रतिशत) एवं एच एफ सेट (53 प्रतिशत) की उपलब्धता के विरूद्ध बैट्री की उपलब्धता क्रमशः केवल 38 प्रतिशत एवं नौ प्रतिशत थी। 40 पुलिस जिलों के पुलिस थानों के लिए वर्ष 2003–06 के दौरान 3542 भी एच एफ सेट (4.59 करोड़ रुपये), 3330 एच एच सेट (3.77 करोड़ रुपये), 102 एच एफ सेट (48.34 लाख रुपये) एवं 677 बैट्री (12 वोल्ट 13 प्लेट) (14.58 लाख रुपये) की अधिप्राप्ति की गई।

---

[7] *रोहतास (पु. था. : 2, एल एस : 10, पु. ला. : 1), औरंगाबाद (पु. था. : 1), नालंदा (पु. था. : 1), गया (पु. था. : 1)*

3-60 djkM #i;s dh Hkh ,p ,Q lsV vdk;Z'khy iMs jgs

3542 भी एच एफ सेटों में से 2896 सेटों (3.60 करोड़ रुपये) की अधिप्राप्ति आवश्यक सहायक सामग्रियों[8] के बिना ही की गई क्योंकि वह योजना में शामिल नहीं की गई थी। मोटोरोला द्वारा आपूरित (2004–05) एलीमीनेटर के साथ 280 भी एच एफ सेट (52.87 लाख रुपये) कंपनी को इस अनुरोध के साथ वापस कर दी गई कि एलीमीनेटर को बैट्री से बदल दिया जाए किन्तु जून 2006 तक इसकी आपूर्ति नहीं की गई। बैट्री या एलीमिनेटर रहित आपूरित 102 एच एफ सेटों (48.35 लाख रुपये) को क्षेत्र कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया जो बेकार पड़े हुए थे। डी जी पी ने उत्तर में कहा कि राज्य में सभी भी एच एफ एवं एच एफ सेट कार्यरत थे किन्तु वास्तविकता यह है कि विभाग ने सहायक सामग्रियों या पर्याप्त संख्या में बैट्री के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

3116 बैट्री की आवश्यकता के विरूद्ध 1127 बैट्री ही उपलब्ध थे। 667 बैट्रियों की परिचालन आयु समाप्त हो चुकी थी (अप्रैल 2006)। बैट्री की कमी से भी एच एफ – एच एफ सेटों के परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

इसप्रकार 4.61 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया वायरलेस सेट बेकार पड़ा रहा एवं पुलिस बल की संचार क्षमता की वृद्धि करने में असफल रहा। बिहार में साक्षर आरक्षी (परिचालक) के 997 स्वीकृत पद के विरूद्ध केवल 225 कर्मी ही उपलब्ध थे (मार्च 2006) जिसके कारण संचार व्यवस्था के क्रियाकलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। डी जी पी ने बताया कि आई जी (आधु.),बेतार शाखा द्वारा बैट्री की खरीद का प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ था (अप्रैल 2006)। डी जी पी ने बताया कि बैट्री की अधिप्राप्ति एवं साक्षर आरक्षियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

3-1-9-2 ikWyusV

36 भी सेट (बहुत छोटा एपरचर टर्मीनल) एवं 840 मल्टीएसेस रेडियो टेलीफोन (मार्ट) की सहायता से पुलिस थाना से मुख्यालय स्तर तक संदेश, डाटा एवं स्वर पहुँचाने के लिए वर्ष 2002–03 के वार्षिक योजना में 10वीं योजना (2002–07) के अंतर्गत स्वीकृत उपग्रह आधारित समेकित पुलिस संचार तंत्र (पॉलनेट) को शामिल किया गया।

पॉलनेट परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, (बेल) गाजियाबाद को सौंपा गया (2002) जिसे मार्च 2005 तक पूरा करना था।

तयशुदा शर्तों के अनुसार जिला स्तर पर भी सेट, फैक्स मशीन, ऐन्टीना, मार्ट का बेस सब्सक्राइबर यूनिट (बी एस यू) एवं पुलिस थानास्तर पर मार्ट का रिमोट सब्सक्राइबर युनिट, एन्टीना एवं टेलीफोन इत्यादि की स्थापना बेल को करनी थी। भी–सेट (36) के लिए 120 फीट का टावर, जेनेरेटर, बोल्टेज स्टेवलाईजर, वातानुकुलन मशीन, प्रत्येक मार्ट इकाई के लिए 60 फीट त्रिकोणीय लैटीस मास्ट, फर्नीचर एवं चार्जर सहित बैट्री की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी थी।

यह पाया गया कि :

- यद्यपि बेल ने भी–सेट को प्रतिस्थापित कर परिचालित करने का कार्य 2005–06 में ही पूरा कर लिया किन्तु राज्य सरकार ने बेल के द्वारा यह सूचित (नवंबर 2005) किए जाने कि उच्च तापक्रम के कारण परिचालन ठप्प होने की

---

[8] *दो एडप्टर, कॉकसेल केबुल, ग्राउंट प्लेन एण्टीना, ब्रैकेट, बैट्री चार्जर एवं टावर मास्ट*

संभावना थी, वातानुकुलन की व्यवस्था नहीं की। मार्च 2006 तक 36 भी–सेट में से 11 भी सेट पूर्णतः ठप्प था एवं 14 आंशिक रूप से कार्यरत थे।

Vkoj fuekZ.k ugha gksus ds dkj.k iksyusV ij 4-96 djksM+ #i; fu"Qy jgk

- वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के बजट में क्रमशः 1.60 करोड़ रुपये एवं 11.43 करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद विभाग द्वारा निधि निर्गत नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा 840 पुलिस थानों में टावर निर्माण करने में विफल रही परिणामतः बेल द्वारा आपूरित (दिसंबर 2004) मल्टी एसेस रेडियो टेलीफोनी उपकरण जिला भंडारों में अव्यवहृत पड़े रहे।

इस प्रकार पॉलनेट अक्रियाशील पड़े रहे एवं 4.96 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा। डी. जी. पी. ने लेखापरीक्षा की आपत्ति से सहमति जताई (अक्टूबर 2006)।

3-1-10 vkfQl vkVkses'ku ,oa midj.k

पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 2001–02 के दौरान 1.73 करोड़ रुपये की लागत से 12 फायर आर्म्स ट्रेनिंग सेमुलेटर (फैट्स) की खरीद की गई एवं नमूना जाँचित जिलों में पाँच की आपूर्ति की गई। आ. प्रशि. वि. नाथनगर में दो एवं बिहार मिलिट्री पुलिस (बी एम पी)–18, गया में एक फैट्स खराब हो गए थे तथा बी एम पी–6, मुजफ्फरपुर एवं बी एम पी–1, पटना में स्थापित दो का उपयोग इस उपकरण को परिचालित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मी के अभाव में नहीं किया जा सका। डी जी पी ने बताया (अक्टूबर 2006) कि इनकी मरम्मती कराने के लिए समादेष्टाओं को निर्देश दे दिए गए हैं।

72-56 yk[k #i;s dh ykxr ls Ø; fd, x, tujsVj lsV v0oâr iM+s jgs

बिहार में अनियमित विद्युत आपूर्ति की स्थिति के मद्देनजर 72.56 लाख रुपये की लागत से 145 जेन सेट (2005–06) का क्रय कर नमूना जाँचित जिलों के पुलिस थानों को दे दी गई किन्तु किरासन तेल की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा सका। डी. जी. पी. ने बताया कि जिलावार किरासन तेल के आबंटन हेतु सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव को अनुरोध किया गया था (जुलाई 2006)।

3-1-11 ifjpkyu

वर्ष 2001–06 के दौरान परिचालन के अंतर्गत 94.95 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। मार्च 2006 को बी पी आर एण्ड डी मानक के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की आवश्यकता एवं उसके विरूद्ध उपलब्धता निम्न प्रकार से थी :

okguksa dh J.kh	ch ih vkj ,.M Mh ekud ds vuqlkj vko';drk	2000&06 dh ;kstuk esa lfEefyr	2001&06 ds nkSjku Ø;	ekpZ 2006 dks dqy miyC/krk	deh	
					la[;k esa	çfr'kr
1	2	3	4	5	6	7
भारी	805	296	137	223	582	72
मध्यम	817	337	192	577	240	29
हल्का	3404	1433	703	2809	595	17
मोटर साईकिल	3357	2826	829	1197	2160	64
dqy	8383	4892	1861	4806	3577	43

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता था कि 8383 वाहनों की आवश्यकता के विरूद्ध मार्च 2006 को सिर्फ 4806 (57 प्रतिशत) ही उपलब्ध थे। 43 प्रतिशत कमी का मुख्य कारण निधि का कम उपयोग एवं क्रय प्रक्रिया को पूरा करने में विलंब था। डी.

जी. पी. ने वाहनों की कमी को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2006) बताया कि वाहनों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जारी है।

जाँच में यह पाया गया कि :

okguk dh rqyuk e pkyd cgqr de Fk

- मार्च 2006 को बिहार में चालक के 2342 स्वीकृतपद के विरूद्ध 4806 वाहनों को चलाने के लिए केवल 1037 चालक ही उपलब्ध थे।
- नौ नमूना जाँचित जिलों में 329 (53 प्रतिशत) चालक ही उपलब्ध थे (जून 2006)।
- वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों[9] के लिए 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान क्रय की गई 60 कमांडर जीप एवं 16 टाटा स्पेशियों को गैर उग्रवाद प्रभावित जिलों[10] को दे दिया गया। डी. जी. पी. का यह उत्तर कि काननू एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से गैर वाम उग्रवाद जिलों को दी गई, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये वाहन उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए थे।
- नमूना जाँचिज जिलों में आउटपोस्ट एवं शहरी आउटपोस्ट के लिए खरीदी गई 386 मोटर साइकिलों में से 273 को पु. अधी. आवास (13), पुलिस लाईन (260) इत्यादि पर तैनात कर दिया गया।

3-1-11-1 Ø; ij vfrfjä 0;;

Ø; e foyEc dk dkj.k 3-10 djksM #i;s dk vfrfjä 0;;

2000–03 के वार्षिक योजनाओं में छः प्रकार के वाहन एवं 3 प्रकार के शस्त्र (ifjf'k"V&XXVIII) के क्रय का प्रस्ताव शामिल किया गया था। क्रय की पूरी लागत 19.35 करोड़ रुपये थी। गृह विभाग द्वारा स्वीकृति देने में विलंब एवं आई. जी. (प्रॉविजन) द्वारा क्रयादेश निर्गत करने में विलंब के कारण संबंधित योजना वर्ष में इनकी खरीद नहीं की जा सकी। इन सामानों की खरीद 22.45 करोड़ रुपये की लागत से 2002–06 के दौरान की गई जिसपर 3.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। डी. जी. पी. के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमति जताई।

3-1-11-2 Ø; mijkar lsok vuqca/k ugha djus dk dkj.k 0;Fk 0;;

ekVjokV [kjkc iM jgs

ओखला स्थित कंपनी से 2001–02 में 1.05 करोड़ रुपये की लागत से 19 जिलों के लिए इक्कीस नाव की खरीद की गई। प्रॉविजन शाखा ने क्रय उपरांत सेवा अनुबंध क्रियान्वित करने की सुविधा का उपयोग नहीं किया। 13 जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने नवम्बर 2002 एवं जुलाई 2005 के दौरान आई. जी. (प्रॉविजन) को सूचित किया कि 15 नाव खराबी के कारण कार्यरत नहीं थे जिसके लिए उन्होंने कंपनी से भी अनुरोध किया था। बगहा जिले की एक नाव गारंटी अवधि में खराब हो गई थी जिसकी मरम्मती कंपनी द्वारा नहीं की गई। इसके लिए कंपनी पर न तो दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई और न ही 5.34 लाख रुपये की सुरक्षा राशि ही रोकी गई। यद्यपि 74.91 लाख मूल्य

---

[9] अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पू. चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, नवादा, नालंदा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी एवं प. चंपारण

[10] मुख्यालय : 12+0, नवगछिया : 6+0, बक्सर : 6+2 , भागलपुर : 8+1, बाँका 7+0; मुजफ्फरपुर : 3+3, बेगूसराय 2+0, वैशाली : 2+0, शिवहर : 1+0, सिवान : 3+0, दरभंगा : 3+4, मधेपुरा : 1+0, शेखपुरा : 1+2, खगड़िया : 1+0, पूर्णिया : 1+1, गोपालगंज : 1+0, समस्तीपुर : 1+0, सहरसा : 1+1, सारण : 0+1 एवं मुंगेर : 0+1

के 15 मोटरवोट खराब पड़े रहे किन्तु विभाग द्वारा इनकी मरम्मती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार नवम्बर 2002 एवं मई 2005 के दौरान खराब हुए मोटरवोट की मरम्मती क्रय उपरांत सेवा उपबंध नहीं रहने के कारण नहीं की जा सकी। डी. जी. पी. ने सूचित किया कि मोटर वोट मरम्मती के लिए पु. अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है।

3-1-11-3 ifjgk;l Hk\xrku

Ø;kn'k fuxlr djus e foyc d dkj.k ifjgk;l Hk\xrku

प्राधिकृत समिति ने वर्ष 2001–03 के दौरान 12 भेहिकिल माउन्टेड वाटर कैनन (भी. एम. डब्लु. सी.) एवं 41 दंगा नियंत्रण वाहन (आर. सी. वी.) के क्रय प्रस्ताव की स्वीकृति दी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी आर डी ओ) से प्राप्त की गई (जुलाई 2003) प्रोफार्मा इनवायस में दर्ज भी एम डब्लू सी (25.90 लाख रुपये) एवं आर. सी. वी. (8.40 लाख रुपये) का दर, दिसंबर 2003 तक के लिए वैध था जिसे बढ़ा कर मार्च 2004 कर दिया गया। किन्तु गृह विभाग ने स्वीकृति निर्गत करने में विलंब किया तथा आई. जी. (प्रोविजन) ने 11 भी एम डब्लु सी एवं 41 आर सी भी की प्राप्ति हेतु अप्रैल 2004 में क्रयादेश निर्गत किया किन्तु उस समय तक डी आर डी ओ द्वारा भी एम डब्लु सी एवं आर सी भी का दर बढ़ाकर क्रमशः 28 लाख रुपये एवं 8.90 लाख रुपये कर दिया गया जिसके कारण 43.60 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ।

3-1-12 'kL=kfn

,d&47 dk 0;fäxr lj{kk d fy, rukr fd;k x;k

52.21 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना आकार के विरूद्ध 2001–06 के दोरान शस्त्रों (ए.के. 47 : 1500 ; इन्सास : 9660 ; एल. एम. जी. : 100 ; कार्बाइन : 50 एवं 9 मी. मी. पिस्टल : 972) की अधिप्राप्ति पर 51.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए। नमूना जाँचित जिलों में ए. के. 47 की तैनाती की छानबीन से पता चला कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए जिसके अनुसार इनकी तैनाती व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं की जानी थी, इन जिलों में 363 में से 39 राइफलों को संबंधित पु. अधी. द्वारा बाडीगार्डों को मुहैया करा दी गई। एके–47 एवं इन्सास राइफल के परिचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया गया। डी जी पी ने सूचित किया कि प्रशिक्षण देने हेतु पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए थे एवं उनसे पूछा गया था कि किस परिस्थिति में एके–47 की तैनाती व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए की गई थी।

3-1-13 fof/k foKku i;kx'kkyk

विधि विज्ञान प्रयोगशाला घटनास्थल से प्राप्त/संग्रहित किए गए नमूनों का विश्लेषण कर पुलिस विभाग को तकनीकि एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता था। गृह मंत्रालय ने 2000–01 की योजना में उपकरणों की खरीद के लिए 1.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किया किन्तु सिर्फ 22 लाख रुपये ही व्यय किए जा सके (जून 2006)। तकनीकी कर्मियों[11] के 65 स्वीकृत पद के विरूद्ध 32 व्यक्ति ही कार्यरत थे।

yfcr ekey 824 l c<dj 3007 gk x,

आधुनिकीकरण अवधि (2001–06) के दौरान विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूनों की संख्या 824 (2001) से बढ़कर 3007 (2005) हो गई। 2001 में प्राप्त की गई नमूनों की जाँच जून 2006 तक नहीं की जा सकी। निदेशक, वि. वि. प्रयो. ने बताया कि कर्मियों की

[11]

कर्मियों की स्थिति	*व. विज्ञान अधि.*	*व. विज्ञान सहायक*	*तकनीकी/प्रया. सहायक*
स्वीकृत बल	*24*	*13*	*28*
कार्यरत बल	*3*	*04*	*25*

कमी के कारण कार्य निष्पादन पर बुरा असर पड़ा परिणामतः कम मामलों का निष्पादन किया जा सका।

3-1-13-1 Qkjsfl d midj.kksa dk vuqi;ksx

okYVst fLFkj ugha jgus d s dkj.k midj.k vdk;Zjr

अनुसंधान में त्वरित वैज्ञानिक मदद पहुँचाने के उद्देश्य से 2002–03 के दौरान 21.99 लाख रुपये की लागत से 3 मशीन[12] वि. वि. प्र. पटना को उपलब्ध कराया गया जिसे फरवरी 2003 से जनवरी 2006 के बीच स्थापित किया गया। किन्तु सभी मशीनें साफ्टवेयर एवं विद्युत समस्या के कारण 2003–06 के दौरान अकार्यरत पड़े रहे। निदेशक ने बताया कि निधि आबंटित नहीं होने के कारण साफ्टवेयर समस्या दूर नहीं की जा सकी। आगे की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा भवन उपलब्ध नहीं कराने के कारण डी एन ए मशीन (53 लाख रुपये) जून 2002 से डब्बे में बंद ही पड़ी रही (जून 2006)।

3-1-13-2 vdk;Zjr {ks=h; fof/k foKku ç;ksx'kkyk ¼{ks- fo- fo- ç-½

किराए के मकान में स्थित मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय वि. वि. प्र. नमूना की जाँच के लिए आवश्यक उपकरणों के बिना ही थे। यह सिर्फ नमूनों के संग्रहण केन्द्र के रूप में कार्यरत था। संग्रहित नमूनों को जाँच हेतु पटना भेजा जाता था। क्षे. वि. वि. प्र. के अकार्यरत रहने के कारण पुलिस अनुसंधान कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता था।

3-1-14 çf'k{k.k

vHkh rd iqfyl vdkneh dk fuekZ.k ugha

पुलिस की बदलती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकी प्रयोग एवं दक्षता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। अविभाजित बिहार के आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर को छोड़कर शेष 6 प्रशिक्षण संस्थान[13] झारखंड में हैं।

वर्ष 2002–03 में प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद भी राज्य सरकार द्वारा पुलिस अकादमी के लिए जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकी।

ए. डी. जी. (प्रशिक्षण) एवं सी टी एस, नाथनगर के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2001–06 के दौरान न तो प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता का आकलन किया गया और न ही वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। विभाग ने सिर्फ नियुक्ति तिथि के आधार पर प्रशिक्षण हेतु पुलिस कर्मियों को विरमित करने का आदेश जारी किया (मई 2005)। यद्यपि 2005 में अप्रशिक्षित कर्मियों की संख्या 481 थी।

cqfu;knh çf'k{k.k Hkh ugha fn;k x;k

सी टी एस, नाथनगर में कुल 36995 पुलिस कर्मियों की क्षमता के विरूद्ध सिर्फ 4076 (10 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया। 2000–01 में सिर्फ 936 कर्मियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया जो 2005–06 में घटकर 233 रह गया। प्र. अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण हेतु कर्मियों को विरमित करने में उदासीनता को उत्तरोतर कमी का कारण बताया गया। छः नए डी एस पी को सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्योंकि कोई पुलिस अकादमी राज्य में नहीं था। बी पी आर एंड डी मानक के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को क्रियान्वित नहीं किया गया। प्रशिक्षण

---

[12] *डिस्टीलेसन विश्लेषक, भिस्कोसिटी विश्लेषक, पॉलीग्राफ*

[13] *पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग, मिलिट्री पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग, यातायात प्रशिक्षण केन्द्र, जमशेदपुर, स्वचालित इनडोर फायरिंग रेंज, बोकारो, ग्रेनेड फायरिंग रेंज, देवघर, बेतार रिपीटर स्टेशन, पारसनारथ पहाड़ी।*

विद्यालय में अपर्याप्त अंतःसंरचना सुविधा थी जिसे वर्ष 2002–03 के आधुनिकीकरण योजना में प्रावधान होने के बावजूद इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकी। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक 558 शस्त्रों के विरूद्ध सिर्फ 37 शस्त्र ही उपलब्ध थे (ifjf'k"V&XXIX)।

3-1-15 vuJo.k

jkT; Lrjh; çkf/kd`r lfefr }kjk vuJo.k ugha fd;k x;k

राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति वार्षिक योजना स्वीकृत कर गृह मंत्रालय को भेजने के लिए जिम्मेदार थी। योजनाओं के क्रियान्वयन के आकलन हेतु क्षेत्र का दौरा करने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार बैठक कर स्वीकृत वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण रा. स्त. प्रा. स. को करना था। किन्तु यह पाया गया कि आवश्यक 60 बैठकों की जगह सिर्फ 17 बार ही बैठकें की गई। इसके कारण गृह मंत्रालय में वार्षिक योजनाओं को भेजने एवं उनके क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इन 17 बैठकों की कार्यवाही अभिलेख की समीक्षा से पता चला कि योजना की समीक्षा कभी नहीं की गई बल्कि ये बैठकें सिर्फ वाहन, शस्त्रादि एवं संचार उपकरणों के क्रय प्रस्ताव की स्वीकृति देने के लिए की गई।

3-1-16 milgkj

गृह विभाग द्वारा स्वीकृति निर्गत करने में विलंब के कारण कम व्यय किए जाने से राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता से वंचित हुई। आवश्यकताओं का आकलन करते समय क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं एवं बी पी आर एंड डी मानक का ध्यान हीं रखा गया जिसके कारण योजना अपर्याप्त थी। फलस्वरूप वास्तविक आवश्यकता की तुलना में योजनाओं में तय किए गए लक्ष्य कम रखे गए। वि. पु. भ. नि. नि. द्वारा त्रुटिपूर्ण अनुबंध प्रबंधन के कारण अधूरी रह गई आवासीय ईकाइयों के परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा से वंचित रहना पड़ा। आउटपोस्ट के लिए क्रय की गई मोटर साइकिल एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्राप्त किए गए शस्त्रों को अन्यत्र तैनात कर दिए जाने के कारण पुलिस बल की मारक क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मानव बल की कमी एवं उपकरणों के उपयोग नहीं किए जाने के कारण अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में प्रगति नहीं हुई। कोई पुलिस अकादमी नहीं रहने एवं आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में अंतःसंरचना की कमी के कारण कर्मियों की दक्षता में प्रगति नहीं की जा सकी। रा. स्त. प्रा. स. द्वारा योजनाओं की समीक्षा नहीं करना कमजोर अनुश्रवण तंत्र की ओर संकेत करता था। इसप्रकार अंतःसंरचना की कमी को दूर करने एवं पुलिस कर्मियों की दक्षता को उन्नत करने में पुलिस आधुनिकीकरण योजना का प्रभाव बहुत कम पड़ा।

vu'klk

- गृह विभाग द्वारा प्रस्तावों का निस्तारण नियत समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए ;
- वी पी आर एंड डी मानक एवं क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर योजनाओं के लिए आवश्यकता का आकलन करना चाहिए ;
- अंतःसंरचना में विशेषकर भवन एवं वाहन मद में कमी को दूर करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए ;

- अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए वि. वि. प्रयोगशाला के तकनीकी मानव बल एवं उपकरणों के मद में सुदृढ़ करने का प्रयास होना चाहिए ;

- सरकार को नई पुलिस अकादमी की स्थापना के साथ–साथ प्रशिक्षण हेतु अंतःसंरचना प्रदान करने एवं उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए ;

- विभागीय एवं राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण को प्रभावी बनाना चाहिए।

उपर्युक्त बिन्दुओं को सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2006) ;उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

ek/;fed] çkFkfed ,oa o;Ld f'k{kk foHkkx

3-2 lo Z f'k{kk vfHk;ku

eq[;kd"kZ.k

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2010 तक छः से चौदह वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलबध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान (स. शि. अ.) की शुरूआत की गई थी। बड़ी कार्य योजनायें, मूल अंतःसंरचना जैसे नए विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण, शौचालय एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था की ओर निर्देशित थीं। नमूना जाँचित नौ जिलों में असैनिक कार्यों के लिए 130.41 करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद अधिकतर कार्य अपूर्ण रहे। पठन–पाठन सामग्री (टी एल एम), पठन–पाठन उपकरण (टी एल ई), विद्यालय विकास कोष (एस डी जी), शिक्षकों के प्रशिक्षण, कम्प्यूटरों का क्रय एवं अन्य पर 61.60 करोड़ रुपये का व्यय किए जाने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि छात्र–शिक्षक अनुपात अनुशंसित मानक से काफी अधिक था। नमूना जाँचित जिलों में ड्राप आउट दर 63 प्रतिशत थी। वर्ष 2003 तक सभी को नामांकित करने के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2004 में पूरे राज्य में 33.15 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे।

de [kpZ fd, tkus ds dkj.k 2001&05 ds nkSjku jkT; 865-29 djksM+ #i;s dks Hkkjr ljdkj ds vuqnku ls oafpr jgkA fcgkj f'k{kk ifj;kstuk ifj"kn~ us Hkkjr ljdkj dks ftyksa ls mi;ksfxrk çek.k i= izkIr fd, fcuk gh 421-43 djksM+ #i;s ¼Hkkjr ljdkj ds fuf/k dk 69 çfr'kr½ dk mi;ksfxrk çek.k i= Hkst fn;kA

¼dafMdk 3-2-6-2 ,oa 3-2-6-4½

l- f'k- v- ds fn'kkfunsZ'kksa dh vogsyuk djrs gq, 2004&05 ds nkSjku iapk;r f'k{kk fe=ksa dks Hkqxrku djus ds fy, ftyk dk;kZy; lsUo;dksa dks 14-37 djksM+ #i;s fn, x, ,oa e/;kà Hkkstu ij 1-41 djksM+ #i;s dk vuf/kd`r O;; fd;k x;kA

¼dafMdk 3-2-6-5½

okf"kZd ,oa nhjxkeh ;kstuk fcuk xg lo{k.k djk, gh rS;kj dj yh xbZ ,oa bl çdkj bu ;kstukvksa ls jkT; dh lPph rLohj çfrfcafcr ugha gksrh FkhA

¼dafMdk 3-2-7-1½

jkT; esa flrEcj 2004 rd 33-15 yk[k cPps fo|ky; ls ckgj FksA uewuk tkfpr ftyksa esa oxZ&I ls oxZ&IV rd MªkWi vkmV nj 20 ls 63 çfr'kr ds chp Fkh tcfd iwjs jkT; esa ;g nj 52 çfr'kr FkhA

¼dafMdk 3-2-7-2 ,oa 3-2-7-4½

uewuk tkfpr ftyksa esa Nk=&f'k{kd vuqikr ¼ih Vh vkj½ ekud ls vf/kd FkhA l- f'k- vfHk- ds vuqlkj 40 % 1 ds Nk=&f'k{kd vuqikr izkIr djus ds fy, f'k{kdksa ds fjä in ugha Hkjs x, ,oa vko';d vfrfjä f'k{kdksa dh fu;qfä Hkh ugha dh xbZA mRØfer fo|ky;ksa esa Hkh f'k{kdksa ds Lohd`r in ugha Hkjs x,A

¼dafMdk 3-2-10-2 ,oa 3-2-7-3½

fdlh Hkh Lrj ij vuqJo.k ,oa eY;kadu dh O;oLFkk ugha FkhA fdlh Hkh ç[k.M esa çcU/ku lwpuk ç.kkyh ¼,e vkbZ ,l½ ,oa dk;ZØe çcU/ku lwpuk

ç.kkyh ¼ih ,e vkbZ ,l½ miyC/k ugha Fkh rFkk fdlh Hkh ç[kaM ,oa 'kSf{kd lalk/ku dsUnzksa dk Hkou] dEI;wVj] lkW¶Vos;j] çf'kf{kr ekuocy ,oa vU; vk;r% lajpukRed lqfo/kk,¡ miyC/k ugha djkbZ xbZA

¼dafMdk 3-2-11½

3-2-1 ifjp;

वर्ष 2010 तक छः से 14 वर्ष की सभी बच्चों को लाभदायक एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई। योजना निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन स्तर पर सामूहिक योगदान को सुनिश्चित करना था।

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे :

- वर्ष 2003 तक छः से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालयों, सुनिश्चित शिक्षा केन्द्रों, वैकल्पिक एवं नवीन विद्यालयों में सुनिश्चित करना ;
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना ;
- जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए स्तरीय प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना;
- सभी तरह के लिंग एवं सामाजिक खाई को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर एवं 2010 तक प्रारंभिक स्तर तक पाटना ;
- 2010 तक सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करना।

3-2-2 laxBukRed lajpuk

सोसाईटी पंजीकरण कानून के तहत् वर्ष 1991–92 में पंजीकृत बिहार शिक्षा परियोजना को स. शि. का कार्यान्वयन अभिकरण बनाया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित सामान्य कौंसिल (जी सी) स. शि. अ. के नीति निर्देशन एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार थी। कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी प्रशासन के लिए आयुक्त सह सचिव, प्राथमिक, माध्यमिक एवं वयस्क शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी समिति (ई सी) जिम्मेवार थी। राज्य परियोजना निदेशक, परिषद सामान्य कौंसिल एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव थे। जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए कार्यक्रम समन्वयक के तौर पर जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी जिम्मेवार थी। प्रखंड, क्लस्टर एवं विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए क्रमशः प्रखंड शिक्षा विस्तार पदाधिकारी (प्र. शि. वि. प.), कलस्टर प्रधान के रूप में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समितियाँ उत्तरदायी थीं।

3-2-3 ys[kkijh{kk ds mís';

लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य यह जाँचना एवं आकलन करना था कि :

- कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों के क्रियान्वयन हेतु योजना की क्षमता ;

- निधि का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावपूर्ण उपयोग ;

- किस स्तर तक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा सुविधा एवं ''विद्यालय में वापस जाओं'' के तहत 2003 तक सभी बच्चों को लाने का उद्देश्य पूरा हुआ ;

- मुख्य कार्यक्रमों को मानक के अनुरूप चलाया जा रहा था एवं शिक्षा में स्तरीय गुणात्मक सुधार प्रभावी एवं मितव्ययी थे।

3-2-4 y{[kkijh{kk dk vk/kkj

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के आधार के रूप में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किए गए :

- स. शि. अ. के मानक के अनुसार वार्षिक कार्य योजना (वा. का. यो.) को तैयार करना ;

- दिशा निर्देशों में दिए गए मानकों के आधार पर विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अंतःसंरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, पठन–पाठन उपकरणों की व्यवस्था, शिक्षकों के प्रशिक्षण की तुलना ;

- विद्यालय से बाहर के नामांकित बच्चों की संख्या, विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर आबादी की पहुँच ;

- कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करते समय मानक के अनुसार छात्र–शिक्षक अनुपात को भी ध्यान में रखा गया।

3-2-5 y{[kkijh{kk vkPNknu ,o fØ;kfof/k

लेखापरीक्षा द्वारा 2001–05 की अवधि के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि. शि. परि. प.), राज्य के 37 जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जि. का. स.) में से नौ एवं नौ नमूना जाँचित जिलों में 159 प्रखंड संसाधन केन्द्रों (प्र. सं. के.) में से 27 के अभिलेखों की जाँच की गई। 27 नमूना जाँचित प्रखंडों के 2215 प्राथमिक विद्यालयों (प्रा. वि.) में से 54 की, 1030 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (उ. प्रा. वि.) में से 54 की एवं 764 शिक्षा गारंटी केन्द्रों में से 27 की जाँच लेखापरीक्षा में की गई।

वि. शि. परी. प. के राज्य परियोजना निर्देशक के साथ अप्रैल 2005 में प्रविष्टि बैठक की गई। फिर बहिर्गमन बैठक रा. प. नि. के साथ दिसंबर 2005 में की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य परियोजना निदेशक का उत्तर दिसंबर 2005 में प्राप्त हुआ जिसे आगे की कंडिकाओं में शामिल किया गया है :

लाभान्वितों एवं उनके माता–पिता को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा स. शि. अभि. के प्रभाव का सर्वेक्षण करने का काम आई एम आर बी इन्टरनेशनल की विशिष्ट इकाई सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान (एस आर आई) को सौंपा गया। एस आर आई ने 740 प्राथमिक नमूना इकाईयों (ग्रामीण : 592 ; शहरी : 148)* में सर्वेक्षण का काम किया (दिसंबर 2005 से फरवरी 2006)।

---

* *प्रत्येक प्राथमिक नमूना इकाई में दो विद्यालयों को शामिल किया गया।*

सूचीबद्ध किए गए 66072 घरों में से 41418 को योग्य माना गया एवं अध्ययन में 14631 घरों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के कार्यपालक सार को इस समीक्षा (ifjf'k"V& XXIX) में शामिल किया गया है। एस आर आई सर्वेक्षण को शामिल कर समीक्षा को सरकार के पास सितंबर 2006 में भेजा गया, उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)। एस आर आई के निष्कर्षों को समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर समाहित किया गया है।

y[kkijh{kk fu"d"kZ

3-2-6 foÙkh; çcU/ku

3-2-6-1 foÙkiks"k.k ç.kkyh

IX एवं X योजनाओं[1] के दौरान स. शि. अभि. का वित्तपोषण भारत एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 85 : 15 एवं 75 : 25 के अनुपात में किया गया जो बाद में 50 : 50 के अनुपात में हो गया। केंद्रांश के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा परिषद को राज्यांश भी जारी कर देना था। परिषद को बाद का किस्त भारत सरकार द्वारा तभी निर्गत किया जाना था जब राज्य सरकार द्वारा मैंचिंग शेयर परिषद को स्थानांतरित कर दिया गया हो एवं उपलब्ध निधि का कम से कम 50 प्रतिशत परिषद द्वारा व्यय कर दिया गया हो।

3-2-6-2 ctV ,oa O;;

वर्ष 2001–05 की अवधि में प्राप्त निधि एवं व्यय निम्न प्रकार से थे :

¼#i;s djksM+ esa½

o"kZ	Hkkjr ljdkj vuqekfnr okf"kZd dk;Z ;kstuk	vfxze 'ks"k	Hkkjr ljdkj miyC/k djkbZ xbZ jkf'k	jkT; ljdkj miyC/k djkbZ xbZ jkf'k	o"kZ ds nkSjku dqy miyC/k fuf/k	O;;	cpr	cpr ¼çfr'kr esa½
2001–02	56.99	2.38	28.50	..	30.88	2.43	28.45	92
2002–03	212.00	28.45	79.15	62.00	169.60	80.99	88.61	52
2003–04	573.57	88.61	194.49	64.83	347.93	279.19	68.74	20
2004–05	626.87	68.74	302.00	80.00	450.74	421.24	29.50	07
dqy	1469-43		604-14	206-83		783-85		

डी पी ई पी के तहत् शामिल नहीं किए गए 17 जिलों[2] के परियोजना पूर्व गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 604.14 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए 2.38 करोड़ रुपये (सितंबर 2000) व्यय नहीं किए जा सके।

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा तैयार किए गए तुलन पत्र के अनुसार 2001–04 की अवधि में राज्यांश को 18.64 करोड़ रुपये कम दिखाया गया।

---

[1] *IX योजना (1997–2002) एवं X योजना (2002–07)*

[2] *औरंगाबाद, बेगुसराय, पू. चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा मधुबनी, नवादा, नालंदा, पटना, सहरसा, सारण, समस्तीपुर, सिवान एवं सुपौल*

राज्य द्वारा उपलब्ध राशि के 50 प्रतिशत व्यय करने में विफल रहने के कारण 2001–05 की अवधि में भारत सरकार द्वारा 1469.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरूद्ध केवल 604.14 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2002–05 के दौरान 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बदले राज्यांश छः महीने विलंब से निर्गत किए गए जबकि 2001–02 में राज्यांश बिल्कुल ही नहीं दिए गए।

परिषद् के निदेशक ने धीमे खर्च का मुख्य कारण अंतः संरचनात्मक सुविधा, शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा का अभाव तथा कुशल लेखाकार, अभियंता एवं शिक्षकों की कमी को बताया एवं कहा कि राज्यांश विमुक्ति को नियमित कर दिया गया था।

3-2-6-3 fuf/k dk LFkkukarj.k

813.35 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध 2001–05 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को 783.71 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए (ifjf'k"V&XXX) एवं 13.96 लाख रुपये का व्यय (2001–03) परिषद् के स्थापना खर्च के रूप में किया गया।

3-2-6-4 0;; dk vfu;fer y[kkdu

mi;ksfxrk çek.k i= ds fcuk gh 0;; ds :i esa 783-85 djksM #i;s dk y[kkdu

परिषद द्वारा 2001–05 के दौरान 813.35 करोड़ रुपये में से 783.85 करोड़ रुपये को व्यय के रूप में दिखाया गया जबकि इसे जि का स एवं अन्य एजेन्सियों को अग्रिम के रूप में दिया गया था। जि का स से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही परिषद् द्वारा भारत सरकार से प्राप्त 606.52 करोड़ रुपये[3] में से 421.43 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2004 एवं जुलाई 2005 के बीच भेज दिया गया।

परिषद के निदेशक ने बताया कि जि. का. स. को स्थानांतरित निधि को खर्च के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि सथानांतरित निधि को खर्च के रूप में लेखांकित किया गया था।

नौ नमूना जाँचित जिलों में निधि की स्थिति को ifjf'k"V&XXXI में दिखाया गया है। नौ जिलों द्वारा 242.63 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधि के विरूद्ध 192.01 करोड़ रुपये[4] खर्च किए गए। विभिन्न अवयवों[5] के लिए विद्यालय शिक्षा समितियों (वि. शि. स.) को 157.70 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए किंतु सिर्फ 4.50 करोड़ रुपये (3 प्रतिशत) का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ (अगस्त 2005)। इसके साथ–साथ छः[6] जि.

---

[3] *भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए योजना कार्यान्वियन हेतु 604.14 करोड़ एवं परियोजना पूर्व गतिविधियों के लिए 2.38 करोड़ रुपये।*

[4] *वि. शि. स. : 157.70 करोड़ रुपये, प्रशिक्षण : 24.34 करोड़ रुपये, कम्प्यूटर एवं अन्य : 9.97 करोड़ रुपये (टी एल एम सीधे शिक्षकों को : 2.10 करोड़ रुपये, जि. का. स. मोतीहारी द्वारा खरीदी गई डेस्क एवं बेंच : 2.18 करोड़ रुपये, प. शि. मि. वेतन : 1.80 करोड़ रुपये, मध्याह्न भोजन : 1.41 करोड़ रुपये, कम्प्यूटर एवं परियोजना प्रबंधन : 2.48 करोड़ रुपये) कुल : 192.01 करोड़ रुपये*

[5] *विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्षा (ए सी आर), शौचालय का निर्माण, चापाकल का प्रावधान, वि. भवन का रखरखाव (आर एवं एम), पठन पाठन उपकरण (टी एल ई), पठन पाठन सामग्री (टी एल एम), वि. विकास कोष (एस डी जी), प्रखंड एवं कलस्टर संसाधन केन्द्रों (बी आर सी एवं सी आर सी) का निर्माण*

[6] *औरंगाबाद : 37.76 लाख रुपये ; बेगुसराय : 37.07 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 34.83 लाख रुपये ; पटना : 13.27 लाख रुपये ; सहरसा : 29.62 लाख रुपये एवं समस्तीपुर : 57.12 लाख रुपये।*

का. स. ने पठन–पाठन सामग्री के क्रय हेतु 2.10 करोड़ रुपये की राशि सीधे शिक्षकों को चेक द्वारा उपलब्ध करा दिया जबकि इसका संप्रेषण वि. शि. स. के माध्यम से किया जाना था। शेष 50.62 करोड़ रुपये जि. का. स. के पास अव्यवहृत पड़े रहे।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि अनुवर्त्ती वर्षों के लिए निधि निर्गत करने के पूर्व वि. शि. स. से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर वि. विकास, टी एल एम एवं आर एवं एम के तहत् दी गई राशि को खर्च मान लिया जाता था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस मद में नमूना जाँचित नौ जिलों में वि. शि. स. को दिए गए 28.61 करोड़ रुपये में से सिर्फ 1.90 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्राप्त हुआ था। इससे यह स्पष्ट था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अनुवर्त्ती वर्षों के लिए राशि निर्गत कर दी गई।

3-2-6-5 l- f'k- v- fuf/k dk fopyu

oru Hkxrku grq 14-37 djkM+ #i;s dk vLohdkj.kh; ikko/kku

वर्ष 2003–04 के दौरान नियुक्त पंचायत शिक्षा मित्रों के वेतन भुगतान के लिए 37 जि. का. स. को 2004–05 के दौरान 14.37 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। इसके विरूद्ध औरंगाबाद जिले में 1440 शि. मित्रों को 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (सितंबर 2005)।

निदेशक, परिषद ने उत्तर दिया कि स. शि. अभि. निधि से शिक्षा मित्रों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप हुआ था जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में सरकार द्वारा किया जाना था।

जि. का. स, पटना ने मध्याह्न भोजन योजना के लि स. शि. अ. निधि से 1.41 करोड़ रुपये का विचलन किया (जनवरी 2005)। परिषद् ने इसकी प्रतिपूर्ति हेतु अपना दावा राज्य सरकार को समर्पित नहीं किया (अक्टूबर 2005)।

निदेशक, परिषद् ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के लिए निधि प्रदान की गई जिसका समायोजन किया जाना था। व्यय का समायोजन अभी तक नहीं किया गया था।

3-2-6-6 vfHkys[kksa dk l/kkj.k ugha fd;k tkuk

वित्तीय प्रबंधन के मैनुअल में निर्धारित होने के बावजूद परिषद् द्वारा रोकड़ बही, लेजर, चेक निर्गत पंजी, संपदा पंजी इत्यादि जैसे मूल लेखा अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। साफ्टवेयर विकसित नहीं किए जाने के कारण वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी (सितंबर 2005)।

निदेशक, परिषद् ने बताया कि लेखा अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु कुशल लेखा कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया फरवरी/मार्च 2006 तक पूरी कर ली जाएगी।

3-2-7 dk;Øe çc/ku

3-2-7-1 l- f'k- v- ds rgr dk;Øe ;kstuk

ftykLrjh; ;kstuk cukus esa lkeqnkf;d lg;kx lqfuf'pr ugha fd;k x;k

स. शि. अ. के तहत् योजना में राज्य के वर्तमान शैक्षिक वातावरण की समीक्षा शामिल थी। गृह सर्वे, शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली डायस के डाटा एवं अनुसंधान अध्ययन के आधार पर ही राज्य, जिला एवं आबादी के स्तर पर दूरगामी एवं वार्षिक योजना का निरूपण करना था। इसके अतिरिक्त योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन स्तर तक

सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। नमूना जाँचित जिलों में गृहवार सर्वे होने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। वर्ष 2001–02 में परियोजना पूर्व गतिविधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त 2.38 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके। यद्यपि 2002–03 के लिए बिना सर्वें एवं आवश्यकता आधारित आकलन के ही योजना तैयार कर ली गई।

सर्व शिक्षा अभियान का कार्य आबादी को इकाई मानते हुए सामुदायिक प्रयास से तैयार योजना एवं उसी के आधार पर बनाई गई जिला योजना के आधार पर होना था। यद्यपि छः से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय से बाहर के बच्चों की वास्तविक संख्या का आकलन करने के पूर्व ही मैक्रोयोजना के लिए आबादी के स्तर पर शैक्षणिक योजना एवं विद्यालय नक्सा[7] बना लिया गया। नमूना जाँचित किसी जिले के जि. का. स. ने लेखापरीक्षा को इन योजनाओं का प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया। विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान के लिए गृहवार सर्वेक्षण सितंबर 2005 तक नहीं किया गया।

एस. आर. आई. द्वारा किए गए लाभान्वितों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि फरवरी 2006 तक 6 से 14 वर्ष आयु के कुंल 226.02 लाख बच्चों में से 40.08 लाख विद्यालय से बाहर थे। इसप्रकार 6–14 वर्ष आयु के प्रत्येक 1000 बच्चों में से 177 विद्यालय से बाहर थे।

किसी भी स्तर पर आँकड़े की सत्यता की जाँच नहीं की गई क्योंकि वार्षिक कार्य योजनाओं में दर्शाई गई प्रखंडों, गाँवों, विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या एवं नमूना जाँचित जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक तथा जनगणना स्रोत से प्राप्त आँकड़ों में काफी अंतर पाया गया (ifjf'k"V&XXXII)।

इसप्रकार योजना विधि स. शि. अभि. के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी एवं स. शि. अभि. के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई योजना राज्य की वास्तविक जरूरतों को प्रतिविंबित नहीं करती थी।

निदेशक ने बताया कि गृहवार सर्वेक्षण कराया गया था एवं आँकड़े सही रूप से निरूपित डाटा कैप्चर फार्मेट के माध्यम से इकट्ठा किए गए थे। यद्यपि किसी भी नमूना जाँचित जिलों में गृहवार सर्वे रजिस्टर लेखापरीक्षा के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया एवं आँकड़े जिसके आधार पर वा. का. यो. बनाई गई थी, सही एवं तथ्यमूलक नहीं थे।

3-2-7-2 jkT; e vr%lajpuk ,o cPpk d ukekdu dh :ijs[kk

jkT; e 33-15 yk[k cPp tcfd uewuk tkfpr uk ftyk e 17-71 yk[k cPp fo|ky; l ckgj jg

सितंबर 2000 तक राज्य में 6–14 वर्ष आयु के कुल 1.77 करोड़ बच्चों में से 47.12 लाख बच्चे (27 प्रतिशत) विद्यालय से बाहर थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2003 तक उपर्युक्त उम्र समूह के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना था। यद्यपि सितंबर 2004 तक राज्य में 33.15 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे। नमूना जाँचित नौ जिलों में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या 19.71 लाख थी।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि सभी बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे थे।

स. शि. अ. के लिए तैयार की गई दूरगामी एवं वार्षिक योजनाओं के अनुसार राज्य में प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2001 तक कुल 51454 (प्राथमिक : 41442 एवं उच्च प्रा. : 10012) विद्यालय थे। इनमें से 2537 विद्यालयों में भवन, 25831 विद्यालयों में

[7] *यह विद्यालय की जगह एवं जिले की आबादी को दर्शाता है।*

शौचालय, 12792 विद्यालयों में पेयजल एवं 44761 विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं थे।

3-2-7-3 y{; ,o i kfIr

स. शि. अ. के विभिन्न अवयवों के लिए तैयार वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार मार्च 2005 तक निर्धारित किए गए लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध प्राप्ति निम्न प्रकार से थी :

¼vkdM+ l[;k e½

vo;o	y{;	dk;Z i xfr e	dk;Z tks vHkh 'kq: ugha fd;k x;k
विद्यालय भवन का निर्माण	2469	1158	1301
शौचालय	18130	13583	4547
अतिरिक्त वर्ग कक्ष	23783	16710	7073
पेयजल	9074	5640	3434
संसाधन केन्द्र (प्र. सं. के. एवं क. स. के.)	1258	825	433
प्रा. विद्यालयों का उत्क्रमण	10709	5360	——

वार्षिक कार्य योजना में किसी भी असैनिक कार्य को पूर्ण नहीं दर्शाया गया था। 10709 प्रा. वि. को उत्क्रमित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 5360 प्रा. वि. को ऊ. प्रा. वि. में उत्क्रमित दिखाया गया था। यद्यपि उत्क्रमित विद्यालयों में किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी।

मार्च 2005 तक नमूना जाँचित जिलों से प्राप्त की गई स्थिति निम्न प्रकार से थी :

eyHkr lajpukvks dk l tu y{; l dkQh de Fkk

vo;o	y{;	i.k dk;Z	dk;Z i xfr e	dk;Z ft l i kjEHk fd;k tkuk g
विद्यालय भवन का निर्माण	752	शून्य	464	288
शौचालय	6476	356	6044	76
अतिरिक्त वर्ग कक्ष	9794	94	7300	2400
पेयजल	2874	191	2385	298
संसाधन केन्द्र (प्र. सं. के. एवं क. स. के.)	458	6	414	38
प्रा. विद्यालयों का उत्क्रमण	3449	1573	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

इस प्रकार मौलिक अंतःसंरचनाओं का सृजन लक्ष्य से काफी कम था।

3-2-7-4 ldy ukekadu vuqikr] okLrfod ukekadu vuqikr ,oa Bgjko nj

विद्यालय प्रणाली में सकल नामांकन अनुपात (स. ना. अ.), वास्तविक नामांकन अनुपात (वा. ना. अ.) एवं ठहराव दर (ठ. द.) ही कार्यक्रम के उद्देश्य (i) 2003 तक सभी बच्चों को नामांकित कराना, (ii) 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा एवं (iii) 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में ठहराव के क्रियाशील सूचनांक थे।

स. ना. अ. उस जनसंख्या से प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन का प्रतिशत था जिसे प्राथमिक विद्यालयों में होना चाहिए था। वा. ना. अ. लक्षित बच्चों की संख्या से नामांकन का प्रतिशत था। विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स. ना. अ., वा. ना. अ. एवं ठहराव दर निम्न प्रकार से थे :

स. ना. अ. : 90 वा. ना. अ. : 77 ठ. द. : 48

ueuk tkafpr ftyksa esa oxZ&I ls oxZ&IV dk ofg- nj 20 ls 63 çfr'kr ds chp Fkh

इसप्रकार नामांकन के बाद बच्चों के ठहराव दर में 52 प्रतिशत की कमी हुई एवं 68 प्रतिशत[8] सक्षम बच्चों का या तो नामांकन नहीं हुआ या प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर सके।

नमूना जाँचित 108 विद्यालयों में यह पाया गया कि वर्ग–I में नामांकित 37990 बच्चों में से सिर्फ 23013 (61 प्रतिशत) छात्र ही सत्र के अंत तक बने रहे। वर्ष 2001–05 के दौरान नमूना जाँचित जिलों में वर्ग–I से वर्ग–IV तक वहिर्गमन दर 20 से 63 प्रतिशत के बीच था।

इसप्रकार 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अपर्याप्त थे।

çeq[k ?kVd

छः से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से विभिन्न घटक जैसे नए विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, प्र. संसाधन केन्द्र, क. संसाधन केन्द्र के निर्माण से संबंधित असैनिक कार्य, पेयजल सुविधा, पठन–पाठन उपकरणों का प्रावधान एवं पठन पाठन सामग्री की आपूर्ति को शामिल किया गया था।

3-2-8 vlSfud dk;Z

3-2-8-1 y{; ,oa miyfC/k

नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2001–05 के दौरान विद्यालय शिक्षा समिति को असैनिक कार्य के तहत् सात घटकों में प्रदान की गई निधि के भौतिक लक्ष्य, उपलब्धि एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से थी :

---

[8] *वहि. दर : 100–48 = 52 प्रतिशत, कुल बच्चों की जनसंख्या का वहि. दर = $^{52}/_{90}$ x 100 = 58 प्रतिशत + अनामांकित 10 प्रतिशत = 68 प्रतिशत*

vlSfud dk;Z ds rgr 2001&05 ds nkSjku HkkSfrd&foÙkh; y{; ,oa miyfC/k dh fooj.kh

?kVd dk uke	çkjEHk fd, x, dk;ksa dh la[;k	iw.kZ dk;Z	izko/kkfur jkf'k	tek fd;k x;k mi;ksfxrk izek.k i=
			¼djksM+ #i;s esa½	
vlSfud dk;Z				
1. प्रखंड संसाधन केन्द्र	83	4	3.91	0.56
2. क्लस्टर संसाधन केन्द्र	337	2	4.95	0.06
3. अति. वर्ग कक्ष	7394	94	82.44	1.70
4. नया विद्यालय भवन	464	शून्य	10.89	शून्य
5. पेयजल सुविधा	2576	191	2.50	0.34
6. शौचालय	6400	356	9.45	0.53
7. रखरखाव	32692	839	16.27	0.42
dqy	49946	1486	130-41	3-61 ¼3 izfr'kr½

नोट : इसके अतिरिक्त पठन पाठन सामग्री, पठन–पाठन–उपकरण एवं विद्यालय विकास अनुदान मद में 31.57 करोड़ रुपये* का प्रावधान किया गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि वि. शि. स. के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध रहने के बावजूद शुरू किए गए 49946 कार्यों में से सिर्फ 1486 कार्य (3 प्रतिशत) ही अगस्त 2005 तक पूर्ण किए जा सके।

एस आर आई प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि 12.5 प्रतिशत प्रा. वि., 13.3 प्रतिशत उ. प्रा. वि. एवं 0.5 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने जलापूर्ति हेतु मिली राशि का उपयोग किया।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि अंतःसंरचना, अपने अभियंता, प्रारंभिक स्तर पर अन्य विभागों से समन्वय का अभाव एवं वि. शि. समिति सदस्यों के प्रशिक्षण एवं निर्माण क्षमता में कमी कार्य की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार थी एवं यह भी बताया कि मूलभूत अंतःसंरचना के सृजन हेतु प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे थे।

3-2-8-2 j[k&j[kko vuqnku

397 Hkoughu fo|ky;ksa dks 20 yk[k #i;s j[k j[kko ds fy, fn, x,

विद्यालय भवनों के रख रखाव के लिए वि. शि. समिति के प्रस्तावों के आधार पर अपने भवन वाले विद्यालयों को 5000 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान दिया जाना था। विद्यालयों में उपलब्ध कमरे एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बगैर एवं वि. शि. समितियों के प्रस्तावों के बिना ही 2002–05 के दौरान 32692 विद्यालयों को 16.27 करोड़ रुपये प्रदान कर दिए गए। 16.27 करोड़ रुपये में से 20 लाख रुपये 397 भवनहीन विद्यालयों[9] को दे दिए गए। अगस्त 2005 तक सिर्फ 839 विद्यालयों द्वारा 42 लाख रुपये के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किए गए।

---

* *पठन–पाठन उपकरण : वि. शि. स. के माध्यम से 17.05 करोड़ रुपये एवं जि. का. स. द्वारा 2.18 करोड़ रुपये, पठन–पाठन सामग्री : वि. शि. स. द्वारा 2.08 करोड़ रुपये एवं जि. का. स. द्वारा 2.10 करोड़ रुपये, वि. वि. अ. : 8.16 करोड़ रुपये।*

9 *औरंगाबाद : 58 विद्यालय : 2.90 लाख रुपये ; बेगुसराय : 4 विद्यालय : 0.20 लाख रुपये ; पू. चंपारण : 46 विद्यालय : 2.30 लाख रुपये ; पटना : 100 विद्यालय : 5 लाख रुपये ; पूर्णियाँ : 84 विद्यालय : 4.20 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 37 विद्यालय : 1.85 लाख रुपये एवं सारण : 68 विद्यालय : 3.60 लाख रुपये।*

परिषद के निदेशक ने बताया कि भवनहीन विद्यालयों को दिए गए रख रखाव अनुदान की वापसी हेतु जिला कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए है।

3-2-9 iBu&ikBu lkexzh

3-2-9-1 vko';drk dk vkdyu ugha ,oa ikB; iqLrdksa dk vle; forj.k

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ग–I से VIII के अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण एक प्रमुख घटक था। वर्गवार, पुस्तकवार एवं भाषावार आवश्यकता का आकलन कर जि. का. समन्वयकों को शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के छः माह पूर्व ही परिषद् को भेज देना था। जि. का. स., प्र. स. केन्द्रों, शंकुल संसाधन केन्द्रों एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा इन पुस्तकों का वितरण जनवरी–फरवरी में किया जाना था एवं इसके लिए भंडार एवं निर्गत पंजी का संधारण भी किया जाना था।

iqLrdksa dk forj.k çfr o"kZ N% ls ukS eghus foyac ls gqvk ,oa ikap ftyksa esa 19-33 yk[k fdrkcsa ugha ckVh xbZ

नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि न तो परिषद् को आवश्यकता का आकलन करके भेजा गया और न ही प्र. सं. के., सं. सं. केन्द्रों एवं विद्यालय स्तर पर भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण किया गया। प्रत्येक वर्ष पुस्तकों का वितरण छः से नौ महीने विलंब से किया गया। इसके अतिरिक्त पाँच नमूना जाँचित जिलों[10] में यह पाया गया कि दिसंबर 2004 तक 1.16 करोड़ उपलब्ध पुस्तकों में से 19.33 लाख पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया।

3 नमूना जाँचित जिलों[11] में पता चला कि वर्ष 2003–05 के दौरान 50.08 लाख पुस्तकों की प्राप्ति के विरूद्ध परिषद् द्वारा 56.80 लाख पुस्तकों का भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप 6.72 लाख पुस्तकों का अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान अधिक भुगतान की गई राशि की गणना नहीं की जा सकी।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि स्थिति में सुधार एवं समय से पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु कदम उठाए जा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि बी एस टी पी सी को हुए अधिक भुगतान के मामले की जाँच की जाएगी।

3-2-9-2 iBu&ikBu lkexzh vuqnku dh mi;ksfxrk

4-18 djksM+ #i;s dk iBu ikBu lkexzh vuqnku dk fo:) flQZ 28 yk[k #i;s dk mi;ksfxrk çek.k i= çkIr gq,

पठन–पाठन सामग्री संप्रति पुस्तक, कार्यपुस्तक, शिक्षक गाईड, शैक्षणिक सहायक सामग्री, पूरक पठनीय सामग्री, ब्लैकबोर्ड इत्यादि के लिए सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान दिया जाना था। नमूना जाँचित नौ जिलों में 2002–05 की अवधि में 4.18 करोड़ रुपये (शिक्षकों को सीधे वितरित 2.10 करोड़ रुपये सहित) वितरित किए गए जबकि सिर्फ 28 लाख रुपये का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो सका।

नमूना जाँचित 108 विद्यालयों की जाँच में पता चला कि पठन पाठन अनुदान को न विद्यालय के रोकड़ पंजी में लिया गया और न वि. शि. समिति के खाते में ही लिया गया। व्यय के समर्थन में अभिश्रव एवं सामग्रियों की भंडार पंजी लेखापरीक्षा के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया।

---

[10] *औरंगाबाद, पू. चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं सारण*

[11] *औरंगाबाद, पूर्णिया, समस्तीपुर*

आगे की जाँच से यह भी ज्ञात हुआ कि 2003–05 के दौरान तीन जिलों (सहरसा, समस्तीपुर एवं सारण) में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या से अधिक 1059 शिक्षकों[12] के बीच 5.30 लाख रुपये वितरित कर दिए गए।

3-2-9-3 iBu&ikBu midj.k dk çko/kku

3410 fo|ky;ksa dks forfjr 17-05 djksM+ #i;s ds fo:) 23 fo|ky;ksa ls 11-50 yk[k #i;s dk gh mi;ksfxrk çek.k i= çkIr gqvk

प्रत्येक उच्च प्रा. वि. को पठन–पाठन उपकरण अनुदान के रूप में एक बार 50000 रुपये[13] का अनुदान दिया जाना था। अधिप्राप्ति की विधि का निर्णय विद्यालय शिक्षा समिति को करना था। नौ नमूना जाँचित जिलों में 2003–05 के दौरान 3410 उ. प्रा. विद्यालयों को 17.05 करोड़ रुपये वितरित किए गए जिसमें से अगस्त 2005 तक 23 विद्यालयों से 11.50 लाख रुपये का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो सका।

निदेशक ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पठन–पाठन उपकरण अनुदान 52 भवनहीन उ. प्रा. विद्यालयों[14] (26 लाख रुपये) एवं 262 उ. प्रा. वि.[15] जिनके पास सिर्फ एक या दो कमरे थे (1.31 करोड़ रुपये) बिना डेस्क एवं बैंच को रखने की जगह सुनिश्चित किए ही दे दिए गए।

3-2-9-4 xq.koÙkk lqfuf'pr fd, fcuk MsLd ,oa csap dh [kjhn

fuEuLrjh; MsLd ,oa csap dh [kjhn ij eksrhgkjh ftyk esa 37-30 yk[k #i;s dk vf/kd Hkqxrku

यद्यपि डेस्क एवं बेंच की खरीद विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा किया जाना था किन्तु जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला कार्य समिति, मोतीहारी ने फरवरी 2004 में 652 उ. प्रा. विद्यालयों के लिए 1080 रुपये प्रति सेट डेस्क एवं बेंच की दर से 11 फर्म को 24124 सेट की आपूर्ति का क्रयादेश दिया जबकि राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित दर 900 रुपये प्रति सेट था। अग्रतर जाँच से ज्ञात हुआ कि क्रय पर निर्णय हेतु 24 फरवरी 2004 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में यह अंकित किया गया कि इन 11 फर्मों द्वारा निविदा के समय समर्पित नमूना स्तरीय नहीं था। इसके बावजूद संबंधित प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान कर दिया गया। इसप्रकार जून 2004 एवं जून 2006 के बीच 20720 सेटों के लिए 2.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जो सरकारी दर की तुलना में 37.30 लाख[16] रुपये अधिक था।

---

[12] *सहरसा : 716 शिक्षक : 3.58 लाख रुपये ; समस्तीपुर : 127 शिक्षक : 0.64 लाख रुपये एवं सारण : 216 शिक्षक : 1.08 लाख रुपये*

[13] *उपकरण : 1000 रुपये, पठन सामग्री : 1000 रुपये, पुस्तकालय पुस्तक : 5000 रुपये, खेल सामग्री : 3000 रुपये एवं डेस्क तथा बेंच : 40000 रुपये*

[14] *पूर्णिया : 2 उ. प्रा. वि. : एक लाख रुपये ; औरंगाबाद : 5 उ. प्रा. वि. : 2.50 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 4 उ. प्रा. वि. : 2 लाख रुपये ; पटना : 23 प्रा. उ. वि. : 11.50 लाख रुपये, सहरसा : 6 उ. प्रा. वि. : 3 लाख रुपये ; समस्तीपुर : 12 उ. प्रा. वि. : 6 लाख रुपये।*

[15] *औरंगाबाद : 43 उ. प्रा. वि.: 21.50 लाख रुपये ; बेगुसराय : 9 उ. प्रा. वि. : 4.50 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 20 उ. प्रा. वि. : 10 लाख रुपये ; पटना : 122 उ. प्रा. वि. : 61 लाख रुपये ; समस्तीपुर : 28 उ. प्रा. वि. : 14 लाख रुपये एवं सारण : 40 उ. प्रा. वि. : 20 लाख रुपये।*

[16] *560 विद्यालय x 37 = 20720, डेस्क एवं बेंच ; अधिक भुगतान = 20720 x 180 रुपये = 3729600 रुपये अर्थात 37.30 लाख रुपये*

औरंगाबाद जिले में जिला कार्यकारिणी समिति ने एक प्रिंटींग प्रेस के टेंडर को फर्म के भौतिक सत्यापन कराने की शर्त पर अनुमोदित कर दिया (फरवरी 2005)। जिला कार्यक्रम समन्वयक ने पुलिस से वांछित भौतिक सत्यापन प्राप्त किए बिना 412 उ. प्रा. विद्यालयों के लिए 900 रुपये प्रति सेट की दर से 1.65 करोड़ रुपये मूल्य के 18128 सेट का आपूर्ति आदेश निर्गत किया (मार्च 2005)। बाद में (जून 2005) प्राप्त प्रतिवेदन फर्म के प्रतिकूल था। आदेश को निरस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। नमूना जाँचित 4 विद्यालयों में डेस्क एवं बेंच की आपूर्ति हो गई थी यद्यपि सितंबर 2005 तक भुगतान नहीं हुआ था।

3-2-9-5 fo|ky; fodkl vuknku

1275 Hkoughu fo|ky;ks dks 44 yk[k #i;s dk fo- fo- v- fn;k x;k Fkk

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने एवं अन्य विकासोन्मुख गतिविधियों द्वारा बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय को 2000 रुपये प्रति वर्ष की दर से विद्यालय विकास अनुदान दिया जाना था। नौ नमूना जाँचित जिलों में वि. वि. अ. मद में 2001–05 के दौरान 40789 विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए 8.16 करोड़ रुपये के विरूद्ध 2438 विद्यालयों से 49 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयकों को प्राप्त हुए। यह भी पाया गया कि 44 लाख रुपये का अनुदान 1275 भवनहीन विद्यालयों को दिया गया था।

परिषद् के निदेशक ने भवनहीन विद्यालयों को दिए गए अनुदान को इस आधार पर सही ठहराया कि इनका उपयोग खेल सामग्री के लिए किया गया था।

3-2-9-6 çkFkfed fo|ky; dk mPp çkFkfed fo|ky; esa mRØe.k

vi;kZIr lajpuk lqfo/kk dh O;oLFkk fd, fcuk çk- fo- dks mRØfer fd;k x;k ,oa f'k{kdksa dh fu;qfä ugha dh xbZ

उ. प्रा. स्तरीय शिक्षा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को 2:1 के अनुपात में उ. प्रा. वि. में उत्क्रमित किया जाना था। उत्क्रमण के लिए वर्ग–V में नामांकित छात्रों की संख्या, पर्याप्त जमीन की उपलब्धता एवं दो उ. प्रा. विद्यालयों के बीच कम से कम तीन किलोमीटर की दूरी हो आधार बनाया गया।

नौ नमूना जाँचित जिलों में 2:1 का अनुपात प्राप्त करने के लिए 2003–05 के दौरान 3449 प्रा. वि. को उ. प्रा. वि. में उत्क्रमिक करने के लक्ष्य के विरूद्ध 1573 प्रा. वि.[17] को उत्क्रमित किया गया। पर्याप्त संख्या में वर्ग कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना ही इन विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया एवं इस प्रकार उत्क्रमण से वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। नौ नमूना जाँचित जिलों में प्रा. वि. एवं उ. प्रा. वि. का निर्धारित मानक (2:1) के विरूद्ध अनुपात 2.2:1 से 3:1 के बीच था। यह भी पाया गया कि ग्रमीण क्षेत्रों में यह अनुपात (2:1 से 7:1) शहरी क्षेत्र के अनुपात (0.76 : 1 से 3 : 1) से काफी कम था।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि जिले के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उ. प्रा. वि. में छः कमरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

इसके अतिरिक्त 2002–05 के दौरान प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई यद्यपि सरकार द्वारा 3761 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक एवं प्र. स्नातक शिक्षकों के क्रमशः 3761 एवं 7522 पद स्वीकृत कर दिए गए थे (फरवरी 2004)। औरंगाबाद जिले में सरकारी कोष से भुगतान पाने के लिए

---

[17] *औरंगाबाद : 209 ; बेगुसराय : 63 ; पू. चंपारण : 312 ; मुजफ्फरपुर : 293 ; पटना : 221 ; पूर्णिया : 67 ; समस्तीपुर : 183 ; सारण : 225*

अधिकृत मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को जि. का. स. द्वारा 9.08 लाख रुपये का वेतन भुगतान स. शि. अ. कोष से कर दिया गया।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि प्रधानाध्यापक एवं प्रशि. शिक्षकों के पद को प्रोन्नति से भरा जाएगा। चूँकि प्रोन्नति का मामला न्यायालय में लंबित था इसलिए मैट्रिक प्रशि. एवं अवर स्नातक शिक्षकों को ऐसे 50 प्रा. वि. में औपबंधिक आधार पर लिया गया था।

3-2-10 'k{kf.kd ekud] vu/l/kku ,o fodkl dh x/.koÙkk

3-2-10-1 çf'k{k.k

सर्व शिक्षा अभियान के तहत् प्रस्तावित घटकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षकों को 20 दिनों का सेवाकालीन कोर्स, नवनियुक्त शिक्षकों के 60 दिनों का रिफ्रेसर कोर्स एवं नव प्रशिक्षितों को 30 दिनों का उन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रबंधन एवं प्रशिक्षण का राज्य संस्थान (सीमैट) एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण का जिला संस्थान (डायट) द्वारा क्रमशः राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना था। यद्यपि सीमेट के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए एकबार 3 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना था किन्तु 2001–02 के दौरान सिमेट को प्रशिक्षण हेतु मात्र दो लाख रुपये उपलब्ध कराए गए एवं सितंबर 2005 तक राज्य में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

नौ नमूना जाँचित जिलों में जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान अकार्यरत थे तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण (उजाला–1 एवं उजाला–2, समझ, प. शि. मि.) प्रखंड संसाधन कर्मियों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण हेतु किसी योग्य व्यक्ति को नहीं रखा गया। किसी भी वर्ष के वार्षिक योजना में 60 दिवसीय रिफ्रेसर कोर्स को शामिल नहीं किया गया। 2001–05 के दौरान पंचायत शिक्षक मित्र एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को छोड़कर कोई नियुक्ति नहीं की गई।

3-2-10-2 Nk= f'k{kd vuqikr

2001&05 ds nkSjku çk- ,o m- çk- fo|ky;ks e Nk=&f'k{kd vuqikr 63 % 1 ,o 130 % 1 ds chp Fkh tcfd 108 ueuk tkfpr fo|ky;ks e ;g Øe'k% 56 % 1 ,o 94 % 1 ds chp Fkk

छात्र–शिक्षक के 40 : 1 के अनुपात के मानक के विरूद्ध 2001–05 के दौरान प्राथमिक एवं उ. प्रा. विद्यालयों में इसका अनुपात 63 : 1 एवं 130 : 1 के बीच थे जबकि 108 नमूना जाँचित विद्यालयों में यह अनुपात 56 : 1 एवं 94 : 1 के बीच था।

नमूना जाँचित जिलों में 11559 प्रा. वि. एवं 4690 उ. प्रा. वि. में से 344 प्रा. वि. एवं 37 उ. प्रा. वि. बिना शिक्षक के थे जबकि 345 उ. प्रा. वि. में प्रत्येक वर्ग के लिए केवल एक शिक्षक थे। 27 नमूना जाँचित प्रखंडों के 54 उ. प्रा. वि. में से केवल 14 विद्यालयों में प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक थे। नमूना जाँचित नौ जिलों में 4367 विद्यालयों (113 उ. प्रा. वि. ; 4254 प्रा. वि.) में केवल एक शिक्षक/प. शि. मि. थे।

परिषद् के निदेशक ने बताया कि 57938 पं. शि. मि. की नियुक्ति से छात्र–शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ एवं पूरे स्वीकृत बल के विरूद्ध 80512 पं. शि. मित्रों की नियुक्ति से इसमें और सुधार होगा।

3-2-10-3 lof'k{kk vfHk;ku ds rgr ikB~;Øe dk fodkl

नमूना जाँचित नौ जिलों में यह पाया गया कि कोई पाठ्यक्रम विकसित नहीं किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बनाया गया एवं वर्ग में शिक्षण स. शि. अ. के पूर्व की तरह ही था। जनगणना, मतदाता सूचि तैयार किए जाने, पोलियो अभियान इत्यादि जैसे शिक्षण से अलग कार्यों में शिक्षकों की बार–बार प्रतिनियुक्ति के कारण विद्यालय

अक्सर बंद रहे। पाठ्यक्रय के अनुसार पठन सारिणी तैयार नहीं की गई। नमूना जाँचित जिलों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त मासिक एवं त्रैमासिक मूल्यांकन जैसे श्रेणीकरण का कार्य नहीं किया गया।

नौ नमूना जाँचित जिलों में कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ नहीं की गईं एवं समय–समय पर शोध पत्र प्रकाशित नहीं किए गए। औरंगाबाद जिले में 2004–05 के दौरान शोध एवं विकास गतिविधियों पर 9.79 लाख रुपये खर्च किए गए किन्तु अभिलेख में कोई प्रतिवेदन नहीं था।

3-2-10-4 fo'k"k yf{kr lewg dk vkPNknu

fodykx cPp fpfàr ugh fd, x,

नमूना जाँचित जिलों में छात्राओं के लिए आदर्श विद्यालयों का न तो प्रस्ताव किया गया और न खोला गया। छात्राओं के विद्यालय में ठहराव के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कमजोर वर्गों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए किसी भी विद्यालय में ठहराव पंजी का संधारण नहीं किया गया एवं इसका कभी अनुश्रवण भी नहीं किया गया। जुलाई 2005 तक अशक्त बच्चों की पहचान हेतु प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। नमूना जाँचित जिलों में अशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा कार्यक्रम के तहत् सहायता देने हेतु पहचान की गई किन्तु स. शि. अ. के तहत् इन बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

परिषद् के निदेशक ने उत्तर दिया कि विशेष रूप से छात्राओं के लिए आदर्श विद्यालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के तहत् किया जा रहा था।

3-2-10-5 fo|ky; foghu cLrh

नमूना जाँचित जिलों के प्रतिवेदन के अनुसार अगस्त 2005 तक चिह्नित 5488 विद्यालय विहीन बस्ती के विरूद्ध 4655 वैकल्पिक विद्यालय खोले गए। यद्यपि विद्यालय विहीन बस्ती को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कोई अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया।

दो कमरे सह बरामदा की न्यूनतम आवश्यकता के विरूद्ध 1557 प्रा. वि. एवं 175 उ. प्रा. वि. में बिना बरामदा के केवल एक कमरा था एवं 1275 विद्यालय (प्रा. वि. : 1184 ; उ. प्रा. वि. : 91) भवनहीन थे। 4690 उ. प्रा. वि. में से 4398 में कोई प्रधानाध्यापक कक्ष नहीं था। किन्तु अगस्त 2005 तक नौ नमूना जाँचित जिलों में किसी भी शिक्षा गारंटी केन्द्र को नियमित प्रा. वि. के रूप में उत्क्रमित नहीं किया गया।

एस आर आई प्रतिवेदन से पता चला कि 1.6 प्रतिशत प्रा. वि. एवं 2.1 प्रतिशत उ. प्रा. वि. कच्चे भवन में चल रहे थे जबकि 11.2 प्रतिशत प्रा. वि., 21.2 प्रतिशत उ. प्रा. वि. एवं 24.3 प्रतिशत उच्च विद्यालय अर्द्धपक्का भवन में चल रहे थे।

3-2-10-6 dEI;wVj dh vf/kçkfIr

चार नमूना जाँचित जिलों (सहरसा, सारण, औरंगाबाद, पूर्णिया) में मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के बीच आवश्यकता का आकलन किए बिना 1.68 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न दरों पर 247 कम्प्यूटर खरीदे गए। खरीद में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं :

vko';drk dk fcuk vkdyu fd, pkj ftyk e; 1-68 djkM+ #i;s dh ykxr ij 247 dEI;wVj dk Ø; fd;k x;k

- जिलाधिकारी, सहरसा ने बिना निविदा आमंत्रित किए मार्च 2005 में 36.06 लाख रुपये (यूनिट मूल्य : 35900 रुपये) के सहायक यंत्रों के साथ 60 कम्प्यूटर की खरीद किया। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 के अनुसार नामांकन के आधार पर खरीद केवल राज्य मंत्रीपरिषद द्वारा ही वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकता है। यद्यपि कम्प्यूटर का क्रय प्रखंड एवं शंकुल संसाधन केन्द्रों के लिए की गई थी किन्तु अधिप्राप्ति की तिथि को इनके भवन अस्तित्व में नहीं थे। वास्तव में इन भवनों के निर्माण के लिए मई 2005 में निधि निर्गत की गई। बिहार कोषागार संहिता के नियम 394 की अवहेलना करते हुए क्रयादेश 30 मार्च 2005 को निर्गत किया गया एवं कम्प्यूटर की आपूर्ति प्राप्त किए बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान 31 मार्च 2005 को कर दिया गया। लेखापरीक्षा की तिथि तक कम्प्यूटर की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसप्रकार जिलाधिकारी ने वित्तीय लेन–देन में अनावश्यक जल्दी दिखाई।

- जिलाधिकारी, सारण के द्वारा एकल निविदा के आधार पर 75.87 लाख रुपये की लागत पर (यूनिट मूल्य : 39159 लाख रुपये) 97 कम्प्यूटर का क्रय किया गया (मार्च 2005)। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 के अनुसार एन आई टी निर्गत करने वाले पदाधिकारी से एक स्तर ऊँचे स्तर के अधिकारी को एकल निविदा के निस्तारण का अधिकार प्राप्त है। क्रय समिति से अनुमोदन एवं उच्च अधिकारी को संदर्भित किए बिना कम्प्यूटर की खरीद कर ली गई। अगस्त 2005 तक प्रखंड एवं शंकुल संसाधन केन्द्रों पर कम्प्यूटर नहीं भेजा गया।

- जिलाधिकारी, औरंगाबाद ने बारह मध्य विद्यालय एवं 12 प्रखंड संसाधन केन्द्रों के लिए 42.45 लाख रुपये की लागत (प्रति यूनिट : 35900 रुपये) से सहायक यंत्रों सहित 72 कम्प्यूटर खरीदा (मार्च 2005)। किन्तु अभी तक किसी भी प्रखंड संसाधन केन्द्र का भवन नहीं बना था।

- कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने के बावजूद छः मध्य विद्यालयों के छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया ने 13.71 लाख रुपये की लागत (57016 रुपये प्रति यूनिट) से सहायक यंत्रों सहित 18 कम्प्यूटर की खरीद की (मार्च 2004)। फलस्वरूप अगस्त 2005 तक सभी 18 कम्प्यूटर अव्यवहृ पड़े रहे।

इसप्रकार 1.68 करोड़ रुपये की लागत पर 4 जिलों में खरीदे गए 247 कम्प्यूटर, विद्यालयों, प्र. स. के एवं स. स. के. की आवश्यकता आकलन किए बिना भिन्न–भिन्न दरों पर खरीदी गई जो अव्यवहृत पड़े रहे।

परिषद् के निदेशक ने उत्तर दिया कि जि. का. स., सहरसा, सारण एवं औरंगाबाद से पूछे जाने पर बताया कि पूर्णिया में छः विभिन्न विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किए गए एवं उस समय चयनित शिक्षकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। किन्तु विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने बताया कि कम्प्यूटर खराब थे एवं किसी भी शिक्षक को कम्प्यूटर प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

एस आर आई ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कम्प्यूटर क्रय मद में पूरे राज्य के केवल 1.0 प्रतिशत प्रा. वि., 1.7 प्रतिशत उ. प्रा. वि. एवं 0.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने स. शि. अ. मद का उपयोग किया।

3-2-11 vuJo.k ,o eY;kdu

नौ जिलों एवं वि. शि. परि. प. के नमूना जाँच से पता चला कि दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से निदेशक, प्रा. शिक्षा तक किसी भी स्तर पर योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया गया। लेखाओं का त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं किया गया।

प्रखंड/संकुल संसाधन केन्द्रों के लिए भवन, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, प्रशिक्षित मानव बल एवं अन्य अंतः संरचनात्मक सुविधाओं के उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली इन केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। प्र. सू. प्र./का. प्र. सू. प्र. राज्य एवं जिलास्तर पर 2002–03 से कार्य करना प्रारंभ किया।

3-2-12 fu"d"k

सड़क, असक्त निस्सहाय बच्चों का एवं गृहवार सर्वेक्षण किए बिना ही वार्षिक एवं दूरगामी योजना बनायी गई। इसप्रकार योजनाएँ राज्य की सही तस्वीर नहीं दिखाती।

निधि की उपलब्धता के बावजूद अतिरिक्त वर्ग कक्ष, छात्राओं के लिए शौचालय, पेयजल सुविधा एवं विद्यालय भवन निर्माण इत्यादि जैसी अंतःसंरचनात्मक सुविधाएँ अपर्याप्त थीं एवं लक्षित असैनिक कार्यों का बहुत ही छोटा अंश पूर्ण हो सका।

छात्र शिक्षक अनुपात मानक से काफी ज्यादा था। शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरे गए एवं स. शि. अ. के तहत् आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। समग्र ड्रॉप आउट दर 52 प्रतिशत से ज्यादा थी एवं छः से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को 2003 तक विद्यालयों में नामांकित करने के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य में 33.15 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण अस्तित्व में नहीं था। कार्यक्रम के तहत् आवश्यक आँकड़े प्र. स. के. एवं स. स. के द्वारा संधारित नहीं किए गए क्योंकि इनके पास भवन, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं कुशल मानव बल जैसी मूलभूत अंतःसंरचना उपलब्ध नहीं थी।

परिषद् के निदेशक ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं की समीक्षा राज्य स्तरीय कार्यघटक से संबंधित व्यक्ति, जि. का. स. एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ की गई है। कार्य प्रणाली में सुधार एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

vu'kl k

- छात्राओं एवं अनु. जाति/अनु. जनजाति पर विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय से बाहर के सभी बच्चों का नामांकन कराने में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

- खास कर अंतःसंरचनात्मक सुविधाएँ, प्रदान करने के लिए एजेन्सियों द्वारा निधि का उपयोग समय सारिणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

- नीचे स्तर पर अनुश्रवण को सुदृढ़ एवं डायट को कार्यशील बनाया जाए।

उपर्युक्त बिन्दु सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे (सितम्बर 2006) ; इनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

[kk|] vkifÙk ,oa okf.kT; foHkkx

3-3 yf{kr tu forj.k ç.kkyh

eq[;kd"kZ.k

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को अनुदानित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली जून 1997 में लागू की गई। गरीबी रेखा से नीचे/ अन्त्योदय अन्न योजना (अ. अ. यो.) में शामिल परिवारों को चिह्नित करने के लिए मापदंड को मिश्रित कर देने के साथ ही साथ प्रखंडों में राशन कार्ड के वितरण के प्रमाणिक अभिलेख के अभाव से कार्यक्रम के निम्न स्तरीय प्रबंधन का पता चलता है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों के स्तर पर वितरण के अप्रमाणिक अभिलेख, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण, निष्क्रिय निगरानी समितियों के साथ–साथ गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता के कारण निर्दिष्ट परिवारों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया।

ch- ih- ,y- ifjokjksa dh igpku Hkkjr ljdkj dh ekxZnf'kZdk ds vuqlkj ugha dh xbZA uewuk tkWfpr ftyksa esa 92 ch- ih- ,y- lfp dks ftlesa 14614 ifjokj 'kkfey Fks] ukfer ljdkjh vf/kdkfj;ksa ds fcuk gh vfre :i fn;k x;kA

¼dafMdk 3-3-5-1½

7825 v- ;- ;ks- ifjokjksa ds ekeys esa vk;] mez ,oa firk dk uke tSls vko';d fooj.k xk;c FkkA

¼dafMdk 3-3-5-2½

ftyksa esa fpfàr ifjokjksa ls vf/kd jk'ku dkMZ Hkkts x,A jkgrkl ftys esa X;kjg gtkj jk'ku dkMZ v;ksX; ifjokjksa dks forfjr fd;k x;kA

¼dafMdk 3-3-6-1½

foHkkx us lfp esa ls 21 yk[k ch ih ,y ifjokjksa dks fudkyk rFkk mruh gh la[;k esa 'kkfey Hkh fd;k ysfdu fdlh Hkh vfHkys[k ds vHkko esa bu vkadMksa dh lR;rk lqfuf'pr ugha dh tk ldhA

¼dafMdk 3-3-6-2½

ch ih ,y ifjokjksa ds fy, [kk|kUu dk vkSlr mBko ekud ls dkQh de FkkA

¼dafMdk 3-3-7-1½

[kk|kUuksa ds xq.koÙkk dh tkWp ugha fd, tk jgs FksA

¼dafMdk 3-3-9½

mfpr ewY; dh nqdkuksa dk fujh{k.k ekud ls dkQh de dh xbZA jkT; esa fuxjkuh lfefr;kWa fuf"Ø; FkhA

¼dafMdk 3-3-10½

3-3-1 çLrkouk

भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) रहने वाले चिह्नित परिवारों को अनुदानित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु विशेष राशन कार्ड बाँटने के लिए मार्गदर्शिका निर्गत करते हुए लक्षित जन वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) प्रारंभ (जून 1997) किया। टी पी डी एस के तहत विशेष रूप से अनुदानित मूल्य पर चावल एवं

गेहूँ उपलब्ध कराते हुए समाज के निर्धनतम व्यक्ति की खाद्य समस्या दूर करने हेतु भारत सरकार ने अन्त्योदय अन्न योजना (अ अ यो) प्रारंभ (दिसंबर 2000) किया। जन वितरण प्रणाली के डीलरों के स्तर से गरीबों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न वितरण हेतु राज्यों के गरीबों को चिह्नित करने के लिए सुस्पष्ट व्यवस्था का क्रियान्वयन कर लागू करना था। बी पी एल परिवारों के आकलन के आधार पर भारत सरकार राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करती है। टी पी डी एस के तहत प्रत्येक बी पी एल परिवार प्रति माह जून 2001 तक 20 किलोग्राम, जुलाई 2001 से मार्च 2002 तक 25 कि.ग्रा. एवं अप्रील 2002 से 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न अनुदानित दर पर यथा 4.85 रुपये प्रति कि. ग्रा. गेहूँ एवं 6.35 रुपये प्रति कि. ग्रा. चावल के लिए अधिकृत था। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वाले परिवार गेहूँ 2 रुपये प्रति कि. ग्रा. एवं चावल 3 रुपये प्रति कि. ग्रा. की अनुदानित दर पर मार्च 2002 तक 25 कि.ग्रा. एवं अप्रील 2002 से 35 कि. ग्रा. प्रति माह खाद्यान्न के लिए अधिकृत थे।

3-3-2 lkxBfud <kpk

खाद्यान्न के आवंटन, उठाव एवं वितरण की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए शीर्ष स्तर पर सचिव, जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, अनुमंडलीय स्तर पर अनुमंडलाधिकारी/अतिरिक्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर विपणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक उत्तरदायी थे।

3-3-3 y[kkijh{kk dk mís';

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्येश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या :

- बी पी एल / अ अ यो परिवारों को चिह्नित करने में अपनाई गई प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिता से मेल खाती थी ;
- वितरण व्यवस्था प्रभावी एवं पारदर्शी थी, जिससे सभी लक्षित व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न पाना सुनिश्चित हो ;
- जन वितरण प्रणाली की दुकानों के स्तर पर वितरण तंत्र प्रभावी थी ;
- अनुश्रवण व्यवस्था समुचित थी।

3-3-4 y[kkijh{kk foLrkj ,oa ç.kkyh

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 8 जिलों[1] के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, 24 प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों तथा 96 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के 2001–2006 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच दिसंबर 2005 से फरवरी 2006 के दौरान की गई तथा जुलाई 2006 में उसे अद्यतन किया गया। सचिव, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्यि विभाग के साथ एंट्री कांफ्रेंस (दिसंबर 2005) करके लेखापरीक्षा का उद्देश्य, मानक एवं प्रणाली की व्याख्या कर लेखापरीक्षा प्रारंभ की गई। एक्जीट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2006) भी किया गया एवं विभाग का जवाब यथोचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

---

[1] *पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेतिया, गया, रोहतास, किसनगंज एवं लक्खीसराय*

3-3-5 igpku

3-3-5-1 xjhch js[kk ls uhps ds ifjokj

Hkkjr ljdkj dh ekxZnf'kZdk ds vuqlkj ch ih ,y ifjokjksa dks fpfàr ugha fd;k x;k

ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बी पी एल परिवारों को चिह्नित करने का मार्गदर्शन भारत सरकार ने निर्गत किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनों, खेतीहर मजदूरों, सीमांत किसानों, ग्रामीण कारीगर एवं दस्तकारों तथा शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों एवं अनियमित क्षेत्र में प्रतिदिन जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों जैसे वास्तविक निर्धन एवं अतिसंवेदनशील हिस्से को शामिल करना था। परिवारों की पहचान योजना आयोग के आकलन पर आधारित था।

योजना आयोग के विशेषज्ञ दल द्वारा चिह्नित (1997) 65.23 लाख बी पी एल परिवारों के आकलन के विरूद्ध 1997 में 61.63 लाख बी पी एल परिवारों की पहचान की गई जो अक्टूबर 2001 में 10 लाख अ अ यो परिवारों की पहचार के बाद घटकर 51.53 लाख रह गई। हाँलाकि नमूना जाँचित जिलों में यह पाया गया कि पहचान के लिए कोई घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं समेकित ग्रामीण विकास योजना के लिए तैयार बी पी एल सूची को ही मान लिया गया।

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ने राज्य के अ अ यो परिवार सहित 73.94 लाख बी पी एल परिवारों (2001 की जनगणना पर आधारित) की पहचान के लिए पुनसर्वेक्षण करने का आदेश निर्गत किया (अप्रील 2002) तथा निर्णय लिया कि पहचान ग्राम सभा के माध्यम से की जानी चाहिए जिसमें किसी नामित प्रखंड पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य थी। चिह्नित करने की अप्रील 2002 में शुरू की गई प्रक्रिया अभी तक (जुलाई 2006) जारी थी जबकि इसे दिसंबर 2002 तक पूरा हो जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप राज्य केवल 61.63 लाख बी पी एल / अ अ यो परिवारों के लिए ही खाद्यान्न प्राप्त कर रहा था। वर्ष 2001–06 के दौरान आवंटित 64.73 लाख मेट्रीक टन गेंहूँ एवं 45.50 मे. ट. चावल मे से केवल 25.62 लाख मे. ट. गेंहूँ एवं 4.50 मे. ट. चावल का ही वास्तविक उठाव हुआ। परिवारों को केवल 20000 रुपये वार्षिक आय से कम के एकमात्र मानक के आधार पर चिह्नित किया गया जबकि भारत सरकार के मन्तव्यानुसार बी पी एल परिवारों को चिह्नित करने के आय का आधार मानकीय आधार से भिन्न था।

सात नमूना जाँचित जिलों (पटना जिला को छोड़कर) के 14614 परिवारों वाले 92 बी पी एल सूचि को देखने से स्पष्ट होता था कि परिवारों की सूचि बिना किसी नाामित पदाधिकारी[2] के उपस्थिति के ही पूरी की गई।

3-3-5-2 vUR;kn; vUu ;kstuk ¼v v ;ks½ ifjokj

भारत सरकार ने सबसे अधिक निर्धनो के लिए 25 दिसंबर 2000 से अन्त्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया। इस योजना के लिए परिवारों की पहचान बी पी एल परिवारों की सूचि से की जानी थी। इसका सत्यापन दो महीनों के भीतर घर घर का सर्वेक्षण कर किया जाना था। करीब 10 लाख अ. अ. यो. परिवार राज्य भर में चिह्नित किए गए।

---

[2] *ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, सहकारित विस्तार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक*

निम्नलिखित प्राथमिकता समूह के अतिरिक्त पाँच लाख लोगों को शामिल करने के लिए सरकार ने योजना का विस्तार (जून 2003) किया :

- विधवा या लाईलाज व्यक्ति या अक्षम व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जिसकी जीविका सुनिश्चित न हो या जिसे सामाजिक सहायता प्राप्त न हो, द्वारा अगुआई वाला परिवार

- राजय में अपनी जनसंख्या के अनुपात में सभी आदिम जनजातीय परिवार

इस योजना को पुनः सितंबर 2004 एवं जून 2005 में विस्तारित किया गया ताकि प्रत्येक विस्तार में अतिरिक्त 10 लाख लोगों को शामिल किया जा सके।

vUR;kn; ifjokjk dh =fVi.k igpku

नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि परिवारों की पहचान के लिए बिना घर–घर सर्वेक्षण किए ग्राम सभा की मीटिंग में सूचि को तैयार किया गया एवं अंतिम रूप दिया गया।

100 अ अ यो सूचि जिसमें आठ जिलों के 7825 परिवार शामिल थे, को देखने से स्पष्ट हुआ कि 266 परिवारों की विवरणी, 4363 परिवारों की उम्र एवं आय तथा 1100 परिवारों के पिता का नाम दर्ज नहीं था एवं 19 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 2096 व्यक्तियों को बिना कोई कारण बताए चिह्नित किया गया था।

अतः घर–घर सर्वेक्षण नहीं करने से सूचि में अयोग्य व्यक्तियों को शामिल करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

3-3-5-3 v v ;k ifjokjk ij vfrfjä Hkkj

igpku e foyc d dkj.k v v ;k ifjokjk ij vfrfjä Hkkj

10 लाख अ अ यो परिवारों की पहचान छः महीने विलंब के बाद सितंबर 2001 में पूरी की गई। अन्य पाँच लाख लोगों की पहचार 29 माह के विलंब के बाद फरवरी 2006 में पूरी की गई। दूसरे विस्तार (4.80 लाख परिवार) एवं तीसरे विस्तार (5.20 लाख परिवार) से संबंधित पहचान की प्रक्रिया जारी थी जबकि उसे क्रमशः नवंबर 2004 एवं अगस्त 2005 में पूरी हो जानी चाहिए थी। अतः पहचान करने में विलंब के कारण अ अ यो परिवारों को बी पी एल के लिए निर्धारित दर पर खाद्यान्न को क्रय करना पड़ा जिससे अ अ यो परिवारों पर अतिरिक्त भार पड़ा।

3-3-6 jk'ku dkM

3-3-6-1 jk'ku dkM dk fuxeu

जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के तहत आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर राशन कार्ड निर्गत करना था। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग–अलग राशन कार्ड निर्गत करना था। राशन कार्ड के निर्गमन में निम्नलिखित स्पष्ट हुआ :

Nh ftyk e jk'ku dkM dh ykxr ol yh ugh xb

- चिह्नित किए जाने के एक माह के भीतर चिह्नित परिवारों से दो रुपये प्रति कार्ड लेकर विशिष्ट राशन कार्ड निर्गत करना था। नमूना जाँचित जिलों में 31.41 लाख राशन कार्ड का वितरण किया गया जिसके बदले दो रुपये प्रति कार्ड की दर से परिवारों से 62.82 लाख रुपये वसूल करनी थी लेकिन पटना एवं भागलपुर जिले में वास्तविक रूप से वितरित 6.40 लाख राशन कार्ड के लिए

केवल 4.65 लाख रुपये[3] ही वसूल किए गए। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) कि राशन कार्ड की लागत वसूलने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था।

- जिलों से चिह्नित परिवार से संबंधित पूर्ण विवरण प्राप्त कर विभाग द्वारा राशन कार्ड पर परिवारों के विवरण की छपाई करानी थी तथा विवरण छपाई के बाद राशन कार्ड को वितरण हेतु जिलों को भेज देना था। ऐसा देखा गया कि विभाग ने बी पी एल परिवारों के नाम एवं अन्य विवरण बिना दर्ज किए ही जिलों को सादा राशन कार्ड भेज दिया। राशन कार्ड पर परिवारों का विवरण नहीं छपाए जाने के कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

fpfàr ch ih ,y ifjokjk l vf/kd dkM forfjr fd, x,

- 61.63 लाख चिह्नि बी पी एल/अ अ यो परिवारों के बदले जिलों को परिवारों में वितरण हेतु बिना पुराना राशन कार्ड जमा किए 66.45 लाख राशन कार्ड भेजे गए। इस प्रकार विभाग ने लक्ष्य से करीब 10 प्रतिशत कार्ड अधिक निर्गत किया। अधिक सादे राशन कार्ड निर्गत करने से कार्ड के दुरूपयोग का खतरा था।

- विभाग ने रोहतास जिले में 1.63 लाख चिह्नित परिवारों के बदले 1.92 लाख बी पी एल राशन कार्ड भेजा जिसमें से 1.74 लाख राशन कार्ड वितरित किए गए। अतः 0.11 लाख राशन कार्ड अचिह्नित परिवारों को वितरित किया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) कि अतिरिक्त राशन कार्ड अनुमानित परिवारों के आधार पर भेजे गए जो वास्तविक संख्या से भिन्न हो सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिलों को राशन कार्ड भेजने के पहले वास्तविक परिवारों की संख्या सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए थी।

jk'ku dkM d forj.k dk vfHkys[k l/kkfjr ugh Fkk

- बी पी एल परिवारों को पुनः वितरित करने हेतु राशन कार्ड अनुमंडलों एवं प्रखंडों को भेजा गया लेकिन उनके वितरण से संबंधित कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया और न ही प्रखंड में राशन कार्ड के वितरण का कोई अभिलेख संधारित था।

3-3-6-2 jk'ku dkM dh NVuh

सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को उनके जिलों में बी पी एल / अ अ यो सूचि से अयोग्य परिवारों को हटाने एवं वैसे योग्य परिवार जो पहले चिह्नित नहीं किए गए थे उनको शामिल करने के लिए सूचि के सर्वेक्षण हेतु एक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

lHkh ueuk tkpr ftyk ,o foHkkx e Hkh uke gVk, tku ,o 'kkfey djus dk vk/kkj n'kkus okyk dkbZ vfHkys[k ugh Fkk

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सूचि की जाँच से स्पष्ट हुआ कि 2106526 परिवारों के नाम हटाए गए एवं उतने ही परिवारों के नाम शामिल किए गए। किसी भी प्रारंभिक अभिलेख के अभाव में जिसके आधार पर विभाग ने इस अंतिम सूचि को तैयार किया था, इन संख्यायों की परिशुद्धता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

नमूना जाँचित जिलों (मुजफ्फरपु, भागलपुर एवं लक्खीसराय) में सूचि में से 31363 बी पी एल परिवार हटाए गए एवं 12163 बी पी एल परिवार शामिल किए गए जबकि

---

[3] *पटना : 1.87 लाख रुपये तथा भागलपुर : 2.78 लाख रुपये*

विभाग द्वारा दी गई जानकारी में इन जिलों में हटाए गए एवं शामिल किए गए परिवारों की संख्या 191993 दर्शाई गई थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) कि विभागीय आँकड़े बी पी एल परिवारों के अनुमानित आकलन के 30 प्रतिशत पर आधारित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यक्तिगत लाभार्थी से संबंधित विशिष्ट सूचना के अभाव में अनुमानित आकलन के आधार पर अयोग्य परिवारों को हटाया एवं योग्य को शामिल नहीं किया जा सकता।

3-3-6-3 jk'ku dkM+ dk okf"kZd la'kks/ku

vkB esa ls lkr ftyksa esa ch- ih- ,y- ,oa v- v- ;ks- lwph dk okf"kZd la'kks/ku ugha fd;k x;k

जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में परिभाषित मानक के अनुसार राज्य सरकार को चिह्नित परिवारों की सूचि में कोई बदलाव के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी थी। इस प्रयोजन हेतु जिले के अधिकारियों के द्वारा बी पी एल/ अ अ यो सूचि का वार्षिक संशोधन करना था। हाँलाकि नमूना जाँचित आठ जिलों में से सात में यह नहीं किया गया। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में 42304 बी पी एल परिवारों में से 6491 अ अ यो परिवारों का चयन किया गया (अक्टूबर 2001) लेकिन अ. अ. यो. के अंतर्गत चयनित परिवारों के नाम बी पी एल परिवारों की सूचि से नहीं हटाए गए।

विभाग ने कहा (जुलाई 2006) कि नाम हटाए जाने एवं शामिल किए जाने की समीक्षा जिला स्तर पर होती है लेकिन कोई विशिष्ट उत्तर न तो विभाग द्वारा न ही जिले के अधिकारियों द्वारा ही दिया गया।

3-3-7 [kk|kUu dk mBko

3-3-7-1 ch ih ,y ifjokj

खाद्यान्न के शत प्रतिशत उठाव को सुनिश्चित करने के सरकार के निर्देश के बावजूद राज्य में 2001–06 की अवधि में 39.11 लाख मे. ट. कम गेहुँ एवं 41.03 लाख मे. ट. कम चावल का उठाव किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में हैं :

¼vkadM+s yk[k es- V- esa½

o"kZ	vkcaVu		mBko		de mBko		izfr ekg izfr ifjokj vkSlr mBko	
	xsgwa	pkoy	xsgwa	pkoy	xsgwa	pkoy	xsgwa	pkoy
2001–02	13.31	8.88	3.11	0.66	10.20(77)	8.22 (93)	5.01	1.06
2002–03	13.31	8.88	4.02	0.45	9.29(70)	8.43(95)	6.48	0.73
2003–04	13.31	8.88	6.03	0.60	7.28(55)	8.28(93)	9.74	0.96
2004–05	13.31	8.88	6.72	1.32	6.59(49)	7.56(85)	10.85	2.14
2005–06	11.49	10.01	5.74	1.47	5.75(50)	8.54(85)	9.26	0.96
dqy	64-73	45-53	25-62	4-50	39-11¼60½	41-03¼90½		

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।)

vkcafVr dksVk ugha mBkus ds dkj.k [kk|kUu ls oafpr

खाद्यान्न के कम उठाव के कारण राज्य में 2001–06 की अवधि में 23 लाख से 40 लाख बी पी एल परिवार अनुदानित गेहूँ एवं 45 लाख से 50 लाख परिवार अनुदानित चावल से वंचित रहे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) बी पी एल परिवारों का अधिकांश सीमांत किसानों एवं खेतीहर मजदूरों का था तथा वर्ष के अधिक अवधि में उन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता

नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने खाद्यान्न का आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया था।

3-3-7-2 vUR;kn; vUu ;ktuk ifjokj

अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 2001–06 की अवधि में उठाए गए खाद्यान्न का विवरण निम्न था :

¼yk[k ,e Vh½

o"k	vkcVu		mBko		de mBko	
	xg	pkoy	xg	pkoy	xg	pkoy
2001–02	0.90	0.60	0.69	0.46	0.21	0.14
2002–03	2.52	1.68	1.53	0.98	0.99	0.70
2003–04	2.52	1.68	2.43	1.57	0.09	0.11
2004–05	2.52	1.68	2.37	1.55	0.15	0.13
2005–06	2.73	1.82	2.58	1.67	0.15	0.15
dy	11-19	7-46	9-60	6-23	1-59	1-23

सारणी से स्पष्ट है कि उठाव प्रारंभिक वर्षों में ठीक नहीं था लेकिन 2004–05 को छोड़कर बाद में इसमें सुधार हुआ। बी पी एल की तुलना में अ अ यो के तहत खाद्यान्न का उठाव बेहतर था जिसका कारण अ अ यो ख़ा्ान्न के लिए ज. वि. प्र. डीलरों द्वारा कम कीमत का भुगतान हो सकता है।

3-3-7-3 ,l ,Q lh ,o t fo i Mhyjk d vkdMk e folxfr

नमूना जाँचित जिलों (मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं रोहतास) के एस एफ सी एवं ज वि प्र द्वारा दी गई खाद्यान्न विवरणी की जाँच में 2001–06 की अवधि में कुल खरीद एवं वितरण के आँकड़ों में भिन्नता थी जिसका विवरण निम्न सारणी में है :

¼vkdM yk[k ,e Vh½

o"k	,l ,Q lh }kjk mBko		t fo ç Mhyjk dk forfjr		vrj	
	xg	pkoy	xg	pkoy	xg	pkoy
2002–03	0.52	0.07	0.48	0.07	0.04	0.00
2003–04	0.80	0.17	0.79	0.16	0.01	0.01
2004–05	0.86	0.31	0.76	0.29	0.10	0.02
2005–06	0.56	0.27	0.55	0.27	0.01	0.00
dy	2-74	0-82	2-58	0-79	0-16	0-03

एस एफ सी द्वारा उठाव एवं वितरण की विसंगति का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि कुल खरीद एवं वितरण का मासिक विवरण उपलब्ध नहीं था। जिला प्रबंधक, एस एफ सी, मुजफ्फरपुर ने कहा कि बी पी एल खाद्यान्न की शेष मात्रा को मध्याह्न भोजन एवं बाढ़ सहायता जैसी अन्य योजनाओं के लिए भंडार का हस्तांतरण कर विचलित किया गया था, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया। विभाग ने इस बिंदु पर एस एफ सी से स्पष्टीकरण माँगा है।

3-3-8 t- fo- ç- dh nqdku

3-3-8-1 t- fo- ç- dh nqdkuk dk fØ;kdyki

खाद्यान्नों के प्रभावी वितरण के लिए टी पी डी एस में ज वि प्र डीलरों के तंत्र का विचार किया गया था। वितरण के लिए ज वि प्र दुकानों को खोलने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी। राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक व्यवस्था

सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 1900 व्यक्तियों (307 परिवार) एवं शहरी क्षेत्र में 1350 व्यक्तियों (219 परिवार) के लिए एक ज वि प्र दुकानों का मानक निर्धारित किया। यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि किसी भी परिवार को ज वि प्र दुकानों तक पुहँचने के लिए तीन किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़े। राज्य में कुल 44317 ज वि प्र की दुकानें कार्यरत थी।

नमूना जाँचित 96 ज. वि. प्र. डीलरों में से किसी ने भी फार्म–अ में भंडार विवरणी जमा नहीं किया था जैसा कि ज वि प्र (नियंत्रण) आदेश 2001 के तहत अपेक्षित था। राशन कार्ड पंजी, इकाई पंजी, शिकायत पंजी, भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं निरीक्षण सह सुझाव पंजी का संधारण नहीं किया गया था। ज वि प्र डीलरों ने खाद्यान्न के उपलब्ध भंडार का विवरण एवं राशनकार्ड धारकों की संख्या को प्रदर्शित नहीं किया था। भंडार एवं वितरण पंजी को आपूत्रि निरीक्षकों से सत्यापित नहीं कराया गया था। कैशमेमो या तो निर्गत नहीं किया गये थे या बिना मशीन नंबर के थे।

23 प्रखंडो की नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि मानक से 10 प्रखंडों में 352 ज वि प्र दुकाने (शहरी : 250 तथा ग्रामीण : 102) अधिक थी तथा आठ प्रखंडों में 339 ज वि प्र दुकानें (शहरी : 45 तथा ग्रामीण : 294) कम थीं। इसके अतिरिक्त पाँच प्रखंडों में मानक से 62 ज वि प्र दुकाने (शहरी : 26 तथा ग्रामीण : 36) अधिक तथा 52 दुकानें (शहरी : 13 एवं ग्रामीण : 39) कम थीं।

मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं रोहतास जिलों में बी पी एल श्रेणी के 26.72 लाख रुपये मूल्य के 6992 मे ट खाद्यान्न (गेहूँ 3458.37 तथा चावल 1565.44 मे ट) अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया था। 74 डीलरों के विरूद्ध खाद्यान्न के दुर्विनियोजन/कालाबाजारी का एफ आई आर दर्ज (2004–05 एवं 2005–06 की अवधि में) किया गया था। विभाग ने निर्देश दिया (जनवरी 2006) कि ज वि प्र की दुकानों के डीलरों द्वारा अभिलेख का समुचित संधारण किया जाना चाहिए नहीं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

3-3-8-2 tu forj.k ç.kkyh dk Mhyjksa dh 0;ogk;Zrk

आठ जिलों के नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि 96 ज वि प्र के डीलरों की बी पी एल/अ अ यो खाद्यान्न की बिक्री के कमीशन से 200 रुपये से 1000 रुपये के बीच मासिक आय थी। ज. वि. प्र. की दुकानों से कम आय दुकान मालिकों को कदाचार के लिए प्रोत्साहित करेगी। योजना आयोग की कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययन दल ने भी दर्शाया था (2005) कि 500 से कम आबादी वाले तथा किसी तरह से जुड़े हुए गाँवों के लिए इलमी अव्यवहार्यता अन्तर्निहित थी। राज्य में ऐसे बहुत गाँव हैं। ऐसे गाँवों में यह प्रणाली वस्तुतः अक्रियाशील है क्योंकि डीलर अपनी दुकानें नियमित रूप से नहीं खोलते हैं। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) कि उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए किरासन पर कमीशन बढ़ा दिया गया है।

3-3-9 [kk|kUuksa dh xq.koÙkk tkap

[kk|kUuksa dh xq.koÙkk tkap ugha dh xbZ

राज्य सरकार को आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा एस एफ सी गोदाम एवं ज वि प्र डीलरों से लिए गए नमूने की गुणवत्ता जाँच कराकर अच्छे गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना था। खाद्याान्नों की गुणवत्ता जाँच करने की सुविधा 2001–06 की अवधि में किसी भी स्तर पर विद्यमान नहीं थी।

विभाग ने कहा (जुलाई 2006) कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता जाँच के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है तथा इसका अनुश्रवण राज्य स्तर पर किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राजय में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी।

3-3-10 vu|Jo.k ,o eY;kdu

राज्य सरकार वितरण के लिए ज वि प्र के प्रभावी तंत्र बनाने एवं इसके अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थी। प्रत्येक स्तर पर निगरानी समिति का गठन करना था। जिलाधिकारियों को साप्ताहित समीक्षा बैठक करनी थी।

आठ जिलो के अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण मानक से काफी कम था। आठ नमूना जाँचित जिलों में 2001–06 की अवधि में निरीक्षण की प्रतिशतता में कमी 93 तथा 100 प्रतिशत थी। राज्य में निगरानी समिति अक्रियाशील थी। विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) कि जन वितरण प्रणाली के अनुश्रवण के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने पर विचार कर रही है।

विभाग की मासिक समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त से स्पष्ट था कि विभाग ने कम उठाव, अपर्याप्त निरीक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में निरंतर चिंता जाहिर की थी। जिलों में अनुदेशों का पालन नहीं किया गया क्योंकि जिलों के अधिकारी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थे।

विभागीय स्तर पर समेकन हेतु जिलों के द्वारा ज वि प्र के क्रियाकलाप का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि ज वि प्र (नियंत्रण) आदेश 2001 के तहत निर्धारित था। जिलों में एन आई सी केनद्र की स्थापना कर कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ज वि प्र डीलरों के क्रियाकलाप की अनुश्रवण की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के ज वि प्र के अध्ययन से स्पष्ट हुआ (2005) कि अनुदानित खाद्यान्न का अधिकांश राज्य में लक्षित समूह तक नहीं पहुँचा। इसप्रकार गरीब परिवारों को लाभ पहुँचाने का टी पी डी एस का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

3-3-11 fu"d"k

विभाग ने बी पी एल परिवारों को पहचान के लिए परिवार के सर्वेक्षण संबंधी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक का पालन नहीं किया। 2002 की मार्गदर्शिका पर आधारित पुर्नसर्वेक्षण अभी तक जारी था जो परिवारों को चिह्नित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने में सरकार की विफलता दर्शाता था। प्रखंडों में बी पी एल/ अ अ यो परिवारों को वितरित राशन कार्ड के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध नहीं था। बी पी एल परिवार कम उठाव के कोरण खाद्यान्न से वंचित रहे। ज. वि. प्र. की दुकानों द्वारा की गई प्रविष्टि की प्रमाणिकता सत्यापित करने हेतु निरीक्षण नहीं किया गया। राज्य में खाद्यान्नों की गुणवत्ता जाँच के लिए कोई प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था। राज्य में निगरानी समिति अक्रियाशील थी। विभाग द्वारा अनुश्रवण अप्रभावी था।

vu|'kalk

- भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप बी पी एल/ अ अ यो की पहचान की जानी चाहिए।

- अनुदानित खाद्यान्नों के किसी भी तरह के अनधिकृत विचलन को रोकने हेतु सरकारी अधिकारियों द्वारा ज वि प्र डीलरों एवं एस एफ सी गोदामों के स्तर पर भंडार एवं वितरण संबंधी अभिलेख का सावधिक निरीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिए।

- खाद्यान्नों की गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

- निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- जन वितरण प्रणाली के क्रियाकलाप का अनुश्रवण एन आई सी कम्पयुटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाना चाहिए, जैसा कि ज वि प्र (नियंत्रण) आदेश 2001 के तहत अपेक्षित था।

उपर्युक्त मामले सरकार को प्रेषित किए गए (जुलाइ 2006) ; प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2006) को समीक्षा में यथोचित स्थान पर शामिल कर लिया गया है।

i;koj.k ,o ou foHkkx

3-4 okfYedh C;k?k ifj;kstuk

e[;kd"k.k

बिहार में ब्याघ्रों को विवेकसंगत आबादी सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, वाल्मिकी ब्याघ्र परियोजना बिहार में क्रियान्वित की गयी है। हालाँकि योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किए जाने, योजना में त्रुटी तथा अपर्याप्त निधि की विमुक्ति किए जाने के कारण आरक्षित क्षेत्र में विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया संरक्षण एवं सुरक्षात्मक उपाय सामान्यतया अप्रभावी रहा।

o"k 2000&01 l 2003&04 rd pkj o"kk rd çcU/ku ;kstuk ugh FkkA o"k 2004&14 rd dh çcU/ku ;kstuk ifj;kstuk fun'kky; d l>ko dk lfEefyr dju grq tu 2006 rd iujh{k.k dk;l d rgr gh FkkA

¼dfMdk 3-4-5-2½

uikfy;k d }kjk vfrØfer Hkfe ¼2152 gDV;j½ dk [kkyh djokus d fy, o"k 1988 l gh dkbl dkjokbl ugh dh x;hA

¼dfMdk 3-4-7-4½

ck?kk dh vkcknh dk okf"kd vkdyu ugh fd;k x;k FkkA okfYedh C;k?k ifj;kstuk e o"k 2002 e ck?kk dh vkcknh 56 Fkh tks ?kVdj 2005 e 33 gks x;hA o"k 2002 e uj@eknk dk vuqikr 2%1 Fkk tks myVdj o"k 2005 e 1%2 gks x;k tks vkjf{kr {ks= e ck?kk dh vkcknh d vokLrfod vkdMs dks n'kkrk FkkA C;k?k nf"Vxkpj ifrofnr ¼ikf{kd çfronu½ dju dh ç.kkyh vLrhRo e ugh FkhA

¼dfMdk 3-4-8-6½

bdks&fodkl d fy, v.kqoh{k.k ;kstuk dh 'kq:vkr ugh dh x;h FkhA

¼dfMdk 3-4-12½

oU; thou dk jkT; Lrjh; i"kn ¼,l ch MCyw ,y½ Hkh vdk;l'khy FkkA tu 2006 rd C;k?k lqj{k.k dk"kkx ugh cuk;h x;h FkhA

¼dfMdk 3-4-13½

3-4-1 çLrkouk

भारत में महत्त्वपूर्ण स्तनदायी परभक्षी में से एक बाघ है, जो तृण भोजी पशुओं की आबादी को नियंत्रण में रखता है जिसके परिणामस्वरूप वनस्पति जीवन की वृद्धि हो पाती है एवं इस प्रकार यह धरती को अनावृत्त होने से बचाता है। इसकी उपस्थिति से क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिति के शक्तिक्षय में रोक लगाने एवं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलता है। इस पशु का प्राकृतिक निवास स्थान संकुचित हो जाने, उसके भोज्य जीवों का विनाश तथा छाल एवं अंग विशेषों के लिए इसका अवैध शिकार किए जाने के कारणवश बीसवीं शताब्दी के मध्य से यह पशु विलोप के तट पहुँच चुका है।

बाघों की समुचित आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करने एवं भावी पीढ़ी को लाभ, शिक्षा तथा उपभोग के लिए हमारे राष्ट्रीय धरोहर के वैसे भागों को सदैव अभिरक्षित करने हेतु भारत सरकार (भा. स.) ने ''ब्याघ्र परियोजना'' चालू किया (अप्रैल 1973।

भारत सरकार ने (जनवरी 1990)कोर क्षेत्र के रूप में 336 वर्ग कि. मी. तथा शेष बफर क्षेत्र के रूप में 336 वर्ग कि. मी. के साथ कुल 840 वर्ग कि. मी. में वाल्मिकी ब्याघ्र परियोजना के स्थापना को अनुमोदित किया। बिहार में वाल्मिकी ब्याघ्र परियोजना की प्रबन्धन वर्ष 1994 तक बिहार राज्य वन विकास निगम तथा उसके बाद पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा होता था। ब्याघ्र परियोजना निदेशालय (पी टी डी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ), नई दिल्ली ब्याघ्र परियोजना को तकनिकी दिशा–निर्देश, बजटीय सहायता, समन्वयन प्रदान करने, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु जिम्मेवार है जबकि परियोजना का प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन राज्य सरकार के अधीन है।

3-4-2 l xBukRed <kpk

पर्यावरण एवं वन विभाग के सचिव सह आयुक्त उच्चतम स्तर पर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी सी सी एफ) विभागीय स्तर पर प्रधान हैं। पी सी सी एफ को मुख्य वन संरक्षक (सी सी एफ)/मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र निदेशक, जो बेतिया में अवस्थित हैं के पास वा. व्याघ्र परियोजना का समग्र जिम्मेवारी है। दो उप–निदेशक, छः क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वन रक्षक क्षेत्र निदेशक को सहायता प्रदान करते हैं।

3-4-3 y[kkijh{kk mís';

ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में बाघों के संरक्षण एवं सुरक्षा को आँकने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को जाँचना था कि :

- ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों की अनुमोदित प्राथमिकता एवं चिह्नित आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का आवंटन ;
- आयोजना, संरक्षण एवं सुरक्षात्मक उपायों की पर्याप्तता ;
- जनमानस की बस्ती एवं अन्य भूमि के उपयोग के कारण बाघों के प्राकृतिक निवास के जैवीय बाधा को कम करने के लिए उठाए गए कदम की प्रभावकारिता ;
- ब्याघ्र परियोजना के दिशा–निर्देश के अनुरूप प्रगतिवर्द्धक गतिविधियों की पर्याप्तता ; तथा
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति की प्रभावकारिता।

3-4-4 y[kkijh{kk dk {k= ,o ç.kkyh

जनवरी 2006 में सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, पी सी सी एफ एवं सी सी एफ सह सी डब्लू एल डब्लू के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं प्रणाली की विवेचना की गयी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, क्षेत्र निदेशक (ब्याघ्र परियोजना), वा. व्या. परियोजना, बेतिया तथा बेतिया अवस्थित दो उप निदेशकों और छः क्षेत्र पदाधिकारियों के वर्ष 2000–05 से सम्बन्धित अभिलेखों (वर्ष 2005–06 का सम्मिलित करते हुए आँकड़ों को नवीकृत किया गया) की जाँच दिसम्बर 2005 एवं जून 206 के मध्य की गयी। लेखापरीक्षा के फलाफल एवं अनुसंशाओं पर विमर्श करने के लिए जुलाई 2006 में निकास सम्मेलन

आयोजित किया गया था। विभाग के विचारों को समीक्षा में समाविष्ट कर दिया गया हैं।

3-4-5 vk;kstuk

3-4-5-1 vkjafHkd v/;;u

uoha ,oa nloha ;kstuk vof/k ds nkSjku 0;k- ifj;kstuk dh fujarjrk tkjh j[kus dh vko';drk dk vkdyu djus ds fy, iFkd losZ{k.k@v/;;u ugha djk;k x;k

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम ओ ई एफ), भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में वा. व्या. परियोजना ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। नवीं एवं दसवीं योजना अवधियों के दोरान ब्याघ्र परियोजना की निरंतरता जारी रखने की आवश्यकता को आँकने के लिए क्षेत्र निदेशालय द्वारा कोई भी पृथक सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं कराया गया। हालाँकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में ब्याघ्र परियोजना के द्वारा खतरे में पड़े जीवों की अभिरक्षा, अभिरक्षित क्षेत्रों में तंत्र संस्थापन, उनके रखरखाव एवं विकास के लिए योजना को निरंतर जारी रखने को उचित ठहरायाा गया था।

3-4-5-2 çcU/ku ;kstuk ,oa dk;Z lapkyu dh okf"kZd ;kstuk

pkj o"kksZa ds izcU/k ;kstuk rS;kj ugha fd, x, Fks ,oa o"kZ 2004&14 ds ç- ;k- vi;kIr iqjh{k.k çfØ;k esa Fks

यह पाया गया कि वर्ष 1990 में वा. व्या. परियोजना की स्थापना के समय 1990–2000 की अवधि के लिए प्रबन्धन योजना तैयार की गयी थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि वर्ष 2000–04 के लिए प्र. योजना तैयार की गयी थी। हाँलाकि वर्ष 2004–14 की अवधि के लिए प्र. योजना तैयार की गयी थी परन्तु भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है (मार्च 2006)। प्रबन्धन योजना तैयार नहीं किये जाने के कारण क्षेत्र निदेशालय के अभिलेख में नहीं थे।

प्रबन्धन योजना ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र द्वारा तैयार किया जाता है एवं राज्य सरकार तथा एम ओ ई एफ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान (डब्लू आई आई), देहरादून के अनुसार प्र. योजना एक ऐसा साधन है जो ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत संसाधनों को व्यवस्थित करने में नीतिगत कार्रवाई को सुनिश्चित करती है। प्र. योजना नहीं रहने पर अनेक गैर महत्त्वपूर्ण कार्य ही कर लिए जाने की संभावना हो सकती है। वर्ष 2000–06 के दौरान कार्य संचालन की वार्षिक योजनाएँ (ए पी ओ) राज्य सरकार द्वारा ती से नौ महीनों के विलम्ब के साथ भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे गये थे। ए पी ओ को अनुमोदित कराने हेतु इसे उपस्थापित किए जाने में विलम्ब किए जाने से कार्यों का समय पर समापन एवं निधि की विमुक्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3-4-6 foÙkh; çcU/ku

3-4-6-1 foÙk 0;oLFkk dh i)fr

ब्याघ्र परियोजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1973 में प्रारंभ की गयी। वर्ष 1980–81 एवं तदनन्तर आवर्ती व्यय केन्द्र एवं राज्यों के द्वारा समान अनुपात में किया जाता था। हाँलाकि केन्द्र के द्वारा अनावर्ती व्ययों का 100 प्रतिशत पूरा किया जाना जारी था। ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नववीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया परियोजना भत्ता पर सकल व्यय के साथ–साथ ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र से परिवारों के पुर्नस्थापन पर होने वाले सकल व्यय को भी केन्द्र सरकार पूरा करती थी। राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी निधि राज्य बजट के माध्यम से परियोजना को विमुक्त किये गये थे।

3-4-6-2 fuf/k dh foeqfDr

वर्ष 2000–06 के दोरान परियोजना के लिए निधि का आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार थे :

¼djksM #i;s esa½

o"kZ	, ih , e vuqekfnr fuf/k		foeqDr fuf/k		;ksx	0;;	cpr ¼&½@ vkf/kD; ¼$½
	dsUnz	jkT;	dsUnz	jkT;			
2000–01	1.13	0.44	1.07	0.22	1.29	0.35	(–)0.94
2001–02	0.84	0.40	0.50	0.35	0.85	0.62	(–)0.23
2002–03	0.57	0.06	0.25	0.06	0.31	0.96	(+)0.65
2003–04	0.81	0.10	0.50	0.05	0.55	0.67	(+)0.12
2004–05	1.19	0.13	0.85	0.13	0.98	0.49	(–)0.49
2005–06	0.96	0.30	0.45	0.28	0.73	0.92	(–)0.19
;ksx	5-50	1-43	3-62	1-09	4-71	4-01	¼&½0-70

o"kZ 2000&06 ds nkSjku ifj;kstuk fuf/k;ksa dks mi;ksx djus esa foQy jgk

तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2000–06 की अवधि के दौरान 5.50 करोड़ रुपये की पात्रता के विरूद्ध मात्र 3.62 करोड़ रुपये ही विमुक्त किए गए एवं व्यय मात्र 4.01 करोड़ रुपये ही थी।

3-4-6-3 leku :i ls va'knku dh de foeqfDr

ब्याघ्र परियोजना के निधि व्यवस्था की पद्धति के अनुसार आवर्त्ती व्यय में राज्य एवं केनद्र सरकार को समान अनुपात में अंशदान देना था। तथापि वर्ष 2000–06 के दौरान 1.43 करोड़ रुपये के राज्यांश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 1.09 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराए गए थे। समानरूपी अंशदान की विमुक्ति 24 प्रतिशत कम की गयी थी।

3-4-7 tSoh; ncko

3-4-7-1 C;k?kz vkjf{kr {ks= ds fy, ekud

eu"; ds lkFk&lkFk oU; fo|eku ugha jg ldrs gSa

मानव उपयोग रहित प्राकृतिक निवास में बाघों की आबादी अच्छी तरह प्रजनित एवं द्रुतगति से बढ़ती है। मनुष्य के साथ–साथ खासकर उन परिस्थितियों में जहाँ जनमानस का प्रभाव एवं पालतू पशुओं का चरना दोनों निरन्तर बढ़ रहे हों, वे नहीं रह सकते हैं। अतः दीर्घ काल तक बाघों की उत्तरजीविता इस बात पर निर्भर करता है कि सुरक्षित क्षेत्र, जहाँ वे रहते हैं, कितना निर्भय एवं अविध्न है। अत': प्रबन्धन उद्देश्यों के लिए प्रत्येक ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र को मोटे तौर पर 'कोर' एवं 'बफर' दो भागों में विभक्त किया गया है। 'कोर' क्षेत्र में वानिकी कार्य संचालन, वन उत्पाद का संग्रहण, चारागाह, मनुष्य का वास एवं अन्य मानव व्यवधान अनुज्ञेय नहीं है। 'बफर' क्षेत्र में कठोरता पूर्वक नियंत्रित वन्य जीव उन्मुखी वानिकी कार्य संचालन एवं चारागाह अनुज्ञेय है।

वा. व्या. परियोजना का क्षेत्रफल 840 वर्ग कि. मी. था एवं सीमाएँ वैधानिक रूप से अधिसूचित थीं तथापि अर्न्राष्ट्रीय सीमाएँ (70 कि. मी.) तथा निजी भूमि की सीमाओं को सीमा स्तम्भ डालते हुए पृथक नहीं किए गए थे।

3-4-7-2 vU; foHkkxksa ds dk;Zdykiksa ds dkj.k tSoh; ncko

मदनपुर क्षेत्र तीन नहरों एवं वा. ब्या. परियोजना के शेष वन के कृषियोग्य खेतों के द्वारा विखण्डित था एवं कोई प्राकृतिक गलियारा नहीं था। भारतीय वन्य जीवन संस्थान (डब्लू. आई. आई.) के अनुसार गलियारा का नहीं रहना पशु के प्राकृतिक निवास स्थान को अलग–थलग कर देना होगा। अगर यह प्राकृतिक निवास स्थल छोटा है तब इसमें स्तनपायी वृहत या बाघों जैसी उच्च मांसाहारी की छोटी आबादी होगी। छोटी होती

आबादी से उनके बीच अपनों को ही मार देने की सम्भावना हो जती है एवं इस प्रकार अपर्याप्त जनन विविधता के कारणवश बाद में ये समाप्त हो जा सकते हैं।

वा. व्या. परियोजना का उनसठ हेक्टेयार भूमि 'बफर' क्षेत्र होते हुए बगहा–छितौनी रेलमार्ग के निर्माण हेतु सन् 1992 में भारतीय रेल को स्थानान्तरित कर दिया गया। रेल मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप भूमि का एक वृहत भाग जलमग्न रहता है परिणामतः वन्य जीवों के आवागमन में व्यवधान होता है। पी सी सी एफ ने बताया (जुलाई 2006) कि जल जमाव को दूर करने के लिए आर–पार निकास नाली के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया था। न्यायालय का निर्णय लम्बित है (मार्च 2006)।

आश्रयाणी क्षेत्र होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ भी गुजर रहा था। तथापि, इसके प्रभाव को आँकने के लिए यातायात गणना अद्यपर्यन्त नहीं किया गया है (जून 2006)। सावधिक गश्ती, समयानुसार मवेशी का टीकाकरण एवं स्थानीच लोगों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करते हुए आग, अवैध शिकार, रोग, इमारती लकड़ी की कटाई तथा जैवीय हस्तक्षेप से ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र को सुरक्षा देकर पशुओं के प्राकृतिक निवास स्थान पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कोई उपाय नही प्रारंभ किए गए थे।

3-4-7-3 C;k?k vkjf{kr {k= e| c l jg| ifjokjk dk iuLFkkiu

^dkj^ ,o ^cQj^ {k= d utnhd d xkok d iuokl d fy, dkbl ;kstuk ugh Fkh

वा. व्या. परियोजना के सुरक्षित क्षेत्र की एक कि. मी. की परिधि (जिसमें 'कोर' एवं 'बफर' क्षेत्र दोनों सम्मिलित थे) में 149 गाँव अवस्थित थे। इन गाँवों के निकासियों को सुरक्षित क्षेत्र के बीचों–बीच होकर यात्रा करना पड़ता है चूँकि कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। ये ग्रामीण अपने–अपने मवेशियों को वनों में चराते आ रहें हैं चूँकि जंगल के साथ का चारागाह एवं इसके साथ ग्रामीणों की जमीन को पृथक करने के लिए कुछ भी नहीं हैं। इन गाँवों के लोग वृक्षों की अवैध कटाई एवं अवैध शिकार जैसी वन सम्बन्धी अन्य नाजायज कार्यों में लीन रहते हैं। इन गाँवों एवं निवास स्थलों को स्थानान्तरित एवं पुर्नवासित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तय नहीं किया गया था।

3-4-7-4 l|jf{kr {k= dk vfrØe.k

वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, के अनुच्छेद 27 के अनुसार अधिनियम के अनुच्छेद विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आश्रायणी अथवा किसी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश या रह नहीं सकेगा एवं मात्र अधिनियम के अनुच्छेद 28 के तहत शर्त्तो के अनुरूप निर्गत किए गए अनुज्ञप्ति धारक ही इसके अपवाद होंगे। अधिनियम के प्रावधान के प्रतिकूल अगर कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर दखल कर लेता है तब उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 34 ए के अनुसार न्यूनतम सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी में उस व्यक्ति को राष्ट्रीय उद्यान से बेदखल कर देने की शक्ति निहीत थी। ऐसे पदाधिकारी में अनधिकृत संरचना, भवन या किसी सरकारी भूमि पर खड़ा किए गए निर्माण कार्य को हटा देने की शक्ति भी निहीत थी।

186 हेक्टेयर अतिक्रमित किए गए भूमि में से 67 हेक्टेयर भूमि प्रत्यर्पित करा ली गयी एवं 50 हेक्टेयर के लिए न्यायालय में अतिक्रमयण का प्रतिवाद लम्बित था लेकिन शेष अतिक्रमित भूमि 69 हेक्टेयर की वापसी हेतु कोई कदम उठाया गया नहीं लगता है। इसके अलावे 5380 एकड़ (2152 हेक्टेयर) वन भूमि नेपालियों द्वारा अतिक्रमित (वर्ष 1988 से) कर लिए गए लेकिन इसे खाली कराए जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

3-4-7-5 voØfer ikdfrd fuokl LFkyk dh okilh

ok- 0;k- ifj;kstuk dk i;kZoj.k dh çfr laonu'khy ?kkf"kr ugha fd;k x;k

मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार ने सुरक्षित क्षेत्र के किनारे बसे हुए 500 वर्ग कि. मी. में समाविष्ट 149 गाँवों को पर्यावरण के रूप में नाजुक चिह्नित किया गया था लेकिन प्रस्ताव को बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया (मार्च 2006)। हाँलाकि वर्ष 2003 में, अवक्रमित वनों के 150 हेक्टेयर (1.5 वर्ग कि. मी.) के लघु क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया था।

3-4-8 ck?kkk dh lqj{kk

3-4-8-1 vo/k xfrfof/k dk ewY;kadu ,oa vuqJo.k

वाल्मिकी ब्याघ्र परियोजना में अवैध गतिविधियों के विस्तार को आँकने हेतु विभाग ने सुरक्षात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। यद्यपि वन्य प्राणी मामलों से जुड़े प्रतिवादों के अनुश्रवण एवं निस्तार के मामले में सुब्रमणियम समिति (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई 1994 में गठित) की अनुसंशा का अनुपालन तथा राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्यान्वयन योजना (एन डब्लू ए पी) में परिकल्पित वन्य प्राणी अपराध कोषांग का गठन तक नहीं किया गया था।

3-4-8-2 vi;kZIr x'rh

आग, अवैध कटाई, अवैध शिकार, जंगली जानवरों के अंगों का व्यापार का जोखिम एवं जैविय बाधा पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण व्यवस्था को सुरक्षित करने हेतु गश्ती शिविरों का गठन किया जाना था। डब्लू आई आई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गश्ती शिविर को एक दिन में 25–30 वर्ग कि.मी. गश्ती क्षेत्र को अच्छादित करना था। लगभग 840 वर्ग कि. मी. के आरक्षित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में 34–35 शिविरों का गठन किया जाना अपेक्षित था। यह पाया गया कि आरक्षित क्षेत्र में वर्ष 2000–06 के दौरान मात्र सात गश्ती शिविर संचालित किए जा रहे थे तथा उन्हें गश्ती के लिए वाहन उपलबध नहीं कराया गया था। परिणामस्वरूप प्रभावी गश्ती सम्भव नहीं था।

3-4-8-3 vL=&'kL= ,oa dkjrwl

वन्य कर्मी को अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार का विरोध करने के लिए मिश्रित हथियार एवं अन्य औजारों से लैस करना अपेखित है। वन रक्षकों को अस्त्र–शस्त्र एवं कारतूस उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

3-4-8-4 lapkj ra= dk vHkko

lapkj dh fy, ok;jysl LVs'ku vi;kZIr Fkk

आग, अवैध शिकार, इमारती लकड़ी की कटाई, घास चराना, अतिक्रमण एवं अन्य अवैध गतिविधियों से बचाव के लिए संचार एक कुंजी का काम करता हैं। विनिर्दिष्ट मानक के अभाव में संचार उपकरण की पर्याप्तता को आँका नहीं जा सका। छः क्षेत्रों, 20 बीटों एवं पाँच चेक पोस्टों के लिए 31 वायरलेस स्टेशन अपेक्षित थे जिसके विरूद्ध मात्र 11 वायरलेस स्टेशन ही स्थापित किए गए थे एवं उसमें से मात्र नौ (आठ क्षेत्रीय स्तर पर एवं एक मुख्यालय) ही कार्यरत थे। संचार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1998–99 में 7.79 लाख 3पये के लागत पर प्राप्त किए गए 77 वायरलेस हैन्ड सेटों में से मात्र 27 सेटों को क्षेत्रों में वितरित किए गए थे एवं शेष 50 सेट मार्च 2006 तक प्रमण्डलीय कार्यालय में अव्यवहृत पड़े थे। 40 मोबाइल सेटों की अधिप्राप्ति हेतु वर्ष 2004–05 में उपलब्ध कराए गए 3.20 लाख रुपये का उपयोग भी वा. व्या. परियोजना नहीं कर सका (मार्च 2006)।

ekckby lsVka dk Ø; ugha fd;k x;k

3-4-8-5 Qk;jykbu dh lqj{kk

ifj;kstuk {ks= dk lqj{kk nqcZy Fkk] Qk;j ykbu vi;kZIr Fkh rFkk vfXu 'keu midj.k ugha Fkk

अपेक्षित 840 कि. मी. के विरूद्ध मात्र 460 कि.मी. (54 प्रतिशत) में ही फायरलाइन विद्यमान थे। शेष फायर लाइन (388 कि.मी.) के सृजन हेतु वर्ष 2000–06 के दौरान के ए पी ओ में कोई प्रस्ताव नहीं था। अपितु वर्ष 2004–05 के दौरान मात्र 100 कि. मी. फायर लाइन के रख रखाव पर 0.66 लाख रुपये की अल्प राशि व्यय की गयी थी। दृष्टान्त के रुप में आग लगने के परिणामस्वरूप मिट्टी के परत की बर्बादी, आद्रता की हानि, नव विकास की हानि, मोथा घास एवं जीरोफाइट्स प्रजाति का फैलाव एवं भूमि क्षरण होती थी। हाँलाकि, क्षति नियंत्रण पर कोई व्यय नहीं किया गया था। वा. व्या. परियोजना में अग्नि शमन उपकरण उपलब्ध नहीं था। उपर्युक्त तथ्यों को वा. व्या. परियोजना प्रबन्धन ने स्वीकार किया था (मार्च 2006)।

3-4-8-6 ck?kksa dk vkdyu

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार बाघों का जनगणना वर्षवार किया जाना था। सभी ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में बाघों एवं अन्य शिकार भक्ष प्रजाति का आकलन करने के लिए दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाना था। वर्ष 2000–05 के दौरान मात्र तीन बार आकलन किए गए थे।

uj@eknk dk vuqikr eas ogr fofHkUurk dk irk pyk

आकलन के अनुसार वर्ष 2002 के दौरान वा. व्या. परियोजना में 56 बाघ थे जो घटकर वर्ष 2005 में 33 हो गए। वर्ष 2005 में दृष्टिगोचर हुए 33 पदचिह्नों में से 80 प्रतिशत बफर क्षेत्र में एवं ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के निवास क्षेत्र से बाहर पाये गये थे। वर्ष 2002 के आकलन के अनुसार नर, मादा एवं बच्चों की संख्या क्रमशः 35, 17 एवं 4 थे जबकि वर्ष 2005 में सम्बन्धित संख्या क्रमशः 10, 22 एवं 01 थे। वर्ष 2002 में नर एवं मादा का अनुपात 2:1 था जो उलटकर वर्ष 2005 में 1:2 हो गया। मात्र तीन वर्षों के अल्पावधि के भीतर अनुपात में इतनी वृहत विभिन्नता इस आरक्षित क्षेत्र में बाघों की जनसंख्या के अवास्ताविक आँकड़े को दर्शाती है। आगे यह पता चला कि बाघों का नियमित दृष्टिगोचर (पाक्षिक प्रतिवेदन) अस्तित्व में नहीं था, अपराध पंजी, जब्ती प्रतिवेदन, प्रमुख वन्य प्रजातियों (भक्षक एवं भक्ष्य) का आकलन सब–बीट गार्ड, बीट गार्ड एवं क्षेत्र पदाधिकारियों के स्तर पर संधारित नहीं किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप बाघों एवं अन्य प्रजातियों के क्षेत्रानुमान सम्बन्धित मासिक प्रतिवेदन के साथ–साथ बाघों का नस्वरता क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा प्रमण्डलीय वन पदाधिकारियों को उपस्थापित नहीं किए गये थे। क्षेत्र निदेशक, वा. व्या. परियोजना ने स्वीकार किया (फरवरी 2006) कि नियमित संचालन के अभाव में ये अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।

3-4-8-7 r`.k Hkksft;ksa dk vkdyu

ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों में तृण भोजियों का बाघों के भोजन में 70 प्रतिशत से अधिक का अंशदान होता है एवं वे बाघों की उपस्थिति के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का दिशा निर्देश (जून 2001) में भी तृणभोजियों का वर्षवार आकलन करने का प्रावधान है। तथापि तृणभोगियों का आकलन मात्र एक बार वर्ष 2002 में किया गया था। डा. उल्लहास करंथ[1] द्वारा विकसित सूत्र के आधार पर वा.

---

[1] *उल्लहास करंथ की विधि अर्थात* $T_j = AU_j^b \delta_j$ *विधि से प्राकृतिक निवास स्थल मात्र 12 बाघों को जीवित रख सकता था* $(0.247 \times 39952)/840$ *जहाँ* T_j = *बाघों की आबादी का आकलन, A = गुणांक ; मान = 0.247, Uj = भक्ष्य धनापन (पशु/वर्ग कि.मी.) ;* $b = p^*\left(\sigma_j / \delta_j\right)$*; मान = 1 एवं* δ_j = *अकस्मात परिवर्त्तन का मध्य ; मान = 1*

व्या. परियोजना में तृण भोगियों की आबादी के द्वारा मात्र 12 बाघों को ही जीवित रख सकता था।

3-4-8-8 ck?kk dk lja{k.k

संरक्षण प्रयास में पुनर्वास एवं सुधारात्मक कार्य करने का प्रयास करना शामिल हैं। इनमें जल प्रबन्धन, हरियाली विकास, लन्टाना घास पतवार हटाना, भूमि संरक्षण कार्य, वास स्थल का प्रबन्ध कौशल, आद्र भूमि एवं अनुपम वास स्थल का प्रबन्धन इत्यादि सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य योजना में ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में चकबन्दी, सुरक्षा एवं निवास स्थल पुनर्वास को विकसित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु निर्देशित करने की कार्य योजना बनाना परिकल्पित थी जो चिह्नित माइल स्टोन से धीरे–धीरे पीछे ही हो गया।

3-4-8-9 ck?kk dk u'ojrk

परियोजना निदेशालय ने, बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों की उम्र/लिंग, निश्चित नश्वरता सुनिश्चित करने के लिए बाघों की आबादी के नश्वरता का अर्द्धवार्षिक सर्वेक्षण कराने एवं इस संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश (सितम्बर 2001) दिया था। हाँलाकि बाघों की नश्वरता पर सभी स्तरों से प्रतिवेदन की व्यवस्था चालू थी परन्तु वर्ष 2000–06 के दौरान नश्वरता का सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।

3-4-9 çkUur dk;ZdyKi ,oa ekuo 'kfä ekey

3-4-9-1 i;ZVu dk c<kok

वर्ष 2003–04 तक पर्यटन प्रबन्धन योजना तैयार नहीं की गयी थी। वर्ष 2004–14 के प्रबन्धन योजना में पर्यटन प्रबन्धन योजना तैयार की गयी थी जिसका अनुमोदन नहीं हुआ है। पर्यटकवहन क्षमता की गणना नहीं की गयी थी जबकि ब्याघ्र परियोजना निदेशालय के दिशा निर्देश के तहत यह अपेक्षित था। न तो पारिस्थितिक पर्यटन परामर्शदातृ समिति ही गठित की गयी और न ही नियम निर्धारित किए गए थे।

नियमित अल्प असरदायी पर्यटन, वन्य प्राणी संरक्षण को सहारा देने के लिए एक परमावश्यक साधन के रूप में पर्याप्त रूप से कार्य करता है। वन्य प्राणी पर्यटन का उद्देश्य पर्यटकों के बीच वन्य प्राणी के महत्ता का छाप छोड़ देना, प्रकृति के साथ समानुभूति का विकास, सजीव एवं निर्जीव दोनों तथा प्रकृति के साथ सहभागिता प्रदान करना है न कि मात्र जानवरों के प्रजातियों को दिखाए जाने को सुनिश्चित करना। पारिस्थितिक पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय समुदाय को रोजगार सृजित करते हुए लाभ पहुँचाना था।

Hkkjr ljdkj ds fn'kk funsZ'kksa ds vuqlkj ou ,oa oU; çk.kh ds ckjs esa lf{kIr fVIi.kh nsus ds fy, i;ZVd funsZ'k ifLrdk Hkh miyC/k ugha djk, x, FksA

भारत सरकार ने (1998) ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र सहित सुरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणी पर्यटन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया था। अभिलेखों से परिलक्षित हुआ कि अपशिष्ट निपटारा तथा जल एवं उर्जा की खपत के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। वन एवं वन्य प्राणी के बारे में पर्यटकों को संक्षिप्त जानकारी देने के लिए पर्यटक निर्देश पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पर्यटक वहन क्षमता और वाहन वहन क्षमता का निर्धारण नहीं किया गया था। दर्शकों के गतिविधियों को विनियमित करने के लिए क्या एवं क्या नहीं भी निर्धारित नहीं थे।

इस प्रकार दिशा निर्देशों की परिकल्पना के अनुसार वन्य प्राणी पर्यटक को बढ़ावा नहीं दी गयी।

3-4-10 ekuo cy çcU/ku

dfe;k dh rukrh d fy, ekud dk fu/kkj.k ugh fd;k x;k Fkk rFkk 93 ouiky ,o ou j{kd dk me 45 o"k l vf/kd Fkk

राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (एन डब्लू ए पी) की परिकल्पना के अनुसार निदेशक से लेकर वन रक्षकों तक सभी जगहों पर पदस्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मी होना चाहिए।

कर्मियों की तैनाती के लिए कोई मानक नहीं निर्धारित किए गए थे। स्वीकृत बल (109) से अधिक व्यक्ति पदस्थापित (120) थे। हालाँकि वन संरक्षक ने सामर्थ्य बढ़ाकर 159 करने के लिए प्रस्ताव उपस्थापित किया था। वनपाल एवं वन रक्षक स्तर के 109 पदों में से 93 का उम्र 45 वर्ष से अधिक था। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी गश्ती के लिए 18–35 वर्ष का उम्र अपेक्षित था।

3-4-11 çf'k{k.k

अस्त्र विहीन संघर्ष, लीक के द्वारा पता लगाने, सूचना संग्रहण तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण संचालित करवाने, विश्लेषण एवं पूर्वाभास, प्रतिवेदन लेखन, प्रथम सूचना रपटों को तैयार करने, जब्ती इत्यादि जैसी वन्य प्राणी कार्यकलापों पर कर्मियों को प्रशिक्षण एवं न्यायालय कार्यवाही तथा साक्ष्य–संग्रहण का शिक्षा देने के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया था। क्षेत्र कर्मियों को तैनाती से पूर्व कोई सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

3-4-12 ikfjfLFkfrd fodkl

ikfjfLFkfrd fodkl ifj;kstuk d rgr jkf'k vO;oâr iMh jgh ,o Hkkfrd çxfr 'kU; l 76 çfr'kr Fkh

सुरक्षित क्षेत्र पर जीवन निर्वाह के लिए आश्रित लोगों की सामाजिक–आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पारिस्थितिक–विकास परियोजना परिकल्पित की गयी (1983) थी। ब्याघ्र आरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिक विकास से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2000–01 के दौरान 29.98 लाख रुपये में से कोई व्यय नहीं किया गया एवं वर्ष 2001–02 के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे गये। हाँलाकि, वर्ष 2000–06 के दौरान कुल उपलब्ध राशि 91.54 लाख रुपये में से मात्र 56.20 लाख रुपये ही व्यय किए गए थे तथा निधि की उपयोगिता 20 एवं 76 प्रतिशत के मध्य थीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि शुरूआत करने में कमी एवं अनुचित आयोजना के कारण पारिस्थितिक–विकास के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप या तो प्रारंभ ही नहीं किए गए या क्रियान्वयन बहुत ही कम था।

क्षेत्र निदेशक ने कहा (फरवरी 2006) कि पारिस्थितिक–विकास के लिए सूक्ष्म योजना प्रारंभ नहीं की गयी थी।

3-4-13 vuJo.k ,o eY;kdu

oU; çk.kh lj{kk vf/kfu;e 2002 d çkjHk gku d ,d o"k ckn ,l ch MCy ,y dk xBu fd;k x;k tk dk;jr ugh Fkk

वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 6 के अनुसार राज्य सरकार को वन्य प्राणी सुरक्षा संशोधन अधिनियम (डब्लू पी ए ए), 2002 के लागू होने की तिथि से छ' महीने के अन्दर वन्य प्राणी का सुरक्षा एवं संरक्षण तथा विनिर्दिष्ट योजना इत्यादि के लिए नीति निर्धारण करने में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य वन्य प्राणी बोर्ड (एस बी डब्लू एल) का गठन करना था। एक वर्ष के विलम्ब के साथ नवम्बर 2003 में बोर्ड का गठन किया गया था। अधिनियम यह विर्निदिष्ट करता है कि एक वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड की बैठक होनी चाहिए लेकिन जून 2006 तक मात्र एक ही बैठक नवम्बर 2004 में हुई थी एवं ब्याघ्र परियोजना के सम्बन्ध में कोई विमर्श नहीं किया गया थां

अगस्त 2000 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में उपस्थापित किये गये शपथ पत्र के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए राज्यों में एक ब्याघ्र संरक्षण कोषांग गठित किया जाना

था। यह ज्ञात हुआ कि जून 2006 तक सरकार ने ब्याघ्र संरक्षण कोषांग का गठन नहीं किया था।

3-4-14 fu"d"k

वा. व्या. परियोजना में वर्ष 2000–04 की अवधि में प्रबन्धन योजना नहीं बनायी गयी थी एवं परवर्त्ती वर्षों का प्रबन्धन योजना अनुमोदित नहीं था। 'कोर' एवं 'बफर' क्षेत्र के निकटस्थ 149 गाँवों को पुर्नवासित करने में विफल रहने के कारण आरक्षित क्षेत्र पर जैवीय दबाव को घटाया नहीं जा सका। नेपालियों के द्वारा अतिक्रमित कर लिए गए 2152 हेक्टेयर भूमि की वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। बाघों की घटती हुई आबादी के साथ–साथ अत्यल्प समय के भीतर नर–मादा का अनुपात उलट जाना अवास्तविक आकलन को इंगित करता था। गश्ती दलों को वाहन उपलबध नहीं कराए गए थे। संचार उपकरण की पर्याप्तता को आँकने के लिए कोई स्पष्ट मानक निर्धारित नही किया गया था एवं सम्मुख होकर सामना करने वाले कर्मियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। राजय वन्य प्राणी बोर्ड अक्रियाशील था।

vu'klk

- आरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रत्येक क्षेत्रों को समाहित करते हुए विस्तृत प्रबन्धन योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है जिसका अनुसरण कालबद्ध वार्षिक कार्य योजना के द्वारा किया जाना चाहिए।

- पुर्नस्थापन/पुर्नवासन एवं पारिस्थितिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के माध्यम से 'कोर' एवं 'बफर' क्षेत्र में जैवीय दबाव को कम करने के लिए पहल करनी चाहिए।

- भारत सरकार को नेपालियों द्वारा अतिक्रमित कर लिए गए जमीन को खाली करवाने के लिए साकार कदम उठाना चाहिए।

- बाघों की आबादी का आकलन नियमित एवं वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए जिससे सुरक्षा एवं संरक्षण उपाय वास्तविक रूप में हो सके।

- सुरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी सुरक्षा के लिए संचार तंत्र की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। वन्य प्राणी के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए एवं उन्हें परिष्कृत अग्नेयशास्त्रों के उपयोग का प्रशिक्षण देना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2006); उनका उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2006)।

ef=eMy lfpoky; ,o leUo; foHkkx ¼fuokpu LdU/k½

3-5 fuokpu 0;;

3-5-1 çLrkouk

लोक सभा एवं विधान सभा के निर्वाचन पर निर्वाचन व्यय क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। स्थापना, निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं छपवाने, मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किये जाते है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (मु. नि. प.) राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव करवाने हेतु समस्त रूप से प्रभारी होते हैं एवं जिला में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी उनकी सहायता करते हैं।

मार्च 2006 एवं जुलाई 2006 के बीच लोक सभा चुनाव एवं फरवरी 2005 तथा अक्तूबर/नवम्बर 2005 में सम्पन्न दोनों विधान सभा चुनावों में किए गये व्यय की जाँच के लिए 11 जिला कार्यालयों[1] एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जाँच मार्च 2006 एवं जुलाई 2006 के बीच की गई। नीचे की कंडिकाओं में प्रकाश में आए महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई है :

3-5-2 foÙkh; çc/ku

वर्ष 2004–06 के दौरान राज्य के विभिन्न संघटकों के तहत् आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार थे :

¼djksM+ #i;s esa½

'kh"k@ o"k	LFkkiuk		fuokpd ukekoyh dh rS;kjh ,o Nikbz		ykd lHkk fuokpu		fo/kku lHkk fuokpu		QksVks igpku i=		dqy	
2015	vkcaVu	O;;	vkcaVu	O;;	vkcaVu	O;;	vkcaVu	O;;	vkcaVu	O;;	vkcaVu	O;;
2004–05	2.96	2.96	4.35	4.35	63.05	63.03	72.52	72.62	4.30	4.27	147.18	147.23
2005–06	5.18	3.40	6.09	1.20	0.51	0.12	100.50	83.00	25.43	12.96	137.71	100.68
dqy	8-14	6-36	10-44	5-55	63-56	63-15	173-02	155-62	29-73	17-23	284-89	247-91

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन के लिए क्रमशः 63.15 करोड़ रुपये एवं 155.62 करोड़ रुपये का व्यय (स्थापना, फोटो परिचय पत्र आदि का व्यय छोड़कर) किया गया था।

बिहार कोषागार संहिता खंड 1 के अनुसार माह के दौरान ए सी विपत्र पर कोषागार से की गई अग्रिम निकासी के विरूद्ध डी सी विपत्र, नियंत्रण अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अगले माह के 25 तारीख से पूर्व महालेखाकार (ले. एवं ह.) को समर्पित कर देना अपेक्षित था।

---

[1] *बाँका, भागलपुर, गया, कटिहार, मधुबनी,, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, सारण एवं वैशाली।*

57-29 djkM+ #i;s dk Mh- l-h foi= lefiZr ugha fd;k tkuk

वर्ष 2004–06 के दौरान राज्य के कुल व्यय 247.91 करोड़ रुपये में से 70.75 करोड़ रुपये की निकासी ए सी विपत्र द्वारा की गयी लेकिन 13.46 करोड़ रुपये का ही डी सी विपत्र महालेखाकार (ले. एवं ह.) कार्यालय में समर्पित किया गया (अक्टूबर 2006)। शेष 57.29 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जाँच लेखापरीक्षा में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के अभाव में नहीं की जा सकी।

नमूना जाँचित जिलों में 107.45 करोड रुपये की उपलब्ध राशि के विरूद्ध 99.57 करोड़ रुपये विभिन्न घटकों पर व्यय की गई और 41.97 करोड़ रुपये ए सी विपत्र पर निकासी की गयी, क्षेत्रिय कार्यालयों और निजी दलों से प्रमाणकों के अप्राप्ति के कारण 39.00 करोड़ रुपये के डी सी विपत्र महालेखाकार को समर्पित नहीं किये गये (जुलाई 2006)।

8-69 djkM+ #i;s dk cSad esa vukf/kd`r :i ls cSadksa esa iMh Fkh

4-90 djkM+ #i;s dk 0;; vfu;fer :i ls vfxze esantZ

मार्च 2006 तक अव्ययित राशि 8.69 करोड़ रुपये जिसे अभ्यर्पित कर देना चाहिए था, बिहार कोषागार संहित का उल्लंघन करते हुए बैंकों में पड़ी थी (स्टेट बैंक : रुपये 7.22 करोड़ रुपये, इलाहाबाद बैंक : 0.29 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक : 1.18 करोड़ रुपये)। सरकार के निर्देशों (अप्रैल 1996) का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2004–06 के दौरान 4.90 करोड़ रुपये के अग्रिम को व्यय के रूप में दर्ज किया गया। अगस्त 2006 तक 13.95 करोड़ रुपये का अग्रिम सरकारी कर्मचारियों एवं निजि पार्टियों के पास असमायोजित पड़े हुए थे। अग्रिमों की वसूली /समायोजन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

3-5-3 vfu;fer 0;;

3-5-3-1 fMthVy dSejk dk Ø; ij vi0;;

निर्वाचक फोटो परिचय पत्र (ई पी आई सी) तैयार करने के उद्देश्य से राज्य के आकस्मिक निधि से 2.56 करोड़ रुपये निकासी कर चार हजार डिजीटल कैमरा क्रय किया गया परंतु संवीक्षा में पाया गया कि इन कैमरों को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की तैयारी के लिए प्रयोग न कर निजी एजेंसियों को इस कार्य में लगाया गया जिससे 3.42 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया। राज्य की आकस्मिकता कोष से निधि की निकासी केवल आपात कार्य के लिए किये जाने का अनुपालन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

पुनः कैमरों का क्रय सीधे निर्माता से न कर नेशनल इनफार्मेटिक सेन्टर के माध्यम से किया गया जिसके लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में 16.89 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने जवाब (अप्रील 2006) में बताया कि इन कैमरों का प्रयोग जाली मतदान को रोकने के लिए संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर किया गया, स्वीकार योग्य नहीं था चूँकि फोटो परिचय पत्र की तैयारी के विनिर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

3-5-3-2 LFkk;h çdfr dh oLrqvksa dk Ø;

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया था (1989) कि निर्वाचन निधि का उपयोग केवल निर्वाचन कार्यों के लिए किया जायगा। निर्वाचन कोष से स्थायी प्रकार की वस्तुओं का क्रय पूर्णतः निषिद्ध था।

नमूना जाँचित जिलों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों में 9.08 लाख रुपये का व्यय स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे डिजीटल कम्यूनिकेटर, चार्जर, सेलफोन, स्टेबलाइजर, फैक्स मशीन, टी वी, सोफासेट, स्टील अलमीरा इत्यादि के क्रय पर किया गया। स्टॉक में 0.78 लाख रुपये मूल्य के 17 मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं थे।

3-5-3-3 vfu;fer Hkqxrku

टेंट का किराया, शामियाना एवं मतदाता पहचान पत्र (ई. पी. क.) की तैयारी के लिए दिसम्बर 2004 एवं मार्च 2006 के बीच वैसी एजेन्सियों को जिन्हें बिहार विक्रय कर संख्या एवं सेवा कर संख्या नहीं था को 9.52 करोड़ रुपये[1] का भुगतान किया गया। विपत्रों/चालानों/इम्वाइसेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंकित न होने से विक्रय कर एवं सेवा कर राजस्व की क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया (जुलाई 2006) कि विपत्र पर सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या 10 सितंबर 2004 से प्रभावी था एवं वित्तीय अधिनियम 1994 के तहत अदाकर्त्ता सेवा कर कटौती के लिए जिम्मेवार नहीं है। इसलिए कर की कटौती एवं हस्तांतरण नहीं किया गया। तथापि सत्य यह है कि दिसंबर से मार्च 2006 के बीच इन एजेंसियों से क्रय किया गया जबकि अधिनियम के तहत विपत्र में सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित होना अनिवार्य था।

3-5-3-4 njks esa dkQh fofHkUurk

वर्ष 2004–06 की अवधि में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा केन्द्रित निविदा आमंत्रित कर ऑन लाइन[2] के लिए 12.90 रुपये प्रति कार्ड एवं ऑफ लाइन[3] के लिए 10.90 रुपये प्रति कार्ड की दर से मतदाता फोटो परिचय पत्र तैयार किया गया। तथापि, विधानसभा चुनाव (2005–06) में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तैयारी का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालयों को विकेन्द्रित कर दिया गया। यह पाया गया कि केन्द्रित अनुमोदित दरों अथवा विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा अनुमोदित दरों में काफी विभिन्नता (ऑफ लाइन के लिए रुपये 6.10 से रुपये 10.90 तक एवं ऑन लाइन के लिए रुपये 8.25 से रुपये 11.00 तक) पाई गई।

इसी प्रकार, नमूना जाँचित नौ जिलों[4] में यह पाया गया कि निर्वाचक नामावली के फोटोकॉपी का दर 45 पैसे से एक रुपये के बीच था। लोक सभा चुनाव 2004 के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत दर पर आधारित डिवीजनल कमिश्नर द्वारा दर अनुमोदन किया गया था। दोनों विधानसभा चुनावों के लिए भी यह दर प्रभावी था। चूँकि फोटोकॉपी के लिए बड़ी संख्या में पृष्ठ थे इसलिए दर को कम करवाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए था।

---

[1] *बाँका : 61.95 लाख रुपये, भागलपुर : 90.49 लाख रुपये, मु. नि. अ. पटना : 362.77 लाख रुपये, छपरा : 53.08 लाख रुपये, गया : 17.18 लाख रुपये, कटिहार : 32.71 लाख रुपये, मधुबनी : 25.26 लाख रुपये, मुंगेर : 33.67 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर : 59.06 लाख रुपये, नवादा : 11.57 लाख रुपये, पटना : 103.15 लाख रुपये, वैशाली : 101.35 लाख रुपये*

[2] *ऑन लाइन : फोटोग्राफी के दिन ही मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत कर दिया गया।*

[3] *ऑफ लाइन फोटोग्राफी के दिन के बाद निर्वाचक फोटो पहचान पत्र मतदाताओं को निर्गत किया गया।*

[4] *भागलपुर, वैशाली, पटना, बाँका, छपरा, नवादा, कटिहार, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर*

3-5-3-5 okguk dk HkkMk

mPp rj nj ij okguk d HkkMk ij 5-19 yk[k #i;s dk vf/kd Hkqxrku

उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग ने विभिन्न प्रकार के वाहनों का दर तय किया (अक्टूबर 2005)। नमूना जाँचित चार जिलों[5] में 8.40 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया क्योंकि अप्रील 2004 एवं अक्टूबर/नवंबर 2005 के बीच अधिक दर पर वाहनों का भाड़ा भुगतान किया गया था। 13.03 लाख रुपये प्रति जिला मानक के विरूद्ध 10 जिलों द्वारा वाहनों के भाड़ा के लिए मात्र चार्ज के रूप में 6.41 करोड़ रुपये भुगतान किया गया फलतः 5.11 करोड़ रुपये[6] का अधिक भुगतान हुआ।

okguk dk vf/kd vof/k rd jkd tku d dkj.k 5-59 djkM+ #i;s dk vf/kd Hkqxrku

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय (मार्च 2004) किया गया था कि चुनाव के दौरान वाहनों की माँग को केवल पाँच दिनों के लिए किया जायगा। यह ज्ञात हुआ कि 950 वाहनों को ईंधन तो पाँच दिनों के लिए आपूरित किये गये परंतु 20 दिनों तक रोका गया फलतः पटना जिला में 1.05 करोड़ रुपये (व्यय प्रतिवेदन मार्च 2006 के अनुसार) का अत्यधिक भुगतान किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी निर्णय (मार्च 2004) लिया गया था कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईंधन पर व्यय 1.25 लाख रुपये तक ही सीमित हो। 11 जिलों के 272 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (गत तीन चुनावों) में ईंधन पर अनुज्ञेय सीमा 3.40 करोड़ रुपये के विरूद्ध 7.94 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप 4.54 करोड़ रुपये[7] का अधिक भुगतान हुआ। अधिक अवधिक तक रोके रहने के कारणों का उल्लेख अभिलेख में नहीं था।

3-5-3-6 ikoj id cSfV;k dk vR;f/kd Ø;

15-02 yk[k #i;s ykxr ij 14500 cSVªh LVkd e fuf"Ø; iM+k jgk

विधानसभा चुनाव (फरवरी 2005) के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा एक लाख पावर पैक बैट्रियों का क्रय किया गया जिसमें से 62370 बैट्रियाँ 49684 मतदान केन्द्रों को निर्गत किया गया। पुनः विधानसभा चुनाव (अक्टूबर/नवंबर 2005) के लिए 53000 बैट्रियों का क्रय किया गया जिससे बैट्रियों का स्टॉक बढ़कर 90630 हो गया जिसके विरूद्ध 57177 मतदान केन्द्रों में 76130 बैट्रियों को निर्गत किया गया। इस प्रकार 15.02 लाख रुपये मूल्य के शेष 14500 बैट्री स्टॉक में (मार्च 2006) निष्क्रिय पड़ा रहा।

---

[5] *भागलपुर : 1.96 लाख रुपये, गया : 2.93 लाख रुपये, मधुबनी : 2.57 लाख रुपये एवं नवादा : 0.94 लाख रुपये*

[6] *पटना : 152.38 लाख रुपये, कटिहार : 25.14 लाख रुपये, भागलपुर : 27.02 लाख रुपये, वैशाली : 22.20 लाख रुपये, बाँका : 14.04 लाख रुपये, गया : 109.91 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर : 51.25 लाख रुपये, छपरा : 68.55 लाख रुपये, नवादा : 32.92 लाख रुपये एवं मुंगेर : 7.53 लाख रुपये*

[7] *पटना : 77.25 लाख रुपये, कटिहार : 35.02 लाख रुपये, भागलपुर : 55.23 लाख रुपये, वैशाली : 34 लाख रुपये, बाँका : 80.18 लाख रुपये, गया : 31.96 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर : 33.55 लाख रुपये, मधुबनी : 1.38 लाख रुपये, छपरा : 51.34 लाख रुपये, नवादा : 21.98 लाख रुपये एवं मुंगेर : 32.17 लाख रुपये*

3-5-4 vU; jkpd fcUnq,¡

3-5-4-1 gksyksxzke

अनुबंध की अवहेलना कर 11 जिलों में विक्रेताओं द्वारा 1.61 लाख रुपये मूल्य के 10.08 लाख[8] होलोग्राम नहीं लौटाया गया। जाली निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की तैयारी के लिए होलोग्राम के दुरूपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता। 11 नमूना जाँचित जिलों में से केवल तीन प्रखंडों (छपरा जिले के तरैया, मशरख, लहलादपुर) में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के वितरण का प्रमाण पत्र दिखाया गया। यह ज्ञात हुआ कि 95461 तैयार फोटो पहचान पत्र के विरूद्ध 14155 (15 प्रतिशत) परिचय पत्र का वितरण का ही अभिलेख उपलब्ध था। संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा विक्रेताओं को होलोग्राम लौटाने हेतु स्मारपत्र निर्गत किया गया परंतु अगस्त 2006 तक किसी भी विक्रेताओं द्वारा होलोग्राम नहीं लौटाया गया था।

3-5-4-2 Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ds ikl tek çfrHkwfr okil ugha fy;k x;k

Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ds ikl 57 yk[k #i;s çfrHkwfr tek dh :i esa cdk;k

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं 10 जिलों द्वारा अस्थायी टेलीफोन संबंध संस्थापनों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को अप्रील 2004 एवं अक्टूबर 2005 के बीच 57 लाख रुपये[9] प्रतिभूति जमा के रूप में भुगतान किया गया। अस्थायी टेलीफोन संबंध हटा लिये जाने के बावजूद भी भारत संचार निगम लिमिटेड के पास 57 लाख रुपये बकाया (अगस्त 2006) था।

उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया (जुलाई 2006) कि भारत संचार निगम लिमिटेड से प्रतिभूति जमा वापस करने हेतु अनुरोध किया गया परंतु भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 2006 तक राशि नहीं लौटाया गया।

3-5-4-3 tCrh çfrHkwfr tek ljdkjh [kkrs esa ugha tek fd;k x;k

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 34 के अधीन लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवारों द्वारा जमा किये गये प्रतिभूति जमा जब्त कर लिया जाता है जो कुल मतों के छठे हिस्से को प्राप्त करने में असफल होते है एवं राशि सरकारी राजस्व में जमा कर दिया जाता है (अगस्त 2006)।

29-37 yk[k #i;s tCr çfrHkwfr tek ljdkjh [kkrs esa tek ugha fd;k x;k

आठ जिलों में 29.37 लाख रुपये[10] सरकारी खाते में जमा नहीं किये गये। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियम की अवहेलना करते हुए अपने रोकड़बही में जब्ती प्रतिभूति को रोके रखा।

---

[8] *बाँका : 0.52 लाख, भागलपुर : 0.64 लाख, गया : 0.13 लाख, कटिहार : 0.06 लाख, मधुबनी : 0.58 लाख, मुंगेर : 0.07 लाख, मुजफ्फरपुर : 0.06 लाख, नवादा : 2.12 लाख, पटना : 2.21 लाख, सारण : 2.11 लाख एवं वैशाली : 1.58 लाख*

[9] *बाँका : 3.00 लाख रुपये, भागलपुर : 2 लाख रुपये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पटना : 24 लाख रुपये, छपरा : 1 लाख रुपये, गया : 4 लाख रुपये, कटिहार : 2 लाख रुपये, मुंगेर : 3 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर : 2 लाख रुपये, नवादा : 2 लाख रुपये, पटना : 11 लाख रुपये एवं वैशाली : 3 लाख रुपये*

[10] *मुजफ्फरपुर : 8.88 लाख रुपये, मधुबनी : 6.71 लाख रुपये, मुंगेर : 5.05 लाख रुपये, नवादा : 3.02 लाख रुपये, बाँका : 0.90 लाख रुपये, गया : 1.98 लाख रुपये, भागलपुर : 0.70 लाख रुपये एवं छपरा : 2.13 लाख रुपये*

3-5-5 fu"d"k

वित्तीय व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि व्यय के रूप में दर्ज अग्रिम, अग्रिम असमायोजित रहना, विस्तृत आकस्मिक विपत्र तैयार नहीं किया जाना एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को बिना बी एस टी/ सी एस टी एवं सेवा कर संख्या के बिना भुगतान किया जाना आदि से प्रतिबिंबित हुआ। नमूना जाँचित जिलों में फोटो पहचान पत्र बनाने एवं फोटोकॉपी के दर में एक रुपता नहीं थी। इस प्रकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा चुनाव खर्च का अनुश्रवण क्षीण एवं त्रुटिपूर्ण था।

vuq'kalk,¡

- अग्रिम व्यय के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए एवं असमायोजित अग्रिम या तो अभिश्रवों के प्रस्तुतीकरण अथवा बकाये राशि की वापसी द्वारा समायोजित होना चाहिए।

- आपूर्तिकर्त्ताओं जिसे बी एस टी/ सी एस टी/सेवा कर संख्या हो, को ही भुगतान होना चाहिए।

- दस्तावेज विशेषकर वाहनों का भाड़ा एवं ईंधन पर व्यय का दस्तावेज इस प्रकार बनाया जाए जिससे भुगतान को प्रमाणित किया जा सके।

मामलों को सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

Hkou fuekZ.k foHkkx

3-6 Hkou fuekZ.k foHkkx dk fØ;kdyki

3-6-1 çLrkouk

भवन निर्माण विभाग (भ. नि. वि.) पर सिंचाई, वन एवं आरक्षी विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण एवं रख रखाव का उत्तरदायित्त्व था। विभाग ने मुख्यालय एवं प्रमंडल स्तर पर वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान तथा जमा कार्य के तहत अन्य प्रशासकीय विभागों से प्राप्त निधि से एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भी भवनों का निर्माण किया।

सचिव विभाग के प्रधान होते हैं जिन्हें अभियंता प्रमुख (अ. प्र.) सह विशेष सचिव से सहयोग मिलता हैं जो तीन मुख्य अभियंताओं (मु. अ.), 14 अधीक्षण अभियंताओं (अ.अ.) तथा 77 कार्यपालक अभियंताओं (का. अ.) की सहायता से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अभियंता प्रमुख के कार्यालय में, तीन में से दो मुख्य अभियंता, 42 में से 14 कार्य प्रमंडलों[1] के 2001–06 की अवधि के लेखा एवं संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रील 2006 से जून 2006 के दौरान की गई। इसके अतिरिक्त सचिवालय स्तर पर वित्त एवं भवन निर्माण विभाग से सूचनाएँ प्राप्त की गई। प्रकाश में आए प्रमुख मामलों को निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है :

3-6-2 fuf/k 0;oLFkk

rnFkZ ctV dk dkj.k foÙkh; dqçca/ku

राज्य सरकार ने भ नि वि को राज्य योजना शीर्ष (4059–लोक निर्माण तथा 4216–आवास) के तहत निधि आवंटित किया। न्यायिक आवासों के लिए भारत सरकार ने भी योजना प्रावधान का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराया। ग्यारहवें वित्त आयोग (ई. एफ. सी.) के अनुदान की निधि भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक विभागों को दी गई जो क्रमशः भ नि वि को आवंटित कर दी गई। इसके अतिरिक्त जमा कार्य के तहत भवनों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा सचिव, भ नि वि के साथ–साथ जिला स्तर पर सीधे प्रमंडलों को निधि उपलब्ध कराई गई। भ नि वि ने राज्य योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित लागत के आधार पर योजना के लिए बजट आकलन तैयार किया। इनको वर्ष विशेष में विभाग द्वारा क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्य की प्रमात्रा के आधार पर तैयार नहीं किया गया जिससे अनावश्यक प्रावधान एवं बचत की संभावना थी। विभाग ने बजट नियंत्रण पंजी का संधारण नहीं किया जिसके कारण व्यय एवं बचत का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सकां

3-6-3 foÙkh; çca/ku

3-6-3-1 fuf/k dk vkoaVu ,oa 0;;

321-50 djksM+ #i;s dh Hkkjh cpr

वर्ष 2001–06 की अवधि में 490.62 करोड़ रुपये (राज्य योजना : 96.79 करोड़ रुपये, 11वें वि. आ. : 83.26 करोड़ रुपये, के. प्रा. यो. : 45.42 करोड़ रुपये तथा जमा कार्य :

[1] *आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, निर्माण प्रमंडल संख्या–I एवं II पटना, सासाराम एवं समस्तीपुर*

265.15 करोड़ रुपये) के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल 169.12 करोड़ रुपये (राज्य योजना : 25.96 करोड़ रुपये, 11वें वि. आ. : 40.49 करोड़ रुपये, के. प्रा. यो. : 42.48 करोड़ रुपये एवं जमा कार्य : 60.19 करोड़ रुपये) का ही व्यय हुआ जिसके कारण 321.50 करोड़ रुपये (राज्य योजना : 70.83 करोड़ रुपये, 11वें वि. आ. : 42.77 करोड़ रुपये, के. प्रा. यो. : 2.94 करोड़ रुपये एवं जमा कार्य : 204.96 करोड़ रुपये) की बचत हुई जो 34 से 79 प्रतिशत के बीच था। अधिक बचत का कारण अभिलेख में नहीं था।

भ. नि. वि. द्वारा जमा कार्य के तहत प्रमंडलों को आवंटित निधि (60.19 करोड़ रुपये) को व्यय मान लिया गया। सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि व्यय के सही आँकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए बजट प्रशाखा को निर्देश दिए गए है।

3-6-3-2 O;; dk lek/kku

विभाग के व्यय के आँकड़े महालेखाकार (ले. एवं ह.) के लेखे में दर्ज आँकड़ों से मेल नहीं खाते थे। केवल पाँच प्रमंडलों ने मार्च 2006 तक के अपने कार्य लेखे का महालेखाकार के आँकड़ों से मिलान किया। विभाग द्वारा मुख्यतः बजट नियंत्रण पंजी का संधारण नहीं किए जाने एवं आँकड़ों का मिलान नहीं किए जाने के कारण विसंगति आई। इससे पता चलता था कि विभाग का लेखा प्रबंधन ठीक नहीं था। सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि लेखा समाधान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

3-6-4 dk;Z dk fØ;kUo;u

3-6-4-1 HkkSfrd çxfr

विभिन्न विभागों के कार्यों की वर्ष 2001–06 की अवधि में भौतिक प्रगति निम्नवत थी :

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	foHkkxksa ds uke	y{;		iw.kZ dk;Z		v/kwjs dk;Z		çkjEHk ugha fd, x, dk;Z
		la[;k	eY;	la[;k	eY;	la[;k	eY;	la[;k
1.	कानून	92	53.43	53	20.33	20	13.23	19
2.	कार्मिक	63	33.53	17	6.66	31	11.45	15
3.	कारा	456	98.66	210	24.46	198	18.54	48
4.	युवा, कला एवं संस्कृति	8	6.69	5	2.55	3	4.14	--
5.	आरक्षी	423	7.68	347	4.69	26	1.21	50
6(अ)	स्वास्थ्य	25	8.33	15	5.45	6	1.44	4
6(ब)	पी.एम.जी.वाई. रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	70 395	29.08	21 101	12.50	43 125	9.20	6 169
7.	शिक्षा	40	5.92	36	4.53	4	1.39	--
8.	कल्याण (अ. पि. वर्ग छात्रावास)	25	62.98	3	2.95	13	7.59	9
9.	कल्याण (अ. जा. छात्रावास)	2	2.30	--	--	2	1.85	--
	dqy	**1599**	**308.60**	**808**	**84.12**	**471**	**70.04**	**320**

टिप्पणी : उपर्युक्त तालिका में जमा कार्य एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना शामिल नहीं है क्योंकि प्रशासनिक विभागों द्वारा इन कार्यों के लिए प्रमंडलों को निधि सीधे उपलब्ध कराए जाने के कारण विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी।

308.60 करोड़ रुपये लागत के 1599 कार्यों में से 70.04 करोड़ रुपये के 471 कार्य (29 प्रतिशत) मार्च 2006 तक अधूरे थे। इसके अतिरिक्त निविदा (80) को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा स्थल (240) की अनुपलब्धता के कारण 154.44 करोड़ रुपये मूल्य के 320 कार्य (20 प्रतिशत) शुरू ही नहीं किए गए। नमूना जाँचित जिलों में विभाग द्वारा निधि आवंटन में विलंब एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण 153.59 करोड़ रुपये के 1188 कार्य[2] में से 429 कार्य (36 प्रतिशत) अधूरे रह गए। निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने एवं स्थल की अनुपलब्धता के कारण 97 कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए।

3-6-4-2 fcuk rduhdh Lohd`fr ds dk;Z

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता की कंडिका 126 के तहत बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य का क्रियान्वयन अमान्य था।

fcuk rduhdh Lohd`fr ds dk;Z dk fØ;kUo;u ij vfu;fer Hkqxrku

हाँलाकि नमूना जाँचित प्रमंडलों में यह देखा गया कि वर्ष 2001–06 की अवधि में 1188 कार्यों में से 64.80 करोड़ रुपये के 305 कार्य (26 प्रतिशत) बिना तकनीकी स्वीकृति के प्रारंभ किए गए जिनके लिए मार्च 2006 तक 39.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न था :

¼djksM+ #i;s esa½

foHkkx dk uke	dqy dk;Z	fcuk rduhdh Lohd`fr ds fØ;kfUor dk;Z		
		dk;ksZ dh la[;k	ewY;	Hkqxrku
कारा	189	72	11.93	8.83
कानून	33	10	2.94	2.00
आरक्षी	138	14	0.56	0.47
स्वास्थ्य	416	141	14.16	9.55
कल्याण	189	16	8'32	7.29
कार्मिक	112	8	1.96	1.78
शिक्षा	96	39	8.04	5.49
युवा, कला एवं संस्कृति	8	5	16.89	3.71
पशुपालन	7	..	..	..
dqy	1188	305	64-80	39-13

मुख्य अभियंता (रूपांकन) ने निविदा आमंत्रित करने के पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश निर्गत किया (जून 2005) जिसके लिए प्रस्ताव भेजने हेतु एक पूर्ण जाँच सूची निर्गत की गई। बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य का क्रियान्वयन करने के परिणामस्वरूप लागत अतिरेक तथा कार्य के बीच में रूपांकन में परिवर्तन से कार्य की पूर्णता में विलंब हुई।

3-6-4-3 vuf/kd`r Hkqxrku

vuqcaf/kr jkf'k ls vf/kd 5 djksM+ #i;s dk vuf/kd`r Hkqxrku

सरकार के निर्देशानुसार (अगस्त 1982) मद विशेष में अनुबंधित राशि से 10, 15 एवं 25 प्रतिशत से अधिक पर क्रियान्वित कार्य के लिए क्रमशः अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं सरकार की स्वीकृति अपेक्षित थी।

नमूना जाँचित प्रमंडलों में कार्यपालक अभियंताओं ने वर्ष 2001–06 की अवधि में 41 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उनके अनुबंधित राशि से 10 से 2351 प्रतिशत अधिक बिना

---

[2] *इसमें प्रशासनिक विभागों द्वारा जमा कार्य एवं रा. स. वि. यो. के तहत प्रमंडलों को सीधे उपलब्ध कराई गई राशि भी शामिल है।*

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के 5 करोड़ रुपये[3] का अनधिकृत भुगतान किया। सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि कार्यों के लिए अनुबंधित राशि से 10 प्रतिशत ही अधिक का भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संहिता प्रावधानों के अनुसार मद विशेष के क्रियान्वयन में 10 प्रतिशत से अधिक के लिए सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित थी।

3-6-4-4 of)/r ykxr

#ikdu ,o le; vfrjid e ifjorlu d dkj.k 21-66 djkM #i; dh ykxr of)

तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिए जाने, के कारण प्रशासनिक स्वीकृति का पुनरीक्षण एवं बीच में ही रुपांकन एवं आरेखण में परिवर्त्तन आवश्यक हुआ, परिणामस्वरूप 21.66 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई जिसका विवरण निम्न है :

¼djkM #i; e½

çeMy dk uke	dk;l dk uke	vof/k	vkdfyr ykxr	iujhf{kr ykxr	ykxr of)	Hkxrku ¼10@2006 rd½	vH;fä
भ. नि. प्र. खगड़िया	14 न्यायिक भवन	02/2001 से 08/2005	1.41	2.36	0.95	2.11	रुपांकनएवं स्थल में परिवर्त्तन के कारण
भ. नि. प्र. मुजफ्फरपुर	16 न्यायिक भवन	05/2002 से 05/2005	1.77	2.76	0.99	2.23	भार वहन से ढाँचा संरचना के रूप में रुपांकन परिवर्तन के कारण
निर्माण प्रमंडल I, पटना	हज भवन	03/2002 से 08/2006	3.30	5.56	2.26	2.46	रुपांकन में परिवर्तन
निर्माण प्रमंडल II, पटना	खेल परिसर	11/2002 से 06/2006	15.99	32.57	16.58	0.45	वास्तुविद द्वारा रुपांकन एवं आरेखन प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं गैर अनुसूचित मदों के दर अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण

[3] *कटिहार : 27.06 लाख रुपये, खगड़िया : 107.98 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर : 80.35 लाख रुपये, समस्तीपुर : 26.27 लाख रुपये, निर्माण प्रमंडल I, पटना : 95.42 लाख रुपये, निर्माण प्रमंडल II, पटना : 49.02 लाख रुपये, सासाराम : 7.27 लाख रुपये, छपरा : 11.09 लाख रुपये, आरा : 4.56 लाख रुपये, गया : 26.41 लाख रुपये, मुंगेर : 22.07 लाख रुपये, भागलपुर : 4.23 लाख रुपये, हाजीपुर : 30.94 लाख रुपये एवं दरभंगा : 6.94 लाख रुपये।*

¼djksM+ #i;s esa½

çeMy dk uke	dk;Z dk uke	vof/k	vkdfyr ykxr	iqujhf{kr ykxr	ykxr o`f)	Hkqxrku ¼10@2006 rd½	vH;qfä
भ. नि. प्र. आरा	बाबू कुँअर सिंह संग्रहालय, जगदीशपुर	07/2003 से 05/2004	0.99	1.64	0.65	0.74	रुपांकन एवं आरेखन में परिवर्तन
भ. नि. प्र. कटिहार (60), आरा (26), सासाराम (20), गया (45), पटना (60), समस्तीपुर (44)	जेल में शौचालय	03/2002 से 03/2006	0.26	0.49	0.23	0.40	समयातिरेक
dqy			23-72	45-38	21-66	8-39	

सचिव ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2006) कि खेल परिसर के लिए 32.57 करोड़ रुपये एवं हज भवन के लिए 5.56 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित आकलन को प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3-6-4-5 vuqfpr foÙkh; ykHk

,d ijke'kZnkrk dks 15-82 yk[k #i;s dh vuqfpr foÙkh; lgk;rk

पटना में खेल परिसर के निर्माण के लिए, जिसका निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रील 1998 में लिया गया था, पटना प्रमंडल के आयुक्त ने जनवरी 1999 में वास्तुशिल्पीय, संरचनात्मक एवं अन्य सम्बद्ध रुपांकन एवं आरेखन तैयार करने हेतु परियोजना लागत के 2.69 प्रतिशत लागत पर, जिसका भुगतान विभिन्न रुपांकनों एवं आरेखनों के प्रस्तुतिकरण के अनुसार चरणबद्ध भुगतान करना था, एक वास्तुविद् को काम सौंपा गया। परामर्शदाता ने केवल चाहरदिवारी का रुपांकन एवं आरेखन तैयार किया जिसके लिए उसे अनुबंध प्रावधान के अनुसार 12.31 लाख रुपये का भुगतान करना था। हाँलाकि का. अ. ने उसे फरवरी 2005 में 28.13 लाख रुपये का भुगतान किया जिसके कारण मार्च 2006 तक परामर्शदाता को 15.82 लाख रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाई गई।

3-6-4-6 fu"Qy 0;;

नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि संवेदक द्वारा कार्य को बीच में ही छोड़ दिए जाने के कारण निम्नलिखित कार्यों पर 1.95 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

v/kwjh ifj;kstukvksa ij 1-95 djksM+ #i;s dk fu"Qy 0;;

¼djksM+ #i;s esa½

çeMy dk uke	dk;Z dk uke	vuqcaf/kr ewY;	Hkqxrku ¼10@2006 rd½	dkj.k
भ. नि. प्र. सासाराम एवं आरा	डी आई ई टी भवन	1.51	0.79	निधि की अनुपलब्धता के कारण संवेदक ने कार्य छोड़ दिया (2003)।
भ. नि. प्र. सासाराम	–वही–	0.87	0.73	संवेदक ने कार्य छोड़ दिया (जून 2003, सितंबर 2005)। संवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।
भ. नि. प्र. मुजफ्फरपुर	अल्पसंख्यक छात्रावास	0.97	0.19	स्थल समस्या के कारण संवेदक ने कार्य छोड़ दिया (जुलाई 2004)
भ. नि. प्र. कटिहार	परिसदन	0.31	0.24	अनुसूचित दर में वृद्धि के कारण संवेदक ने कार्य छोड़ दिया (अक्टूबर 2002)
dqy		3-66	1-95	

सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों को निधि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

3-6-4-7 fuf/k dh miyC/krk d ckotn v/kj dk;

fuf/k dh miyC/krk d ckotn 38-11 djkM #i; eY; d dk; v/kj jg

नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि निधि की उपलब्धता के बावजूद कार्य के लिए निधि के आबंटन / विमुक्ति में विलंब के कारण निम्नलिखित कार्य अधूरे रहे।

¼djkM #i; e½

çeMy dk uke	dk; dk uke	vuqcf/kr eY;	Hkxrku ¼10@2006 rd½	vH;fä
भ. नि. प्र. आरा	यक्ष्मा आरोग्यशाला कोइलवर का मानसिक अस्पताल में परिवर्तन	2.50	1.78	विभाग द्वारा समय से निकासी में विफलता के कारण 1.22 करोड़ रुपये व्यपगत हो गए (मार्च 2005)।
भ. नि. प्र. कटिहार (2), मुंगेर (4), पूर्णिया (2), भभुआ (1), सासाराम (1)	11वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 10 आयुर्वेदिक केन्द्र एवं तीन मूक बधिर विद्यालय	5.81	0.80	भारत सरकार द्वारा 11वें वि. आ. के तहत विशेष समस्या अनुदान के रूप में 10 आयुर्वेदिक केन्द्र एवं तीन मूक बधिर विद्यालय हेतु 5.81 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए (2001–02)। विभाग ने 2 करोड़ रुपये असैनिक जमा में डाल दिया जिसमें से मार्च 2006 तक केवल 80 लाख रुपये ही विमुक्त किए गए।
नमूना जाँचित 14 प्रमंडल	पी एम जी वाई के तहत 25 रेफरल अस्पताल एवं 104 पी एच सी का पुनरुद्धार	29.80	9.76	विभाग द्वारा निधि के आबंटन में विलंब के कारण 13 रेफरल अस्पताल (52 प्रतिशत) तथा 40 पी एच सी (38 प्रतिशत) अधूरे रहे।
dy		38-11	12-34	

सचिव ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2006) कि संवादहीनता के कारण 1.22 करोड़ रुपये व्यपगत हो गए एवं आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।

3-6-4-8 lkefx;k dh <yk ij lngkLin Hkxrku

वि. लो. का. लेखा संहिता की कंडिका 84 के तहत शामिल प्रावधान के अनुसार प्रत्येक भुगतान के लिए दावे से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण बताते हुए प्रमाणक आवश्यक है।

lkefx;k dh <ykb d fy, fcuk pkyku d gh 1-95 djkM #i; dk lngkLin Hkxrku

नमूना जाँच में यह पाया गया कि छः प्रमंडलों[4] ने सामग्रियों की ढुलाई के लिए उनके समर्थन में बिना कोई चालान प्राप्त किए 1.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अधिकृत पट्टेदार से गिट्टी प्राप्ति से संबंधित अपेक्षित फार्म 'एम' एवं 'एन' प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सामग्रियों की ढुलाई के लिए वर्ष 2001–06 की अवधि में 1.95 करोड़ रुपये का संदेहास्पद भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त गैरकानूनी खनन की संभावना से इंकार

[4] *निर्माण प्रमंडल I, पटना (54.48 लाख रुपये); खगड़िया (32.54 लाख रुपये); मुजफ्फरपुर (15.99 लाख रुपये); समस्तीपुर (49.60 लाख रुपये); आरा (19.33 लाख रुपये) एवं निर्माण प्रमंडल II, पटना (23.23 लाख रुपये)*

नहीं किया जा सकता है। सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि प्रमंडलों को भविष्य में ढुलाई के लिए फार्म 'एम' एवं 'एन' तथा चालान प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएगें।

3-6-4-9 dk;l dk voekud fØ;kUo;u

gkthij e QkLV Vd dkV d dk;l dk voekud fØ;kUo;u % 20-43 yk[k #i;

हाजीपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण के लिए एक संवेदक को 20.43 लाख रुपये का भुगतान (मार्च 2004) में किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर के पहल पर निर्माण में प्रयोग हुई सामग्रियों की जाँच केन्द्रीय जाँच एवं अन्वेषण प्रयोगशाला, पटना में की गई (मार्च 2003) एवं जाँच प्रतिवेदन से पता चला कि अवमानक सामग्रियों का प्रयोग हुआ था। कार्य की गुणवत्ता अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा अनुमोदित की गई थी। गुणवत्ता प्रमाणपत्र देने वाले अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी के विरूद्ध की गई कारवाई अभिलेख में मौजूद नहीं था।

vYil[;d Nk=kokl] x;k d dk;l dk voekud fØ;kUo;u % 71-39 yk[k #i;

गया में 100 बिस्तर वाले अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के लिए एक संवेदक को 72.53 लाख रुपये आवंटित किए गए (दिसंबर 2001)। कार्य एक वर्ष में पूरा करने के लिए फरवरी 2001 में प्रारंभ किया गया। गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन (अगस्त 2002) से स्पष्ट हुआ कि निर्माण में प्रयोग की गई सामग्रियाँ अवमानक कोटि की थीं। फिर भी कार्यपालक अभियंता ने संवेदक को मार्च 2003 में 71.39 लाख रुपये का भुगतान किया तथा कार्य अधूरा रह गया। सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि अवमानक कार्य में आवश्यक सुधार किए जाएँगे तथा यदि आवश्यक हुआ तो संवेदक के विपत्र से आवश्यक कटौती सुनिश्चित की जाएगी।

3-6-5 ekuo cy çc/ku

मुख्यालय एवं नमूना जाँचित जिलों में पदाधिकारियों के स्वीकृत बल एवं पदास्थापित लोगों से संबंधित अभिलेख की जाँच से स्पष्ट हुआ कि विभाग में अपर्याप्त लोग पदस्थापित थे।

in dk uke	Lohd`r cy		inLFkkfir deh		vH;fä
	e[;ky;	ueuk tkfpr çeMy	e[;ky;	ueuk tkfpr çeMy	
अभियंता प्रमुख	1		शून्य		अपर्याप्त बल के कारण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ जैसा कि कंडिका 3.6.5 एवं 3.6.6 में टिप्पणी की गई है।
मुख्य अभियंता	3		शून्य		
अधीक्षण अभियंता	19		2		
कार्यपालक अभियंता	77	14	71	13	
सहायक अभियंता	302	50	183	33	
कनीय अभियंता	422	128	492	87	
आकलन पदाधिकारी		11		4	
okLrf'kYi 'kk[kk					
मुख्य वास्तुविद	1		शून्य		
वरीय वास्तुविद	1		शून्य		
सहायक सरकारी वास्तुविद	5		2		
वास्तुविद सहायक	5		4		
x.k fu;=.k 'kk[kk					
सहायक निदेशक	2	14	2	2	

पर्याप्त मानव बल के अभाव में तकनीकी स्वीकृति देने एवं गुण नियंत्रण जैसे तकनीकी कार्य एवं अनुश्रवण प्रभावित हुआ। सचिव ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2006) कि विभाग में मानव बल की कमी है तथा रुपांकन कार्य वाह्य जनशक्ति के माध्यम से किया जाएगा।

3-6-6 x|.k fu;=.k

मुख्यालय स्तर पर अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में प्रमंडलीय स्तर पर सहायक निदेशक की सहायता से प्राप्त गुण नियंत्रण शाखा सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच के लिए उत्तरदायी था। नमूना जाँचित 14 प्रमंडलों में से 12 प्रमंडलों में सहायक निदेशक पदास्थापित नहीं थे। अवर प्रमंडलीय पदाधिकारियों को गुणवत्ता जाँच की जिम्मेवारी सौंपी गई थी क्योंकि नियमित सहायक निदेशक पदस्थापित नहीं थे। नमूना जाँचित 14 प्रमंडलों में से तीन प्रमंडलों[5] में विद्यमान गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला जाँच के लिए संरचनात्मक सुविआधों से वंचित थी। नमूना जाँचित प्रमंडलों के गुण नियंत्रण अवर प्रमंडलों को जाँच उपकरण एवं रसायन के क्रय हेतु निधि उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः गुण नियंत्रण अवर प्रमंडलों द्वारा निर्गत गुणवत्ता जाँच प्रमाण पत्र संदेहास्पद था। चार निष्क्रिय गुण नियंत्रण अवर प्रमंडलों[6] के अधिकारी एवं कर्मियों के वेतन भत्ते पर वर्ष 2001–06 की अवधि में 77.26 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ।

सचिव ने कहा (अक्टूबर 2006) कि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए अंचल स्तर पर गुण नियंत्रण शाखा की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँगें।

3-6-7 vu|Jo.k

अभियंता प्रमुख के अधीन निदेशक के नेतृत्व में गठित अनुश्रवण कोषांग दो उप निदेशकों की सहायता से योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी था। अनुमोदित मात्रा विपत्र के आधार पर तकनीकी स्वीकृति के बिना अनुमोदन के कार्यों का क्रियान्वयन किया गया, कार्य का बिना अनुबंध किए एजेंसी को अनधिकृत भुगतान किया गया तथा कार्य अधूरे छोड़ दिए गए जिससे विभाग द्वारा अनुश्रवण के अभाव का पता चलता था। लेखापरीक्षा के पहल पर सचिव ने मुख्य अभियंता को विभागीय निर्माण कार्य के लिए प्रत्येक छ' माह में अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।

3-6-8 fu"d"k

वित्तीय नियंत्रण का अस्तित्व नहीं था जो जमा कार्य में व्यय आँकड़ों का अवास्तविक निर्धारण तथा अत्यधिक बचत से प्रदर्शित होता था। योजना एवं विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत भवन निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जिसे भ. नि. विभाग द्वारा क्रियान्वित होना था। 1599 कार्य को पूरा करने के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 808 कार्य पूरे किए गए एवं 471 कार्य अधूरे रहे तथा 320 कार्य शुरू ही नहीं किए गए। नमूना जाँचित प्रमंडलों में 64.81 करोड़ रुपये मूल्य की 305 कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के क्रियान्वित किए गए परिणामस्वरूप करीब 21.66 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई। नमूना जाँचित प्रमंडलों में अधूरे भवनों पर 1.95 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। विभाग का रुपांकन शाखा मुख्यालय एवं प्रमंडल स्तर पर तकनीकी मानव बल की कमी के कारण करीब करीब अस्तित्व में ही नहीं था। प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता

---

[5] *मुजफ्फरपुर, निर्माण–I, पटना तथा सासाराम*

[6] *समस्तीपुर (4.29 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (25.33 लाख रुपये), निर्माण प्रमंडल I, पटना (38.15 लाख रुपये) एवं हाजीपुर (9.49 लाख रुपये)*

जाँच के लिए आवश्यक उपकरण एवं संरचना उपलब्ध नहीं था जिसके कारण गुण नियंत्रण अवर प्रमंडलों द्वारा निर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र संदेहास्पद था।

vu'klk

- बजट प्रावधान को वास्तविक बनाने हेतु विभिन्न जमा कार्य के तहत वास्तविक व्यय का निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए
- कार्य प्रारंभ करने के पहले विस्तृत आकलन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए
- अधूरे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए तथा कार्य केवल स्थल चयन एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- गुण नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जुलाई 2006); उनके उत्तर (अक्टूबर 2006) प्रतिवेदन मं उपयुक्त जगहों में शामिल कर लिये गये हैं।

dY;k.k foHkkx

3-7 vu|lfpr tkfr@tutkfr dk 'k{kf.kd fodkl

3-7-1 çLrkouk

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा अ. जा./अ. ज. जा. के शैक्षणिक स्तर में सुधार करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य अ. जा./अ. ज. जा. का शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं ठहराव बढ़ाने, तथा उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक संस्थानों में एवं नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का है। राज्य सरकार ने प्रवेशिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान, अ. जा./अ.ज.जा. छात्राओं को यूनिफार्म की आपूर्ति एवं छात्रावास के उपयोग संबंधी कल्याण योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्यवन नहीं किया। राज्य कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की गई।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ : अ. जा./ अ. ज. जा. समुदाय के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति, गंदे व्यवसाय में संलग्न बच्चों के लिए प्रवेशिक पूर्व छात्रवृति, पुस्तक बैंक योजना, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास

राज्य योजना : तकनीकी छात्रवृति, उच्च विद्यालय छात्रवृति, मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय छात्रवृति, मुसहर समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृति, अ.जा./अ. ज. जा. आवासीय विद्याालय एवं छात्रावास का रखरखाव, छात्राओं के लिए यूनीफार्म की आपूर्ति एवं औद्योगिक विद्यालय चलाना।

विभाग का नेतृत्व आयुक्त एवं सचिव करते हैं जिन्हें मुख्यालय स्तर पर निदेशक, प्रमंडल स्तर पर उप निदेशक तथा जिल स्तर पर 37 जिला कल्याण पदाधिकारियों (जि.क.प.) से सहायता प्राप्त होती है। योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा 10 जिलों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गई। प्रकाश में आए प्रमुख बिन्दुओं पर निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गई है :

3-7-2 ;kstuk

yf{kr Nk=ksa dh la[;k lqfuf'pr djus gsrq dksbZ losZ{k.k ugha fd;k x;k

विभाग ने प्रत्येक योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया जिसके कारण वर्ष 2005–06 के लिए 6 से 11, 6 से 14 तथा 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को छोड़कर विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल छात्रों की वास्तविक संख्या विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। इन आँकड़ों के अभाव में विभिन्न योजनाओं के लिए निधि के प्रावधान का कोई आधार नहीं था। सचिव ने लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार किया (अक्टूबर 2006) तथा राज्य के सभी लाभार्थियों का आँकड़ा तैयार करने का आश्वासन दिया।

---

[1] *भागलपुर, दरभंगा, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सासाराम एवं सिवान*

3-7-3 foÙkh; çcU/ku

3-7-3-1 ctV ,oa 0;;

विभाग द्वारा शैक्षणिक योजनाओं पर 2001–06 की अवधि में किए गए बजट प्रावधान के साथ–साथ व्यय निम्न था :

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	Js.kh	ctV	Hkkjr ljdkj }kjk foeqä dUnh; lgk;rk	jkT; ljdkj }kjk miyC/k djkbZ xbZ fuf/k	dqy miyC/k fuf/k	dqy 0;;	cpr	cpr dh izfr'krrk
2001–02	अ. जा.	50.07	0.43	47.57	48.00	30.25	17.75	37
	अ.ज.जा.	5.67	-	5.51	5.51	3.77	1.74	32
2002–03	अ. जा.	46.66	0.20	42.80	43.00	36.55	6.45	15
	अ.ज.जा.	5.68	-	5.19	5.19	3.91	1.28	25
2003–04	अ. जा.	50.22	0.06	44.96	45.02	38.92	6.10	14
	अ.ज.जा.	5.68	-	5.26	5.26	4.21	1.05	21
2004–05	अ. जा.	60.64	10.21	49.06	59.27	46.00	13.27	23
	अ.ज.जा.	5.90	-	5.70	5.70	4.37	1.33	24
2005–06	अ. जा.	61.98	0.13	54.63	54.76	36.70	18.06	33
	अ.ज.जा.	7.39	-	7.13	7.13	4.49	2.64	37
	dqy	**299.89**	**11.03**	**267.81**	**278.84**	**209.17**	**69.67**	**25**

(कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

fuf/k dh foyfcr fuxZeu dk dkj.k Hkkjh cpr

तालिका से स्पष्ट है कि 2001–06 की अवधि में अ. जा. के मामले में 14 से 37 प्रतिशत के बीच तथा अ. ज. जा. के मामले में 21 से 37 प्रतिशत के बीच बचत हुई थी। बचत का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा 2001–02 में मार्च के महीने में निधि की विमुक्ति तथा 2002–06 की अवधि में निधि की विमुक्ति में विलंब था। नमूना जाँचित छः जिलों में 2001–04 की अवधि में विलंब से निधि प्राप्त करने के कारण 4.59 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधि में से 2.91 करोड़ रुपये[2] (63 प्रतिशत) व्ययगत हो गए।

3-7-3-2 mi;ksfxrk çek.ki= dk vçLrqrhdj.k

33-72 djksM+ #i;s dk mi;ksfxrk izek.k i= ugha Hkstk x;k

नमूना जाँचित 10 जिलों में, जि. क. प. ने 2001–06 की अवधि में 10 प्रखंड विकास पदाधिकारियों[3] (प्र. वि. प.) को अ. जा./अ. ज. जा. के प्रवेशिका पूर्व (उच्च, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय) छात्रों को छात्रवृति, गंदे व्यवसाय से जुड़ने वालों छात्रों को एवं मुसहर समुदाय के छात्रों को छात्रवृति वितरीत करने हेतु 33.72 करोड़ रुपये विमुक्त किए लेकिन प्र. वि. प. द्वारा जुलाई 2006 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया।

---

[2] *दरभंगा : 7.67 लाख रुपये ; गया : 102.49 लाख रुपये ; जमुई : 18.47 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 49.71 लाख रुपये ; सासाराम : 76.02 लाख रुपये एवं सिवान : 36.61 लाख रुपये*

[3] *पटना : 5.18 करोड़ रुपये ; मुजफ्फरपुर : 3.72 करोड़ रुपये ; गया : 6.37 करोड़ रुपये ; नवादा : 2.55 करोड़ रुपये ; सिवान : 2.20 करोड़ रुपये ; दरभंगा : 3.24 करोड़ रुपये ; पूर्णिया : 2.69 करोड़ रुपये ; भागलपुर : 3.23 करोड़ रुपये ; जमुई : 1.80 करोड़ रुपये एवं सासाराम : 2.74 करोड़ रुपये*

3-7-4 ;k tukvk dk fØ;kUo;u

3-7-4-1 çof'kdkÙkj Nk=k dk Nk=ofr dk Hkxrku ugh

fuf/k d vHkko e Nk=ofr l ofpr

प्रवेशिकोत्तर वर्ग/पाठ्यक्रम में नामांकित कुल छात्रों की संख्या एवं छात्रवृति के लिए प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या गया एवं मुजफ्फरपुर जिलों को छोड़कर किसी नमूना जाँचित जिलों में उपलब्ध नहीं था। इन आँकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा कुल शामिल छात्रों की सीमा सुनिश्चित नहीं कर सकी। उपर्युक्त योजना से संबंधित 2004–05 की अवधि के एक करोड़ रुपये पटना, जमुई, पूर्णिया एवं सिवान जिले में अगस्त 2006 तक अव्ययित पड़े थे जबकि मुजफ्फरपुर जिले में 2004–06 की अवधि में निधि के अभाव में 1301 अ. जा. छात्रों को छात्रवृति से वंचित रहना पड़ा। गया जिले में 2001–02 की अवधि में 2300 अ. जा. तथा 19 अ. ज. जा. छात्र तथा 2003–04 में 124 अ. जा. छात्र निधि के अभाव में छात्रवृति पाने से वंचित रहे।

3-7-4-2 v- tk-@v- t- tk- Nk=kvk dk ;fuQke dh vkifr ugh

इस योजना का उद्देश्य विद्यालय जाने वाली वर्ग I से VIII तक की छात्राओं को, जो दूसरी अन्य योजनाओं में शामिल नहीं थीं, 250 रुपये प्रति सेट की दर से दो सेट यूनिफार्म की आपूर्ति करनी थी। नमूना जाँचित जिलों में 0.20 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधि के विरूद्ध केवल 0.14 करोड़ रुपये (70 प्रतिशत) ही व्यय किए गए। अतः विभाग ने निधि की उपलब्धता के बावजूद सभी लक्षित अ. जा. एवं अ. ज. जा. छात्राओं को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराया।

3-7-4-3 vk|kfxd fo|ky; dh cnh

erçk; vk|kfxd fo|ky;

सरकार ने अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को निपुण बनाने एवं स्व राजेगार के विकास हेतु मुफ्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पटना में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना (1958) की। यद्यपि 2003–04 की अवधि में 34 छात्र प्रशिक्षण हेतु नामांकित थे लेकिन विभाग द्वारा प्रशिक्षकों को स्थानांतरित (जनवरी 2004) कर दिया गया, फलस्वरूप औद्योगिक विद्यालय अक्रियाशील हो गया। अतः विभाग ने अ. जा./अ. ज. जा. छात्रों को निर्दिष्ट लाभ से वंचित किया।

3-7-4-4 Nk=kokl k dk mi;kx

vfØ;k'khy Nk=kokl

राज्य में उपलबध 131 अ. जा./अ. ज. जा. छात्रावासों में केवल 71 छात्रावास (54 प्रतिशत) ही क्रियाशील थे। अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 15220 छात्रों की क्षमता के विरूद्ध 11589 को ही जगह उपलबध कराई गई थी। छात्रावास का उपयोग कम होने का कारण दुर्गम क्षेत्रों में छात्रावास का होना, जल, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, जर्जर भवनों के साथ–साथ कर्मियों को पदस्थापित नही करना था।

3-7-4-5 vkoklh; fo|ky;k e v/;kiu dfe;k dk vi;klr inLFkkiu

i;klr v/;kiu dfe;k d oxj vkoklh; fo|ky;

66 आवासीय विद्यालयों में से 22 की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि पदस्थापित अध्यापन कर्मी अपर्याप्त थे। इनकी संख्या स्वीकृत बल का केवल 28 से 46 प्रतिशत के बीच था। अतः अध्यापन कर्मियों की कमी के कारण छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहे।

3-7-4-6 ijh{kk iio! dkfpx dh ;ktuk ij fu"Qy 0;;

ijh{kk iio! dkfpx ij fu"Qy 0;;

यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि से ही लागू है। इस योजना का उद्देश्य अ. जा./ अ. ज. जा./ अ. पि. व./ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को लोक सेवा आयोग, एस. एस. सी., भर्ती बोर्ड, लोक उपक्रम तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से नौकरियों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग कराना था।

पटना, भागलपुर एवं दरभंगा में स्थित तीन संस्थानों को चलाने पर 2001–06 की अवधि में 48.57 लाख रुपये खर्च करके 709 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में कोचिंग दी गई। निम्नलिखित रोचक मामलों की जानकारी हुई :

- पटना में 2001–06 की अवधि में 255 छात्रों को परीक्षापूर्व प्रशिक्षण दिया गया तथापि रोजगार पाने वाले छात्रों के कोटिवार आँकड़े अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

- भागलपुर केन्द्र को 2004–06 में निधि आवंटित नहीं किए जाने के कारण 2001–04 से बंद कर दिया गया। नामांकित 96 छात्रों में से 30 छात्रों को तकनीकी विभागों में रोजगार मिला।

- दरभंगा में 358 छात्रों को 2001–05 की अवधि में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से केवल 17 छात्रों को चिकित्सा एवं अभियंत्रण में रोजगार मिला। इसके बाद 2005–06 की अवधि में किसी भी पाठ्यक्रम में कोई नामांकन नहीं दर्शाया गया।

- पटना को छोड़कर कुल प्रशिक्षण पाए 454 छात्रों में से केवल 47 छात्र ही रोजगार पाए। हाँलाकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में एक भी छात्र को सफलता नहीं मिली।

3-7-4-7 iLrd cd ;ktuk

केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम के सभी अ. जा./ अ. ज. जा. छात्रों को नवीनतम पुस्तकें उपलब्ध कराना था। सभी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए दो छात्रों के लिए एक सेट तथा स्नात्तकोत्तर एवं चार्टर्ड एकांउटेंसी के लिए प्रति छात्र एक सेट पुस्तक का क्रय करना था। 2001–06 की अवधि में उपलब्ध 52.46 लाख रुपये (राज्य : 45.08 लाखरुपये ; केन्द्र : 7.38 लाख रुपये) में से केवल 19.83 लाख रुपये ही व्यय किए गए। पुस्तक बैंक में पुस्तकों को निर्गत करने से संबंधित अ. जा. / अ. ज. जा. छात्रों के अलग आँकड़े संधारित नहीं किए गए थे।

3-7-5 vuJo.k

कल्याण निदेशालय की मार्गदर्शिका के अनुसार निदेशक से लेकर प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से मातहत कार्यालयों एवं योजनाओं का मासिक निरीक्षण निर्धारित था। इसमें छात्रवृति विवरण तथा आवास सहित छात्रावासीय सुविधाओं के मूल्यांकन हेतु कॉलेज, विद्यालय एवं आवासीय विद्यालयों का मासिक निरीक्षण शामिल था। योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधी अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि निरीक्षण नहीं किया गया।

3-7-6 fu"d"k

योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि प्रत्येक योजना के तहत लक्षित छात्रों को सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। इन आँकड़ों के अभाव में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु निधि के आबंटन का कोई आधार नहीं था तथा प्रत्येक योजना में शामिल छात्रों को गणना नहीं की जा सकी। अ. जा./ अ. ज. जा. छात्रों का विशाल तबका निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण छात्रवृति पाने से वंचित रहा। कर्मियों को पदास्थापित नहीं किए जाने के कारण औद्योगिक विद्यालय बंद हो गए।

vu|'klk

- लक्षित आबादी का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

- लक्षित लोगों के बीच जारी योजनाओं के लाभ एवं अन्य पहलुओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाया जाना चाहिए।

- विद्यालय, कॉलेज, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर नियमित अंतराल पर प्रभावी अनुश्रवण लागू किया जाना चाहिए।

सरकार को उपुर्यक्त मामले प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2006) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

v/;k;&IV

lEiknu ys[kkijh{kk

4-1 lnL;kLin diVi.k fudkl h@nfo'fu;kstu@xcu@gkfu

ty lalk/ku foHkkx

4-1-1 diVi.k Hkqxrku

LVksu fpIl dh <qykbZ ij 17-84 yk[k #i;s dk diVi.k Hkqxrku djus ds vfrfjä lkexzh ij 3-51 yk[k #i;s dk jk;YVh dh olwyh ugha dh xbZA

e[; vfHk;ark] ty lalk/ku foHkkx] iVuk us iVuk e[; ugj ds 53 fd-eh- ,oa 57-90 fd-eh- ds chp MCyw- ch- ,e- 0;ogkj iFk ds fuekZ.k ,oa ekyh&jtokgk ds thjks fd-eh- rFkk 17-457 fd- eh- ds chp dh lajpuk ds iqu:)kn dk;Z dks 80-54 yk[k #i;s ,oa 56-40 yk[k #i;s dh ykxr ij nks lafonkvksa dks vkcafVr fd;kA

vuqca/k ds vuqlkj LVksu esVy ,oa fpIl dks djcfn;k [kku] jkgrkl ls çkIr djuk Fkk rnuqlkj yhM lyku ¼dk;Z&LFky ls 105 fd- eh-½ r; fd;k x;kA foi= ek=k ds vuqlkj nkuksa dk;ksZa esa 6190 ?ku eh- LVksu esVy ,oa fpIl dk iz;ksx gksuk Fkk ftlesa ls 6076 ?ku eh- LVksu fpIl dh [kir gqbZA

ys[kkijh{kk esa tkap ls Li"V gqvk ¼twu 2005½ fd 496 VªdksaZ }kjk 3511 ?k- eh- LVksu fpIl dh <qykbZ ds fy, lafonkdksa }kjk tek fd;k x;k pkyku ftyk [kuu inkf/kdkjh }kjk fuxZr ugha fd;k x;k Fkk tSlk fd ys[kkijh{kk }kjk vuqjks/k djus ij mUgksaus iekf.kr fd;k ¼uoEcj 2005½ rFkk dgk fd ;s tkyh izrhr gksrs gSaA blls izdkj fcuk LVksu fpIl dh okLrfod iwfrZ dk lafuf'pr fd, gh lafonk dks 3511 ?k- eh- LVksu fpIl dh <qykbZ ij 17-84 yk[k #i;s[1] dk diVi.k Hkqxrku fd;k x;k ¼ekpZ 2006½A blds vfrfjä lkexzh l s jk;YVh ds en esa 3-51 yk[k #i;s olwyh; FkkA ekeys dk foLr`r tkap dh vko';drk gSA

ekeys ljdkj dks izfrofnr fd, x, ¼ekpZ 2006½(mÙkj vizkIr Fks ¼vDVwcj 2006½A

---

[1] 3511 घ. मी. के कुल जाली चालानों की गणना दोनों कार्यों के लिए अलग–अलग स्टोन चिप्स के उपयोग एवं ढुलाई के लिए किए गए भुगतान के संदर्भ में समानुपातिक आधार पर की गई थी।

xzkeh.k fodkl foHkkx

4-1-2 ljdkjh /ku dk nqfofu;kstu@xcu

ç[k.M dk;kZy;ksa esa lafgrk çko/kkuksa dk ikyu ugha djus ds dkj.k 10-32 yk[k #i;s ds ljdkjh /ku dk xcu lEHko gqvkA

fcgkj dks"kkxkj lafgrk Hkkx&1 ds fu;e 86 esa izko/kku gS fd izR;sd ljdkjh lsod tks ljdkj dh vksj ls jkf'k izkIr djrk gS mls tYn ls tYnh jkf'k dks yku nsu gsrq lHkh dks vfHkys[k jksdM cgh esa ntZ djuk vko';d Fkk rFkk jksdM cgh esa ntZ izR;sd izfo"Vh dks dk;kZy; iz/kku }kjk vfHkizekf.kr djuk pkfg,] FkkA izR;sd fnu jksdM iath dk lekiu ,oa lR;kiu fd;k tkuk pkfg,A dk;kZy; iz/kku dks jksdM iath dk tksM+ Hkh lR;kfir djuk pkfg,A ekg ds vUr esa mUgsa jksdM'ks"k dk HkkSfrd lR;kiu djrs gq,] bl ls lEcaf/kr izek.kidj.k ntZ djuk pkfg,A uewuk tk¡p esa ;g ik;k x;k fd iz[kaM fodkl inkf/kdkfj;ksa us bu izko/kkuksa dk ikyu ugha fd;k ftlls 10-32 yk[k #i;s dh ljdkjh jkf'k dk vYi[kkdj.k@ nqfofu;kstu rFkk xcu gqvk tks fuEu of.kZr gS %

Øe la-	xcu dh dk;Z ç.kkyh	xcu dh vof/k	xcu dh jkf'k ¼yk[k #i;s esa½
	ç[k.M fodkl dk;kZy;] Vsdkjh] x;k ¼uewuk tk¡p ebZ o fnlEcj 2005½		
1	Mh- vkj- Mh- ,-] x;k ls Vsdkjh iz[kaM ds jksdM+iky }kjk twu 2001 ,oa ekpZ 2002 ds chp izkIr fd, x, 15-59 yk[k #i;s cSad esa tek fd, x, ¼twu 2001 ls vizSy 2002½A jksdMiky@iz- fo- in- }kjk 15-59 yk[k #i;s dh fudklh Lo;a psd }kjk dh xbZ ,oa nqfofu;kstu fd;k x;kA iz- fo- in- Vsdkjh ¼x;k½ ds vfHkys[kksa dh uewuk tk¡p ¼fnlEcj 2005½ ls Li"V gqvk fd foHkkx us dsoy 15-59 yk[k #i;s esa ls 11-83 yk[k #i;s ds xcu dks <w<+ fudkyk Fkk rFkk rRdkyhu ukftj ds f[kykQ ,Q vkbZ vkj ntZ fd;k Fkk ¼twu 2004½A blh chp ukftj us 3-95 yk[k #i;s tek dj fn;k ¼flrEcj 2002 ls Qjojh 2003½A rFkkfi foHkkx }kjk 3-76 yk[k#i;s ds xcu dk irk ugha yxk;k tk ldk rFkk ys[kkijh{kk }kjk irk yxkbZ xbZ ¼ebZ 2005½ jkf'k dh olwyh ds fy, dksbZ dkjokbZ ugha dh xbZA	2001&02	3-76
2	18 vizSy 2002 dks 31-50 yk[k #i;s dh dqy izkfIr ¼vo'ks"k 5-81 yk[k #i;s $ 25-69 yk[k #i;s½ ds fo:) izkfIr okys fgLls dk dqy ;ksx dsoy 27-90 yk[k #i;s n'kkZ;k x;kA blds dkj.k 3-60 yk[k #i;s ls jksdM dh deh gqbZ ftls jksdMiky }kjk xcu dj fy;k x;kA	2002&03	3-60

Øe l-	xcu dh dk;l ç.kkyh	xcu dh vof/k	xcu dh jkf'k ¼yk[k #i;s esa½
3	vlek;kftr@vLohdr iek.kd ds :i esa jkdM+ ds vr%'k"k ds Hkkx ds :i esa n'kkbZ xbZ 56 yk[k #i;s esa 2-96 yk[k #i;s Hkqxrku ds fy, i- fo- ink- }kjk ifjr ugha fd, x, Fks ysfdu mlus 31 ekpZ 2005 dks jkdM+ ds vr%'k"k ds Hkkx ds :i esa n'kk;k x;k FkkA blds ifj.kke 2-96 yk[k #i;s ds jkdM+ dh deh@xcu fudykA	2004&05	2-96
	dqy		10-32

mi;qä ekeys ljdkj dks izfrofnr fd, x, ¼tqykbZ 2006½(mudk mÙkj viszklr Fkk ¼vDVwcj 2006½A

ty lalk/ku foHkkx

4-1-3 feêh dh lnqgkLin <qykbZ ij Hkqxrku

vLFkkbZ Hkwfe dks gLrkarj.k] Qly {kfrifrZ dk Hkqxrku ,oa eq[; vfHk;ark }kjk okLrfod :i ls fudkyh xbZ feêh dk çekf.kr ugha djus rFkk iqujhf{kr yhM lyku ds vHkko esa lanxd dk feêh dh lnqgkLin <qykbZ ds fy, 2-86 djksM+ #i;s dk Hkqxrku fd;k x;kA

eq[; vfHk;ark] ty lalk/ku foHkkx us tefu;k eq[; iEi dsuky ¼0 fd-eh- ls 18-20 fd-eh-½ esa feêh dk;Z ds fØ;kUo;u gsrq ekpZ 2003 ls fnlEcj 2005 ds chp dh dk;Zi.kkrk frfFk fu/kkZfjr djrs gq, 1992&1998 ds nkSjku i`'Bkluhd vuqeksnu ,oa 2-43 djksM+ #i;s dh 1998&2002 ds chp rduhdh Lohd`fr nhA ey vkdyu ds vuqlkj feêh <qykbZ ds fy, 1-5 fd-eh- ¼yxHkx½ dk yhM fn;k x;k FkkA mlh dk;Z ds pkj vuqca/kksa[2] dh ueuk tkap ls Li"V gqvk fd dk;Z LFky ij feêh dh vuqiyC/krk ds vk/kkj ij fnlEcj 2000 ls tqykbZ 2005 dh vof/k esa t- l- foHkkx }kjk yhM bl 'kÙkZ ij iqujhf{kr fd;k x;k fd Hkqxrku djus ds igys eq[; vfHk;ark }kjk ;kf=d lk/kuksa }kjk dh xbZ feêh <qykbZ dh tkap dh tk,xh ,oa ekiiqLr esa vko';d izek.kd ntZ fd;k tk,xkA rnuqlkj iqeMy }kjk ;kf=d lk/kuksa ls feêh <qykbZ djus gsrq 5 fd- eh- ¼yxHkx½ ds vfrfjä yhM dk lanxd ds lkFk vuqiwjd vuqca/k fd;k x;k ifj.kkeLo:i 2-39 djksM+ #i;s dh vkdfyr ykxr c<+dj 5-07 djksM+ #i;s gks xbZA iqeMy us flrEcj 2004 rFkk tuojh 2006 ds chp lanxd dks 6-40 yk[k ?ku ehVj feêh dh <qykbZ ds fy, 2-86 djksM+ #i;s vf/kd dk Hkqxrku fd;kA

;g Li"V gqvk fd feêh <qykbZ gsrq iqujhf{kr yhM lyku ;Fkk mlus Hkks[kM+ dk fooj.k tgka ls feêh çkIr djuh ,oa <qykbZ dh tkuh Fkh] ey ds

---

[2] (ए) 5 एफ$_2$/1998–99 : 98.18 लाख रुपये ; (बी) 29 एफ$_2$/2000–01 : 57.40 लाख रुपये ; (सी) 5 एफ$_2$/2002–03 : 57.31 लाख रुपये ; (डी) 40 एफ$_2$/2004–05 : 22.71 लाख रुपये

lkFk&lkFk vuqiijd vuqcU/k ds vfHkys[k esa Hkh miyC/k ugha FkkA eq[; vfHk;ark }kjk eki&iqLr esa iek.kd nt ugha Fkk tks fd Hkqxrku djus ds igys vifs{kr FkkA blds vfrfjä mi;qä dk;Z ds fy, 6-40 yk[k ?ku eh- feêh fudkyk x;k Fkk ysfdu og L=ksr tgka ls feêh ykbZ xbZ lqfuf'pr ugha fd;k tk ldk D;ksafd ifjeMy u u rks vLFkkbZ :i ls Hkwfe vftZr dh Fkh u gh dkbZ Qly {kfriwfrZ dk Hkqxrku fd;k Fkk tcfd vkdyu esa bldk izko/kku FkkA

vr% eq[; vfHk;ark }kjk ;Fkkfof/k vuqeksfnr iqujhf{kr yhM lsyku ds vHkko esa] vLFkkbZ Hkwfe dks vftZr ugha djus] Qly {kfriwfrZ dk Hkqxrku ugha djus rFkk eq- v- }kjk lacf/kr ekiiqLr esa <qykbZ dh xbZ okLrfod feêh dk izekf.kr ugha gksus ls 2-86 djksM+ #i;s dk Hkqxrku feêh dh lansgkLin <qykbZ ij FkkA

ekeys ljdkj dks izfrosfnr fd, x, ¼twykbZ 2006½(mudk mÙkj vizkIr Fkk ¼vDVwcj 2006½A

4-1-4 voekud fleasV dh vkiwfrZ ds dkj.k gkfu

voekud fleasV ds fy, Hkqxrku rFkk tekuk ugha yxkus ds vfrfjä voekud dk;Z fØ;kfUor djus ds dkj.k 1-12 djksM+ #i;s dh gkfuA

funs'kd] Ø; ,oa ifjogu] ty lalk/ku foHkkx us fnlacj 2002 ,oa tuojh 2003 ds chp vkbZ ,l 269@1989] 33 xzsM ds vuq:i 19464 ,e Vh fleasV dh vkiwfrZ dk vkns'k fn;kA Ø;k vkns'k ds c/ku ,oa 'krksZa esa ;g vuqcaf/kr Fkk fd voekud xq.koÙkk dh vkiwfrZ ik, tkus ds ekeys esa vkiwfrZdÙkkZ }kjk viuh ykxr ij mls cnyk tk,xk vkSj blds vfrfjä vkiwfrZ fd, x, fleasV ds ewY; ds nks izfr'kr dh nj ls tekuk Hkh yxk;k tk,xkA vkiwfrZdÙkkZ dks ijhf{kr izeMy }kjk cSad MªkÝV ds ek/;e ls] ftls çkQkekZ foi= ds fo:) rS;kj j[kuk Fkk] Hkqxrku djuk FkkA ijhf{kr xksnkeksa esa dqy ek=k dh iqfLr ,oa fliksVZ pkbZ vuqla/kku lalFkku ¼vkbZ vkj vkbZ½] [kxksy] iVuk ls vk- ds- tkp izfrosnu dh iqfLr ds ckn vkiwfrZdÙkkZ dks mi;qä cSad MªkÝV nsuk FkkA

vfHkys[kksa dh uewuk tkap ¼tuojh 2006½ ls Li"V gqvk fd vkbZ vkj vkbZ dh tkap izfrosnu ¼15-3-2003 ls 19-8-2003½ ds vuqlkj nl ifjeMyksa[3] dks ebZ 2003 ,oa ekpZ 2004 ds chp dsoy ^,^ }kjk vkiwfrZ dh xbZ 1-19 djksM+ #i;s ewY; dh 33 xzsM dh 4712 ,e Vh fleasV fofunsZ'ku ls uhps FkkA vkiwfrZ fd, x, fleasV dks tc cqyk ds rhu fgLlks ds lkFk feyk;k x;k rks mldh lEihMd lkeF;Z ¼ifjf'k"V&XXXIII½ uks ekxk ikLdy ls 20 ekxk ikLdy ds ch; ikbZ xbZ tcfd 33 xzsM fleasV ds fy, 16 ekxk ikLdy ls 33 ekxk ikLdy ds chp vis{kr FkkA funs'kd] Ø; ,oa ifjogu us eq[;

---

[3] 1. सिंचाई प्रमंडल सं.–3, जमुई (12/02 से 6/03), 2. पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना (1/03 से 6/03), 3. तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी (अनु.), 4. सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज (1/03 से 9/03), 5. पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा (01/03 से 6/03), 6. सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा (02/03 से 06/03), 7. त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज (05/03 से 03/04), 8. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय, 9. गंगा पंप नहर प्रमंडल, बटेश्वरस्थान (03/03 से 04/03)

vfHk;rk dk tkap ifrounu dh leh{kk rd Qel dk Hkqxrku jksdus dk funs'k fuxZr fd;k ¼ekpZ 2003½A rnuq:i vkifrZdÙkkZ dk voeqDr fleV cnyus dk funs'k fn;k x;k ¼twu 2003½A ysfdu vkifrZdÙkkZ us voeqDr fleV dks ugha cnyk ,oa vkB izeMyksa[4] us ljdkj ds funs'k ds foijhr tuojh 2003 ,oa ekpZ 2003 ds chp 1-10 djksM+ #i;s dk Hkqxrku fd;k ;gka rd fd 2-25 yk[k #i;s dk tqekuk Hkh ugha yxk;k tSlk fd Ø; vkns'k esa mfYyf[kr FkkA

;g Hkh ns[kk x;k fd 2003&06 dh vof/k esa N% izeMyksa[5] ds varxZr voeqDr fleV dk iz;ksx 8-11 djksM+ #i;s eY; ds dk;ksZa esa fd;k x;k ,oa ,d izeMy ¼fr- u- izeMy] ujdfV;kxat½ esa 30-75 ,e Vh fleV HkaMkj esa iM+k Fkk ¼ekpZ 2006½ rFkk nwljs izeMy ¼ck- fu- iz- cxqljk;½ us 57-5 ,e- Vh- fleV yksVk fn;k FkkA blizdkj ftl dk;Z esa fleV dk iz;ksx fd;k x;k Fkk mldh xq.koÙkk okfNr ekunaM dh ugha FkhA

vr% voeqDr fleV ds fy, Hkqxrku ,oa tqekuk ugha yxkus ds dkj.k ljdkj dks 1-12 djksM+ #i;s dh gkfu gqbZ rFkk 8-11 djksM+ #i;s eY; ds dk;Z esa voeqDr fleV dk iz;ksx fd;k x;kA

funs'kd] Ø; ,oa ifjogu us viuss mÙkj esa dgk ¼Qjojh 2006½ fd fcuk xq.koÙkk tkap ifrounu ds gh Hkqxrku ds fy, lacaf/kr vf/kdkfj;ksa dh tckonsgh fu/kkZfjr dh tk,xh ysfdu nks"kh vf/kdkfj;ksa ds fo:) tqykbZ 2006 rd dksbZ dkjokbZ ugha dh xbZ FkhA

ekeyk ljdkj dks izfrofnr fd, x, ¼tqykbZ 2006½(iklr mÙkj esa ys[kkijh{kk }kjk mBk, x, fcUnq ij dksbZ tokc ugha FkkA

xzkeh.k fodkl foHkkx

4-1-5 [kk|kUuksa dk ys[kk tks[kk ugha

8-48 djksM+ #i;s eY; ds 6186 ,e Vh [kk|kUu dk ys[kk tks[kk ugha FkkA

dsUnz iz;ksftr lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk ¼,t th vkj okbZ½ dk mís'; xzkeh.k bykdksa esa vfrfjä nSfud jkstxkj rFkk [kk|&lqj{kk iznku djuk FkkA bl mís'; dh iwfrZ ds fy, Hkkjr ljdkj ¼Hkk- l-½ nSfud etnwjksa dks ikap fdyksxzke@Je fnol dh nj ls etnwjh ds Hkqxrku gsrq ftyk xzkeh.k fodkl vfHkdj.kksa ¼Mh vkj Mh ,½ dks eq¶r esa pkoy iznku djrh gSA Hkkjr ljdkj }kjk ,l th vkj okbZ ds rgr vkoafVr pkoy dks Mh vkj Mh , }kjk fd, x, vkoaVu ds vk/kkj ij Hkkjrh; [kk| fuxe ¼,Q lh vkbZ½ }kjk fuxZr ikf/kdkj ij ,Q lh vkbZ ds utnhdh xksnkeksa ls jkT; [kk| fuxe ¼,l ,Q lh½ ds ftyk Lrj ds xksnkeksa dks iklr dj ysuk FkkA blds ckn

---

[4] 1. सिंचाई प्रमंडल सं. 3, जमुई, 2. पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना, 3. तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी,, 4. सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज, 5. पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा, 6.सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा, 7. त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज, 8. गंगा पंप नहर प्रमंडल, बटेश्वरस्थान

[5] सिंचाई प्रमंडल सं. 3, जमुई, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय

,l ,Q lh dks Mh vkj Mh , }kjk ;kstuk fØ;kUo;u vfHkdj.kksa dks fd, x, vkoaVu ds vuqlkj tu forj.k iz.kkyh ¼ih Mh ,l½ ds Mhyjksa dks forfjr djuk FkkA

Mh vkj Mh , njHkaxk] ,Q lh vkbZ] ,l ,Q lh] lkr ueuk tkfpr iz[k.Mksa[6] rFkk 85 iapk;rksa ds lkFk&lkFk 129 ih Mh ,l Mhyjksa ,oa ukyanok ftys ds nks iz[k.Mksa ds vfHkys[kksa dh ueuk tkap ls Li"V gqvk fd njHkaxk esa 5561 ,e Vh pkoy rFkk ukyank esa 625 ,e Vh pkoy dk y{[kk tks[k ugha Fkk ftldk fooj.k vuqoÙkhZ dafMdkvksa esa fn;k x;k gS %

- Mh vkj Mh , }kjk fd x, vkoaVu ds vk/kkj ij ,l ,Q lh] njHkaxk us ,Q lh vkbZ ds xksnke ls 2001&04 ds nkSjku 21849 ,e Vh pkoy izkIr fd;kA blesa ls 18429 ,e Vh dh vkiwfrZ ih Mh ,l Mhyjksa dks dh xbZA 'ks"k 3420 ,e Vh ds cnys ,l ,Q lh ds vfHkys[k esa dsoy 787 ,e Vh gh n'kkZ;k x;k FkkA vr% ,l ,Q lh] njHkaxk esa 2633 ,e Vh dk y{[kk tks[kk ugha FkkA
- ,l ,Q lh] njHkaxk us ikap iz[k.Mksa[7] dks 3909 ,e Vh pkoy dh vkiwfrZ fd;k ftlesa ls dsoy 2062 ,e Vh dk gh mi;ksx gqvk FkkA ih Mh ,l Mhyjksa ds ikl 'ks"k 1847 ,e Vh gksuk pkfg, Fkk tcfd og 637 ,e Vh gh FkkA vr% 1210 ,e Vh dh deh FkhA blds vfrfjä lkr iz[k.Mksa[8] ds 85 iapk;rksa ds ih Mh ,l Mhyjksa ds ueuk tkap ls Li"V gqvk fd ,l ,Q lh }kjk iapk;rksa dks vkiwfrZ dh xbZ 5133 ,e Vh pkoy esa ls iapk;r lsodksa@ih Mh ,l Mhyjksa }kjk dsoy 3415 ,e Vh dk gh mi;ksfxrk izek.k i= fn;k x;k ysfdu 'ks"k ek=k dk dksbZ y{[kk ugha fn;k tk ldk ifj.kkeLo:i 1718 ,e Vh dk de y{[kk tks[kk FkkA
- ukyank ftys ds nks iz[k.Mksa[9] ds ih Mh ,l Mhyjksa ds vfHkys[kksa dh ueuk tkap ls Li"V gqvk fd ,l ,Q lh ls izkIr fd, x, 1720 ,e Vh pkoy esa ls 705 ,e Vh dk forj.k fd;k x;k ysfdu HkaMkj esa 'ks"k 390 ,e Vh gh Fkk tcfd 1015 ,e Vh gksuk pkfg, Fkk] ifj.kkeLo:i 625 ,e Vh dk de y{[kk tks[kk FkkA

vr% 8-48 djksM+ #i;s eqY; ds ¼13705 izfr ,e Vh dh nj ls½ 6186 ,e Vh pkoy dk y{[kk tks[kk ugha Fkk ,oa blds foLr`r tkap dh vko';drk gSA

ekeyk ljdkj dks izfrosfnr fd, x, ¼ebZ 2006½(mudk mÙkj vizkIr Fkk ¼vDVwcj 2006½A

4-1-6 vukf/kd`r Hkqxrku

> *vkbZ , okbZ fuf/k ls xyr ch ih ,y ifjokjksa dks 1-37 djksM+ #i;s dk vukf/kd`r Hkqxrku ds vfrfjä 6-29 yk[k #i;s dk lansgkLin HkqxrkuA*

dsUnz izk;ksftr bfUnjk vkokl ;kstuk ¼vkbZ , okbZ½ dk mís'; xjhch js[kk ls

[6] दरभंगा, बहादुरपुर, मनीगाँछी, सिंघवारा, केवटी, हयाघाट तथा बहेरी

[7] केवटी, मनीगाँछी, सिंघवारा, हयाघाट, बहेरी

[8] बहादुरपुर, बहेरी, दरभंगा, हयाघाट, केवटी, मनीगाँछी तथा सिंघवारा

[9] बिहारशरीफ एवं हिलसा

uhp ¼ch ih ,y½ d xkeh.k ifjokjk dk fuokl d fy, edku miyC/k djkuk FkkA e/kqcuh ftys dk 2004&05 d nkjk o l lHkh ifjokjk dk ftud edku 2004 e ck<+ e iqjh rjg <g x, Fk] mUgs lgk;rk inku dju gr vkb , okb d ekxnf'kdk e fu/kkfjr lHkh 'kÙkk dk iijk dju d 'kÙk d lkFk 58-37 djkM #i; dh vkb , okb fuf/k miyC/k djkb xb rFkk fuf/k dk fopyu Lohdk;l ugh FkkA

e/kqcuh ftys d iMky] e/kqij rFkk jfgdk i[kM d vfHkys[kk dh ueuk tkp ¼tu&vxLr 2005½ l vkb , okb fuf/k d forj.k e fuEufyf[kr vfu;ferrk,¡ ikb xbA

¼i½ iMky ,o e/kqij i[kM d rgr vkb , okb d 24[10] ykHkkfFk;k dk 1998&2003 d ipfyr ch ih ,y lfp l feyku dju ij Li"V gvk fd 170 ,sl ykHkkfFk;k ¼iMky % 110 (e/kqij % 60½ dk] ftudk uke ch ih ,y lfp e ugh Fkk] 2001&05 d nkjku 30-78 yk[k #i;[11] dk Hkqxrku fd;k x;kA blds vfrfjä ftykf/kdkjh }kjk vkink ic/ku foHkkx] fcgkj ljdkj dk iLrr ifronu d vuqlkj 26 e l doy 11 ipk;rk dk gh ck< iHkkfor ?kkf"kr fd;k x;k FkkA ysfdu xj ck< iHkkfor ipk;rk d 422 0;fä;k dk 2004&05 d nkjku vfu;fer :i l 1-01 djkM #i; forfjr fd, x,A

¼ii½ vkb , okb ekxnf'kdk d vuqlkj ,d gh ifjokj d nk lnL;k dk Hkqxrku oftr FkkA e/kqij i[kM e 2004&05 d nkjku 40 ifjokjk d 91 lnL;k dk 5-70 yk[k #i; dk Hkqxrku fd;k x;k rFkk fdlh Hkh ekey e ch ih ,y l[;k vfHkys[k e mfYyf[kr ugh FkkA

¼iii½ jfgdk i[kM e 2004&06 d nkjku fcuk ipk;r lod] tu lod ;k dekpkjh }kjk lefpr igpku fd,] tSlk fd ftykf/kdkjh u funs'k fn;k Fkk rFkk ikIrdÙkk d fcuk gLrk{kj d 61 ykHkkfFk;k dk 6-29 yk[k #i; d vkb , okb fuf/k ¼ck<½ dk Hkqxrku fd;k x;k rFkk 0;; iek.kd lcf/kr ch Mh vk }kjk gLrk{kfjr ugh FkA vr% 6-29 yk[k #i; dk Hkqxrku lnigkLin FkkA

bl idkj vkb , okb fuf/k d 1-43 djkM #i; dk vuf/kdr Hkqxrku fd;k x;k ftld fy, dkb ftEeokjh fu/kkfjr ugh dh xbA ekey dh tkp gkuh pkfg,A

iNrkN fd, tku ij iMky ,o e/kqij i[kM d ch Mh vk ,o vpykf/kdkjh u dgk fd ykHkkfFk;k dk p;u fty dk;ky; e miyC/k o"k 2004 d ch iy ,y lfp d vk/kkj ij fd;k x;k rFkk okfNr lpuk d vHkko e ch ih ,y l[;k nt ugh dh xbA mÙkj Lohdk;l ugh Fkk D;kfd

---

10 लाभार्थियों की संख्या : (ए) पंडौल प्रखंड (बेलाही, मेधौल तथा भगवतीपुर पंचायत) : 143 (बी) मधेपुर प्रखंड (दारह पंचायत) : 100, कुल 143 + 100 = 243 लाभार्थि

11 2001–02 में 2.48 लाख रुपये ; 2002–03 में 2.40 लाख रुपये, 2003–04 में 2.40 लाखरुपये तथा 2004–05 में 23.50 लाख रुपये।

mi;ä vof/k e jkT; e 1998&03 dh ch ih ,y lfp gh ykx Fkh rFkk nkuk inkf/kdkjh vkb , okb ekxnf'kdk dk vuikyu dju e ukdke jgA

ekeyk ljdkj dk ifrofnr fd, x, ¼eb 2006½(mud mÙkj vikIr Fk ¼vDVcj 2006½A

ekuo lalk/ku fodkl foHkkx
¼mPp f'k{kk½

4-1-7 vuf;fer :i l fu;ä dfe;k d oru d Hkxrku d dkj.k {kfr

> *mPpre U;k;ky; d vkn'k dk mYy?ku djr g, fo'ofo|ky; u dfe;k dk lok e cgky j[kk ftl d dkj.k mud oru Hkxrku ij 88-21 yk[k #i; dk vfu;fer Hkxrku fd;k x;kA*

ekuuh; lokPp U;k;ky; u viu fu.k; ¼,l , l[;k 6098@1997 ij vDVcj 2004½ e o l lc) dkyt tk] tk vxLr 1986 e vxhHkr dkyt d :i e ifjofrr fd, x, Fk d v/;kiu ,o xj v/;kiu dfe;k d lekos'ku gr ekxnf'kdk fu/kkfjr fd;k FkkA dkV d }kjk xfBr ,d lnL;h; tkp lfefr d fu"d"k dk Lohdkj djr g, fu.k; e o l dfe;k] ftudh fu;fä ;k rk Lohd`r in ij gbZ Fkh ;k ml vfrfjä in ij dk;Z dj jg Fk ftldh vu'kalk fo|ky; }kjk jkT; ljdkj dk fu;r frfFk ¼30 vizSy 1986½ d igy Hkt nh xbZ gk] dk lekos'ku dju dk vkn'k fn;kA o l dfe;k] ftudh vu'kalk fo'ofo|ky; }kjk fu;r frfFk d ckn dh xbZ ;k vLohd`r in ij dk;Zjr Fk] d lekos'ku ij fu.k; e jkd yxkbZ xbZ FkhA

Hkhejko vEcsMdj fcgkj fo'ofo|ky;] eqt¶Qjiqj d pkj vxhHkr dkyst ¼lEc) dkyst l ifjofrZr½ d vfHkys[kk dh uewuk tkp ¼eb 2006½ l Li"V gvk fd 23[12] v/;kid ,o 38[13] xj v/;kiu dehZ ¼oxZ III % 24 ,o oxZ IV % 14½ ekuuh; mPp U;k;ky; d fu.k; dk mYy?ku djr g, lok e dk;Zjr Fk D;kfd budh lok u rk igy l gh Lohd`r in ij Fkh u gh bud uke tkp lfefr }kjk lekos'ku d fy, vu'kafLr lfp e vfdr Fkk rFkk bUg 2005&06 d lgk;rk vuqnku l uoEcj 2004 l Qjojh 2006 rd dh vof/k dk iwoZ iqujhf{kr oruekuk e 88-21 yk[k #i; ¼v/;kidk dk 54-67 yk[k #i; ,o xj v/;kiu dfe;k dk 33-54 yk[k #i;½ dk oru Hkxrku fd;k x;kA ;g Hkh rd fd fo'ofo|ky; }kjk jkT; ljdkj dk uoEcj 2005 e izf"kr 2006&07 d ctV dh iLrkouk e ;g dgr g, fd v/;kiu ,o xj v/;kiu dfe;k dh ifjyfC/k;k dh x.kuk ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; ¼lh- ,- l[;k 6098@1997½ d vkyksd e dh xbZ g] xyr iek.ki= fuxr fd;k x;kA

iqu% fo'ofo|ky; u mUg lok l c[kkZLr dju d cny vkn ,y ,l okbZ dkyst] cfr;k d 17 v/;kidk ,o lerk dkyst] tankgk d ,d v/;kid d lekos'ku@fu;fer dju gr vf/klpuk tkjh fd;kA gkykfd 'k"k ikp

12 आर एल एस वाई कालेज, बेतिया (20); समता कालेज, जंदाहा (3)

13 आर एल एस वाई कालेज, बंतिया (27), समता कालेज, जंदहा (7) ; महिला कालेज, हाजीपुर (2), के सी टी सी कालेज, रक्सौल (2)

v/;kidk rFkk 38 xj v/;kiu dfe;k d fy, dkb vf/kl puk fuxr ugh dh xbA vf/kl puk vkn'k dh tkp l ;g Hkh Li"V gvk fd lekos'ku@fu;fer dju grq vf/kl fpr vkj ,y ,l okb dky t] cfr;k d 17 v/;kid vxhHkr dky t cuu d fnu dky t e dk;jr ugh FkA bl i dkj tkp lfefr d ifrounu d vuqlkj o v;kX; FkA

vr% fo'ofo|ky; }kjk v;kX; dephkfj;k dh lok e vfu;fer :i l tkjh j[ku d dkj.k 88-21 yk[k #i;s dk vfu;fer Hkqxrku gvkA

foHkkx u tokc fn;k ¼uoEcj 2006½ fd ys[kkijh{kk }kjk mBkb xb vkifÙk jkt; ljdkj d fopkjk/khu gA

4-2	fu"Qy@0;Fk 0;; ,o vf/kd Hkqxrku

ykd LokLF; vfHk;=.k foHkkx

4-2-1 ckyh d =qVhi.k eY;kadu d dkj.k gkfu

> *ckyh d =qVhi.k eY;kadu d dkj.k vfu;fer Ø; vkn'k fn;k x;k ftll 2-45 djkM #i;s dh gkfu d vfrfjä 58 yk[k #i;s dk tqekuk ugh yxkA*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने विभिन्न आकार के 84126 मीटर नमनीय लौह पाइप (डी आई पाइप) की प्राप्ति के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना जारी किया। बोली में कलकत्ता स्थित दो फर्म 'ए' एवं 'बी' ने भाग लिया। दिल्ली स्थित एक दूसरी फर्म 'सी' ने अच्छे उत्पाद एवं अधिक प्रतियोगी दर का दावा करत हुए विभाग से निविदा की नियत तिथि (03.11.2004) को एक माह बढ़ाने हेतु अनुरोध किया (अक्टूबर 2004) ताकि वह बोली में शामिल हो सके। तथापि फर्म के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया एवं क्रय समिति ने केवल कलकत्ता स्थित दो फर्मो के प्रस्ताव पर विचार किया।

तदनुसार दोनों फर्मों को उनके द्वारा प्रस्तावित मदवार न्यूनतम दर पर 83212 मीटर पाइप के लिए 8.46 करोड़ रुपये मूल्य के दस क्रयादेश दिए गए (मार्च एवं जुलाई 2005)। क्रयादेश निर्गत की तिथि से 60 दिनों के भीतर सामग्रियों की आपूर्ति करनी थी जिसमें विफल होने पर आदेशित मूल्य के 10 प्रतिशत का अधिकतम जुर्माना लगाना था। तथापि मार्च 2005 के सात क्रयादेश के विरूद्ध सामग्रियों की सुपुर्दगी जुलाई–अगस्त 2005 की अवधि में हुई। सुपुर्द की गई मात्रा के लिए 5.79 करोड़ रुपये का भुगतान बिना किसी जुर्माने के की गई क्योंकि 2.12.2005 को भूतलक्षी प्रभाव से सुपुर्दगी अवधि 4.8.2005 तक बढ़ी दी गई जो औचित्यहीन था।

लेखापरीक्षा द्वारा कंपनी 'ए' के 2003–04 वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि कंपनी 'बी', 'ए' की सह कंपनी थी। इसकी पूष्टि कंपनी 'ए' के उस पत्र (जुलाई 2005) से भी हुई जिसमें उसने कंपनी 'बी' की ओर भुगतान प्राप्त करने के लिए दावा किया था। यह देखा गया कि प्रथम निविदा को अंतिम रूप देते समय अभिलेख में उपलब्ध प्रमाण जो निविदा दस्तावेज का भाग था, पर विचार करने में विभाग विफल रहा। अभिलेखों की जाँच नहीं करने से प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया निष्प्रभावी हुई तथा पूरी निविदा प्रक्रिया एकल निविदा मामला बन कर रह गई।

विभाग द्वारा पिछली निविदा जैसी विर्निदेशन के विभिन्न आकार के 171167 मीटर पाइप प्राप्त करने के लिए दूसरी विविध निविदा आमंत्रित की गई (अगस्त 2005)। इस बार कलकत्ता की कंपनी 'ए' एवं दिल्ली की 'सी' ने बोली में हिस्सा लिया जिसका कीमत वाला भाग 8.9.2005 को खोला गया।

लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रील 2006) यह पाया गया कि कंपनी 'ए' द्वारा दूसरी निविदा में प्रस्तावित दर में 24 से 38 प्रतिशत की भारी कमी थी। फर्मों द्वारा दूसरी निविदा में उद्घृत दर की पहले की निविदा में अनुमोदित दर से तुलना करने पर अन्तर राशि का कुल योग 2.45 करोड़ रुपये निकला (ifjf'k"V&**XXXIV**)।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2006) कि 'बी' का अलग अस्तित्व था एवं वह अलग से डी जी एस डी दर अनुबंध वाला भी था। दूसरी निविदा में दर में कमी के संबंध में विभाग ने कहा कि दर में कमी के लिए उत्पादन की तकनीक एवं कच्चे माल तथा अन्य संबंधित मदों की कीमत में परिवर्तन जिम्मेवार था।

कंपनी 'बी' की स्थिति के संबंध में विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कंपनी मार्च 2004 से ही कंपनी 'ए' की सहायक थी तथा यह अलग डी जी एस डी दर अनुबंधी वाली भी नहीं थी क्योंकि डी जी एस डी दर अनुबंध के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वह 'बी' की नहीं बल्कि दूसरी कंपनी को निर्गत किए गए थे और वह भी 7.1.2003 तक ही वैद्य था। इस कंपनी ने बोली प्रक्रिया में भाग भी नहीं लिया था। पहली निविदा के विरूद्ध प्राप्त अधिक दर स्पष्टतः प्रतियोगी बोली के अभाव के कारण थी जबकि इसकी उपस्थिति से दूसरी निविदा में विभाग ने लाभ उठाया।

अतः क्रय समिति के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण विभाग को 2.45 करोड़ रुपये की क्षति हुई साथ ही 58 लाख रुपये (ifjf'k"V&**XXXV**) का जुर्मान नहीं लगाया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

ekuo lalk/ku fodkl foHkkx

4-2-2 uofu;ä fuf"Ø; f'k{kdk dk osru Hkqxrku djus dk dkj.k {kfr

ftyk f'k{kk v/kh{kd] vkjk ,oa e/kcuh }kjk xyr fu.k; fy, tkus ds dkj.k fuf"Ø; i"kf'kf{kr fo|ky; f'k{kdk ds osru ij 1-92 djksM+ #i;s dh {kfrA

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने जिलाधिकारी, आरा को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु 366 सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा (अगस्त 1999) किया। विभाग के आदेशानुसार (दिसंबर 1999) जिलाधिकारी को अप्रशिक्षित उम्मीदवारों (315) के लिए विद्यालयों में उनके पदास्थापना के पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी थी। इसी बीच जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधीक्षक (डी एस ई), आरा को 315 उम्मीदवारों के प्रभार स्वीकार करने का निर्देश दिया (दिसंबर 1999)।

प्रशिक्षण कार्यक्रम मई 2000 में आयोजित किए गए। उम्मीदवार दिसंबर 1999 से अप्रील 2000 की अवधि में बिना कार्य के रहे एवं मार्च 2004 में उनको बकाए वेतन के रूप में 39.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

जिलाधिकारी, आरा ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पूष्टि की तथा कहा कि 39.35 लाख रुपये के निष्फल व्यय के लिए डी एस ई जिम्मेवार थे।

पुनः अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवार को उसकी नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर प्रशिक्षण देना था तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान वे वृत्तिका जो मैट्रिक अप्रशिक्षित शिक्षक के मूल वेतन के बराबर था, के हकदार थे।

अभिलेखों की नमूना जाँच (सितंबर 2005) में यह पाया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, मधुबनी द्वारा फरवरी 2001 से दिसंबर 2003 के बीच अनुकंपा के आधार पर 109 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। नवंबर 2002 से सितंबर 2003 के दौरान 109 शिक्षकों में से केवल 44 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियोजित किया गया। इस अन्तराल में उनके वेतन व भत्ते पर 37 लाख रुपये का व्यय किया गया। पुनः बाकी 65 शिक्षक अपने प्रशिक्षण की प्रत्याशा में अक्टूबर 2005 तक जि. शि. अ. के कार्यालय में प्रतिक्षारत थे। तथापि उन्हें निष्क्रिय अवधि (फरवरी 2001 से अक्टूबर 2005) के लिए अनियमित रूप से 1.16 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान किया गया। इन शिक्षकों का प्रशिक्षण नवंबर 2005 में शुरू हुआ।

अतः प्रशिक्षण देने में विलंब एवं उन्हें बिना कार्य के रखने के कारण उनके वेतन भुगतान पर 1.53 करोड़ रुपये की क्षति हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रील 2006)। उत्तर में (जून 2006) सरकर ने लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार किया तथा कहा कि डी एस ई, मधुबनी को संबंधित शिक्षकों के वेतन से अधिक भुगतान की गई राशि को प्रतिमाह 2000 रुपये की दर से कटौती कर वसूली का आदेश दिया गया है। उन्होंने कथित डी एस ई के विरूद्ध विभागीय कारवाई भी आरम्भ कर दी है।

ekuo l:lk/ku fodkl foHkkx ¼mPprj f'k{kk½

4-2-3 vfu;fer :i l: çkR lkgu o:ru of)

jkT; ljdkj d: }kjk jkd d: ckotn ch vkj , fcgkj fo'ofo|ky; u: v/;kidk dk çkRlkgu o:ruof) fn;k ifj.kkeLo:i 4-21 djkM: #i;: dk vuf/kd`r Hkxrku gvkA

राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान में एक जनवरी 1996 के प्रभाव से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) पैकेज लागू किया। पैकेज के खंड 6 (iv) में पी एच डी/ एम फील डीग्रीधारी प्राध्यापकों के लिए उनके सेवाकाल में दो अग्रिम वेतनवृद्धि का प्रावधान था।

भीमराव अम्बेदकर, बिहार विश्वविालय, मुजफ्फरपुर ने शिक्षा विभाग से इस बिन्दू पर स्पष्टीकरण माँगा (अक्टूबर 2003) कि जिन प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पी एच डी डिग्री की प्राप्ति एक जनवरी 1996 से पहले की है क्या वे दो अग्रिम वेतनवृद्धि के हकदार थे क्योंकि एक जनवरी 1986 से यू जी सी वेतनमान को लागू करने के राज्य सरकार के आदेश (अगस्त 1989) में स्पष्ट था कि बिना रिसर्च डिग्री वाले विद्यमान प्राध्यापक या बिना रिसर्च डिग्री के भविष्य में नियुक्त होने वाले प्राध्यापक दो अग्रिम वेतनवृद्धि के हकदार नही होंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सूचित किया (अगस्त एवं सितंबर 2004) कि इस संबंध में यू जी सी से स्पष्टीकरण माँगा गया है तथा जब तक यू जी सी से स्पष्टीकरण प्राप्त न हो जाए अग्रिम वेतनवृद्धि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच कुलपति ने उन प्राध्यापकों

को, जिन्होंने पी एच डी डिग्री 1.1.1986 के बाद एवं एक जनवरी 1996 से पहले प्राप्त की थी, उन्हें बिना राज्य सरकार से माँगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर प्राप्ति के ही 27 जुलाई 1998 के प्रभाव से दो अग्रिम वेतनवृद्धि दे दिया (फरवरी 2004)।

बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच (मई 2006) से स्पष्ट हुआ कि एक जनवरी 1996 से पहले पी एच डी डिग्री प्राप्त करने वाले 674 प्राध्यापकों को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 35(ii) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी पद से संबद्ध वेतन भत्ते के रूप में अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के सृजन की मनाही थी, के प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए दो अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई। अतः 569 प्राध्यापकों (प्रोफेसर : 118, रीडार : 351 एवं लेक्चरर : 100) को जुलाई 2001 से जनवरी 2006 एवं मार्च 2006 की अवधि के लिए दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण भत्ते को शामिल करते हुए 4.21 करोड़ रुपये (अनुमानित) का अनियमित भुगतान किया गया। 27 जुलाई 1998 से जून 2001 की अवधि का शेष भुगतान किया जाना है (जुलाई 2006)।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (नवंबर 2006) कि बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय ने सरकार के किसी निर्णय के पहले ही अग्रिम वेतन वृद्धि का भुगतान किया।

xkeh.k fodkl foHkkx
¼xkeh.k vfHk;=.k lxBu½

4-2-4 fu"Qy 0; ;

dk;Zikyd vfHk;Urk] xkeh.k vfHk;=.k lxBu ¼vkj b ;k½ ieMy] lqiky ,o lgjlk }kjk nk l rhu o"kkZ rd v/kjs iFk dk;Z ,o mldk vuqi;qä fØ;kUo;u dk dkj.k 1-08 djkM #i;s dk fu"Qy 0; ;A

बिहार लोक कार्य संहिता[14] में उद्धृत है कि व्यय के अभिप्रेत लक्ष्य प्राप्त करने एवं सुगम यातायात के लिए पथ कार्य का निर्माण पथ की पूरी लंबाई में केवल मिट्टी कर्ा एवं गिट्टी कार्य करने के बदले सीमित लम्बाई में उसके सभी मदों को पूरा करना चाहिए।

वैसे सभी ग्रामीण इलाकों, जिनकी आबादी 500 से अधिक थी, को हर मौसम के लायक अच्छे पथ के माध्यम से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई (दिसंबर 2000)। आर ई यो प्रमंडल, सुपौल एवं सहरसा के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित स्पष्ट हुआ :

(अ) आर ई ओ प्रमंडल, सुपौल ने दो पथों[15] (4.8 कि. मी. लम्बाई) को दिसंबर 2002 तक निर्माण करने हेतु अगसत 2002 में अनुबंध (1.01 करोड़ रुपये मूल्य के) किया। लेकिन केवल 4.4 कि.मी. में ग्रेड I गिट्टी स्तर तक ही कार्य पूरा कर संवेदक द्वारा बिना कोई कारण बताए छोड़ दिया गया (मार्च 2003)। कोई अलकतरा कार्य नहीं किया गया तथा दिसंबर 2005 तक मौसम की दया पर अधूरा पड़ा था। तथापि संवेदक को सितंबर 2003 में 27.71 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

---

[14] *परिशिष्ट 'अ' – मुख्य सचिव के परिपत्र संत्र एल./स्था.–108/81–462 दि. मार्च 1982*

[15] *पैकेज सं. बी. आर 35–03 (भूरा से भूरा पत्तीस, चुन्नी विश्व बैक से चरनी)*

(ब) आर ई ओ प्रमंडल, सहरसा ने नौ पथों[16] का निर्माण दिसंबर 2002 एवं दिसंबर 2003 तक पूरा करने हेतु जून 2002 एवं जून 2003 में अनुबंध (11.83 कि. मी. कुल लम्बाई के लिए क्रमशः 1.45 करोड़ रुपये तथा 2.29 करोड़ रुपये मूल्य के) किया। इसमें से अक्टूबर 2004 तक चार पथ (4.98 कि. मी.) केवल मिट्टी कार्य स्तर तक एवं चार पथ (6.2 कि. मी.) केवल सोलिंग स्तर तक निर्मित हुए थे। किसी भी पथ में अलकतरा कार्य नहीं किया गया था। तथापि संवेदक को अक्टूबर 2004 में 80.62 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

चूँकि अधूरे पथ पर अलकतरा कार्य नहीं करना उसके शीघ्र क्षतिग्रस्त होने का कारण बना एवं उनके माध्यम से जोड़ने का कार्य हासिल नहीं किया जा सका, अधूरे कार्य के लिए किया गया 1.08 करोड़ रुपये का भुगतान निष्फल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

ty l:lk/ku foHkkx

4-2-5 vkifr:drk dk vn; lgk;rk d: dkj.k 72-57 djkM+ #i;: dh {kfr

fcgkj foÙkh; fu;ekoyh dk mYya?ku djrs gq, lafonk nuk] le; ij lkefxz;ka dk mBku ea foyac] Ø;kns'k dk /khjs /khjs fuxZr djus ,oa u, Ø;kns'k dk mPprj nj ij fuxZr djus ds dkj.k 72-57 yk[k #i;s dk vfrfjä 0;; gqvkA

निदेशक, क्रय तथा परिवहन, जल संसाधन विभाग ने विभिन्न विनिर्देशन के नम्र इस्पात छड़ के क्रय हेतु संविदा आमंत्रित (मई 2003) किया। निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त के अनुसार बोलीकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित दर की वैद्यता 31.3.2004 तक प्रभावी थी। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 का उल्लंघन करते हुए जिसमें एकल बोली प्राप्त होने की स्थिति में नई बोली आमंत्रित करने का प्रावधान था, बोली लगाने वाली पटना अवस्थित एकमात्र कंपनी 'ए' को क्रयादेश निर्गत किया गया। अगस्त 2003 एवं जनवरी 2004 के अन्तराल में 10.58 करोड़ रुपये मूल्य के 5278 एम. टी. छड़ के लिए पाँच क्रयादेश जारी किए गए। क्रय की मात्रा बाद में पुनरीक्षित कर (अक्टूबर 2003) 3862 एम टी कर दी गई। इस्पात के मूल्य में तेज वृद्धि को देखते हुए सचिव, ज सं वि ने भी मुख्य अभियंताओं को मूल्य वृद्धि से बचने हेतु तुरंत छड़ उठाने का निर्देश दिया था (अगस्त 2003) जिसमें विफलता से विभाग को होने वाली क्षति के लिए संबंधित मुख्य अभियंताओं की जिम्मेवारी होती।

अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2006) से ज्ञात हुआ कि मूल्य वृद्धि से बचने के लिए तुरंत सामग्रियों को प्राप्त करने के सरकार के निर्देश के बावजूद विभाग ने सुस्ती से कार्य किया एवं अगस्त 2003 से जनवरी 2004 के बीच टूकड़े–टुकड़े में क्रयादेश निर्गत किया। यहाँ तक कि अगस्त 2003 से नवंबर 2003 के दौरान निर्गत किए गए चार क्रयादेश की पूरी आदेशित मात्रा (3455 एम टी) भी प्रमंडल द्वारा क्रयादेश में निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाई गई। परिणामस्वरूप केवल 2182 एम टी छड़ ही उठाई जा सकी। मार्च 2004 तक दर की वैद्यता के बावजूद एजेंसी ने शेष नहीं उठाई गई मात्रा

---

[16] *पैकेज सं. – बी आर 29–01 तथा बी आर 29–03–04 (रखुआ से सोनबरास, माली से बुधमा तथा मुरीचक से खुरसन, फतेहपुर से कशनगर, अमृता से मंगवाँ, खाजुचक से कोशी बेंध, सलखुआ से कोशीबंध, सलखुआ से हेरेबा, सवितो से कोशीबेंध)*

की आपूर्ति करने से इंकार कर दिया। जनवरी 2004 में 407 एम टी हेतु क्रयादेश को भी एजेन्सी ने इस्पात के मूल्य में वृद्धि के कारण मानने से इंकार कर दिया।

तदुपरांत विभाग ने 407 एम टी छड़ की आपूर्ति के लिए जनवरी 2004 में निर्गत क्रयादेश को रद्द कर दिया (फरवरी 2004) तथा छड़ की आपूर्ति के लिए नई संविदा आमंत्रित किया (मई 2004)। दो एजेंसियों, जिसमें चूककर्ता एजेंसी (2.32 करोड़ रुपये) भी शामिल थी, को 2039 एम टी छड़ की आपूर्ति 28100 रुपये प्रति एम टी से लेकर 29550 रुपये प्रति एम टी तक के बढ़े हुए दर पर 5.80 करोड़ रुपये मूल्य के तीन क्रयादेश निर्गत किए गए (जून 2004 एवं फरवरी 2005)। परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रुपये मूल्य के 906.027 एम टी इस्पात छड़ के क्रय (फरवरी 2006) पर सरकार ने 72. 57 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

तथापि, क्रय आदेश निर्गत करने में विलंब तथा पूरी आदेशित मात्रा नहीं उठाने के कारण न तो संबंधित मुख्य अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराया गया न ही विभाग ने एजेंसी को काली सूचि में डाला। एजेंसी को भी कमी पूरा करने के लिए नहीं कहा गया। इसके बदले 407 एम टी छड़ की आपूर्ति के लिए जनवरी 2004 में निर्गत क्रय आदेश को विभाग ने रद्द कर दिया (फरवरी 2004) एवं छड़ की आपूत्रि के लिए नई संविदा आमंत्रित किया (मई 2004)।

अतः बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए विभाग द्वारा संविदा देना (मई 2003), समय पर सामग्रियों को उठाने में विभाग की विफलता, क्रयादेश निर्गत करने में विलंब तथा अधिक दर पर नए कार्यादेश देने (जून 2004 एवं फरवरी 2005) के कारण 72.57 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर (फरवरी 2006) में निदेशक, क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, ज. सं. वि. ने जहाँ प्रेषित सामग्री को उठाने में परेषिति प्रमंडलों की अक्षमता को स्वीकार किया वहीं दावा किया कि अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति से एजेंसी के इंकार का कारण लोहे की कीमत में वृद्धि थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सेल ने जनवरी 2004 में प्राफार्मा इनव्याइस पर विभाग द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं करने के कारण क्रयादेश को स्वीकार नहीं किया था। इसके अतिरिक्त मार्च 2004 तक लोहे की लागत में बिना कोई वृद्धि का दावा कर सामग्री आपूर्ति करने के लिए फर्म संविदा दायित्त्व से बँधा था एवं विभाग के पास जुर्माना लगाने तथा चूककर्ता एजेंसी को काली सूचि में डाल देने का अधिकार सुरक्षित था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

iFk fuek.k foHkkx

4-2-6 ljdkj dks {kfr

dk;Zikyd vfHk;ark }kjk fcuk fuf/k iko/kku ds fufonk vkef=r djus ,o dkVZ esa vihy nk;j djus esa foyac ds dkj.k 97-10 yk[k #i;s dh {kfrA

बिहार लोक कार्य विभाग संहिता के नियम 130 के अनुसार जब तक प्रशासनिक अनुमोदन न प्राप्त कर लिया गया हो, एक समुचित विस्तृत रुपांकन एवं आकलन अनुमोदित न कर लिया गया हो, व्यय की स्वीकृति न दे दी गई हो, निधि का विनियोजन न किया गया हो तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य शुरू करने का आदेश

निर्गत न कर दिया गया हो तब तक कोई कार्य न तो प्रारंभ किया जाएगा और न ही दायित्व ही उठाया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर के अभिलेख की जाँच (जनवरी 2006) से स्पष्ट हुआ कि हाजीपुर–भैरोपुर–महनार पथ (30 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण हेतु 4.57 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 1993) दिया गया एवं 4.22 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (सितंबर 1993) दी गई। इसके अतिरिक्त महनार–मोहिउद्दीन नगर पथ (5 कि. मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण के लिए भी 0.87 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई (सितंबर 1993)। दोनों कार्यों को 16 भाग में बाँटा गया एवं दो निविदाएँ नवंबर 1993 एवं दिसंबर 1993 में आमंत्रित की गई। एक निजी कंपनी 'ए' कार्य के तीन हिस्से की बोली में जिसकी कुल आकलित लागत 1.89 करोड़ रुपये थी, में शामिल हुआ। दोनों कार्यों का समापन दो वर्षों के भीतर करना था। मुख्य अभियंता से अनुमोदन कराने हेतु अधीक्षण अभियंता को एजेंसी के निविदा दस्तावेज के साथ साथ तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत की गई (मार्च 1994)। लेकिन उपर्युक्त दस्तावेज न तो प्रमंडल को लौटाया गया न ही मुख्य अभियंता स्तर पर की गई कारवाई से प्रमंडल को सूचित किया गया, इस प्रकार कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त कार्य को प्रदान करने/समापन की प्रत्याशा में संसाधनों को जमा करने पर हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी 'ए' ने सब जज, हाजीपुर के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया (जुलाई 1997)। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने माननीय कोर्ट में कहा कि निधि के आवंटन के अभाव में कार्यादेश निर्गत नहीं किया जा सका तथा तदनुरूप कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया (मई 2000) कि कंपनी 'ए' को 60 दिनों के भीतर 52.49 लाख रुपये की निर्णित राशि का भुगतान किया जाए जिसमें विफल होने पर जुर्माने के अतिरिक्त भविष्य में सूद देना होगा।

तथापि विभाग ने उच्च न्यायालय में 14 महीने बाद अर्थात 90 दिनों की अनुज्ञेय अविध के बाद, अपील दायर किया (अक्टूबर 2001) जिसे कोर्ट ने विलंब के लिए उचित कारण के अभाव में खारिज कर दिया। विलंब का कारण प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा सरकार वकील को अपील तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराना था। तदनुरूप विभाग ने कंपीन 'ए' को अक्टूबर 2004 तथा मार्च 2005 के बीच 97.10 लाख रुपये[17] का भुगतान किया। इस प्रकार निधि के आबंटन बिना संविदा आमंत्रित करने तथा उच्च न्यायालय में अपील दायर करने में भी हुए विलंब के कारण विभाग को 97.10 लाख रुपये की क्षति हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मार्च 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

4-2-7 mifj iqy iFk ds fuekZ.k ds fy, lgefr Kkiu

bjdku ds lkFk lgefr Kkiu ij gLrk{kj djus esa jkT; ds foÙkh; fgr dk /;ku ugha j[kus ds dkj.k 86-28 djksM+ #i;s ds U;wure vfrfjä nkf;Ro dh iwfrc)rkA

बिहार सरकार ने रेलवे तथा इसकी एजेंसी के साथ साझा लागत के आधार पर राज्य पथों पर 32 उपरि पूल पथ के निर्माण का निर्ण लिया (जून 2004)। इससे संबंधित

[17] *क्षतिपूति : 37.18 लाख रुपये ; जुर्माना सूद : 14.81 लाख रुपये (28.1.95 से 25.7.97) ; कोर्ट में व्यय : 0.50 लाख रुपये ; अतिरिक्त सूद : 44.61 लाख रुपये (26.7.97 से 30.9.06) : कुल 97.10 लाख रुपये*

प्रस्ताव अक्टूबर 2004 में निर्गत किए गए एवं प्रशासनिक अनुमोदन मार्च 2005 में दिया गया। तदनुरूप 669.48 करोड़ रुपये की आकलित लागत पर 17 उपरि पूल पथ[18] के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग, रेलवे मंत्रालय एवं मेसर्स इरकॉन लि. के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (मई 2005)। सहमति ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार को अतिक्रमण मुक्त जमीन उपलबध कराना था तथा 11 उपरि पूल पथ के लिए अपना हिस्सा (258.85 करोड़ रुपये) रेलवे के पास जमा करना था। राज्य सरकार ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से इरकॉन को 50 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया।

लेखापरीक्षा ने उपरि पूल पथ निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा इरकॉन के साथ मई 2005 में हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन एवं भारतीय उच्च पथ प्राधिकारण (एन एच ए आई) द्वारा इरकॉन के साथ हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन की तुलना की गई। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि :

- एन एच ए आई से अनुबंध उपरि पूल पथ के प्रस्तावित निर्माण वाले संबंधित राज्य के लोक कार्य विभाग के नवीनतम अनुसूचित दर (एस. ओ. आर.) पर आधारित मूल दर को ध्यान में रखते हुए पथ परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) के चालू डाटा पुस्त पर आधारित था लेकिन राज्य सरकार के सहमति ज्ञापन में केवल यह कहा गया था कि लागत प्रस्तावित आकलन राज्य सरकार एवं क्षेत्रिय रेलवे द्वारा सहमति प्राप्त सामान्य व्यवस्था रुपांकन (जी ए डी) पर आधारित होगा। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रुपांकन संगठन, बिहार, पटना के कार्यालय में उपरि पुल 52!1 के आकलन की जाँच की गई जिसमें पाया गया कि इरकॉन द्वारा प्रस्तुत लागत विभागीय अनुसूचित दर पर आधारित मानक से 31 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त संसूचित (जुलाई 2004 एवं सितंबर 2004) 11 उपरि पूल पथ की लागत प्रशासनिक अनुमोदन करते समय बिना कोई कारण बताए 192.14 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 431.42 करोड़ रुपये कर दिया गया। उत्तर में विभाग ने कहा (अक्टूबर 2006) कि यह अनुमोदित जी ए डी के आधार पर किया गया जो स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जी ए डी का अनुमोदन, कुछ परिवर्तनों के साथ जिसका विवरण ifjf'k"V&**XXXVI** में दिया गया है, मई से सितंबर 2005 के दौरान किया गया था।

- एन एच ए आई के सहमति ज्ञापन में इरकॉन को भुगतान किया जाने वाला कुल प्रभार (प्रबंधन शुल्क) आकलित लागत का केवल सात प्रतिशत था वहीं राज्य सरकार के सहमति ज्ञापन में वह 13.5 प्रतिशत था। प्रभार में प्रबंधन शुल्क एवं स्थापना तथा सामान्य प्रभार के रूप में आकलित लागत का क्रमशः सात प्रतिशत एवं 6.5 प्रतिशत शामिल था हाँलाकि विभाग ने बैठक (नवंबर 2004) में यह विचार रखा था कि रुपांकन एवं योजना, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि सहित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने की लागत में प्रबंधन शुल्क को शामिल किया जाना चाहिए। अभिलेख में बिना कोई कारण बताए इसकी उपेक्षा कर दी गई। इसके अतिरिक्त सहमति ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार को कर्मियों, उपकरण , अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, बिहार राज्य में स्थित कार्यालयों एवं आवासों, अनिवार्य कर, इरकॉन द्वारा प्रोजेक्ट के लिए सीधे तौर पर भुगतान किए गए सभी कर, लीज, पंचाट लागत, प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कोई संयंत्र या मशीनरी तथा क्षेत्र इकाइयों के लिए सामान एवं फर्नीचर सहित सभी

---

[18] साझा लागत के आधार पर 11 उपरि पूल पथ एवं सम विकास योजना के तहत छः उपरि पूल पथ

कार्यालय उपकरणों पर आई वास्तविक लागत का भुगतान करना था जबकि एन एच ए आई के साथ हुए सहमति ज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

- एन एच ए वाई के साथ हुए सहमति ज्ञापन में जहाँ डी पी आर एन एच ए वाई द्वारा प्रदान किया था वहाँ आकलित राशि का 0.75 प्रतिशत की दर से तथा जहाँ एन एच ए वाई द्वारा डी पी आर प्रदान नहीं किया गया वहाँ आकलित राशि का 1.5 प्रतिशत की दर से सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं रुपांकन की लागत होती जबकि राज्य सरकार से हुए सहमति ज्ञापन में विस्तृत आकलन तैयार करने के लिए आकलित लागत के पाँच प्रतिशत का भुगतान करना था।

- मूल्य परिवर्तन, राज्य सरकार को मासिक प्रगति प्रतिवेदन/प्रक्षेपित मासिक योजना, कार्य कार्यक्रम का उपस्थापन, बिहार सरकार द्वारा प्रगति के अनुश्रवण/समीक्षा, पहुँच/निरीक्षण का अधिकार, विलंब के लिए जुर्माना/परिसमापन, सहमति ज्ञापन की वैद्यता, सुविधाओं के स्थानांतरण/पुनर्स्थापना के लिए किए गए भुगतान के समर्थन में/प्रमाणकों का उपस्थापन, कार्य पूरा करने की समय सारणी जैसे आवश्यक प्रावधान राज्य सरकार के साथ किए गए सहमति ज्ञापन में शामिल नहीं किए गए थे जबकि एन एच ए आई के साथ हुआ सहमति ज्ञापन में शामिल थे। विभाग में उत्तर में कहा (अक्टूबर 2006) कि वह इसकी जाँच कर रहा है एवं भविष्य में इसे शामिल किया जाएगा।

अन्य पाई गई खामियाँ थी :

- रेलवे अभियंत्रण संहिता के पैरा 1816 के अनुसार विद्यमान लेवल क्रासिंग का बदलने की लागत का बँटवारा, जो मूल रूप से रेलवे द्वारा वहन किया जाता था, 50:50 होना था लेकिन बिहार सरकार 60 प्रतिशत भुगतान करने के लिए राजी हुई थी।

- राष्ट्रीय सम विकास योजना के छः उपरि पूल पथ को बिना प्रशासनिक अनुमोदन के ही शामिल किया गया।

- राज्य सरकार से जी ए डी के अनुमोदन (मई 2005 एवं उसके बाद) के पहले ही इरकॉन द्वारा संविदा आमंत्रित की गई (दिसंबर 2004 एवं अप्रील 2005)। विभाग ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2006) कि कार्यहित में प्रशासनिक अनुमोदन के पहले ही निविदा आमंत्रित की गई, अस्वीकार्य था क्योंकि यह संहिता प्रावधानों का उल्लंघन था।

- राज्य सरकार ने इरकॉन को बिना भूमि अर्जित किए ही 50 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किया (अक्टूबर 2005) जो इरकॉन के पत्र (मई 2006) से स्पष्ट था। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना ने भी इसकी पूष्टि की कि उपरि पूल पथ के निर्माण के लिए भूमि अर्जित नही की गई थी।

संक्षेप में, राज्य सरकार ने लागत के बँटवारे, स्थापना शुल्क एवं लागत आकलन जो बढ़े हुए थे क्योंकि विभागीय अनुसूचित दर (एस ओ आर) पर आकलन तैयार नहीं

किया गया था, के मद में 86.28 करोड़ रुपये[19] के अतिरिक्त न्यूनतम दायित्व से स्वयं को बाँध दिया। दायित्व के और अधिक बढ़ने के संकेत हैं क्योंकि लागत आकलन अनिर्णित था एवं छः उपरि पूल पथ की लागत अभी तय की जानी थी। अतः पथ निर्माण विभाग ने एक ऐसे सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो राज्य सरकार के वित्तीय हित में नहीं था।

विभाग का उत्तर (अक्टूबर 2006) इरकॉन द्वारा लिए जाने वाले अधिक शुल्क के बिन्दू पर मौन था। विभाग ने यह भी उद्घृत किया कि वह एन एच ए आई के समझौता ज्ञापन की जाँच कर रहा है तथा तद्नुसार भविष्य में शामिल किया जाएगा।

ykd LokLF; vfHk;=.k foHkkx

4-2-8 lngkLin Hkqxrku

ejEer ,o j[kj[kko dk; ij fcuk fdlh leFkd çek.kd ,o gkftjh jftLVj d gLr jlhn ij 1-62 djkM #i;; dk Hkqxrku fd;k x;kA

बिहार लोक कार्य विभाग संहिता में प्रावधान है कि जहाँ भी व्यय एक हजार रुपये से अधिक हो वहाँ कार्य के विस्तृत आकलन की तैयारी एवं सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए तथा किसी विभागीय कार्य का क्रियान्वयन या आपूर्ति आदेश (2000 रुपये मूल्य से अधिक) बिना निविदा आमंत्रित किए या बाजार दर पर नहीं देना चाहिए। अधीक्षण अभियंता ने अक्टूबर 2005 में पुनर्निर्देशित किया कि कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में रखे मानक मापी पुस्तिका में मरम्मत एवं रखरखाव कार्य की मापी अवश्य दर्ज करनी चाहिए। कार्य में लगे मजदूरों के आरंभिक अभिलेख के रूप में हाजिरी रजिस्टर को प्रतिदिन लिखना चाहिए, केवल चेक एवं ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम का भुगतान करना चाहिए तथा सभी भुगतान के समर्थन में मजदूरी एवं सामग्री अवयव को विधिवत अलग अलग कर प्रमाणक होना चाहिए।

लो. स्वा. अभि. प्रमंडलों[20] के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य (विभागीय रूप से क्रियान्वित) से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि कार्य के लिए मजदूर–ठेकेदारों[21] को मजदूरी एवं सामग्री अवयव पर किए गए भुगतान को बिना अलग किए 5770 हस्त रसीदों के माध्यम से 1.62 करोड़ रुपये का भुगतान (2003–05) किया गया। अभिलेख में न तो प्रयोग की गई सामग्रियों की क्रय का अभिश्रव न ही मजदूरों को किए गए भूगतान का हाजिरी रजिस्टर उपलब्ध था। प्रमंडल में 2000 रुपये से 10000 रुपये मूल्य के बीच के कार्य का आकलन भी उपलबध नहीं था। मापी पुस्तिका के बदले हस्त रसीद पर मापी दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त उन कार्यों का समापन प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं था। यद्यपि प्रमंडल में 420 कार्यभारित[22] एवं 171 दैनिक कर्मी[23] थे एवं उनके तनख्वाह पर 2004–05 के दौरान 86 लाख रुपये[24] का व्यय किया गया था, उनका उपयोग नहीं किया गया। अतः प्रमंडल मरम्मत एवं

---

19 *86.28 करोड़ रुपये (शेयर में वृद्धि : 43.14 (258.85 – 215.71) करोड़ रुपये + 431.42 करोड़ रुपये के 6.5 प्रतिशत अतिरिक्त एजेंसी चार्ज (28.04 करोड़ रुपये) + 431.42 करोड़ रुपये के विस्तृत आकलन तैयार करने हेतु 3.50 प्रतिशत अधिक (15.10 करोड़ रुपये)*

20 *पटना पूर्व एवं पटना पश्चिम प्रमंडल*

21 *इन मजदूर–ठेकेदारों की पहचान अज्ञात है क्योंकि ये पंजीकृत ठेकेदार/मजदूर नहीं थे एवं अभिलेख में उनका पता दर्ज नहीं था।*

22 *पटना पूर्व : 167 एवं पटना पश्चिम : 253*

23 *पटना पूर्व : 72 एवं पटना पश्चिम : 99*

24 *पटना पूर्व : 45 लाख रुपये एवं पटना पश्चिम : 41 लाख रुपये*

रखरखाव पर 1.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया लेकिन इसे लेखापरीक्षा में प्रमाणित नही किया जा सका क्योंकि सामग्रियों के क्रय प्रमाणक, कार्यरत मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर तथा कार्य के आकलन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

इसे इंगित किए जाने पर का. अ. ने कहा (मार्च 2006) कि प्रमंडल द्वारा क्रियान्वित अधिकांश कार्य आकस्मिक प्रकार के थे, जिन्हें तुरंत सुधारना आवश्यक था, अतः उन्हें कार्य की संविदा या संबंधित औपचारिकता के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता था। दोनों प्रमंडलों ने स्वीकार किया कि व्यय की गई राशि के समर्थन में हाजिरी राजिस्टर, प्रमाणक एवं दखल प्रतिवेदन नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह स्वयं निर्धारित संहिता प्रावधानों का उल्लंघन करता था। इसके अतिरिक्त समर्थ दस्तावेज एवं समापन प्रमाण पत्र के अभाव में ये कार्य संदेहास्पद प्रतीत होते हैं।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

4-3 ifjgk;l@vf/kd@fu"Qy 0;;

ukxj foekuu foHkkx

4-3-1 ok;q;ku dk Ø;

ljdkj enk dk eY; iklr dju e fo0y jgh D;kfd mlu fcuk ifr;kxh ckyh vkef=r fd, 13-23 djkM #i;s dh ykxr ij pyu ls ckgj g, ekMy ds ok;q;ku dk Ø; fd;k tcfd mlh dhiuh dk dkQh mUur ekMy ekeyh vf/kd ykxr ij miyC/k FkkA

राज्य सरकार ने विद्यमान किंग एयर सी – 90 बी वायुयान के स्थान पर एक नए वायुयान के क्रय का निर्णय किया (1998)। विशेष क्रय समिति ने प्रतियोगी ब्रांड के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन, कीमत जिसपर इस विमान को दूसरे राज्य सरकारों एवं सरकारी एजेंसियों ने प्राप्त किया था एवं वैश्विक बोली में इस विमान के विनिंग कर्व सहित 12 बिन्दुओं पर विवरण माँगे (अक्टूबर 2003)। समिति ने उठाए गए उपर्युक्त बिन्दुओं की अनदेखी करते हुए किंग एअर सी – 90 बी के विद्यमान मॉडल के विमान को, इसके उतरने की योग्यता तथा दूसरे मॉडल के विमान के पूर्जे एवं उसके लिए पायलट प्रशिक्षण पर संभावित अधिक लागत के आधार पर, क्रय करने का निर्णय लियाः

अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित स्पष्ट हुआ :

- कोई संविदा आमंत्रित नहीं की गई यद्यपि बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 में स्पष्टतः वर्णित है कि संविदा प्रक्रिया से छूट के लिए मंत्रीमंडल का अनुमोदन अपेक्षित है, जो इस मामले में नहीं प्राप्त किया गया।
- अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे स्पष्ट होता कि प्रतियोगी ब्रांडों के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन किए गये तथा कीमत जिसपर दूसरी राज्य सरकारों तथा सरकारी एजेंसियों ने इस विमान को प्राप्त किया।
- विभाग ने इस विमान का क्रय स्वामित्व मद के रूप में में करने का निर्णय लिया तथापि वित्त विभाग से सलाह के बाद ऐसे क्रय का औचित्य बताते हुए पृथक टिप्पणी, जो बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 30 के तहत अपेक्षित था, अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। उत्तरांचल सरकार तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय

उड़ान एकेडमी, रायबरेली ने इसे स्वामित्व मद में नहीं माना था तथा किंग एअर सी – 90 बी विमान के लिए संविदा आमंत्रित किया था।

- डी जी सी ए के अभिलेख से स्पष्ट था कि 2001 एवं 2006 के दोरान केवल पाँच एजेंसियों द्वारा किंग एअर सी – 90 बी विमान क्रय किए गए। केवल बिहार सरकार ने नए विमान का क्रय किया जबकि दूसरी निजी कंपनियों द्वारा पुराने विमानों का क्रय किया गया था।

- उत्पादनकर्ता द्वारा भेजा गया प्रोफार्मा इनवॉयस भारतीय एजेंट को संबोधित था न कि राज्य सरकार को।

- विमान का क्रय मे. रेथियोन के भारतीय एजेंट द्वारा समर्पित कोटेशन के आधार पर किया गया तथा अभिलेख से यह पता नहीं चलता था कि नगर विमानन विभाग द्वारा दर के औचित्य को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के साथ सीधे मूल्य समझौता करने का प्रयास किया गया।

- उत्पादनकर्ता के भारतीय एजेंट को कमीशन के रूप में 33 लाख रुपये (यू एस डालर में) के भुगतान, जो विमान के मूल्य में शामिल था, का औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। भारतीय एजेंट का पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ रजिस्ट्रेशन, जो भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमावली के तहत अपेक्षित था, अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। एजेंट का आयकर का स्थाई लेखा संख्या (पैन) तथा कमीशन भारतीय मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा इसका उसके द्वारा आश्वासन भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

- बिहार सरकार द्वारा क्रय किया गया विमान का अंतिम पंजीकृत मालिक अमेरिका स्थित रेंज फ्लायर्स इंक था तथा पंजीकरण के समय विमान 44 घंटा उड़ चूका था। तथापि डी जी सी ए में इसका पंजीकरण नए विमान के रूप में हुआ।

- मे. रेथियॉन ने जुलाई 2005 से किंग एअर सी – 90 बी को किंग एअर सी – 90 जी टी से स्थानांतरित कर दिया जो किंग एअर सी – 90 बी से मामूली अधिक मूल्य पर उपलब्ध था। रेथियॉन के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई तुलना (ifjf'k"V&**XXXVII**) से स्पष्ट था कि किंग एअर सी 90 बी की तुलना में हर तरह से किंग एअर सी 90 जी टी का प्रदर्शन बेहतर था।

सरकार प्रतियोगी बोली के अभाव में उपलब्ध हो सकने वाले मूल्य लाभ से वंचित रही। सरकार ने इस क्रय से मुद्रा (13.23 करोड़ रुपये) का मूल्य प्राप्त नहीं किया क्योंकि इसने एक ऐसे चलन से बाहर मॉडल प्राप्त किया जिसकी लागत काफी उन्नत मॉडल की लागत से मामूल कम (6.27 प्रतिशत) थी तथा कंपनी के एजेंट को 33 लाख रुपये का भुगतान किया।

मुख्य सचिव को मामला मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया जिन्होंने छोटे रनवे पर विमान को उतरने की योग्यता, नए मॉडल के विमान के लिए पायलट के प्रशिक्षण पर होने वाली अधिक लागत तथा पूर्जों की उपलब्धता के कारण किंग एअर सी 90 बी विमान के तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर क्रय को न्यायसंगत बताया।

मुख्य सचिव का उत्तर निम्न कारणों से अस्वीकार्य था :

- वेबसाइट पर उपलबध सूचना के आधार पर किंग एअर सी 90 जी टी तकनीकी रूप से किंग एअर सी 90 बी से बेहतर था जो सभी क्षेत्रों से बदल दिया गया था। कठोर, कार्य के अनुरूप सी 90 जी टी चालक को छोटे रनवे या अपरिस्कृत पट्टी पर उतारने की बहुमुखी सुविधा प्रदान करता था जहाँ अधिकतर जेट उतरने में असमर्थ थे।

- अभिलेख में न तो पूर्जों की इनभेंटरी उपलब्ध थी न ही पूर्जों की आपूर्ति के लिए कंपनी के साथ कोई अनुबंध किया गया।

- रेथियॉन एअरक्राफ्ट कंपनी दो पायलटो के लिए पाँच दिवसीय पाठ्यक्रम एवं अनुरक्षण तकनीशीयन के लिए दस दिवसीय पाठ्यक्रम के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देती थी। जबकि, इ. गा. रा. उ. एकेडमी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार किंग एअर सी 90 बी को उड़ाने में सक्षम पायलट को उसी प्रकार के विमान को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण पर उनके पिछले अनुभव के अनुसार 1.75 लाख रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये की लागत आती।

अतः उपर्युक्त विमान को उतरने की क्षमता, पूर्जों की उपलब्धता एवं दूसरे मॉडल के विमान के लिए अधिक प्रशिक्षण लागत को ध्यान में रखते हुए उसे क्रय करने का राज्य सरकार का तर्क स्वीकार्य नहीं था।

सरकार को मामलो को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2006) ; लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदू पर विभाग का उत्तर मौन था (अक्टूबर 2006)।

y?kq flapkbZ foHkkx

4-3-2 osvj ds fuekZ.k ij fu"Qy O;;

vufpr fØ;kUo;u ds dkj.k vis{kr flapkbZ {kerk l`ftr djus esa ;kstuk foQy jgh rFkk 75 yk[k #i;s dk fu"Qy O;; gqvkA

800 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता सृजित करने के उद्देश्य से नाबार्ड–फेज IX के सतह जल योजना के तहत गेरुआ नदी पर वेयर के निर्माण के लिए 79.85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति (दिसंबर 2004) एवं 79.09 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2005) दी गई। नाबार्ड के द्वारा 2003–06 के बीच सात प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 75 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के अभिलेखों की छानबीन (अगस्त 2005) से ज्ञात हुआ कि कार्य जून 2005 तक पूरा करने हेतु एक संवेदक को 81.67 लाख रुपये (आकलित राशि से 4.5 प्रतिशत अधिल) में आवंटित (मार्च 2005) किया। यद्यपि 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका था तथा संवेदक को 75.48 लाख रुपये का भुगतान (दूसरा चालू लेखा विपत्र के माध्यम से) हो चुका था (अगस्त 2005) लेकिन योजना के भौतिक प्रतिवेदन (अगस्त 2005) के अनुसार 200 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन ही किया जा सका। हाँलाकि सिंचित भूमि की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी क्योंकि प्रमंडल में संबंधित अभिलेखों (प्लॉट संख्या, लाभार्थी समिति के नाम इत्यादि जैसे) का संधारण नहीं किया जा रहा था।

संविदा के खंडवाक्य के अनुसार कार्य में प्रयोग होने वाली सभी निर्माण सामग्रियों के गुणवत्ता की जाँच आई एस आई विनिर्देशन के साथ–साथ संवदि में उद्घृत विनिर्देशन

के अनुसार होनी थी। लेकिन प्रमंडल द्वारा 51.50 लाख रुपये[25] मूल्य की सामग्रियों की कोई ऐसी गुणवत्ता जाँच नहीं की गई। चूँकि लेखापरीक्षा को कोई जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, अवमानक सामग्रियों के प्रयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

अतः 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा होने एवं 75.48 लाख रुपये व्यय करने के बावजूद केवल 200 हेक्टैयर भूमि (25 प्रतिशत) के लिए सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मार्च 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

xkeh.k fodkl foHkkx

4-3-3 fcØh dj ,oa foi.ku 'kYd dk Hkxrku dj ,l th vkj okbZ ds jkT;ka'k dk n:i;kx

Mh vkj Mh ,] njHkaxk }kjk 2-67 djkM+ #i;s dh ,l th vkj okbZ fuf/k dk n:i;kx fcØh dj ,oa foi.ku 'kYd ds Hkxrku ij fd, tkus ds dkj.k 9-72 yk[k de ekuo fnol dk jkstxkj lftr gqvkA

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) केन्द्र एवं राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में लागत अंश पर आधारित एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। एस जी आर वाई मार्गदर्शिका के खंड 2.7 के अनुसार खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को भुगतान किए जाने वाले बिक्री कर एवं चूंगी पर किए गए व्यय राज्य सरकार को वहन करना था। योजना के नगद–घटक का उपयोग बिक्री कर एवं शुल्क इत्यादि के भुगतान के लिए नहीं करना था।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए), दरभंगा के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार के निर्देश (मार्च 2002 एवं जुलाई 2005) पर एस जी आर वाई के लिए अपने अंश के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि से बिक्री कर एवं विपणन शुल्क के रूप में 2001–05 के दौरान 2.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

अतः राज्य सरकार ने अपनी एस जी आर वाई अंश का उपयोग बिक्री कर एवं विपणन शुल्क के भुगतान के लिए किया तथा एस जी आर वाई के तहत अपना अंश देने के उत्तरदायित्व को पूरा करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 9.72 लाख[26] कम मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

बताए जाने पर डी आर डी ऐ ने इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार से माँग की (मार्च 2006) जिसकी प्रतिपूर्ति जुलाई 2006 तक नहीं की जा सकी।

25

विवरण	दर (प्रति मी.^{3})	मात्रा (मी.^{3} में)	राशि (लाख रुपये में)
पी सी सी कार्य (1:3:6)	1799.75	2035.85	36.63
पी सी सी/ आर सी सी (1:2:4)	1807.70	556.96	10.06
100 ए. ईंट का बी/डब्ल्यू	1414.45	236.06	3.34
अधिरचना	1415.00	76.41	1.11
गाभेल फिल्टर	377.45	3.37	0.01
गिट्टी	390.60	87.75	0.34
dqy			51-50

26 *26677230 रुपये/ 27.45 रुपये (दैनिक मजदूरी का दर 58.65 रुपये घटाव 5 किलो खाद्यान्न का मूल्य 31.20 3पये = 27.45 रुपये)*

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (अप्रील 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

t y l k/ku foHkkx

4-3-4 fu"Qy 0; ;

dk;ikyd vfHk;rk] ck< fu;=.k ieMy] leLrhij d }kjk ck< fujk/kh Lybl xV d fuek.k dh vi;klr ;ktuk ,o fØ;kUo;u d dkj.k 75 yk[k #i;s dk fu"Qy 0; ; gvkA

जल संसाधन विभाग (ज. स. वि.), बिहार सरकार ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर के तहत बूढ़ी गंडक के वायीं तटबंध के 134 कि. मी. एवं 135 कि. मी. के बीच बाढ़ निरोधी स्लूइस गेट के निर्माण के लिए 80.04 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी (जनवरी 2002)। मुख्य अभियंता, ज. सं. वि. समस्तीपुर ने तटबंध के नजदीक के जलमग्न गाँवों से जल निकासी (1000 क्यूसेक प्रति सेकेंड) के उद्देश्य से 85.89 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी।

स्लूइस गेट के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को 70.85 लाख रुपये के अनुबंधित मूल्य पर जून 2002 तक पूरा करने के लिए आवंटित किया, जिसे बाद में विभाग द्वारा बढ़ाकर अप्रील 2003 कर दिया गया। निर्माण सामग्रियों (ईंट एवं सिमेंट) का कार्य में प्रयोग गुणवत्ता जाँच करने के बाद ही करना था।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि संवेदक को 10वें चालू लेखा विपत्र के माध्यम से 75 लाख रुपये भुगतान (अप्रील 2003) करने के बावजूद (2.72 लाख रुपये का 11 वाँ चालू लेखा विपत्र विभाग के पास अक्टूबर 2006 तक लंबित था), स्लूइस गेट अकार्यशील रहा। मूल तकनीकी सवीकृति का अनुपालन किए बिना कार्य पूरा कर लिया गया एवं अधीक्षण अभियंता, ज. सं. वि., समस्तीपुर द्वारा जून 2003 में मापी पुस्त बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि 1000 क्यूसेक प्रति सेकेंड के जल निकासी प्रवाह के लिए अपेक्षित 102126 घनमीटर मिट्टी खुदाई की मात्रा के विरूद्ध तकनीकी स्वीकृति एवं अनुबंध से अतर्कसंगत रूप से विचलन करते हुए खाई से 46536 घन मी. (46 प्रतिशत) मिट्टी की खुदाई की गई। प्रमंडल ने न तो अनुमोदित अनुबंध एवं तकनीकी स्वीकृति से विचलन का कारण प्रस्तुत किया न ही कोई सक्षम पदाधिकारी से कोई नई तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई, यद्यपि अपेक्षित था।

अतः संवेदक को किया गया 75 लाख रुपये का भुगतान (आकलित राशि का 96 प्रतिशत) निष्फल रहा क्योंकि स्लूइस गेट के अकार्यशील रहने के कारण 1000 क्यूसेक प्रति सेकेंड निकास क्षमता को प्राप्त करने का लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर कार्यपालक अभियंता ने कहा (फरवरी 2006) कि स्लूइस गेट को कार्यशील नहीं बनाया जा सका क्योंकि जल प्रवाह जारी रखने से ग्रामीण पी डब्ल्यू डी पथ में पूल के अभाव में उसे डूबने की आशंका थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना बनाते इस पहलू पर विचार किया जानाा चाहिए था एवं प्रत्याशित बाधा, यदि कोई थी, तो उसकी परिकल्पना पहले ही की जानी चाहिए थी ताकि कोई समाधान निकाला जा सकता।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मार्च 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

4-3-5 dk;l dl vfrfjä en ij vfrfjä 0;;

29 tehnkjh ck/k dl etcrhdj.k ,o mldk Åpk djul dl dk;l el vfrfjä en 'kkfey djul dl dkj.k 1-56 djkM #i;l dk vfrfjä 0;; gvkA

मोकामा टाल क्षेत्र (18000 हेक्टेयर) में बेंहतर कृषि सुविधा (वार्षिक दो फसल का उत्पादन) उपलबध कराने हेतु केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विभाग (ज सं वि) के लिए 28.16 करोड़ रुपये लागत की ''मोकामा टाल जल निकासी योजना फेज–I'' को स्वीकृति किया। योजना के अंतर्गत 74 जमींदारी बाँधों[27] के मजबूतिकरण एवं उन्हें ऊँचा करने के कार्य का क्रियान्वयन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर द्वारा किया जाना था। प्रमंडल ने 12.63 करोड़ रुपये के 29 अनुबंध करने (जनवरी 2005) के बाद 29 जमींदारी बाँधों पर कार्य शुरू किया। इन कार्यों को जून 2005 तक पूरा होना था।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्यितायरपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जाँच (फरवरी 2006) से स्पष्ट हुआ कि मुख्य अभियंता, ज. सं. विभाग, पटना के द्वारा तकनीकी स्वीकृति में (अक्टूबर 2004) पटवन एवं दृढ़ीकरण (8 रुपये प्रति घन मीटर की दर से) का अतिरिक्त मद जोड़ दिया गया जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) के साथ–साथ कार्यपालक अभियंता द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में शामिल नहीं था। पहले से ही डी पी आर में ''संपूर्ण पर पटवन'' का कार्य शामिल था इसलिए इस अतिरिक्त मद की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार प्रमंडल द्वारा अतिरिक्त मद के लिए सभी 29 अनुबंध किए गए (जनवरी 2005) परिणामस्वरूप पटवन एवं दृढ़ीकरण के मद में 1.56 करोड़ रुपये (2397380 घन मीटर)[28] का अधिक व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त ज. सं. विभाग ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिया था (अगस्त 2005) कि डी पी आर में उद्घृत मद के अलावे कोई अतिरिक्त मद क्रियाव्यन के किसी भी स्तर पर शामिल नहीं किया जा सकता। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को जिम्मेवार माना जाएगा। कार्यपालक अभियंता ने उत्तर में कहा (फरवरी 2006) कि जमींदारी बाँध बड़े बाढ़ तटबंध नहीं थे इसलिए विभाग ने इस मद को नहीं शामिल करने का निर्णय लिया। उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि समस्तीपुर जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी ऐसे कार्य बिना उपयुक्त मद को शामिल किए क्रियान्वित किए गए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (मार्च 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

4-3-6 fu"Qy 0;;

[kyh ugj ,o lljx dk fuekk.k ugh djul dl dkj.k l[kk çHkkfor ftyk el flpkbl {kerk lftr djul dk vfHkilr y{; iklr ugh fd;k tk ldk ,o 37-51 djkM #i;l dk 0;; 0;Fk lkfcr gvk rFkk 1-86 djkM #i;l dl vfrfjä C;kt nkf;Ro dk vifjgk;l #i ll yxuk iMkA

तिलैया ढ़ाढर विपथन परियोजना में अब झारखंड में स्थित दामोदर घाटी निगम (डी भी सी) के तिलैया जलाशय से ढ़ाढर नदी को 247 मेट्रिक घन मी टर पानी का विपथन करते हुए सूखाग्रस्त गया एवं नवादा जिले की 31700 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई

---

27 *जमींदारी बाँध : मोकाम टाल क्षेत्र में बहुत सारे ऊँचे–ऊँचे स्थान थे, इन स्थानों पर दो फसली खेती हेतु जमींदारों ने इन क्षेत्रों में ''बाँध'' का निर्माण किया था।*

28 *अनुसूचित दर (आठ रुपये प्रति घन मीटर) से 14 से 15 प्रतिशत कम पर एवं एक अनुबंध में अनुसूचित दर से 4.75 प्रतिशत अधिक पर 29 अनुबंधों के माध्यम से कार्य क्रियान्वित किए गए। अतः 2397.380 घन मीटर के लिए दिसंबर 2005 तक 1.56 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया गया।*

क्षमता सृजित करने का लक्ष्य था। लक्षित क्षेत्रों में सिंचाई करने हेतु परियोजना में जल संवाहक प्रणाली (56.6 क्यूसेक जल प्रवाह के अनुकूल 5.16 कि. मी. लंबी खुली नहर शामिल था), एक सुरंग (घोड़े के नाल के आकार का, लम्बाई : 9.4 कि. मी., ब्यास : 4. 88 मी.), एक लिंक नहर (तिलैया जलाशय से ढाढर नदी में जल के विपथन हेतु एक कि. मी. लम्बी), शीर्षकार्य एवं बराज (2.43 मी. ऊँचा तथा 138 मि. लम्बा) तथ वितरण व्सवस्था का निर्माण शामिल था। परियोजना गया से 30 कि. मी. सोहजाना गाँव के नजदीक स्थिति थी।

परियोजना के लिए 301.79 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 1998) एवं 223.11 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (जून 2000) दी गई। बराज एवं शीर्ष नियामक (एच आर) गेट का निम्रण दो अलग अलग संदेवकों को क्रमशः 17.06 करोड़ रुपये एवं 4.12 करोड़ रुपये की आकलित लागत पर पूरा करने के लिए (मार्च 2001 एवं अगस्त 2004) सौंपा गया (दिसंबर 1998 एवं मई 2003)। परियोजना ग्रामीण अधिरचना निधि के तहत सात प्रतिशत, के ब्याज पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से वित्त पोषित थी।

अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2005) से ज्ञात हुआ कि बराज एवं एच आर गेट का निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा एजेंसी को क्रमशः 14.97 करोड़ रुपये एवं 4.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (फरवरी 2003 तथा फरवरी 2005)। जल संवाहक प्रणाली का निर्माण जिसमें खुली नहर एवं सुरंग शामिल थे, अभी तक (मार्च 2006) शुरू नहीं किए गए। गाइड बाँध एवं वितरण प्रणाली के निर्माण पर क्रमशः 6.81 करोड़ रुपये एवं 11.51 करोड़ रुपये भी व्यय किए गए थे, मार्च 2006 तक 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चूका था। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा मार्च 2003 से दिसंबर 2005 के दौरान स्वीकृत 11.08 करोड़ रुपये के ब्याज के रुप में 1.86 करोड़ रुपये (मार्च 2006) का दायित्त्व भी हो गया था।

कार्यपालक अभियंता ने पूछे जाने पर उत्तर दिया (दिसंबर 2005) कि बिहार राज्य के बँटवारे के बाद ढाढर नदीं में उपलब्ध पानी के आधार पर परियोजना का विस्तार घटाकर 6916 हेक्टेयर कर दिया गया। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने झारखंड सरकार से बिना चर्चा शुरू किए बँटवारे के बाद 18.26 करोड़ रुपये का व्यय किया था तथा सूचित किया कि झारखंड सरकार द्वारा तिलैया बाँध से दो लाख एकड़ फीट पानी के झारखंड में ही उपयोग के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त खुली नहर एवं सुरंग का निर्माण नहीं करने के कारण तिलैया जलाशय से सोहजाना बराज तक पानी का विपथन नहीं किया जा सका तथा सुखाग्रस्त जिलों में सिंचाई क्षमता सृजित करने का अभिप्रेत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। सोहजाना बराज, एच आर गेट, गाइड बाँध एवं वितरण व्यवस्था के निर्माण पर 37.51 करोड़ रुपये[29] का निष्फल व्यय हुआ एवं नाबार्ड को ब्याज के रूप में देय 1.86 करोड़ रुपये के अपरिहार्य दायित्त्व को वहन करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (अप्रील 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

---

[29] *37.51 करोड़ रुपये (सोहजाना बराज का निर्माण : 14.97 करोड़ रुपये, एच. आर. गेट : 4.22 करोड़ रुपये, गाईड बाँध : 6.81 करोड़ रुपये, वितरण व्यवस्था : 11.51 करोड़ रुपये)*

4-4 fujFkd fuos'k@fuf"Ø; LFkkiuk@vo:) fuf/k

m|ksx foHkkx

4-4-1 de jktLo dh olwyh

m|fe;ksa ls de jktLo dh olwyh dk dkj.k cgh vkbZ , Mh , viuh LFkkiuk ykxr ij gqbZ, 0;; dh Hkh olwyh esa foQy jgkA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 के तहत राज्य के चयनित क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना, प्रोत्साहन एवं तीव्र विकास में मदद करने हेतु उद्यमियों को अधिरचना सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारण (आयडा) की सथापना की गई (1974–76)। तथापि उपयुक्त प्राधिकरणें का विलय हो गया (जून 2003) एवं वे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। बिहार सरकार ने 38 औद्योगिक क्षेत्रों (दरभंगा : 13, मुजफ्फरपुर : 8 एवं पटना : 17) के लिए संबंधित प्राधिकरणों को 2870 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया (1974–76)। उपलब्ध 2870 एकड़ भूमि में से 682 एकड़ का उपयोग अधिरचना विकास के लिए किया गया, 1352 एकड़ भूमि 1475 उद्यमियों को आवंटित की गई तथा शेष 28.27 करोड़ रुपये मूल्य की 836 एकड़ भूमि बिना आवंटित हुए (मई 2006) पड़ी हुई थी।

यह ज्ञात हुआ कि 30.3.2005 तक 1475 उद्यमियों में से 663 उद्यमियों ने अपनी इकाइयों को बंद कर दिया था तथा 277 उद्यमियों को अपनी इकाई अभी शुरू ही करनी थी (मई 2006)। लेखापरीक्षा में जाँच से ज्ञात हुआ कि पटना औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन के 20 आवेदन लंबित थे जबकि उस औद्योगिम क्षेत्र में 54 बंद/बिमार/अक्रियाशील इकाई थे। अतः बियाडा ने न तो बंद इकाइयों के लीज को रद्द कर एवं उन्हें जरूरतमंउ उद्यमियों को पुनर्आबंटित करने का प्रभावी कदम उठाया न ही निर्माणाधीन इकाइयों को शीध्र पूरा होने तथा उत्पादन शुरू करने हेतु समुचित मदद पहुँचाई।

उद्यमियों से राजस्व संग्रहण से संबंधित लेजर की जाँच से ज्ञात हुआ कि नियम के तहत अपेक्षित लीज पर दी गई भूमि के किराये की किस्तों, भवनों के किराए, रखरखाव शुल्क से संबंधित बकाए राशि की वसूली हेतु माँग सूचना 1999–2000 से ही नियमित रूप से नहीं भेजी गई। बिहार तथा उड़ीसा लोक माँग एवं वसूली नियमावली 1914 के बियाडा नियमावली, 1974 के अध्याय–IV की धारा 4.1 के अंतर्गत अपेक्षित कारवाई भी नहीं की गई। तथापि लेखापरीक्षा के अनुरोध पर 31 मार्च 2005 तक 1617 उद्यमियों[30] के विरूद्ध ब्याज सहित 23.35 करोड़ रुपये के संचयी माँग की गणना की गई।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि 2000–05 के दौरान बियाडा ने अपने स्थापना पर 12.04 करोड़ रुपये व्यय किया था जबकि भूमि के किराए की किस्तों तथा भवनों के किराए के रूप में इसने 6.91 करोड़ रुपये (57.39 प्रतिशत) के राजस्व की वसूली की थी। इससे स्पष्ट है कि कम राजस्व वसूली के कारण बियाडा आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किए गए (जून 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

---

[30] *कार्यशील इकाइयाँ : 382, बंद/बिमार/अकार्यशील इकाइयाँ : 1043 जिसमें वैसी 307 बंद इकाईयाँ शामिल हैं जिनके लीज रद्द कर दिए गए हैं लेकिन जिन्होंने बकाया नहीं चुकाया है, निर्माणाधीन इकाईया : 192*

v/;k;&v
ljdkjh foHkkx esa vkarfjd fu;a=.k ç.kkyh

LokLF; foHkkx

5-1 LokLF; foHkkx esa vkarfjd fu;a=.k ç.kkyh

eq[;kd"kZ.k

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक एकीकृत प्रक्रिया है जिससे संगठन अपने क्रियाकलाप को संचालित करता है जो उसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित सुनिश्चितता प्रदान करता है। यह बर्बादी, दुरूपयोग एवं कुव्यवस्था के कारण क्षति से संसाधनों को बचाने हेतु नीति एवं प्रणाली है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य हेतु स्वास्थ्य विभाग की स्थापना की गई। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से प्रकट हुआ कि विचलन को रोकने के लिए स्थापित विधियों/पद्धतियों का पालन सुनिश्चित करने हेतु बजटीय एवं प्रचालन क्षेत्रों में नियंत्रण प्रभावहीन था। इसमें आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी से और वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के प्रमुख बिन्दु नीचे दिये गये हैं :

okLrfod vko';drk dks vk/kkj ij ctV iwoZdyu rS;kj ugha fd;k x;kA Qyr% o"kZ 2001&06 dh vof/k esa 1072-82 djksM+ #i;s dh cpr gqbZ ,oa 497-16 djksM+ #i;s 0;; ixr gq,A

¼dafMdk 5-1-5½

o"kZ 2003&06 dh vof/k esa 690 fudkl h ,oa 0;;u inkf/kdkfj;ksa us 136-43 djksM+ #i;s dk foLrr̀ vkdfLed foi= egkys[kkdkj ¼y- ,oa g-½ dks çLrqr ugha fd;kA i- e- xk- ;k- ds vUrxZr miyC/k 10-06 djksM+ #i;s dh fuf/k ds fo:) dsoy 1-24 djksM+ #i;s gh nokbZ;ksa ,oa midj.kksa ds Ø; ij 0;; fd; x;sA

¼dafMdk 5-1-5-6 ,oa 5-1-5-7½

fu/kkZfjr le; ds vUnj Mh Mh Vh dk fNM+dko u gksus ds dkj.k jk"Vªh; eysfj;k mUewyu dk;ZØe ¼,u- ,e- bZ- ih-½ ,oa dkykt kj ds fu;a=.k ij fd;k x;k 2-21 djksM+ #i;s dk 0;; fu"Qy fl) gqvkA

¼dafMdk 5-1-7-4½

o"kZ 2001&06 dh vof/k esa 48-97 djksM+ #i;s ekfnd eY; dh vkarfjd ys[kkijh{kk fVIi.kh i̇dk'k esa vkbZA blesa ls 4-41 djksM+ #i;s xcu] nqfofu;ksxtu ,oa olwyh ls lacaf/kr FkkA o"kZ 2001&06 dh vof/k esa dsoy 0-04 djksM+ #i;s eY; dh dafMdkvksa dk fuiVkjk gqvkA

¼dafMdk 5-1-10½

foHkkxh; ;kstukvksa ds fu"iknu dk mfpr :i ls vuqoh{k.k djus esa foHkkx vlQy jgkA

¼dafMdk 5-1-12½

5-1-1 çLrkouk

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नियमों, विनियमों, एवं प्रबंधकीय निर्देशों का पालन करते हुए एवं संगठन के आदेश के साथ सामंजस्य बैठाते हुए मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी कार्य प्रणाली पर विचार करती है ताकि हानि, व्यर्थ व्यय एवं अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना

एवं लोगों के कल्याण हेतु ठीक ढंग से प्रबंध करना एवं राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए निर्देशन एवं सहायता प्रदान करना है।

5-1-2 laxBukRed <kpk

विभाग के उच्च स्तर पर आयुक्त व सचिव होते है एवं उनकी सहायता के लिए निदेशालय स्तर पर एक मुख्य निदेशक, दो निदेशक, एक राज्य औषधि नियंत्रक के साथ–साथ चार सहायक निदेशक, तीन संयुक्त निदेशक, तीन उप निदेशक एवं एक वित्त सलाहकार होते है। पुनः निदेशालय की सहायता हेतु क्षय रोग, मलेरिया एवं कुष्ठ रोग के लिए एक अपर निदेशक सह वरीय पदाधिकारी, फलेरिया, कालाजार एवं पोषण के लिए एक अपर निदेशक एवं सात क्षेत्रीय उप निदेशक होते हैं। जिला स्तर पर सहायता हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सी एस कम सी एम ओ)[1] एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों[2], सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (ए पी एच सी) एवं रेफरल अस्पतालों (आर एच[3]) के स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारी (एम ओ) होते हैं।

5-1-3 ys[kkijh{kk ds mís';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य जाँच करना था कि :

- दक्ष एवं प्रभावी कार्य हेतु पर्याप्त बजटीय, वित्तीय एवं प्रचालन नियंत्रण था एवं वित्तीय प्रतिवेदन वास्तविक थे।
- संहिता प्रावधानों सहित विभागीय निर्देशों का पालन किया गया था एवं
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली प्रभावी थी।

5-1-4 ys[kkijh{kk dk {ks= ,oa ç.kkyh

सचिवालय, निदेशालय एवं आठ जिलों[4] के सिविल सर्जन सह चिकित्सा पदाधिकारियों के वर्ष 2003–06 के अभिलेखों की नमूना जाँच के द्वारा विभाग में पर्याप्त एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा की गई। नियमित लेखापरीक्षा में पाए गए महत्त्वपूर्ण मामलों को उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है। समीक्षा के विभिन्न पहलूओं/निष्कर्षों पर मई/सितंबर 2006 में सचिव, स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई।

5-1-5 ctVh; ,oa O;; fu;a=.k

माँगे गए वर्ष 2001–06 की अवधि के लिए विभाग का बजट प्रावधान व व्यय, विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। तथापि, विनियोग लेखा के आधार पर वर्ष 2001–06 की अवधि के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय सारणी में दिखाया गया है।

¼#i;s djksM+ esa½

o"kZ	ewy vuqnku	iwjd vuqnku	dqy vuqnku	O;;	cpr	vH;iZ.k	O;ixr
2001–02	533.81	42.47	576.28	367.64	208.64(36)	118.03	90.61
2002–03	558.88	39.94	598.82	412.83	185.99(31)	61.25	124.74
2003–04	563.82	13.12	576.94	389.51	187.43(32)	124.04	63.39
2004–05	550.44	117.25	667.69	523.06	144.63(22)	95.38	49.25
2005–06	912.08	328.95	1241.03	894.90	346.13(28)	176.96	169.17
dqy	3119-03	541-73	3660-76	2587-94	1072-82 ¼29½	575-66	497-16

(टिप्पणी : कोष्ठ में आँकड़े प्रतिशत को इंगित करते हैं)

---

[1] *सी एस कम सी एम ओ : 37*

[2] *पी एच सी एवं ए पी एच सी के प्रभारी एम ओ : 397*

[3] *आर एच में एम ओ : 101*

[4] *पूर्वी चम्पारण, गया, नवादा, सासाराम, समस्तीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सारण*

सारणी से यह देखा जा सकता है कि :

- मुख्य रूप से अवास्तविक बजट प्राक्कलन के कारण 3660.76 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध 1072.82 करोड़ रुपये (29 प्रतिशत) की बचत हुई।

- शेष बची हुई राशि 25 मार्च तक अभ्यर्पिण्त कर देने के बिहार बजट नियमावली के प्रावधान के बावजूद 497.16 करोड़ रुपया अभ्यर्पित नहीं किया जा सका जिससे इस निधि का पुनर्आबंटन/पुनर्विनियोजन नहीं हुआ। इससे घटिया वित्तीय प्रबंधन एवं बजट प्राक्कलनों की दोषपूर्ण तैयारी प्रदर्शित हुई फलतः भारी बचत हुई।

- भारत सरकार ने इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में ऑनकोलॉजी विभाग के विकास के लिए राज्य सरकार को दो करोड़ रुपये सहायतानुदान के रूप में (सितंबर 2001) उपलब्ध कराया। चूँकि वर्ष 2001–04 की अवधि में निधि का निकासी नहीं हुआ, भारत सरकार ने इस शर्त्त पर स्वीकृत आदेश का पुनर्वैधीकरण किया कि निधि का उपयोग मार्च 2005 तक कर लिया जायगा अन्यथा इसे वापस कर दिया जायगा। विभाग द्वारा उक्त राशि (मार्च 2005) की निकासी की गई एवं अप्रील 2005 में इ गाँ आ सं. को भेज दिया गया, परिणामस्वरूप न तो राशि का उपयोग ही हुआ और न ही इसे वापस किया गया। तदनंतर, जिस कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी, राशि का उपयोग न होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार किया एवं बताया कि इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान को राशि का शीध्र उपयोग करने हेतु निर्देश तुरंत जारी किये गये हैं।

5-1-5-1 ctV çkDdyu dk çLrqrhdj.k

बिहार बजट नियमावली एवं स्थायी निर्देशों के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई तक विभाग को चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन एवं अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन उपलबध कराना था एवं 1 अक्टूबर तक विभाग द्वारा इसे वित्त विभाग को भेज देना था।

fu- ,o 0;;u inkf/kdkfj;k }kjk ctV çkDdyu d çLrqrhdj.k e fcyc

वर्ष 2001–06 की अवधि में नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा विभाग को प्राक्कलन प्रस्तुत करने में 90 दिनों का एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजने में 60 दिनों का विलंब किया गया। यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा बजट प्राक्कलनों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित नियंत्रण नहीं अपनाया गया।

विभाग द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2006) कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (नि. एवं. व्य. पदा.) को बजटीय एवं व्यय नियंत्रण की कमी को दूर करने के लिए निर्देश जारी (सितंबर 2006) कर दिये गये थे।

5-1-5-2 ctV fu;a=.k

ctV ,o 0;; fu;a=.k iath dk vuqj{k.k ugha fd;k x;k

बजट नियंत्रण पंजी विभाग को वास्तविक आँकड़ों पर बजट बनाने एवं तैयार करने में मदद करती है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय नियंत्रण पंजी प्रत्याशित बचत के अलावे विवेकपूर्ण व्यय प्रबंध के लिए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होती है। विभाग द्वारा बजट नियंत्रण पंजी एवं व्यय नियंत्रण पंजी का अनुरक्षण नहीं किया गया। विभाग द्वारा 690 नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों के व्यय विवरणी का संकलन नहीं करना घटिया व्यय नियंत्रण को इंगित करता है।

ekpZ esa O;; dk çfr'kr dkQh vf/kd Fkk

5-1-5-3 O;; dh rhozrk

बजट नियमावली एवं कोषागार संहिता के अनुसार आवश्यक है कि नियंत्री पदाधिकारी विभाग एवं नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों के महीनावार उत्तरोत्तर व्यय पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए मार्च में व्यय की तीव्रता को रोकें। वर्ष 2003–06 की अवधि में केवल मार्च में 23.91 से 61.56 प्रतिशत निधि का व्यय किया गया जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

¼#i;s djksM+ esa½

foÙkh; o"kZ	dqy O;;	ekpZ eghus esa fd;k x;k O;;	ekpZ esa O;; dk çfr'kr
2003–04	389.51	93.15	23.91
2004–05	523.06	295.51	56.50
2005–06	894.90	551.01	61.56

लेखापरीक्षा में विश्लेषित तीव्र व्यय का कारण योजनाओं की स्वीकृति में विलंब एवं वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की विमुक्ति थी जो दर्शाता था कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता को रोकने हेतु निर्धारित नियंत्रण का पालन नहीं किया जा रहा था।

5-1-5-4 O;; ds vkadM+s dk lek'kks/ku u gksuk

बिहार वित्तीय नियम के नियम 475 के अनुसार, विभाग, महालेखाकार (ले. एवं ह.) की पुस्तिकाओं में अंकित आँकड़ों का विभागीय व्यय आँकड़ों से प्रत्येक तिमाही में मिलान करने हेतु उत्तरदायी था। परंतु विभाग ने वर्ष 2003–06 की अवधि में विभागीय आँकड़ों का समाशोधन नहीं किया।

5-1-5-5 dks"kkxkj ls vf/kd fudklh

प्र. मं. ग्रा. योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि से जिला पदाधिकारी, पटना एवं मुंगेर ने स्वीकृति पत्र पर 0.77 करोड़ रुपये (मार्च 2003) एवं आबंटन पत्र पर 0.39 करोड़ रुपये की निकासी कर सिविल डिपोजिट में जमा कर दिया। फलतः आबंटन से 0.77 करोड़ रुपये अधिक की निकासी हुई। प्र. म. ग्रा. यो. के अंतर्गत निकासी की गई अधिक निधि सिविल डिपोजिट में जमा रखने के बदले संचित निधि में वापस की जानी चाहिए थी। इस प्रकार नियंत्रण के प्रभावी न होने से राशि की अधिक निकासी हुई। विभाग ने संबंधित जिला पदाधिकारियों से सूचना माँगी थी।

5-1-5-6 foLr`r vkdfLed foi=ksa dk çLrqrhdj.k u fd;k tkuk

बिहार कोषागार संहिता में प्रावधान है कि जो पदाधिकारी सार आकस्मिक विपत्रों (ए सी) पर निधि की निकासी करे वह विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करे ताकि अगले महीने की 25 तारीख तक संबंधित विपत्र महालेखाकार को भेजा जा सके।

lkj vkdfLed foi=ksa ds fo:) foLr`r vkdfLed foi= ugha çLrqr fd;s x;s

विभाग के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2003–06 की अवधि में विभाग के 690 नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों ने सार आकस्मिक विपत्र पर 136.43 करोड़ रुपये की निकासी किया परंतु विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना (जून 2006) को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार नियंत्रण के अप्रभावी होने से सार आकस्मिक विपत्रों से निकासी की गई राशि के व्यय के उचित लेखाकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी।

कटिहार कोषागार के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2003–06 की अवधि में नजारत उप समाहर्ता/सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

कटिहार द्वारा 25 सार आकस्मिक विपत्रों पर 3.75 करोड़ रुपये[5] की निकासी की गई जिसे डीडीटी के छिड़काव एवं भवन निर्माण कार्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों को हस्तांतरित किये गये। अक्टूबर 2006 तक डी डी टी के छिड़काव के लिए उपलब्ध 0.68 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया एवं भवन निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया गया। उत्तर में विभाग द्वारा कहा गया कि नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों को विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी (सितंबर 2006) किये गये हैं।

5-1-5-7 fuf/k dk de mi;kx

fuf/k dk mi;kx dsoy 12-33 çfr'kr Fkk

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के सुधार हेतु 10.06 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2001–05 की अवधि में दवाईयों एवं उपकरणों के क्रय पर 1.24 करोड़ रुपये (12.33 प्रतिशत) उपयोग किये गये, 5.85 करोड़ रुपये सिविल जमा में, 1.04 करोड़ रुपये बैंक में रखे गये एवं शेष 1.93 करोड़ रुपये व्यपगत हो गए।

इसप्रकार व्यय की निगरानी एवं योजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण करने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण 6.89 करोड़ रुपये अवरूद्ध एवं 1.93 करोड़ रुपये व्यपगत हुए। विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारियों से सूचना इकट्ठा की जा रही है और इसके बाद प्र. मं. ग्रा. यो. निधि के अधिकतम उपयोग के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

5-1-6 jksdM+ fu;a=.k

बिहार कोषागार संहिता में प्रावधान है कि सभी मौद्रिक लेनदेन को रोकड़ बही में प्रविष्ट किया जाये एवं कार्यालय प्रधान द्वारा सांकेतिक जाँच कर अभिप्रमाणित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि रोकड़ बही में कार्यालय प्रधान द्वारा प्रविष्टि अभिप्रमाणित नहीं की गई, प्रतिदिन रोकड़ बही के योग की जाँच नहीं की गई एवं प्रत्येक महीने के अंत में रोकड़ का भौतिक सत्यापन एवं बैंक खाता का समाशोधन नहीं किया गया। यह स्पष्ट हुआ कि सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया के रोकड़ बही में अंत शेष का ब्यौरा न होने के कारण रोकड़ शेष में 3.38 लाख रुपये की भिन्नता पाई गई एवं समाशोधन न होने के कारण प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में 8.64 लाख रुपये का गबन हुआ, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया।

?kfV;k jksdM+ çcU/k ds dkj.k Hkkjh jksdM+ 'ks"k jgk

छह नमूना जाँचित जिलों में मार्च 2006 को 3.26 करोड़ रुपये[6] का भारी रोकड़ शेष होना यह इंगित करता था कि रोकड़ बही के अनुरक्षण हेतु निर्धारित नियंत्रणों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने रोकड़ प्रबंध में कमी को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही हेतु निर्देश जारी (सितंबर 2006) किया।

5-1-7 dk;Z fu;a=.k

5-1-7-1 LokLF; dsUnzksa dk th.kksZ)kj

वर्ष 2002–05 की अवधि में प्र. म. ग्रा. यो. के अतर्गत भवन निर्माण विभाग (भ नि वि) को 395 प्रा स्वा के एवं 70 रेफरल अस्पतालों के जीर्णोद्धार हेतु 41.60 करोड़ रुपये

---

[5] *2003–04 : 48.62 लाख रुपये ; 2004–05 : 26.92 लाख रुपये ; 2005–06 : 299.60 लाख रुपये*

[6] *समस्तीपुर : 0.43 करोड़ रुपये ; छपरा : 0.34 करोड़ रुपये ; नवादा : 0.73 करोड़ रुपये ; गया : 0.66 करोड़ रुपये ; मोतिहारी : 1.03 करोड़ रुपये एवं कटिहार : 0.07 करोड़ रुपये*

उपलब्ध कराये गये। इनमें से 4.16 करोड़ रुपये कटिहार, गया एवं नवादा जिलों के भवन निर्माण प्रमंडल को जीर्णोद्धार हेतु उपलब्ध कराये गये परंतु भ. नि. वि. द्वारा केवल 0.51 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया जो निष्पादन एजेंसियों पर विभाग के नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

प्र. म. ग्रा. यो. मार्गदर्शन के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पतालों के जीर्णोद्धार पर व्यय किया जाना था। 12 भ नि वि प्रमंडलों[7] के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि मार्गदर्शन की अवहेलना करते हुए 4.41 करोड़ रुपये का विचलन किया गया एवं कर्मचारी आवास के जीर्णोद्धार, पहुँच पथ एवं चाहरदीवारी के निर्माण पर व्यय किया गया।

5-1-7-2 v/kiu ds fu;a=.k gsrq jk"Vªh; dk;ZØe

वर्ष 2000 तक अंधेपन में 1.4 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक कमी करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। तथापि अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अभी भी अंधेपन का प्रचलित दर 0.78 प्रतिशत था। वर्ष 2001–06 की अवधि में राज्य में मोतियाबिंद आपरेशन के लक्ष्य एवं प्राप्ति निम्न थे :

¼vkadM+s yk[k esa½

o"kZ	çfro"kZ tula[;k esa 2 çfr'kr dh nj ls of)	fu/kkZfjr fd;k x;k y{; ¼1 yk[k tula[;k ij 400½	fcgkj ljdkj }kjk fu/kkZfjr y{;	miyfC/k
2001–02	828	3.31	1.4	0.81 (58)
2002–03	845	3.38	1.4	0.64 (46)
2003–04	862	3.45	1.4	0.90 (64)
2004–05	880	3.52	1.4	1.02 (73)
2005–06	898	3.59	1.4	1.32 (94)

(टिप्पणी : कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत को इंगित करते हैं)

सारणी से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से राज्य सरकार द्वारा कम लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद औसत उपलब्धि केवल 67 प्रतिशत थी। उत्तर में विभाग द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2006) कि वर्ष 2020 तक अंधेपन की कमी को 0.3 प्रतिशत तक कम किया जाना था जो कि भारत सरकार के कार्यक्रम के अनुसार सही नहीं है।

5-1-7-3 Qk;ysfj;k fu;a=.k dk;ZØe ¼,Q lh ih½

लार्वा को नष्ट करने हेतु उपाय करने के लिए विभिन्न स्थानों में मच्छर जनित स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कराने, नमूना खून का संग्रह कर क्षेत्रीय निदेशक (क्षे. नि.) को जाँच के लिए भेजने और तब भेक्टर बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (भी डी सी पी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को पुष्टि हेतु भेजने के लिए फायलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना था

32-58 djksM+ #i;s [kpZ ds ckotwn ueuk [kwu laxzg dsoy 61 çfr'kr Fkk

फा. नि. का. के प्रगति प्रतिवेदन की संवीक्षा में दर्शाया गया कि वर्ष 2001–06 की अवधि में जाँच के लिए नमूना खून संग्रह के प्रतिवर्ष एकसमान 675000 लक्ष्य के विरूद्ध 49 से 61 प्रतिशत नमूना का संग्रह किया गया जिसमें 34.64 करोड़ रुपये की आबंटित राशि के विरूद्ध 32.58 करोड़ रुपये (94 प्रतिशत) व्यय किये गये। वर्ष 2005–06 की

---

[7] *आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सासाराम*

अवधि में नमूना संग्रह के उसी लक्ष्य के विरूद्ध फाइलेरिया स्कंध के अनुसार नमूना संग्रह का आँकड़ा 89943 (13 प्रतिशत) था जबकि विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में 329680 (49 प्रतिशत) दर्शाया गया। विभाग ने बताया कि वर्ष 2005 में 213669 नमूना का संग्रह किया गया जिसमें से 4585 नमूना सकारात्मक पाया गया। दोनों आँकड़ों में विसंगति के कारणों का उललेख अभिलेख में नहीं था। फिर राज्य सरकार किसी भी वर्ष में नमूना संग्रह के लक्ष्य की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं थी।

वर्ष 2005 में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना के अभिलेखों में 21 जिलों[8] में शुन्य माइक्रो फिलेरियल (एम एफ) दर दर्शाया गया जबकि वर्ष 2005 के रूग्णता सर्वेक्षण प्रतिवेदन से प्रकट हुआ कि उन जिलों में लीम्पोडिया एवं हाइड्रोसिल मामलों की संख्या क्रमशः 77857 एवं 74028 थी। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि उन 21 जिलों में न तो खून नमूना का संग्रह किया गया और न ही जाँच की गई। इस प्रकार वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत खून नमूना के पर्याप्त संग्रह को सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण प्रणाली का पालन नहीं किया गया।

5-1-7-4 dkykt+kj lfgr jk"Vªh; eysfj;k mUewyu dk;Øe ¼,u ,e bZ ih½

यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 की भागीदारी के आधार पर भारत सरकार द्वारा (1977) शुरू किया गया। इस योजना के अतर्गत भारत सरकार को डी डी टी, दवाईयाँ एवं उपकरण उपलब्ध कराना था जबकि राज्य सरकार को स्थापना, परिवहन, भंडारण एवं डी डी टी के छिड़काव का व्यय वहन करना था।

y{; ds fo:) dsoy ,d ls ikap çfr'kr [kwu ueuk dk laxg fd;k x;k

राज्य स्वास्थ्य सोसायटी एवं विभाग द्वारा मुहैया कराए गए खून नमूना संग्रह के लक्ष्य एवं उपलब्धि संबंधी आँकड़ों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2002–06 की अवधि में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध केवल एक से पाँच प्रतिशत की उपलब्धि हुई जैसा कि नीचे की सारणी से स्पष्ट है।

o"kZ	tula[;k	[kwu ueuk laxg dk y{;	[kwu ueuk laxfgr	tkfpr	ldkjkRed ekeys	lykbleksfM;e Qkyfl Qje ¼ih ,Q ekeys½	eR;q	vkeys bykt
	¼yk[k esa½				¼la[;k esa½			
2001–02	828.78	82.88	4.13 (5)	4.06	3683 (0.91)	1705	2	3680
2002–03	852.39	85.24	3.72 (4)	3.64	2652 (0.73)	1080	1	2650
2003–04	872.24	87.23	2.98 (3)	2.84	2466 (0.87)	381	22	2466
2004–05	889.68	88.97	2.40 (3)	2.30	2733 (1.19)	427	6	2730
2005–06	897.27	89.73	0.55 (1)	0.38	1353 (3.56)	143	शून्य	1353
dqy		434-05	13-78 ¼3½	13-22	12887	3736	31	12879

(टिप्पणी : कोष्ठक में आँकड़ें प्रतिशत इंगित करते हैं।)

सारणी में देखा जा सकता है कि वर्ष 2002–05 की अवधि में सकारात्मक मामलों की प्रतिशतता 0.73 एवं 1.19 के बीच रही जबकि वर्ष 2006 में यह बढ़कर 3.56 प्रतिशत हो

8 *अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, दरभंगार, गया, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, नवादा, बेतिया, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, सारण, शिवहर, सीवान, सुपौल*

गई। यह इंगित करता है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण विभाग मलेरिया के नियंत्रण एवं रोकथाम में विफल रहा।

भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ विचार कर 19 जिलों को कालाजार प्रभावित घोषित किया (1991) एवं फरवरी से मार्च एवं मई से जून के बीच में दो चक्र डीडीटी के छिड़काव का निर्णय किया जिस समय सैन्डफ्लाई लार्वा के रूप में रहते हैं एवं डी डी टी छिड़काव के द्वारा प्रभावी रूप से विलोपित हो सकते हैं।

मुख्य मलेरिया कार्यालय में वर्ष 2000–01 की अवधि में 7.03 करोड़ रुपये मूल्य के 828.10 एम टी डी डी टी भारत सरकार से प्राप्त किया गया। इसमें से 342.57 एम टी डी डी टी (शेल्फ लाइफ : उत्पादन की तिथि से दो वर्षों तक) का वर्ष 2002–03 तक छिड़काव किया गया जबकि 4.12 करोड़ रुपये मूल्य के 485.53 एम टी डी डी टी (60 प्रतिशत) का जीवनकाल समाप्त हो गया था। तथापि, संयुक्त निदेशक के निर्देश पर 23 जिलों में नवंबर से दिसंबर 2003 की अवधि में 73.23 लाख रुपये (छिड़काव एवं मजदूरी लागत) के व्यय पर बढ़े हुए शक्ति (सामान्य मामले में एक कि. ग्रा./10 ली. के बदले 1090 ग्राम/10 ली.) का 98.78 एम टी डी डी टी का छिड़काव किया गया जबकि शेष 386.75 एम टी डी डी टी का छिड़काव वर्ष 2004–05 की अवधि में 1.48 करोड़ रुपये के व्यय पर किया गया। इस प्रकार डी डी टी के छिड़काव पर किया गया कुल 2.21 करोड़ रुपये का व्यय व्यर्थ हुआ चूँकि डी डी टी का छिड़काव नवंबर–दिसंबर में किया गया जिस अवधि में सैन्डफ्लाई, डायपॉज में चले जाते है और डी डी टी से प्रतिरक्षित हो जाते है।

इसप्रकार राज्य सरकार द्वारा भंडार, परिवहन एवं डी डी टी के छिडकाव पर किया गया 2.21 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ चूँकि उपयुक्त समय पर कम शक्ति/जीवनकाल समाप्त हुए डी डी टी का छिड़काव कालाजार के नियंत्रण में कारगर नहीं हुआ।

5-1-7-5 lhekorhZ {ks= fodkl dk;ZØe ¼ch , Mh ih½

ch , Mh ih dk bfPNr mís'; dh ifrZ ugha gqbZ

कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य केन्द्रों के संरचनात्मक विकास के द्वारा सुदूर, अगम्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकता का प्रबंध करना था। सात सीमावर्ती जिलों[9] में 42 स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए वर्ष 2002–05 की अवधि में सरकार ने 3 करोड़ रुपये उपलबध कराया परंतु भ. नि. वि. द्वारा 0.43 करोड़ रुपये की लागत पर छः उपकेन्द्रों (मधुबनी जिला में 2 एवं किशनगंज में चार) के भवनों का निर्माण किया जा सका जबकि 0.33 करोड़ रुपये व्यय के बावजूद मार्च 2006 तक 36 भवन अपूर्ण थे एवं शेष 2.24 करोड़ रुपये अव्यहृत रहे। विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया।

5-1-8 oLrq lwph fu;a=.k

दवाई एवं रसायनों के क्रय के लिए प्रणाली को विकेन्द्रित किया गया था एवं जिला स्तर पर दवाईयों का क्रय करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया गया था। नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2003–06 की अवधि में दवाईयों पर किये गये 1.47 करोड़ रुपये के व्यय में से 0.13 करोड़ रुपये से विभागीय आदेश (अगस्त 2002) की अवहेलना करते हुए जिसमें दो वर्ष के कम जीवन काल के दवाईयों के क्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, डेढ़ वर्ष से कम जीवन काल की दवाई का क्रय किया गया।

---

[9] *किशनगंज, अररिया, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण , सीतामढ़ी एवं सुपौल*

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 143 में प्रावधान है कि कार्यालय प्रधान द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। तथापि यह पाया गया कि नमूना जाँचित जिलों एवं निदेशालय स्तर पर भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। विभाग द्वारा छह माह से कम जीवनकाल की दवाईयों का क्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की बात कही गई (सितंबर 2006) तथापि छह माह से दो वर्ष के बीच जीवन काल वाली दवाईयों के क्रय पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार दवाईयों के क्रय में निर्धारित नियंत्रणों का अनुपालन नहीं किया गया।

5-1-9 ekuo cy çca/ku

विभाग ने विभिन्न अस्पतालों/प्रा. स्वा. केन्द्रों/अतिरिक्त प्रा. स्वा. के. में पदस्थापित चिकित्सकों, पारा मेडिकल एवं अधीनस्थ कर्मियों के संबंध में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बलों की संख्या प्रस्तुत नहीं किया, जबकि इसकी माँग की गई थी।

पाँच सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों[10] द्वारा दिए गए स्वीकृत बल एवं कार्यरत बलों की स्थिति से प्रकट हुआ कि ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सकों एवं पारामेडिकल तथा अधीनस्थ कर्मियों की क्रमशः 46 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत कमी थी जबकि शहरी अस्पतालों में यह क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 31 प्रतिशत थी। उत्तर मे विभाग द्वारा सूचित किया गया कि रिक्तयों को भरने हेतु चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

5-1-10 vkarfjd ys[kkijh{kk

राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के नियंत्रण में आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थापना (1953) की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंघ के प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं जो वित्त विभाग के सचिव–सह–आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करते हैं।

ys[kkijh{kk vkifÙk;ksa ds vuqikyu esa vR;f/kd foyac gqvk

स्वास्थ्य विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त विभाग के लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा की गई। विभाग ने वर्ष 2001–06 की अवधि में 338 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ए आर) प्राप्त किया परंतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए बिन्दुओं के त्वरित अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहा। 48.97 करोड़ रुपये मौद्रिक मूल्य के आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के विरूद्ध केवल 0.04 करोड़ रुपये मौद्रिक मूल्य की कंडिकाएँ जून 2006 तक विभाग द्वारा निपटाई गई जैसा कि नीचे की सारणी में ब्यौरा दिया गया है :

¼#i;s yk[k esa½

o"kZ	fuxZr fd, x, dqy fu- i=- dh la-	xcu@nqfoZfu&;kstu	olwyh ;ksX; jkf'k	vkifÙk dh rgr jkf'k	{kfr	vlek&;ksftr vfxze	dqy	fuiVk;h xbZ jkf'k
2001–02	143	29.75	113.43	319.21	1.95	81.55	545.89	1.05
2002–03	72	22.94	6.76	1830.53	30.99	20.22	1911.44	1.85
2003–04	38	92.08	35.90	331.05	2.02	29.42	490.47	..
2004–05	53	15.63	22.92	1470.83	4.13	96.23	1609.74	1.23
2005–06	32	1.93	100.35	149.17	3.09	85.67	340.21	..
dqy	338	162-33	279-36	4100-79	42-18	313-09	4897-75	4-13

11 मामलों में 18.42 लाख रुपये के गबन की जाँच की गई और यह पाया गया कि गबन के मामले मुख्य रूप से, रोकड़ का कुप्रबंधन, रोकड़ बही के आरंभिक एवं अंत

---

[10] *गया, नवादा, कटिहा, छपरा एवं समस्तीपुर*

शेष में अशुद्धि, जाली चालान द्वारा प्रेषण दर्शाया जाना इत्यादि के कारण थे। विभाग द्वारा उन मामलों के लिए उत्तरदायित्त्व निर्धारित कर राशि वसूलने हेतु कोई कारवाई नहीं की गई। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि अधिकांश लंबित कंडिकाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित हैं ; उत्तर अमान्य है चूँकि कंडिकाओं के निष्पादन की अंतिम जिम्मेवारी विभाग पर है।

5-1-11 lkfof/kd ys[kkijh{kk dk fujh{k.k çfrosnu

सांविधिक लेखापरीक्षा (प्र.म.ले.) की टिप्पणियाँ निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) द्वारा सूचित की जाती है। प्रधान महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर, तीन सप्ताह के अन्दर भेजा जाना था। मार्च 2006 को लंबित कंडिकाओं का ब्यौरा निम्नवत् था :

¼#i;s djksM+ esa½

o"kZ	fu- i- dh la-	dqy		fuiVk;k x;k		yafcr	
		dafMdk	jkf'k	dafMdk	jkf'k	dafMdk	jkf'k
2001—02	32	184	26.93	8	0.32	176	26.61
2002—03	29	169	11.64	13	0.06	156	11.58
2003—04	52	316	116.20	..	..	316	116.20
2004—05	49	348	58.65	2	0.38	346	58.27
2005—06	99	434	53.40	7	0.77	427	52.63
dqy	261	1451	266-82	30	1-53	1421	265-29

वर्ष 2001—06 की अवधि में सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा 261 निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये जिसमें शामिल 266.83 करोड़ रुपये के 1451 कंडिकाओं में से केवल 1.54 करोड़ रुपये मूल्य के 30 कंडिकाओं का निपटारा विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए अनियमितताओं के त्वरित निपटारा को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण वित्तीय अनियमितताएँ बनी रही एवं विभाग के वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण का अभाव जारी रहा।

5-1-12 vuJo.k

vuJo.k ux.;

विभाग में कोई मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ कार्यरत नहीं था। विभाग विभिन्न योजना एवं क्रियाकलापों के निष्पादन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने में विफल रहा। राज्य स्वास्थ्य समिति (एस एच एस) अक्टूबर 2005 से कार्यरत था एवं इसे आँकड़ा संग्रह कार्य सौंपा गया। जुलाई 2006 तक रा. स्वा. समिति की फायलेरिया नियंत्रण इकाई मार्च 2006 तक का आँकड़ा उपलबध नहीं करा सकी। बिहार कोषागार संहिता यह प्रावधानित करता है कि नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वर्ष में एक बार गहन जाँच करें परंतु निदेशक प्रमुख द्वारा ऐसी कोई जाँच नहीं की गई। नमूना जाँचित जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों की जाँच की गई परंतु जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह विभाग की अनुश्रवण प्रणाली की विफलता दर्शाता है।

5-1-13 fu"d"kZ

विभाग में आंतरिक नियंत्रण यथा वित्तीय नियंत्रण, व्यय नियंत्रण एवं परिचालन नियंत्रण कार्यशील एवं प्रभावी नहीं था। बजटीय नियंत्रण दयनीय था जैसा कि भारी अभ्यर्पण एवं बचत से परिलक्षित था। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमी के कारण, लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम लक्षित जनसंख्या को अभीष्ट लाभ देने में विफल रहा। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव था जैसा कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध एवं सांविधिक लेखापरीक्षा

के टिप्पणियों के नगण्य अनुपालन से प्रदर्शित था। विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली अस्तित्वहीन थी।

vu'kalk

- बजट नियंत्रण प्रणाली प्रभावी बनाया जाय ताकि आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण एवं समय पर निधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- दुराचार निरोधन हेतु बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के अनुसार समय पर विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित किए जाएँ।
- निर्धारित समय के अंदर खासकर गबन एवं वसूली से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध/सांविधिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन हो एवं इसका अनुश्रवण विभाग के प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए।
- प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2006); उनका उत्तर प्राप्त हुआ (अक्टूबर 2006) एवं समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

¼v:.k dqekj flag½
iVuk ç/kku egkys[kkdkj ¼ys[kkijh{kk½] fcgkj

çfrgLrk{kfjr

¼fot;Un ukFk dkSy½
ubZ fnYyh Hkkjr ds fu;a=d egkys[kkijh{kd

ifjf'k"V&1-1
¼lanHkZ % dafMdk 1-1 i"B&1½

Hkkx d % ljdkjh ys[kk dh lajpuk ,oa Lo#i

ljdkjh ys[kk dh lajpuk % राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

Hkkx I % lafpr fuf/k

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, बाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) कं अंतर्गत स्थापित ''राज्य की संचित निधि'' कहा जाता है।

Hkkx II % vkdfLedrk fuf/k

संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या कराता है। तत्पश्चात विधानमंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

Hkkx III % yksd ys[kk

निश्चित लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है के मामले में प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

Hkkx&[k
¼lnHkZ % dafMdk 1-1] i"B&2½

foÙk ys[kk dk vfHkU;kl

fooj.kh	vfHkU;kl
विवरणी सं. 1	राज्य के संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियों एवं संवितरण इत्यादि राज्य सरकार के लेनदेन का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरणी सं. 2	पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी जो वर्ष 2005–06 के अंत तक प्रगाामी व्यय को प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 3	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्य व्यय एवं अनुरक्षण प्रभार, पूँजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि देता है।
विवरणी सं. 4	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश इंगित करता है जिसमें, आंतरिक ऋण से, भारत सरकार से उधार, अन्य दायित्व एवं ऋण का ब्याज भुगतान शामिल है।
विवरणी सं. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, किए गए पुनर्भुगतान बकाये की वसूली इत्यादि का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा इकट्ठा किये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटी का संक्षिप्त विवरण देता है।
विवरणी सं. 7	रोकड़ शेष एवं उससे किए गए निवेश का संक्षिप्त विवरण देता है।
विवरणी सं. 8	31 मार्च 2006 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश है।
विवरणी सं. 9	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं व्यय प्रदर्शित करता है।
विवरणी सं. 10	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय के वितरण को इंगित करता है।
विवरणी सं. 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखा को इंगित करता है।
विवरणी सं. 12	अलग–अलग योजना एवं गैर योजना के अंतर्गत लघुशीर्षों द्वारा राजस्व व्यय एवं वृहत शीर्षवार पूँजीगत व्यय का लेखा प्रदर्शित करता है।
विवरणी सं. 13	वर्ष 2005–06 की अवधि एवं उसके अंत तक विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाता है।
विवरणी सं. 14	वर्ष 2005–06 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारिता बैंकों एवं सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करता है।
विवरणी सं. 15	वर्ष 2005–06 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय एवं प्रधान स्रोत जिससे उस व्यय के लिए निधि उपलबध कराई गई, का वर्णन करता है।
विवरणी सं. 16	ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत, प्राप्तियों, भुगतान एवं शेष का विस्तृत लेखा देता है।

fooj.kh	vfHkU;kl
विवरणी सं. 17	बिहार सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्वों के विस्तृत लेखा को प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 18	महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण राशि का भुगतान, 31 मार्च 2006 को शेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 19	आरक्षित निधि के कर्णांकित शेष का विस्तृत वर्णन करता है।

Hkkx&x

¼lnHkZ % dfMdk 1-3 (i"B&5½

v/;k;&I e: ç;qDr 'kCnks dh lwph ,oa mudh x.kuk dk vk/kkj

'kCn	x.kuk dk vk/kkj
मानक की प्लवनशीलता	मानक वृद्धि की दर / जी एस डी पी वृद्धि
एक दूसरे मानक (वाई) की तुलना में मानक (एक्स) की प्लवनशीलता	मानक (एक्स) की वृद्धि दर /मानक (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आर ओ जी)	{(चालू वर्ष राशि / पूर्व वर्ष राशि)–1} x 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाये + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/{(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्वों की राशि + चालू वर्ष का राजकोषीय दायित्व)2} x 100
भारी ब्याज दर (I_w)	$I_w = \sum_{i}^{n} I_i W_i$ जहाँ I_i राज्य के ऋण के iवें स्टॉक पर ब्याज दर है एवं W_i राज्य के कुल जमा ऋण के iवें स्टॉक का अंश है।
ब्याज विस्तार	जी एस डी पी वृद्धि – भारी ब्याज दर
मात्रा विस्तार	जमा पूँजी x ब्याज विस्तार
ऋण बकाया के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज {(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)2} x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्ति – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियाँ ?kVko मुख्य शीर्ष 2048 – ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन – में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

ifjf'k"V&1-2

¼lnHkZ½ dfMdk 1-1-4 (i"B & 3½

jkT; dh futh jktdks"kh; lq/kkj ekxZ dh ifj.kke lkfjdk

¼#i;s djksM+ e½							
	çkDdyu vk/kkj o"kZ	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
d- jkT; jktLo y{k							
1. निजी कर राजस्व	2890	3348	3934	4523	5020	5597	6241
2. जिी करेत्तर राजस्व	320	418	298	342	353	363	374
3. निजी कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	3210	3765	4232	4865	5373	5961	6615
4. केन्द्रीय कर एवं अधिभार में भागीदारी	7628	9117	10480	12156	13237	15222	17543
5. योजना अनुदान	1466	2148	3047	3721	4094	4503	4953
6. गैर–योजना अनुदान	152	684	1357	1648	1735	1830	1935
7. कुल केन्द्रीय स्थानांतरण (4 से 5)	9245	11949	14883	17526	19065	21555	24431
8. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+7)	12455	15714	19116	22391	24438	27515	31047
9. योजना व्यय	1084	1996	3315	4171	4463	4776	5158
10. गैर–योजना व्यय	11627	12642	15953	17608	18665	17785	22357
11. वेतन व्यय	5020	5005	7372	7831	8066	8308	8557
12. पेंशन	2269	2325	2748	3020	3259	3527	3794
13. ब्याज भुगतान	3343	3474	3633	4210	4400	4840	5324
14. सब्सिडी–सामान्य	0	0	0	0	0	0	0
15. सब्सिडी –उर्जा	2209	730	1409	730	917	800	700
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	12711	14638	19269	21780	23128	24560	27514
17. वेतन+पेंशन+ब्याज (11+12+13)	10632	10804	13752	15061	15725	16675	17676
18. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रुप में (17/8)	85	69	72	67	64	61	57
19.राजस्व आधिक्य/घाटा (8–16)	-255	1076	-153	611	1310	2955	3532
[k- lfpr jktLo y{k							
1. उर्जा क्षेत्र में हानि/लाभ निवल वास्तविक सब्सिडी स्थानांतरण	758	775	943	979	760	590	340
2. उर्जा उपयोगी लेखा में वर्ष में देनदारी में वृद्धि	-667	-637	-646	-670	-500	-400	-300
3. बजटीय उधार से परे/पी एस यू द्वारा एस पी भी उधार/पी एस यू का बाहरी बजट के ब्याज का भुगतान	36	32	35	83	58	64	70
4. कुल (1 से 3)	127	170	332	392	318	254	110
5. lfpr jktLo ?kkVk (d.19 + [k4)	-383	906	-484	219	992	2701	3422
x- lfpr _.k :							
1. बकाया ऋण एवं दायित्त्व	37453	42483	43641	47962	52122	54928	58006
2. कुल बकाया गारंटी जिसमें (क) बजट से परे उधार एवं एस पी भी उधार के कारण गारंटी	711	831	1311	2283	2542	2833	3161
?k- iwathxr y{k							
1.पूँजीगत परिव्यय	1549	1205	3307	4912	5158	5416	6228
2.ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	2569	1128	1647	332	365	402	442
3.ऋण एवं अग्रिम की वसूली	10	15	68	51	54	56	59
4.अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ							
³- ldy jktdks"kh; ?kkVk ¼th,QMh½							
चालू कीमत पर (बिहार सरकार) जी एस डी पी	56412	62792	68465	76115	84724	94422	105361
वास्तविक/काल्पनिक नाम मात्र वृद्धि दर (%)	7.73	1.98	7.36	6.02	4.91	2.97	2.92

ifjf'k"V&II
¼lnHkZ % dfMdk 1-3 (i`"B&4½

fcgkj ljdkj dh foÙkh; fLFkfr dk lkj

31 ekpZ 2005 dk		nkf;Ro	31 ekpZ 2006 dk	
(#i;s djksM+ esa)			(#i;s djksM+ esa)	
21905.87		vkarfjd _.k		**25181.52**
	10461.99	ब्याज पर वाले बाजार ऋण	10810.02	
	0.34	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	-4.56	
	13.57	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	13.46	
	11429.97	अन्य संस्थानों आदि से ऋण	14362.60	
1424.48		अर्थोपाय अग्रिमें रिजर्व बैंक के पास जमा में कमी		**1125.59**
9037.06		dsUnz ljdkj ls _.k ,oa vfxze		**8551.01**
	409.92	1984–85 से पूर्व के ऋण	360.91	
	300.13	गैर–योजना ऋण	254.41	
	8257.41	राज्य योजना कार्यक्रमों हेतु ऋण	7866.46	
	9.76	केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों हेतु ऋण	9.13	
	16.88	केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रमों हेतु ऋण	17.14	
	42.96	अर्थोपाय अग्रिम	42.96	
350.00		vkdfLedrk fuf/k		**350.00**
8400.72		y?kq cpr] Hkfo"; fuf/k vkfn		**8765.73**
2603.10		tek		**3020.37**
536.63		vkjf{kr fuf/k		**976.25**
		çs"k.k vUrs'ks"k		
		mpUr ,oa fofo/k vUrs'ks"k		
44257.86		dqy		**47970.47**
31 ekpZ 2005 dk		ifjlEifÙk;k¡	31 ekpZ 2006 dk	
(#i;s djksM+ esa)			(#i;s djksM+ esa)	
17084.67		ldy foÙkh; ifjO;;		**19168.57**
	708.66	कंपनियां, निगमों आदि के शयरों में निवेश	805.64	
	16376.01	अन्य पूँजीगत परिव्यय	18362.93	
11876.69		_.k ,oa vfxze		**13573.66**
	9701.30	उर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	11436.57	
	2111.89	अन्य विकास ऋण	2074.21	
	63.50	सरकारी सेवकों आदि को ऋण	62.88	
196.04		vfxze		**198.73**
1642.89		çs"k.k vUrs'ks"k		**1612.74**
985.49		mpUr ,oa fofo/k vUrs'ks"k		**955.18**
2942.95		jksdM+		**3013.17**
		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	92.83	विभागीय अंतशेष	159.90	
	0.18	स्थायी रोकड़ अग्रदाय	0.19	
	2849.94	रोकड़ शेष का निवेश तथा अन्य आरक्षित निधि का निवेश	2853.08	
		रिजर्व बैंक के पास जमा		

31 ekp 2005 dk		ifjlEifÙk;k		31 ekp 2006 dk
(#i; djkM+ e)			(#i; djkM+ e)	
9529.13		ljdkjh y[k e ?kkVk		**9448.42**
	-1075.73	चालू वर्ष का राजस्व घाटा का योग/कम राजस्व अधिशेष	-80.71	
	10604.86	पूर्व वर्ष तक संचित घाटा विविध सरकारी लेखे	9529.13	
44257.86		dy		**47970.47**

ifjf'k"V&III

¼lanHkZ % dafMdk 1-3 (i"B&4½

o"kZ 2005&06 dh çkfIr;ksa ,oa lforj.k dk lkj

¼#i;s djksM+ esa½								
çkfIr;k¡				lforj.k				
2004-05			2005-06	2004-05				2005-06
	[kaM v % jktLo			dqy		xSj&;kstuk	;kstuk	
15714.14	**I** jktLo çkfIr;k¡		**17836.71**	**14638.41**	**I** jktLo O;;	**15020.05**	**2735.95**	**17756.00**
3347.39	कर राजस्व	3561.10		**7803.48**	lkekU; lsok,¡	**8107.38**	**415.41**	**8522.79**
417.79	करेत्तर राजस्व	522.30		**4794.98**	lkekftd lsok,¡	**5450.16**	**1411.76**	**6861.92**
9117.13	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	10420.59		3142.23	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3809.81	584.14	4393.95
683.99	गैर योजना अनुदान	1201.08		607.47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	758.34	118.60	876.94
1642.90	राज्य योजना योजना हेतु अनुदान	1555.66		251.09	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	186.31	221.18	407.49
10.33	केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान	89.99		11.94	सूचना एवं प्रसारण	12.26	1.33	13.59
494.61	केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	485.99		95.11	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	69.45	31.00	100.45
				115.09	श्रम एवं श्रम कल्याण	30.24	105.28	135.52
				561.65	सामजिक कल्याण एवं पोषण	571.87	350.23	922.10
			1.00	10.40	अन्य	11.88	0.00	11.88
				2035.67	vkfFkZd lsok,¡	**1458.31**	**908.78**	**2367.09**
				396.84	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	238.37	172.08	410.45
				802.68	ग्रामीण विकास	544.61	517.97	1062.58
				473.02	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	313.49	169.27	482.76
				1.74	उर्जा	0.61	0.81	1.42
				33.41	उद्योग एवं खनिज	21.24	14.69	35.93
				224.61	परिवहन	283.40	1.61	285.01

¼#i;s djksM+ esa½								
çkfIr;ka				laforj.k				
2004-05			2005-06	2004-05				2005-06
				103.37	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	56.59	32.35	88.94
				4.28	lgk;rk& vuqnku ,oa va'knku	**4.20**		**4.20**
	II [kkM c esa yh tk, x, jktLo ?kkVs			**1075.73**	II [kkM c esa yh tk, x, jktLo vf/k'ks"k			**80.71**
17837.71	dqy [kkM v		**17837.71**	**15714.14**				**17836.71**
	[kkM c½ vUr;							
-352.08	III LFkk;h vfxze rFkk jktdks'k fuos'k dks 'kkfey djrs gq, vkjfHkd jksdM+ 'ks"k		**1518.47**	**1204.52**	II iwathxr ifj0;;	**23.24**	**2060.66**	**2083.90**
				67.65	lkekU; lsok,a	**17.65**	**54.26**	**71.91**
				137.29	lkekftd lsok,a	**4.79**	**323.64**	**328.43**
				17.59	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		29.14	29.14
				21.94	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		137.91	137.91
				69.64	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	4.79	119.41	124.20
				8.49	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण		37.18	37.18
				19.63	सामजिक कल्याण एवं पोषण			
					अन्य			
				999.58	vkfFkZd lsok,a	**0.80**	**1682.76**	**1683.56**
				10.32	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.80	92.39	93.19
				367.47	ग्रामीण विकास		404.23	404.23
				442.52	सिंचाई एवं		591.46	591.46

¼#i;s djksM+ esa½								
	çkfIr;k¡				laforj.k			
2004-05			**2005-06**	**2004-05**				**2005-06**
					बाढ़ नियंत्रण			
				26.50	उर्जा		302.01	302.01
				1.12	उद्योग एवं खनिज		5.29	5.29
				144.06	परिवहन		274.99	274.99
				7.59	सामान्य आर्थिक सेवाएँ		12.39	12.39
14.83	**IV** _.k ,oa vfxzeksa dh olwyh		**50.86**	**1127.84**	**III** _.k ,oa vfxzeksa dk laforj.k			**1747.82**
	उर्जा परियोजनाओं से			1071.04	उर्जा परियोजनाओं हेतु	1637.75	97.52	1735.27
5.99	सरकारी सेवकों से	4.29		2.66	सरकारी सेवकों को	3.68		3.68
8.84	अन्य से	46.57		54.14	अन्य को	4.31	4.56	8.87
1075.73	jktLo vkf/kD; de gqvk		**80.71**					
7622.58	**VI** yksd _.k çkfIr;k¡		**3770.37**	**3083.72**	**IV** yksd _.k dk iquHkqZxrku			**980.76**
5968.40	अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	3768.55		361.01	अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	492.90		
	अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट के तहत कुल लेनदेन				अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट के तहत कुल लेनदेन			
1654.18	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.82		2722.71	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम	487.86		
4092.67	**VI** yksd ys[kk çkfIr;k¡		**5694.52**	**5519.18**	**VI** yksd ys[kk laforj.k			**4414.87**
1198.00	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1087.66		794.50	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	722.65		
188.59	आरक्षित निधि	439.62		111.84	आरक्षित निधि			
3129.42	जमा एवं अग्रिम	1886.05		3168.59	जमा एवं अग्रिम	1471.49		
-1661.61	उचंत एवं विविध	211.45		212.24	उचंत एवं विविध	181.14		
1238.27	प्रेषण	2069.74		1232.01	प्रेषण	2039.59		
				1518.47	**VII** jksdM+ vUr'ks"k			**1887.58**

¼#i;: djkM e½								
çkfIr;k¡				lforj.k				
2004-05			**2005-06**	**2004-05**				**2005-06**
				-1424.48	रिजर्व बैंक में जमा	-1125.59		
				93.01	स्थायी अग्रिम आदि सहित विभागीय रोकड़ शेष	160.09		
				2849.94	रोकड़ शेष निवेश	2853.08		
12453.73	;kx [kM v		**11114.93**	**12453.73**				**11114.93**

ifjf'k"V&IV

¼lnHk % dfMdk 1-3 (i"B&4½

fuf/k dk lkr ,o mi;kx

¼djkM #i;s e½

2004-05		lkr		2005-06
15714.14		jktLo çkfIr;k		**17836.71**
14.83		_.k ,o vfxek dh olyh		**50.86**
4538.86		yksd _.k e of)		**2789.61**
-1426.51		ykd yk[kk l fuoy çkfIr;k		**1279.65**
	403.50	लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि में वृद्धि	365.01	
	-39.17	जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	414.56	
	76.75	आरक्षित निधियों में वृद्धि	439.62	
	-1873.85	उचंत एवं विविध लेनदेनों का निवल प्रभाव	30.31	
	6.26	प्रेषण लेनदेनों का निवल प्रभाव	30.15	
		jkdM 'k"k e deh		
18841.32		dy		**21956.83**
2004-05		mi;kx		**2005-06**
14638.41		jktLo 0;;		**17756.00**
1127.84		fodkl ,o vU; mís';ka d fy, m/kkj nuk		**1747.82**
1204.52		iwthxr 0;;		**2083.90**
1870.55		jkdM 'k"k e of)		**369.11**
18841.32		;kx		**21956.83**

ifjf'k"V&v

¼lnHkZ % dafMdk 1-3(i"B&4½

jkT; ljdkj ds foÙk ds dkyc) vkadM+s

¼#i;s djksM+ esa½

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
[kaM v % çkfIr;k¡					
1- jktLo çkfIr;k¡	**9839**	**10968**	**12456**	**15714**	**17837**
(i) dj jktLo	**2319(24)**	**2761(25)**	**2890(23)**	**3347(21)**	**3561(20)**
बिक्रय, व्यापार आदि पर कर	1413(61)	1648(60)	1637(57)	1891(57)	1734(49)
राज्य उत्पाद	239(10)	242(9)	240(8)	272(8)	319(9)
वाहन पर कर	142(6)	178(6)	209(7)	213(6)	302(8)
मुद्रांक एवं निबंधक शुल्क	304(13)	348(13)	418(14)	429(13)	505(14)
भू–राजस्व	34(2)	36(1)	34(1)	33(1)	55(2)
अन्य कर	187(8)	309(11)	352(13)	509(15)	646(18)
(ii) djsÙkj jktLo	**287(3)**	**261(2)**	**320(3)**	**418(3)**	**522(3)**
(iii) la?kh; djksa ,oa 'kqYdksa esa jkT;ka'k	**6177(63)**	**6549(60)**	**7628(61)**	**9117(58)**	**10421(58)**
(iv) Hkkjr ljdkj ls vuqnku	**1057(11)**	**1397(13)**	**1618(13)**	**2832(18)**	**3333(19)**
2- fofo/k iwathxr çkfIr;k¡		**1**			
3- dqy jktLo ,oa xSj&_.k iwathxr çkfIr;k¡ ¼1$2½	**9839**	**10968**	**12456**	**15714**	**17837**
4- _.k ,oa vfxzeksa dh olwyh	**13**	**16**	**10**	**15**	**51**
5- yksd _.k çkfIr;k¡	**3758**	**4190**	**5069**	**7623**	**3770**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	**2681**	**2935**	**4249**	**5969**	**3768**
अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमें	1077	1255	820	1654	2
6- lafpr fuf/k esa dqy çkfIr;k¡ ¼3$4$5½	**13619**	**15174**	**17535**	**23352**	**21658**
7- vkdfLedrk fuf/k çkfIr;k¡	-	-	-	-	-
8- yksd ys[kk çkfIr;k¡	**7719**	**5584**	**7440**	**4092**	**5695**
9- jkT; dh dqy çkfIr;k¡ ¼6$7$8½	**21329**	**20758**	**24975**	**27444**	**27353**
[kaM c % O;;					
10- jktLo O;;	**11159 (90)**	**12255(88)**	**12711**	**14638**	**17756**
योजना	867(8)	1354(11)	1084(9)	1996(14)	2736(15)
गैर–योजना	10292 (92)	10901(89)	11627(91)	12642 (86)	15020 (85)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6323(57)	6574(54)	7176(56)	7803(53)	8523(48)
आर्थिक सेवाएँ	1302(12)	1763(14)	1498(12)	2036(33)	2367(13)
सामाजिक सेवाएँ	3532(31)	3916(32)	4033(32)	4795(14)	6862(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.82	1.82	4	4	4
11 iwathxr O;;	**742**	**970**	**1549**	**1205**	**2084**
योजना	742(100)	970(100)	1493(96)	1170(97)	2061(99)
गैर–योजना	ux.;	ux.;	56(4)	35(3)	23(1)
सामान्य सेवाएँ	19(2)	81(8)	22(1)	68(6)	72(3)
आर्थिक सेवाएँ	680(92)	747(77)	1364(88)	1000(83)	1684(81)
सामाजिक सेवाएँ	43(6)	142(15)	163(11)	137(11)	328(16)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
12- _.k ,o vfxeksa dk lfforj.k	534	747	2569	1128	1748
13- dqy ¼10$11$12½	12435	13972	16829	16971	21588
14- yksd _.k dk iquHkZxrku	624	1526	2802	3084	981
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	96	145	422	361	493
अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमें	528	1381	2380	2723	488
15- vkdfLedrk fuf/k dk fofu;kstu	-	-	-	-	-
16- lfpr fuf/k ls dqy lfforj.k ¼13$14$15½	13059	15498	19631	20055	22569
17- vkdfLedrk fuf/k lfforj.k	-	-	-	-	-
18- yksd ys[kk lfforj.k	8060	4822	5789	5519	4415
19- jkT; ljdkj }kjk dqy lfforj.k ¼16$17$18½	21119	20320	25420	25574	26984
[kaM l % ?kkVk					
20- jktLo ?kkVk ¼1&10½	(-)1320	(-)1287	(-)255	1076	81
21- jktdks"kh; ?kkVk ¼3$4&13½	(-)2583	(-)2988	(-)4363	(-)1242	(-)3700
22- çkjafHkd ?kkVk ¼&½@ vkf/kD; ¼$½ ¼21&23½	(-) 46	(-) 34	(-)1020	(+)2232	(-)51
[kaM n % vU; vkadM+s					
23- C;kt Hkqxrku ¼jktLo O;; esa 'kkfey½	2629	3022	3343	3474	3649
24- jktLo cdk;k ¼dks"Bd esa dj ,oa djsÙkj jktLo çkfIr;ksa dk çfr'kr½	1141(44)	1485(49)	1357(42)	1101(29)	, l vkj ,
25- LFkkuh; fudk;ksa dks foÙkh; lgk;rk	565	1022	788	813	1110
26- mi;ksx fd, x, vFkksZik; vfxesa@vksojMªk¶V ¼fnu½	229	1	44	3	'kwU;
27- vFkksZik; vfxeksa@ vksojMªk¶V ij C;kt	12	ux.;	5	ux.;	'kwU;
28- ldy jkT; ?kjsyw mRikn ¼th ,l Mh ih½	50987	56688	59862	*62792	68466
29- jktdks"kh; nkf;Ùo ¼o"kkZar½	31883	35249	37453	42483	46495
30- C;kt lfgr yafcr çR;kHkwfr ¼o"kkZar½	209	393	471	473	605
31- xkjaVh nh xbZ vf/kdre jkf'k ¼o"kkZar½	ux.;	ux.;	1531	1531	1531
32- vi w.kZ ifj;kstukvksa dh la-	22	22	22	18	6
33- vi w.kZ ifj;kstukvksa esa vo:) iwath	30	'kwU;	vuq-	1183	2393

fVIi.kh % dks"Bd esa vad çR;sd mi'kh"kZ ds ;ksx ds çfr'kr ¼iw.kkZ vad esa½ n'kkZrs gSaA

* fcgkj ljdkj }kjk çnÙk vuqekfur vkadM+s

ifjf'k"V&VI

¼lanHkZ% dafMdk 1-6-5 (i"B&17½

ekpZ 2005 rd Hkkxrku fd, x, lgk;rk vuqnku ftudk mi;ksfxrk çek.k i= flrEcj 2005 rd vçkIr Fkk

¼#i;s yk[k esa½

Øe l-	foHkkx	vuqnku nsus dk o"kZ	cdk;k mi;ksfxrk çek.k i=		çkIr mi;ksfxrk çek.k i=		mi;ksfxrk çek.k i= çrhf{kr	
			l[;k	jkf'k	l[;k	jkf'k	l[;k	jkf'k
14-11-2000 rd l;qä fcgkj								
1	पशुपालन	तक 2000-2002	511	1533.53	शून्य	शून्य	511	1533.53
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
2	कृषि	तक 2000-2002	167	4811.84	शून्य	शून्य	167	4811.84
		1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
3	सहकारिता	तक 2000-2002	471	7149.69	शून्य	शून्य	471	7149.69
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
4	शिक्षा	तक 2000-2002	56	4214.91	शून्य	शून्य	56	4214.91
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
5	आरक्षी	तक 2000-2002	6	559.94	शून्य	शून्य	6	559.94
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
6	लोक कार्य	तक 2000-2002	555	512.12	शून्य	शून्य	555	512.12
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
7	कल्याण	तक 2000-2002	1615	2909.22	शून्य	शून्य	1615	2909.22
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
8	चिकित्सा	तक 2000-2002	778	2233.09	शून्य	शून्य	778	2233.09
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
9	नगर विकास	तक 2000-2002	6852	22915.76	शून्य	शून्य	6852	22915.76
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
10	उद्योग	तक 2000-2002	2495	33639.88	शून्य	शून्य	2495	33639.88
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						

Øe l-	foHkkx	vuqnku nsus dk o"kZ	cdk;k mi;ksfxrk çek.ki=		çkIr mi;ksfxrk çek.ki=		mi;ksfxrk çek.ki= çrhf{kr	
			l[;k	jkf'k	l[;k	jkf'k	l[;k	jkf'k
11	अन्य	तक 2000-2002	6684	30702.84	शून्य	शून्य	6684	33702.84
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2003-04						
	;ksx		**80190**	**111182.82**	शून्य	शून्य	**20190**	**111182.82**
15-11-2000 ls foHkkftr fcgkj								
1	पशुपालन	2001-02	5	187.75			5	187.75
		2002-03					0	
		2003-04	2	71.47			2	71.47
		2004-05	6	143.20			6	143.20
		2005-06	1	49.28			1	49.28
2	कृषि	2001-02					0	
		2002-03					0	
		2003-04	2	597.05			2	597.05
		2004-05	1	625.74			1	625.74
		2005-06					0	
3	शिक्षा	2001-02	30	7808.03			30	7808.03
		2002-03	21	1164.30	15	461.07	6	703.23
		2003-04					0	
		2004-05	1	338.64			1	338.64
		2005-06					0	
4	कल्याण	2001-02	28	1135.34			28	1135.34
		2002-03					0	
		2003-04	7	338.62	2	39.00	5	299.62
		2004-05	3	191.92			3	191.92
		2005-06					0	
5	सहकारिता	2001-02	6	152.25			6	152.25
		2002-03					0	
		2003-04	1	75.00			1	75.00
		2004-05	17	11023.87			17	11023.87
		2005-06	1	80.00			1	80.00
6	लोक कार्य	2001-02					0	
		2002-03					0	
		2003-04	37	233.00	7	41.69	30	191.31
		2004-05					0	
		2005-06					0	
7	उद्योग	2001-02	37	980.74			37	980.74
		2002-03	19	891.83			19	891.83
		2003-04					0	
		2004-05	28	823.07			28	823.07
		2005-06	2	3.50			2	3.50
8	नगर विकास	2001-02	207	1909.35	2	100.50	205	1808.85
		2002-03	18	3100.64	6	1577.93	12	1522.71
		2003-04	18	7685.68			18	7685.68
		2004-05	18	3925.41			18	3925.41
		2005-06	54	25702.92			54	25702.92

Øe l-	foHkkx	vunku nus dk o"k	cdk; mi;kfxrk çek.ki=		çkIr mi;kfxrk çek.ki=		mi;kfxrk çek.ki= çrhf{kr	
			l[;k	jkf'k	l[;k	jkf'k	l[;k	jkf'k
9	अन्य	2001-02	141	14088.70			141	14088.70
		2002-03	6	756.48	3	446.58	3	309.90
		2003-04	6	6212.29	3	126.55	3	6085.74
		2004-05	25	17466.76	10	13684.26	15	3782.50
		2005-06	22	73948.23			22	73948.23
	;kx	14-11-2000 तक	**20190**	**111182.82**			**20190**	**111182.82**
		2001-02	**454**	**26262.16**	**2**	**100.50**	**452**	**26161.66**
		2002-03	**64**	**5913.25**	**24**	**2485.58**	**40**	**3427.67**
		2003-04	**73**	**15213.11**	**12**	**207.24**	**61**	**15005.87**
		2004-05	**99**	**34538.61**	**10**	**13684.26**	**89**	**20854.35**
		2005-06	**80**	**99783.93**	**0**	**0.00**	**80**	**99783.93**
	dy ;kx			**292893.88**		**16477.58**		**276416.30**

ifjf'k"V&VII

¼lnHk ½ dfMdk 1-6-6 (i"B&17½

Lok;Ùk'kklh fudk;ks }kjk jkT; fo/kkf;dk dks lkSis x, y[kkvks dh oLrqfLFkfr dk fooj.k

Øe l-	fudk; dk uke	fu- e- y- i- dks lkSis x, y[kk dh y[kkijh{kk vof/k	o"kZ tcrd ds y[kk cdk;s gS	o"kZ tc rd ds y[ks çLrqr fd, x,	o"kZ tcrd y[kkijh{kk çfrosnu tkjh	o"kZ tcrd y[kkijh{kk çfrosnu jkT; fo/kkf;dk dks lkSis x,	y[kkijh{kk çfrosnu dks rS;kj ugha djus ds dkj.k
1	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	2003-04	2002-03	1993-94	1993-94	वर्ष 1994–95 से 1998–99 तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणी बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना से प्रतीक्षित (28.8.06 को) थी। वर्ष 1999–2000 से 2002–03 तक की वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा, वर्ष 1994–95 से 1998–99 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तैयार करने के बाद की जायगी।
2	बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2002-03	1999-02 to 2002-03	1998-99	1988-89	1986-87	वर्ष 1989–90 से 1998–99 तक की प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार होने (28.8.06 को) की प्रक्रिया में है।
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2004-05 तक 2005-06	2003-04	2001-02 (31.03.06 को)	--	वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक आई. सी. (सी.)–246–248 दिनांक 10.4.06 द्वारा निर्गत किए गए।

ifjf'k"V&VIII

¼lanHkZ % dafMdk 1-7-3 (i`"B 18½

foHkkxh; çcaf/kr okf.kfT;d@v)Z&okf.kfT;d miØe ftUgksus LFkkiuk dky ls gh çkQkeksZ ys[kk rS;kj ugha fd;k gS

Øe la-	okf.kfT;d@v)Zokf.kfT;d miØeksa ds uke	bdkbZ dh la[;k	miØeksa dh LFkkiuk dh frfFk
	i'kqikyu ,oa eRL; foHkkx		
1	केन्द्रीय पॉल्ट्री फार्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2	क्षेत्रीय पॉल्ट्री फार्म, भागलपुर	1	दिसंबर 1959
3	क्षेत्रीय पॉल्ट्री फार्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	m|kx foHkkx		
4	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5	आदर्श काष्ठ कार्यशाला	8	1956-64
6	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7	शोरा शोधक कारखाना, महेशी, पूर्वी चम्पारण	1	1953
	mRikn ,oa e| fu"ks| foHkkx		
8	अफीम भंडार का क्रय एवं विक्रय	1	--
9	अनाज गोला	1	1947-48
	;ksx	**26**	

ifjf'k"V&IX

¼lanHkZ½ dafMdk 1-7-3 (i`"B & 18½

foHkkx }kjk izcaf/kr okf.kfT;d@v)Z okf.kfT;d miØe ftudk çkQkeZ ys[kk cdk;k gS

Øe la-	okf.kfT;d@v)Z okf.kfT;d miØeksa dk uke	bdkbZ dh la[;k
	df"k foHkkx	
1	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियां	1977 के बाद (नवंबर से अक्टूबर)
	xg ¼dkjk½ foHkkx	
2	विनिर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2005 (जनवरी से दिसम्बर)
3	विनिर्माण विभाग केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2005 (जनवरी से दिसंबर)

ifjf'k"V&x

¼lnHkZ % dfMdk 2-3-2 (i"B&32½

oLrq {k= ftlea ogr cpr ¼10 djkM+ #i;s ,oa mlls vf/kd½ gbZ

¼#i;s djkM+ e½

Øe la-	vuqnku la-@foHkkx	ys[kk 'kh"kZ ogr@y?kq@mi'kh"kZ	eq[; cpr
d jkTkLo nÙker			
	20 LokLF;] fpfdRlk f'k{kk ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx	2210 fpfdRlk ,oa yksd LokLF;	
1.		0013 सदर अस्पताल	
		01 - 110 – 0013	59.80
2.		0002 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		03 - 101 – 0002	15.34
3.		0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर योजना)	
		03 - 103 – 0001	82.15
4.		0101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		03 - 103 – 0101	37.97
5.		0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	
		06 - 101 – 0001	11.47
6.		0602 स्वास्थ्य उप केन्द्र	
		06 - 101 – 0602	66.02
7.		0101 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	
		06 - 101 – 0101	17.60
8.		0601 क्षतिपूर्ति	
		06 - 105 - 0601	10.36
II	**50** y?kq flapkbZ foHkkx	**2702** y?kq flapkbZ	
9.		0002 सरकारी नलकूप	
		03 - 103 – 0002	12.35
10.		0105 राष्ट्रीय सम विकास योजना	
		03 - 103 – 0105	100.00
III	**51** dY;k.k foHkkx	**2235** lkekftd lqj{kk ,oa dY;k.k	
11.		0002 विशेष पोषण योजना	
		02 - 102 – 0002	47.80
12.		0602 समग्र बाल विकास योजना	
		02 - 102 – 0602	27.04
13.		0603 बाह्य प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) राज्य प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना	
		02 - 102 - 0603	15.44
14.		0605 बालिका समृद्धि योजना सहायता अनुदान	
		02 - 103 – 0605	10.24
15.		**2236** iks"k.k	
		0102 गर्भवती महिला, बच्चे एवं प्रसवोपरांत महिलाओं को पोषित भोजन वितरण के लिए योजना	
		02 - 101 - 0102	46.52
		;kx d:	**560.10**

Øe l-	vuqnku l-@foHkkx	y[kk 'kh"kZ ogr@y?kq@mi 'kh"kZ	eq[; cpr
	[k iwathxr nÙker		
IV	**36** ykd LokLF; vfHk;a=.k foHkkx	**4215** tykiwfrZ ,oa LoPNrk ij iwathxr ifjO;;	
16		0602 केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना	
		01 - 102 – 0602	130.13
17.		0603 त्वरित नगर जलापूर्ति योजना	
		02 - 102 – 0603	19.81
18.		0116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु नाबार्ड से ऋण	
		01 - 102 – 0116	35.00
V	**41** iFk fuekZ.k foHkkx	**5054** iFkksa ,oa iqyksa ij iwathxr ifjO;;	
19.		0103 पुल (नाबार्ड ऋण)	
		01 - 101 – 0103	46.64
20.		0102 वृहत पथ	
		03 - 337 - 0102	51.94
21.		0106 केन्द्रीय पथ निधि	
		03 - 337 – 0106	36.34
22.		0107 राष्ट्रीय सम विकास योजना	
		03 - 337 – 0107	244.86
VI	**42** xzkeh.k fodkl foHkkx	**2501** xzkeh.k fodkl gsrq fo'ks"k dk;ZØe	
23.		0102 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	
		01- 800- 0102	15.73
		2515 vU; xzkeh.k fodkl dk;ZØe	
24.		0003 जिला पंचायत स्थापना	
		00 - 001 – 0003	20.36
25.		0003 पोस्ट स्टेज – 2 ब्लॉक	
		00 - 102 – 0001	18.69
		4515 vU; xzkeh.k fodkl dk;ZØeksa ij iwathxr ifjO;;	
26.		0101-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	
		00-103-0101	173.19
27.		0109-विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों की अनुशंसा पर योजना का क्रियान्वयन	
		00-103-0109	43.70
VII	**49** ty lalk/ku foHkkx	**4700** ogr flapkbZ ij iwathxr ifjO;;	
28.		0101 राष्ट्रीय सम विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	
		80 - 800 – 0101	99.71

Øe l-	vuqnku l-@foHkkx	y[kk 'kh"k ogr@y?k@mi 'kh"k	e[; cpr
29.		**4701** e/;e flapkbZ ij iwathxr ifjO;;	
		0103 नाबार्ड प्रायोजित परियोजना किऊल–बदुआ चंदन बेसीन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना	
		04 - 800 – 0103	16.07
30.		**4711** ck<+ fu;a=.k ifj;kstukvksa ij iwathxr ifjO;;	
		0111 बाढ़ नियंत्रण बाँध पथ योजना (नाबार्ड) प्रायोजित योजना (कार्य)	
		01 - 001 – 0111	15.03
31.		0112 नाबार्ड प्रायोजित नाला परियोजना (कार्य)	
		01 - 001 – 0112	68.44
32.		0602 तिनमुहानी कुरसेला बाँध निर्माण कार्य	
		01 - 800 – 0602	10.00
33.		0609 बागमती नदी बाँध का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	
		01 - 800 - 0609	13.50
34.		0610 गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य	
		01 - 800 – 0610	13.25
35.		0611 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत जल निकासी परियोजना	
		01 - 800 – 0611	21.00
		;ksx [k	**1093.39**
	x iwathxr Hkkfjr		
VIII	**14** yksd _.k dk iquHkqxrku	**6003** jkT; ljdkj dk vkarfjd _.k	
36.		0001 भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि साख कोष से ऋण	
		00 - 106 – 0001	13.18
37.		0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	
		00 - 110 – 0001	2000.00
38.		0002 वर्ष 1984–85 से प्राप्त ऋण	
		01 - 102 – 0002	76.99
39.		0001 वर्ष 1989–90 से प्राप्त प्रखंड ऋण	
		02 - 101 – 0001	77.86
40.		0001 15 वर्षीय समग्र प्रखंड ऋण 1990	
		02 - 104 - 0001	60.90
41.		0001 लघु बचत ऋण 1990	
		07 - 105 – 0001	10.67
		;ksx x	**2239.60**
		dqy ;ksx ¼d$[k$x½	**3893.09**

ifjf'k"V&XI

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-3 (i"B&32½

o‚l ekeys tgk¡ 0;; ctV iko/kku ls de gvk ¼2 djksM+ #i;s ls vf/kd rFkk çR;sd ekeys esa dqy çko/kku ds 20 çfr'kr ls Hkh vf/kd dh cpr Fkh½

Øe la-	vuqnku@fofu;ksxu dh la[;k vkSj uke	vuqnku@ fofu;ksxu dh jkf'k	cpr dh jkf'k ¼çko/kku dk çfr'kr dks"B esa½	ljdkj }kjk çLrqr cpr ds eq[; dkj.k
		¼#i;s djksM+ esa½		
d jktLo nÙker çHkkx				
1.	**2 –** i'kqikyu ,oa eRL; foHkkx	97.86	24.75 (25.29)	मुख्य रूप से वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाने एवं वर्षांत में योजनाओं की स्वीकृति के कारण
2.	**4 –** ef=eMy] lfpoky; ,oa leUo; foHkkx	8.26	2.90 (35.11)	रिक्त पदों एवं यात्रा व्ययों के न निकालने के कारण 0.35 करोड़ रुपये की बचत एवं शेष राशि के बारे में सूचित नहीं किया गया।
3.	**6 –** fuokZpu	138.27	37.30 (26.98)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
4.	**10 –** mtkZ foHkkx	61.18	50.19 (82.04)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
5.	**11 –** mRikn ,oa e|fu"ks/k foHkkx	19.34	4.48 (23.17)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
6.	**12 –** foÙk foHkkx	92.23	39.65 (42.99)	माँग के विरूद्ध अधिक प्रावधान एवं मितव्ययिता के कारण 0.51 करोड़ रुपये की बचत हुई। शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
7.	**18 –** [kk| vkiwfrZ ,oa okf.kT; foHkkx	85.10	35.20 (41.36)	मितव्ययिता के कारण बचत हुई।
8.	**19 –** ou ,oa i;kZoj.k foHkkx	64.74	15.98 (24.68)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
9.	**23 –** m|ksx foHkkx	38.43	9.56 (24.88)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।

Øe l-	vuqnku@fofu;kstu dh l[;k vkSj uke	vuqnku@ fofu;kstu dh jkf'k	cpr dh jkf'k ¼çko/kku dk çfr'kr dk"B esa½	ljdkj }kjk çLrqr cpr ds eq[; dkj.k
		¼#i;s djksM+ esa½		
10.	**27** – fof/k foHkkx	212.37	74.10 (34.89)	बचत का कारण न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध था।
11.	**29** – [kuu ,oa HkwrRo foHkkx	8.89	3.26 (36.67)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
12.	**32** – fo/kku lHkk	38.57	8.50 (22.04)	बचत का कारण 21.11. 2005 तक विधानसभा का गठन न होना था।
13.	**33** – dkfeZd ,oa ç'kklfud lq/kkj foHkkx	18.29	10.63 (58.12)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
14.	**38** – fuca/ku foHkkx	29.12	6.64 (22.80%)	बचत का ठोस कारण नहीं बताया गया है।
15.	**40** – jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx	272.98	54.71 (20.04)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
16.	**45** – xUuk foHkkx	15.01	6.45 (42.97)	0.88 करोड़ रुपये की बचत ए सी पी बकाये भुगतान पर रोक के कारण था एवं शेष 5.57 करोड़ रुपये की बचत का कारण सूचित नहीं किया गया।
17.	**47** – ifjogu foHkkx	9.39	3.44 (36.63)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
	;ksx ¼d½ %	**1210.03**	**387.74**	
[k iwthxr nÙker çHkkx				
18.	**3** – Hkou fuekZ.k ,oa vkokl foHkkx	135.63	97.33 (71.76)	99.40 करोड़ रुपये की बचत एवं 2.07 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय के कारण को नहीं सूचित किया गया।
19.	**12** – foÙk foHkkx	11.11	7.43 (66.88)	7.43 करोड़ रुपये की बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
20.	**22** – xg foHkkx	84.74	79.27 (93.54)	79.27 करोड़ रुपये की अंतिम बचत के कारणों को नहीं बताया गया।

Øe l-	vuqnku@fofu;kstu dh la[;k vkSj uke	vuqnku@ fofu;kstu dh jkf'k	cpr dh jkf'k ¼çko/kku dk çfr'kr dk"B esa½	ljdkj }kjk çLrqr cpr ds eq[; dkj.k
		¼#i;s djksM+ esa½		
21.	**23** – m|ksx foHkkx	13.96	8.64 (61.89)	8.64 करोड़ रुपये के बचत की कारणों को सूचित नहीं किया गया।
22.	**44** – ek/;fed] çkFkfed ,oa o;Ld f'k{kk foHkkx	6.31	4.42 (70.05)	बचत का कारण वित्त विभाग की असहमति एवं केन्द्र सरकार की अस्वीकृति थी।
23.	**48** – uxj fodkl foHkkx	11.25	11.25 (100.00)	11.25 करोड़ रुपये की बचत ऋणों की अस्वीकृति के कारण थी।
24.	**50** – y?kq flapkbZ foHkkx	70.98	42.49 (59.86)	42.49 करोड़ रुपये के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
	;ksx ¼[k½ %	**333.98**	**250.83**	
x- jktLo Hkkfjr çHkkx				
25.	**28** – fcgkj dk mPp U;k;ky;	30.89	7.11 (23.02)	7.11 करोड़ रुपये की बचत रिक्त पदों एवं न्यायाधीशों की सेवानिवृति के कारण थी।
	;ksx ¼x½ %	**30.89**	**7.11**	
	dqy ;ksx ¼d$[k$x½	**1574.90**	**645.68**	

ifjf'k"V&XII

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-4 (i`"B&32½

çR;sd ekeys esa 2 djksM+ #i;s ls vf/kd yxkrkj cpr ds ekeys

Øe la-	vuqnku@fofu;kt dh la- ,oa uke	cpr jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ vkSj çko/kku ls blds çfr'kr dk"Bd esa		
	o"kZ	2003-04	2004-05	2005-06
d&jktLo nÙker				
1	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	23.05(26)	24.39(26)	24.75(25.29)
2	6-निर्वाचन	22.26(43)	32.68(18)	37.30(26.98)
3	12-वित्त विभाग	15.33(25)	415.81(89)	39.65(42.99)
4	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	21.14(39)	24.79(44)	15.98(24.68)
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	185.56(26)	207.41(26)	457.13(34.35)
6	23-उद्योग विभाग	20.92(45)	9.23(25)	9.56(24.86)
7	27-विधि विभाग	41.84(28)	41.15(25)	74.10(34.89)
8	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	53.42(22)	42.14(17)	54.71(20.04)
9	41-पथ निर्माण विभाग	27.56(12)	26.64(11)	31.94(10.94)
10	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	26.22(51)	12.02(28)	4.62(11.90)
11	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	696.75(23)	1070.36(29)	807.36(18.40)
12	49-जल संसाधन विभाग	28.05(12)	63.56(22)	41.26(13.29)
13	51-कल्याण विभाग	183.59(42)	163.72(34)	212.86(29.40)
14	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	5.37(28)	2.98(16)	5.38(19.51)
	;ksx %	**1351.06**	**2136.88**	**1816.60**
[k & iwathxr nÙker				
1	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	113.28(74)	37.17(41)	97.33(71.76)
2	12-वित्त विभाग	10.64(85)	11.89(80)	7.43(66.88)
3	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	113.78(61)	97.98(59)	209.96(63.44)
4	41-पथ निर्माण विभाग	69.64(53)	576.98(80)	385.13(59.66)
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	120.21(20)	102.12(22)	225.31(35.59)
6	49- जल संसाधन विभाग	315.63(48)	241.73(39)	313.30(35.72)
	;ksx	**743.18**	**1067.87**	**1238.46**
x&jktLo Hkkfjr çHkkx				
1	28- बिहार का उच्च न्यायालय	5.66(25)	5.65(23)	7.11(23.03)
	;ksx	**5.66**	**5.65**	**7.11**
	dqy ;ksx ¼d$[k$x½	**2099.90**	**3210.40**	**3062.17**

ifjf'k"V&XIII

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-5 (i"B&32½

1977&78 ls 2005&06 rd dk vkf/kD;

o"kZ	vuqnku@ fofu;kstu dh la[;k	vuqnku@ fofu;kstu la[;k	vkf/kD; dh jkf'k	jkf'k ftlds fy, yksd- ys- l- dks Li"Vhdj.k çLrqr ugha fd;k x;k
			¼#i;s djksM+ esa½	
1977-78	2	5, 24	0.4	0.40
1978-79	2	17, 27	16.17	16.17
1979-80	1	17	33.46	33.46
1980-81	2	12, 17	26.03	26.03
1981-82	7	3, 11, 12, 13, 15, 17, 24	39.24	39.24
1982-83	2	12, 22	4.79	4.79
1983-84	2	11, 12	9.98	9.98
1984-85	2	3,14	2.62	2.62
1985-86	2	10, 13	14.83	14.83
1986-87	1	13	65.62	65.62
1987-88	6	9, 19, 25, 38, 48	244.76	244.76
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	85.15
1989-90	3	25, 27, 38	99.4	99.4
1990-91	4	37, 38, 42, 43	92.07	92.07
1991-92	2	6, 38, 43	85.11	85.11
1992-93	2	25, 38	93.25	93.25
1993-94	2	25, 37	157.68	157.68
1994-95	1	37	170.61	170.61
1995-96	3	25, 36, 37	213.22	213.22
1996-97	3	20, 23, 37	22.44	22.44
1997-98	1	7	0.01	0.01
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999-00	5	10, 13, 14, 40, 50	196.23	196.23
2000-01	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
2001-02	1	15	491.24	491.24
2002-03	2	15, 47	10.15	10.15
2003-04	7	10, 11, 14, 15, 30, 32, 50	3782.34	3782.34
2004-05	4	19,20,21,46	5.68	5.68
2005-06	**4**	**10,39,40,46**	**349.56**	**349.56**
;ksx			**7024.71**	**7024.71**

ifjf'k"V&XIV

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-5 (i"B&32½

vf/kdkbZ O;; dk egÙoiw.kZ ekeys ftlds y?kq 'kh"kksZ esa çko/kku ds fo:) iR;sd esa ,d djksM+ #i;s ;k vf/kd dk vkf/kD; Fkk

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku l-	ogr@y?kq @ mi'kh"kZ	çko/kku	O;;	vkf/kD;	vkf/kD; dk çfr'kr
d-	jktLo nÙker çHkkx					
I	**1** df"k foHkkx	**2401** – Qly ikyu				
1		0119 – राष्ट्रीय सम विकास योजना	15.50	100.00	84.50	545.16
II	**20**-LokLF;] fpfdRlk f'k{kk ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx	**2210**-fpfdRlk ,oa yksd LokLF;				
2		0003-स्वास्थ्य उप केन्द्र 03-101-0003	55.79	77.78	21.99	39.42
III	**21**-mPprj f'k{kk foHkkx	**2202**- lkekU; f'k{kk				
3		0008- भू. ना. मं. वि. मधेपुरा (सहायता अनुदान) 03.101.0008	67.34	97.34	30.00	44.55
IV	**49** ty lalk/ku foHkkx	**2701**-e/;e flapkbZ				
4		0002- कोशी परियोजना के अनुरक्षण एवं मरम्मती 01-101-0002	1.30	2.38	1.08	83.08
5		0002-अन्य अनुरक्षण व्यय 04-101-0002	3.30	6.28	2.98	90.30
6		0002- अन्य अनुरक्षण व्यय 05-101-0002	3.80	7.70	3.90	102.63
d-	jktLo nÙker çHkkx					
V	**10**-mtkZ foHkkx	**6801**-mtkZ ifj;kstukvksa ds fy, _.k				
7		0001-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 00-800-0001	758.44	963.13	204.69	26.99
d-	jktLo nÙker çHkkx					

Øe l-	vunku l-	ogr@y?k @ mi'kh"k	çko/kku	0;;	vkf/kD;	vkf/kD; dk çfr'kr
VI	**13-**C;kt Hkxrku	**2049-**C;kt Hkxrku				
8		0001-भवन निर्माण अग्रिम के लिए ऋण पर ब्याज 04-104-0001	0.05	2.82	2.77	5540.00
9		0002-पुलिस आधुनिकीकरण के लिए ऋण पर ब्याज 04-104-0002	7.46	14.21	6.75	90.48
10		0001-लघु बचत संग्रह के अंश के रूप में वर्ष 1984–85 के पूर्व के ऋण पर ब्याज 04-107-0001	3.08	12.62	9.54	309.74
	;kx		**916.06**	**1284.26**	**368.20**	

ifjf'k"V&xv

¼lnHkZ % dfMdk 2-3-7 (i"B 34½

fooj.kh tgk¡ vuqiqjd çko/kku vukoa';d gq,

					¼#i;s djksM+ esa½
Øe la-	vuqnku@fofu;kstu dh la- ,oa uke	ewy vuqnku@ fofu;kstu	O;;	cpr	vukoa';d iqjd vuqnku@ fofu;kstu dh jkf'k
1	2	3	4	5	6
	d&jkTLo çHkkx nÙker				
1	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	95.76	73.11	22.65	2.10
2	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	116.84	104.05	12.79	4.22
3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	7.62	5.36	2.26	0.64
4	6- चुनाव	122.81	100.97	21.84	15.46
5	7-निगरानी	8.08	7.95	0.13	0.46
6	8-नागरिक उडड्यन विभाग	5.11	4.17	0.94	0.04
7	9-सहकारिता विभाग	47.84	46.75	1.09	8.40
8	10- उर्जा विभाग	19.28	10.99	8.29	41.90
9	12-वित्त विभाग	84.07	52.58	31.49	8.16
10	15-पेंशन	2745.53	2455.54	289.99	0.12
11	18-खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	74.47	49.90	24.57	10.63
12	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	62.72	48.76	13.96	2.01
13	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1104.28	873.74	230.54	226.60
14	22-गृह विभाग	1273.22	1195.68	77.54	37.85
15	23-उद्योग विभाग	36.67	28.88	7.79	1.76
16	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	213.18	198.59	14.59	3.01
17	27-विधि विभाग	199.67	138.28	61.39	12.71
18	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	18.06	7.66	10.40	0.23
19	35-योजना एवं विकास विभाग	449.05	413.25	35.80	64.85
20	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	151.08	126.16	24.92	0.58
21	37-राजभाषा विभाग	16.27	14.17	2.10	0.01
22	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	272.81	218.27	54.54	0.17
23	41-पथ निर्माण विभाग	291.76	260.11	31.65	0.29
24	42-ग्रामीण विकास विभाग	1155.31	1134.92	20.39	65.68

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku@fofu;kstu dh l- ,oa uke	ewy vuqnku@ fofu;kstu	O;;	cpr	vukoa';d iwjd vuqnku@ fofu;kstu dh jkf'k
1	2	3	4	5	6
25	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	3674.28	3581.54	92.74	714.62
26	48-नगर विकास विभाग	291.04	281.89	9.15	2.28
27	49-जल संसाधन विभाग	299.04	269.20	29.84	11.41
28	50-लघु सिंचाई विभाग	292.40	218.86	73.54	55.43
29	51-कल्याण विभाग	702.12	511.24	190.88	21.98
30	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	25.72	22.19	3.53	1.85
	;ksx	**13856.09**	**12454.76**	**1401.33**	**1315.45**
	[k- iwathxr çHkkx nÙker				
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	132.58	38.30	94.28	3.05
2	22-गृह विभाग	79.77	5.48	74.29	4.97
3	23-उद्योग विभाग	13.32	5.32	8.00	0.64
4	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	323.05	121.01	202.04	7.92
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	627.71	407.73	219.98	5.33
6	49-जल संसाधन विभाग	696.98	563.71	133.27	180.03
	;ksx	**1873.41**	**1141.55**	**731.86**	**201.94**
	x- jktLo çHkkfjr				
1	5-राज्यपाल का सचिवालय	2.64	2.30	0.34	0.34
2	13-ब्याज भुगतान	3976.74	3648.89	327.85	4.24
3	28-बिहार का उच्च न्यायालय	30.26	23.78	6.48	0.64
	;ksx	**4009.64**	**3674.97**	**334.67**	**5.22**
	?k- iwathxr Hkkfjr				
1	14-ऋण का पुनर्भुगतान	3175.01	980.76	2194.25	49.41
	;ksx	**3175.01**	**980.76**	**2194.25**	**49.41**
	dqy ;ksx ¼d$[k$x$?k½	**22914.15**	**18252.04**	**4662.11**	**1572.02**

ifjf'k"V&xvi

¼lnHkZ % dafMdk 2-3-7 (i"B & 34½

ekeyk dh fooj.kh tgk çkIr vuqiwjd iko/kku vf/kd lkfcr gq, ¼çR;sd ekeys esa 20 yk[k #i;s ls vf/kd dh cpr½

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku@ fofu;ksftu dh l- ,oa uke	ewy çko/kku	O;;	okLrfod vko';drk	vuqiwjd çko/kku	vR;f/kd vuqiwjd çko/kku
d	jktLo çHkkx & nÙker					
1	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	660.84	757.08	96.24	99.27	3.03
2	24-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	13.62	13.70	0.08	1.20	1.12
3	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	23.49	34.19	10.70	15.31	4.61
	;ksx ¼d½	**697.95**	**804.97**	**107.02**	**115.78**	**8.76**
[k	iwathxr çHkkx nÙker					
4	8-नागरिक उडड्यन विभाग	1.00	14.57	13.57	14.57	1.00
5	9-सहकारिता विभाग	12.47	96.91	84.44	85.00	0.56
6	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	38.52	137.91	99.39	102.36	2.97
7	51-कल्याण विभाग	0.53	28.90	28.37	28.88	0.51
8	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	1.11	3.15	2.04	2.25	0.21
	;ksx ¼[k½	**53.63**	**281.44**	**227.81**	**233.06**	**5.25**
	dqy ;ksx ¼d$[k½	**751.58**	**1086.41**	**334.83**	**348.84**	**14.01**

ifjf'k"V&XVII

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-7 (i"B&34½

ekeys tgka vuqiwjd çko/kku vi;kZIr Fks ¼çR;sd ekeys esa 10 yk[k #i;s ls vf/kd½

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	vuqnku@fofu;kstu dh la- ,oa uke	ewy vuqnku@ fofu;ksTu	iwjd çko/kku	okLrfod O;;	vfrjsd vkf/kD;
d	jktLo çHkkx & nÙker				
1	39-आपदा प्रबंधन विभाग	153.47	2.86	450.81	294.48
2	46-पर्यटन विभाग	3.99	0.39	4.81	0.43
	;ksx ¼d½	**157.46**	**3.25**	**455.62**	**294.91**
[k	iwathxr çHkkx & nÙker				
3	10-उर्जा विभाग	1286.49	699.31	2038.50	52.70
	;ksx ¼[k½	**1286.49**	**699.31**	**2038.50**	**52.70**
	dqy ;ksx ¼d$[k½	**1443.95**	**702.56**	**2494.12**	**347.61**

ifjf'k"V&XVIII

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-8 (i"B&34½

vuqfpr@vR;f/kd vH;fiZrk dh foojf.k ¼,d djksM+ #i;s ;k vf/kd½

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	vuqnku@fofu;ksx dh la- ,oa uke	ys[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ½	dqy çko/kku ewy $ iwjd	vH;iZ.k ¼iqufoZfu;kstu½	dqy	O;;	vH;iZ.k@iqufoZfu;kstu ds ckn vkf/kD;
d	jktLo nÙker çHkkx						
I	1-d`f"k	2401-Qly ikyu					
1		0119-राष्ट्रीय सम विकास योजना 2401-00-106-0119	15.50	15.50	0.00	100.00	100.00
II	2-i'kqikyu ,oa eRL; foHkkx	2403-i'kqikyu					
2		0607-जानवरों की बिमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु योजना 2403-00-106-0607	1.84	1.59	0.25	0.32	0.07
		2405-मत्स्य					
3		0001-मत्स्य विकास योजना 2405-00-001-0001	6.84	1.76	5.08	5.16	0.08
4		0001-मत्स्य पालक विकास अभिकरण 2405-00-101-0001	3.43	1.11	2.32	2.33	0.01
III	6-fuokZpu	2015-fuokZpu					
5		0001-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय 2015-00-108-0001	25.43	12.54	12.89	12.96	0.07
IV	12-foÙk foHkkx	2013-ea=heaMy					
6		0001-मंत्रियों 2013-00-101-0001	2.33	1.79	0.54	0.67	0.13
7		0002-राज्य मंत्री 2013-00-101-0001	1.64	1.29	0.35	0.37	0.02

Øe l-	vuqnku@ fofu;kstu dh l- ,oa uke	ys[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@ mi 'kh"kZ½	dqy çko/kku ewy $ iwjd	vH;iZ.k ¼iqufoZ fu;kstu½	dqy	O;;	vH;iZ.k@ iqufoZfu;kstu ds ckn vkf/kD;
V	**17**-foÙk ¼okf.kfT;d dj½ foHkkx	**2040**-foØ;] O;kikj vkfn ij dj					
8		0001-जिला प्रभार 2040-00-101-0001	28.21	5.79	22.42	23.17	0.75
VI	**20**-LokLF;] fpfdRlk f'k{kk ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx	**2210**-fpfdRlk ,oa yksd LokLF;					
9		0003-स्वास्थ्य उप केन्द्र 2210-03-101-0003	55.79	6.98	48.81	77.78	28.97
VII	**22**-xg foHkkx	**2055**-vkj{kh					
10		0001-अधीक्षण 2055-00-001-0001	9.35	1.64	7.71	7.72	0.01
VIII	**27**-fof/k foHkkx	**2014**-ç'kklu U;k;					
11		0001-असैनिक एवं सत्र न्यायालय	186.94	83.19	103.75	119.98	16.23
IX	**35**-;kstuk ,oa fodkl foHkkx	**3454**-tux.kuk] losZ{k.k ,oa lkaf[;dh					
12		0401-आर्थिक जनगणना 3454-02-204-0401	7.19	2.49	4.70	4.83	0.13
X	**39**-vkink çcU/ku foHkkx	**2245**-çkd`frd foinkvksa ls jkgr					
13		0001-असहाय एवं विकलांगों के लिए नकद भुगतान 2245-02-101-0001	30.00	29.63	0.37	0.78	0.41
14		0001-खराब पथ एवं पुलों की मरम्मती एवं जीर्णोद्धार 2245-02-106-0001	15.00	12.37	2.63	2.84	0.21
15		0003-प्रभावित परिवारों को मुफ्त राहत हेतु भुगतान 2245-02-101-0003	3.00	2.41	0.59	0.74	0.15

Øe l-	vunku@ fofu;ktu dh l- ,o uke	y[kk 'kh"k ¼ogr@y/k@ mi 'kh"k½	dy çko/kku ey $ ijd	vH; i.k ¼iufo fu;ktu½	dy	0; ;	vH; i.k@ iufofu;ktu d ckn vkf/kD;
XI	**49-** ty lalk/ku foHkkx	**2701**-e/;e flpkbZ					
16		0005-सिंचाई परियोजनाओं से राजस्व संग्रह 2701-80-001-0005	11.87	9.15	2.72	3.72	1.00
		;kx ¼d½	**404.36**	**189.23**	**215.13**	**363.37**	**148.24**
[k	ithxr nÙke r çHkkx						
XII	**3-**Hkou fuek.k ,o vkokl foHkkx	**4059-**ykd dk;k ij ithxr ifj0; ;					
17		0101-भवन 4059-01-051-0101	4.00	1.15	2.85	3.47	0.62
XIII	**49-** ty lalk/ku foHkkx	**4701-**e/;e flpkbZ ij ithxr ifj0; ;					
18		0103-कोशी बेसिन (कार्य) सिंचाई परियोजना (नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना) 4701- - -0103	5.50	5.01	0.49	3.85	3.36
		;kx ¼[k½	**9.50**	**6.16**	**3.34**	**7.32**	**3.98**
		dy ;kx ¼d$[k½	**413.86**	**195.39**	**218.47**	**370.69**	**152.22**

ifjf'k"V&XIX

¼lanHkZ% dfMdk 2-3-9 (i"B&34½

vH;fiZr ugha dh xbZ çR;kf'kr cpr ¼,d djksM+ #i;s ls vf/kd½

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku@fofu;kstu dh l- ,oa uke	cpr	vH;iZ.k	vukH;fiZr cpr	cpr dk çfr'kr
d- jktLo çHkkx & nÙker					
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	17.01	11.51	5.50	32.33
2	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2.90	1.30	1.60	55.17
3	6-निर्वाचन	37.30	36.04	1.26	3.38
4	9-सहकारिता विभाग	9.49	7.70	1.79	18.86
5	12-वित्त विभाग	39.65	30.90	8.75	22.07
6	15-पेंशन	290.11	3.37	286.74	98.84
7	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	15.98	11.82	4.16	26.03
8	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	457.13	235.93	221.20	48.39
9	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	3.03	2.00	1.03	33.99
10	22-गृह विभाग	115.39	94.20	21.19	18.36
11	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	17.60	13.89	3.71	21.08
12	37-राजभाषा विभाग	2.11	0.91	1.20	56.87
13	41-पथ निर्माण विभाग	31.94	26.80	5.14	16.09
14	42-ग्रामीण विकास विभाग	86.07	61.94	24.13	28.04
15	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	807.36	646.99	160.37	19.86
16	49-जल संसाधन विभाग	41.26	21.72	19.54	47.36
17	50-लघु सिंचाई विभाग	128.97	17.05	111.92	86.78
18	51-कल्याण विभाग	212.86	181.51	31.35	14.73
19	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	5.38	3.56	1.82	33.83
	;ksx ¼d½	**2321.54**	**1409.14**	**912.40**	

क्र सं.	अनुदान/विनियोजन की सं. एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अनभ्यर्पित बचत	बचत का प्रतिशत
ख. पूंजीगत प्रभाग - दत्तमत					
1	12-वित्त विभाग	7.43	6.41	1.02	13.73
2	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2.97	1.70	1.27	42.76
3	23-उद्योग विभाग	8.64	0.64	8.00	92.59
4	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	209.96	207.86	2.10	1.00
5	41-पथ निर्माण विभाग	385.13	383.95	1.18	0.31
6	42-ग्रामीण विकास विभाग	225.31	207.16	18.15	8.06
7	49-जल संसाधन विभाग	313.3	312.29	1.01	0.32
8	50-लघु सिंचाई विभाग	42.49	41.34	1.15	2.71
	योग (ख)	**1195.23**	**1161.35**	**33.88**	
ग-राजस्व प्रभाग-भारित					
1	13-ब्याज भुगतान	332.09	305.06	27.03	8.14
	कुल (ग)	**332.09**	**305.06**	**27.03**	
घ-पूंजीगत प्रभाग-भारित					
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	2243.66	2178.81	64.85	2.89
	योग (घ)	**2243.66**	**2178.81**	**64.85**	
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**6092.52**	**5054.36**	**1038.16**	

ifjf'k"V&xx

¼lnHk % dfMdk 2-3-9 (i"B&34½

ekpl 2006 d vfre fnu vH;fir jkf'k

¼#i; djkM e½

Øe l-	vuqnku@fofu;kstu dh l- ,o uke	ekpl 2006 d vfre fnu vH;fir jkf'k
d	jktLo çHkkx&nÙker	
1	1- कृषि विभाग	92.11
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	23.77
3	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	11.51
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	1.30
5	6- निर्वाचन	36.04
6	7-निगरानी	0.43
7	8-नागरिक उडड्यन विभाग	0.93
8	9- सहकारिता विभाग	7.70
9	10-उर्जा विभाग	49.45
10	11-उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग	4.05
11	12-वित्त विभाग	30.90
12	15- पेंशन	3.37
13	16- राष्ट्रीय बचत	0.68
14	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	6.61
15	18- खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	34.87
16	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	11.82
17	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	235.93
18	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	2.00
19	22-गृह विभाग	94.20
20	23- उद्योग विभाग	8.62
21	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	0.99
22	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	0.60
23	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	13.89
24	27- विधि विभाग	89.06
25	29- खनन एवं भूगर्भ विभाग	2.96
26	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1.55
27	31- संसदीय कार्य विभाग	0.31
28	32-विधानमंडल	7.82
29	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	10.24
30	35- योजना एवं विकास विभाग	100.20

Øe l-	vuqnku@fofu;ktu dh l- ,o uke	ekpZ 2006 dk vfre fnu vH;fiZr jkf'k
31	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	25.12
32	37-राजभाषा विभाग	0.91
33	38- निबंधन विभाग	6.56
34	39-आपदा प्रबंधन विभाग	145.42
35	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	50.88
36	41-पथ निर्माण विभाग	26.80
37	42- ग्रामीण विकास विभाग	61.94
38	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	646.99
39	45-गन्ना विभाग	6.13
40	46- पर्यटन विभाग	0.22
41	47-परिवहन विभाग	3.27
42	48-नगर विकास विभाग	11.37
43	49-जल संसाधन विभाग	21.72
44	50-लघु सिंचाई विभाग	17.05
45	51-कल्याण विभाग	181.51
46	52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.56
	;kx	**2093.36**
[k	jktLo çHkkx&Hkkfjr	
1	5- राज्यपाल का सचिवालय	0.22
2	13- ब्याज भुगतान	305.06
3	28- बिहार का उच्च न्यायालय	7.10
4	32-विधानमंडल	0.07
5	34- बिहार लोक सेवा आयोग	0.61
	;kx	**313.06**
x	iwthxr çHkkx & nÙker	
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	96.70
2	10-उर्जा विभाग	123.79
3	12. वित्त विभाग	6.41
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1.70
5	22-गृह विभाग	79.22
6	23-उद्योग विभाग	0.64
7	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5.40
8	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	3.45
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	207.86
10	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.18
11	41- पथ निर्माण विभाग	383.95
12	42-ग्रामीण विकास विभाग	207.16
13	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	3.92

Øe l-	vuqnku@fofu;kstu dh l- ,oa uke	ekpZ 2006 dks vfrre fnu vH;fiZr jkf'k
14	46- पर्यटन विभाग	0.05
15	48- नगर विकास विभाग	11.25
16	49-जल संसाधन विभाग	312.29
17	50- लघु सिंचाई विभाग	41.34
18	51-कल्याण विभाग	0.27
	;kx	**1485.58**
?k	i| thxr çHkkx & Hkkfjr	
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	2178.81
	;kx	**2178.81**
	dqy ;kx ¼d$[k$x$?k½	**6070.81**

ifjf'k"V&XXI

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-10 (i"B&34½

lei.kZ çko/kkuksa dk mi;ksx ugha fd;s tkus dh fooj.kh ¼nks djksM+ #i;s ;k vf/kd ds çR;sd ekeys½

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku l-@ foHkkx	ys[kk 'kh"kZ ogr@y?kq@mi 'kh"kZ	dqy vuqnku@fofu;kstu
	d jkT;Lo nÙker		
I	**1** df"k foHkkx	**2401** Qly ikyu	
1.		0606 औषधीय पौधों के विकास हेतु योजना (मैक्रोमोड 90 : 10)	
		00 - 110 – 0600	4.12
2.		0608 फल विकास योजना (मैक्रोमोड 90 : 10)	
		00 - 119 – 0608	3.97
3.		0609 फूल विकास योजना (मैक्रोमोड 90 : 10)	
		00 - 119 – 0609	2.97
4.		**2402** enk ,oa ty laj{k.k	
		0108 राष्ट्रीय सम विकास योजना	
		00 - 102 – 0108	34.50
II	**2** i'kikyu ,oa eRL; foHkkx	**2404** nqX/k fodkl	
5.		0402 ठंडक केन्द्र	
		00 - 102 – 0402	4.39
III	**10** mtkZ foHkkx	**2801** mtkZ	
6.		0001 ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुदान–बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान का भुगतान	
		06 - 190 – 0001	41.84
IV	**12** foÙk foHkkx	**2048** _.k ls cpko vFkok deh gsrq fofu;kstu	
7.		0001 निक्षेप निधि	
		00 - 101 – 0001	10.00
V	**20** LokLF;] fpfdRlk f'k{kk ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx	**2210** fpfdRlk ,oa yksd LokLF;	
8.		0016 मानसिक आरोग्यशाला	
		01 - 110 – 0016	4.60
VI	**22** xg foHkkx	**2055** vkj{kh	
9.		0001 अपराध अन्वेषण विभाग	
		00 - 101 – 0001	3.77
VII	**36** yksd LokLF; vfHk;a=.k foHkkx	**2215** tykiwfrZ ,oa LoPNrk	
10.		0001 नलकूपों की मरम्मती हेतु ग्राम पंचायतों को सहायतानुदान	
		00 - 198 – 0001	7.20

Øe la	vuqnku la-@ foHkkx	y[kk 'kh"kZ ogr@y?kq@mi 'kh"kZ	dqy vuqnku@fofu;kstu
VIII	**39** vkink çca/ku foHkkx	**2245** çkd`frd vkink ls jkgr	
11.		0004 संचार यंत्रों का क्रय	
		02 - 112 – 0004	2.00
12.		0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती/जीर्णोद्धार	
		02 - 113 – 0001	5.00
13.		0002 आग से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती/जीर्णोद्धार	
		02 - 113 – 0002	2.00
14.		0001 कृषि कार्यों के लिए अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	
		02 - 114 – 0001	3.30
15.		0001 क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पद्धति की मरम्मती	
		02 - 122 – 0001	4.48
IX	**51** dY;k.k foHkkx	**2225** vuq- tkfr] vuq- tutkfr ,oa vU; fiNMk oxksZa dk dY;k.k	
16.		0602 हरिजनों के बहुद्देशीय विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–अनु. जातियों के लिए विशेष समेकित योजना (100 प्रतिशत के. प्रा. यो.)	
		01 - 102 – 0602	5.00
17.		0602 छात्राओं के लिए छात्रावास	
		01 - 277 – 0602	2.30
18.		0613 प्रवेशिकोपरांत छात्रवृति	
		01 - 277 – 0613	5.00
19.		0601 प्रवेशिकोपरांत छात्रवृति	
		03 - 277 – 0601	5.00
20.		0606 छात्रों के लिए छात्रावास–वृहत निर्माण कार्य	
		03 - 277 – 0606	2.88
21.		0607 छात्राओं के लिए छात्रावास वृहत निर्माण कार्य	
		03 - 277 – 0607	2.30
	[k iqthxr nÙker		
IX	**3** Hkou fuekZ.k ,oa vkokl foHkkx	**4059** ykd dk;ksZa ij iwathxr ifj0;;	
22.		0002-लघु कार्यों	3.00
		80-051-0002	
		4216 vkokl ij iwathxr ifj0;;	
23.		0602 न्यायिक आवासीय भवन	
		01 - 700 – 0602	2.49
		6216 vkokl ds fy, _.k	

Øe la	vuqnku la-@ foHkkx	ys[kk'kh"kZ ogr@y?kq@mi 'kh"kZ	dqy vuqnku@fofu;kstu
24.		0003 भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की बकाया राशि का भुगतान	
		02 - 201 – 0003	18.65
25.		0004 भारतीय सामान्य बीमा निगम से प्राप्त ऋण की बकाया राशि का भुगतान	
		02 - 201 – 0004	6.01
X	**10** mtkZ foHkkx	**6801** mtkZ ifj;kstukvksa d s fy, _.k	
26.		0007 ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा विद्युतीय संस्थानों के केन्द्रीय प्रकोष्ठ को उपलब्ध राशि के विरूद्ध वि. रा. वि. बोर्ड को ऋण	
		00 - 800 – 0007	72.76
27.		0106 वि. रा. वि. बोर्ड, ए. पी. डी. आर. पी. को ऋण	
		00 - 800 – 0106	68.21
XI	**12** foÙk foHkkx	**4058** LVs'kujh ,oa Nikbz ij iwathxr ifjO;;	
28.		0101 मशीन एवं उपकरण, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग के लिए आधुनिकीकरण योजना	
		00 - 103 – 0101	2.26
XII	**22** x`g foHkkx	**4055** vkj{kh ij iwathxr ifjO;;	
29.		0001 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार की समतुल्य राशि	
		00 - 207 – 0001	72.00
30.		0101 कारा के लिए उपकरण	
		00 - 052 – 0101	5.99
XIII	**48** uxj fodkl foHkkx	**6217** uxj fodkl d s fy, _.k	
31.		0001 नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं के लिए ऋण	
		60 - 191 – 0001	4.65
32.		0001 नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के लिए ऋण	
		60 - 192 – 0001	5.00
XIV	**49** ty lalk/ku foHkkx	**4700** ogr flapkbZ ij iwathxr ifjO;;	
33.		0103 गंडक बेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना)	
		02 - 800 – 0103	4.00
34.		0104-झारखंड राज्य के तहत सोन बेसिन सिंचाई परियोजना के जयघोष परियोजना के लिए भुगतान	
		03-800-0104	3.37

Øe l	vunku l-@ foHkkx	y[kk'kh"k ogr@y?k@mi 'kh"k	dy vunku@fofu;kstu
35.		0103 किऊल बदुआ चंदन बेसिन (कार्य) सिंचाई परियोजना–नाबार्ड प्रायोजित परियोजना	
		04 - 800 – 0103	3.00
36.		**4701** e/;e flapkbZ ij iwathxr ifj0;;	
		0103 सोन बेसिन (कार्य) सिंचाई परियोजना नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना	
		03 - 800 – 0103	6.00
37.		**4711** ck<+ fu;a=.k ij iawthxr ifj0;;	
		0602 तिनमुहानी कुरसेला तटबंध पर निर्माण कार्य	
		03 - 800 – 0602	10.00
38.		0606 उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावी परियोजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय अंश)	
		03 - 800 – 0606	3.00
	x jktLo Hkkfjr		
XV	**13** C;kt Hkqxrku	**2049** C;kt Hkqxrku	
39.		0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	
		01 - 115 – 0001	10.00
XV	**14** _.k dk iquHkqxrku	**6003** jkT; ljdkj ls vkrfjd _.k	
40.		0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमें	
		00 - 110 – 0001	2000.00
41.		0001-15 वर्षीय समग्र प्रखंड ऋण 1990 02-104-0001	60.90
		dqy ;ksx	**2517.91**

ifjf'k"V&xxII

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-11 (i`"B&35½

vuqnku eas okLrfod cpr ls vf/kd dk vH;iZ.k

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku@fofu;ksttu dk uke ,oa l-	dqy vuqnku	cpr	vH;fiZr jkf'k	vf/kd vH;fiZr dh xbZ jkf'k
d	jktLo nÙker çHkkx				
1	1-कृषि विभाग	245.14	3.99	92.11	88.12
2	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	31.41	5.94	6.61	0.67
3	27-विधि विभाग	212.37	74.1	89.06	14.96
	;ksx	**488.92**	**84.03**	**187.78**	**103.75**

ifjf'k"V&XXIII

¼lanHkZ % dafMdk 2-3-12 (i`"B&35½

ekpZ 2006 esa O;; dh rhozrk

dk"kkxkj ekg	jktLo O;;	iwathxr O;;	dqy O;;	çR;sd frekgh esa O;; dk çfr'kr	ekpZ ekg esa O;; dk çfr'kr
	¼djksM+ #i;s esa½				
अप्रील	133.41	3.01	136.42		
मई	629.92	21.98	651.90		
जून	497.96	23.69	521.65		
;ksx	**1261.29**	**48.68**	**1309.97**	**6.60**	
जुलाई	75.92	58.25	816.16		
अगस्त	1734.36	40.47	1774.83		
सितम्बर	503.25	45.05	548.29		
;ksx	**2313.52**	**143.76**	**3139.28**	**15.82**	
अक्टूबर	854.30	28.88	883.18		
नवम्बर	1421.28	42.53	1463.81		
दिसम्बर	1684.41	46.54	1730.95		
;ksx	**3959.99**	**117.95**	**4077.94**	**20.56**	
जनवरी	1296.17	161.40	1457.57		
फरवरी	1271.97	317.83	1589.80		
मार्च 2006 (पी)	5754.95	1128.20	6883.15		
मार्च 2006 (एस)	1216.12	166.07	1382.19		
;ksx	**9539.21**	**1773.50**	**11312.71**	**57.02**	**41.66**
dqy ;ksx	**17756.00**	**2083.90**	**19839.90**	**100.00**	

ifjf'k"V&XXIV

¼lnHkZ % df.Mdk 2-3-13 ,oa i"B&35½

vlek'kkf/kr O;; dh fooj.kh

¼#i;s djksM+ esa½

Øe la-	ogr 'kh"kZ	vlek'kkf/kr jkf'k
1.	2011-राज्य विधायिका	30.15
2.	2012-राज्यपाल	2.30
3.	2013-मंत्रि परिषद	1.93
4.	2014-न्याय प्रशासन	152.04
5.	2015-निर्वाचन	131.45
6.	2029-भू–राजस्व	137.70
7.	2030-मुद्रांक एवं निबंधन	19.91
8.	2039-राज्य उत्पाद	14.78
9.	2041-वाहन कर	5.09
10.	2045-अन्य कर	0.44
11.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.90
12.	2049-ब्याज भुगतान	3646.95
13.	2051-लोक सेवा आयोग	5.37
14.	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ	44.25
15.	2053-जिला प्रशासन	370.92
16.	2054-प्रशिक्षण एवं लेखा प्रशासन	16.57
17.	2055-पुलिस	1048.32
18.	2056-कारा	65.80
19.	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	9.56
20.	2059-लोक कार्य	49.62
21.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	84.34
22.	2075-विविध सामान्य सेवाएँ	0.0024
23.	2202-सामान्य शिक्षा	3488.81
24.	2203-तकनीकी शिक्षा	27.31
25.	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	14.32
26.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	760.14
27.	2211-परिवार कल्याण	116.71
28.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	249.62
29.	2217-नगर विकास	114.52
30.	2220-सूचना एवं प्रसारण	4.22
31.	2225-अनु. जाति, अनु. ज. जा. एवं अ. पि. व. का कल्याण	100.35
32.	2230-श्रम एवं नियोजन	81.31
33.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	266.26
34.	2236-पोषण	206.71
35.	2245-प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहाय्य	448.92
36.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.36
37.	2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	11.51
38.	2401-फसल पालन	171.71
39.	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	7.53

Øe l-	ogr 'kh"k	vlek'kkf/kr jkf'k
40.	2403-पशुपालन	17.62
41.	2404-दुग्ध विकास	3.98
42.	2405-मत्स्य	6.08
43.	2406-वन एवं वन्य जीवन	1.70
44.	2415-कृषि अनुसंधान	52.14
45.	2425-सहकारिता	18.45
46.	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2.30
47.	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	66.73
48.	2505-ग्रामीण रोजगार	450.71
49.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	544.67
50.	2700-वृहत सिंचाई	79.38
51.	2701- मध्यम सिंचाई	55.18
52.	2702-लघु सिंचाई	217.80
53.	2705-कमांड क्षेत्र विकास	44.85
54.	2711-बाढ़ नियंत्रण	29.62
55.	2810-गैर परम्परागत उर्जा के स्रोत	0.81
56.	2851-ग्राम्य एवं लघु उद्योग	18.67
57.	2852-उद्योग	11.74
58.	2853-अलौह खनन एवं धातु उद्योग	3.59
59.	3054-पथ एवं पुल	280.43
60.	3053-नागरिक उडड्यन	0.11
61.	3075-अन्य परिवहन सेवाएँ	0.20
62.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	15.15
63.	3452-पर्यटन	4.47
64.	3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	17.17
65.	3456-असैनिक आपूर्ति	48.47
66.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.33
67.	3604- स्थानीय निकायों एवं पी आर ई को क्षतिपूर्ति एवं आबंटन	4.20
68.	4055-आरक्षी पर पूँजीगत परिव्यय	4.98
69.	4202-शिक्षा एवं खेल आदि पर पूँजीगत परिव्यय	11.66
70.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	3.02
71.	4225-अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अ. पि. वर्गों के कल्याण हेतु पूँजीगत परिव्यय	37.18
72.	4406-वन एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	0.25
73.	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	92.39
74.	4515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	403.28
75.	4700-वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	48.53
76.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	20.48
77.	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.18
78.	4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूँजीगत परिव्यय	136.41
79.	4885-उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत परिव्यय	5.29
	d|y	**14669.90**

ifjf'k"V&xxv(i)

¼lanHkZ% dafMdk 2-3-14(i"B&36½

¼I½ ;kstukxr ;kstuk ds vUrxZr cpr dh fooj.kh

¼#i;s djksM+ esa½

;kstuk,a	dqy çko/kku ¼ey $ iwjd½	O;;	cpr
राज्य योजना	5906.27	4376.06	1530.21
केन्द्र योजना	15.70	5.63	10.07
केन्द्र प्रायोजित	994.75	517.00	477.75
dqy	**6916.72**	**4898.69**	**2018.03** (कुल प्रावधान का 29 %)

ifjf'k"V&XXV(ii)

¼lnHkZ % dafMdk 2-3-14 (i`"B&36½

¼II½ ;kstukxr ;kstukvksa dh vizkIr iwjk djkus #i;s ;k vf/kd dh cpr fooj.kh

¼#i;s djksM+ esa½

Øe l-	vuqnku l-	ys[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ@;kstuk½	dqy çko/kku ¼ewy$iwjd½	okLrfod O;;	cpr
d	jkT; ;kstuk				
I	**1**	**2402-**enk ,oa ty laj{k.k			
1		राष्ट्रीय सम विकास योजना 2402-00-102-0108	34.50	0.00	34.50
II	**20**	**2210-**fpfdRlk ,oa yksd LokLF;			
2		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2210-03-103-0101	44.50	6.52	37.98
3		इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना 2210-04-105-0114	7.96	0.88	7.08
		2211-ifjokj dY;k.k			
4		ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र 2211-00-101-0101	21.85	4.25	17.60
III	**22**	**4055-**vkj{kh ij iwathxr ifjO;;			
5		कारा के लिए उपकरण 4055-00-052-0101	5.99	0.00	5.99
IV	**30**	**4225-**vuq- tkfr@vuq- tutkfr ,oa vU; fiNMk oxksZa dk dY;k.k ij iwathxr ifjO;;			
6		अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – अल्पसंख्यक लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण 4225-80-800-0101	7.96	2.57	5.39
V	**36**	**4215-**tykiwfrZ ,oa LoPNrk ij iwathxr ifjO;;			
7		ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना 4215-01-102-0101	13.68	6.97	6.71
8		ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु नाबार्ड से ऋण 4215-01-102-0116	35.00	0.00	35.00

Øe l-	vuqnku l-	y{[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ@;kstuk½	dqy çko/kku ¼ey$iqjd½	okLrfod O;;	cpr
VI	**41**	**5054-**iFk ,oa iqyksa ij iwathxr ifjO;;			
9		पुल (नाबार्ड ऋण) 5054-03-101-0103	54.38	7.74	46.64
10		वृहत पथं 5054-03-337-0102	58.41	6.47	51.94
11		केन्द्रीय पथ निधि 5054-03-337-0106	50.00	13.66	36.34
12		राष्ट्रीय सम विकास योजना 5054-03-337-0107	293.43	48.57	244.86
VII	**42**	**2501-**xzkeh.k fodkl gsrq fo'ks"k dk;ZØe			
13		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2501-01-800-0102	80.47	64.74	15.73
14		**4515-**vU; xzkeh.k fodkl dk;ZØe ij iwathxr ifjO;;			
15		न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 4515-00- -0101	222.50	49.31	173.19
16		विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों की अनुशंसाओं पर योजनाओं का क्रियान्वयन 4515-00- -0109	335.00	291.30	43.70
17		सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4515-00- -0112	5.00	0.00	5.00
VIII	**44**	**2202-**lkekU; f'k{kk			
18		न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के तहत रोजगारोन्मुखी योजना 2202-01-800-0102	109.37	56.87	52.50
19		वयस्क शिक्षा 2202-04-800-0102	9.09	3.22	5.87
IX	**48**	**2215-**tykiwfrZ ,oa LoPNrk			
20		नाला एवं स्वच्छता हेतु नगर स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान 2215-02-800-0102	72.06	54.69	17.37

Øe l-	vuqnku l-	y[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ@;kstuk½	dqy çko/kku ¼ey$iwjd½	okLrfod 0;;	cpr
X	**49**	**2705-**dekaM {ks= fodkl			
21		क्षेत्र विकास कमांड स्तर पर 2705-00-001-0102	35.27	27.04	8.23
		4700-ogr flapkbZ ij iwathxr ifj0;;			
22		राष्ट्रीय सम विकास योजना 4700-80-800-0101	100.00	0.29	99.71
		4701-e/;e flapkbZ ij iwathxr ifj0;;			
23		सोन बेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) 4701-80-800-0103	6.00	0.00	6.00
24		किउल–बदुआ–चंदन बेसिन कार्य के लिए सिंचाई (नाबार्ड प्रायोजित) परियोजना 4701-04-800-0103	18.50	2.43	16.07
		4711-ck<+ fu;a=.k ifj;kstukvksa ij iwathxr ifj0;;			
25		बाढ़ नियंत्रण बाँध पथ योजना (नाबार्ड प्रायोजित योजना) 4711-01-001-0111	16.00	0.97	15.03
26		निस्सरण परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) कार्य 4711-01-001-0112	69.00	0.56	68.44
XI	**50**	**2702-**y?kq flapkbZ			
27		राष्ट्रीय सम विकास योजना 2702-03-103-0105	200.00	100.00	100.00
		4702-y?kq flapkbZ ij iwathxr ifj0;;			
28		अपूर्ण नलकूप योजना की पूर्णता हेतु नाबार्ड से ऋण 4702-00-102-0101	40.00	10.36	29.64

Øe l-	vunku l-	y[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ@;kstuk½	dqy çko/kku ¼ey$iqjd½	okLrfod O;;	cpr
29		अपूर्ण उन्नत सिंचाई योजना की पूर्णता हेतु नाबार्ड से ऋण 4702-00-102-0103	25.00	13.89	11.11
XII	**51**	**2236-** iks"k.k			
30		गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं प्रसवोपरांत महिलाओं के लिए पोषक खाद्यान्न वितरण हेतु योजना 2236-02-101-0102	247.97	201.45	46.52
31		अल्प पोषित गर्भवती, प्रसवोपरांत महिलाएँ एवं वयस्क बालिकाओं हेतु खाद्यान्न वितरण के लिए विशेष कार्यक्रम 2236-02-101-0103	13.80	5.26	8.54
		;ksx	**2232.69**	**980.01**	**1252.68**
[k	dsUnz çk;ksftr ;kstuk				
XIII	**20**	**2210-** fpfdRlk ,oa yksd LokLF;			
32		राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (कालाजार सहित) 2210-06-101-0602	16.80	0.00	16.80
		2211- ifjokj dY;k.k			
33		स्वास्थ्य उप केन्द्र 2211-00-101-0602	152.36	86.33	66.03
34		क्षतिपूर्ति 2211-00-105-0601	11.00	0.64	10.36
XIV	**36**	**4215-** tykiwfrZ ,oa LoPNrk ij iwathxr ifj0;;			
35		केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 4215-01-102-0602	199.70	69.57	130.13
36		त्वरित नगर जलापूर्ति योजना 4215-01-102-0603	25.00	5.19	19.81

Øe l-	vunku l-	ys[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ@;kstuk½	dqy çko/kku ¼ey$ijd½	okLrfod 0;;	cpr
XV	**48**	**2217**-uxj fodkl			
37		समेकित नगर विकास के लिए नगर स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान 2217-80-800-0601	7.00	0.75	6.25
XVI	**49**	**4711**-ck< fu;=.k ifj;kstukvksa ij iwathxr ifj0;;			
38		तिनमुहानी कुरसेला तटबंध पर निर्माण कार्य 4711-01-800-0602	10.00	0.00	10.00
39		कमला नदी तटबंध के विस्तार (भारतीय भाग) तथा उन्नयन एवं मजबूतीकरण (100 प्रतिशत केन्द्रीय अंश) 4711-01-800-0604	15.00	6.99	8.01
40		बागमती नदी के तटबंध का विस्तार एवं मजबूतीकरण 4711-01-800-0609	15.00	1.50	13.50
41		गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य 4711-01-800-0610	26.00	12.75	13.25
42		सहायक केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जल निस्सरण योजना 4711-01-800-0611	28.00	7.00	21.00
XVII	**51**	**2225**-vu- tkfr] vu- tu tkfr ,oa vU; fiNMk oxksZa dk dY;k.k			
43		हरिजनों के बहुमुखी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता– अनुसूचित जाति के लिए विशेष (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित) योजना 2225-01-001-0612	5.00	0.00	5.00
44		प्रवेशिका के बाद छात्रवृति 2225-02-277-0601	5.00	0.00	5.00
45		समग्र बाल विकास योजना 2235-02-102-0602	118.93	91.88	27.05

Øe la-	vuqnku la-	y[kk 'kh"kZ ¼ogr@y?kq@mi 'kh"kZ@;kstuk½	dqy çko/kku ¼ey$iwjd½	okLrfod O;;	cpr
46		राज्य प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना पर बाह्य प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) 2235-02-102-0603	65.79	50.35	15.44
47		बालिका समृद्धि योजना सहायता अनुदान 2235-02-103-0605	10.24	0.00	10.24
		;ksx	**710.82**	**332.95**	**377.87**
		dqy ;ksx ¼d$[k½	**2943.51**	**1312.96**	**1630.55**

ifjf'k"V&xxvi

¼lanHkZ % dafMdk 3-1-7 (i"B&43½

okf"kZd ;kstukvksa dh çLrqrhdj.k dh rS;kjh ls Lohd`fr Lrj rd dk fooj.k

;kstuk o"kZ	vkj{kh e[;ky;ksa ls xg foHkkx esa çkfIr frfFk	çkf/kdr lfefr }kjk Lohd`fr dh frfFk	xg e=ky; dks Hkstus dh frfFk	xg e=ky; }kjk Lohd`fr dh frfFk	foHkkx }kjk Lohd`fr fuxZr djus dh frfFk
2001-02	10.11.2001	15. 01.2002	22.01.2002	02.02.2002	05.03.2003
2002-03	09.11.2002	17.12.2002	14.02.2003	20.03.2003	04.03.2004
2003-04	07.01.2004	12.02.2004	20.09.2004	अनुमोदित नहीं	--
2004-05	08.09.2004	20.09.2004	20.09.2004	22.09.2004	31.03.2005
2005-06	10.06.2005	11.06.2005	25.06.2005	14.09.2005	16.02.2006

ifjf'k"V&xxvii

¼lanHkZ % dafMdk 3-1-8(i"B&44½

o"kZ 2001&06 ds nkSjku Hkou fuekZ.k ds HkkSfrd ,oa foÙkh; y{;] miyfC/k rFkk iw.kZ ,oa viw.kZ nksuksa dk;ksZa ij gq, O;; dh fooj.kh

¼#i;s djksM+ esa½

fuekZ.k dk çdkj	fuekZ.k ds fy, yh xbZ bdkbZ ¼;kstuk o"kZ 2000&02½		miyfC/k				
			HkkSfrd		foÙkh;		
	HkkSfrd	foÙkh;	iw.kZ fd, x,	çxfr esa	iw.kZ fd, x,	çxfr esa	dqy O;;
निम्न अधीनस्थ आवास	1072	26.80	694	378	15.71	5.11	20.82
उच्च अधीनस्थ आवास	370	17.54	252	118	10.02	3.32	13.34
पुलिस स्टेशन	23	2.76	7	12	0.82	0.47	1.29
जिला नियंत्रण कक्ष	36	4.09	22	14	1.67	0.50	2.17
चाहरदिवारी	80	3.20	51	29	1.79	0.19	1.98
महिला बैरक	22	0.56	18	4	0.92	0.16	1.08
पुलिस लाईन	5	23.57	1	4	3.45	9.22	12.67
dqy	**1608**	**78.52**	**1045**	**559**	**34.38**	**18.97**	**53.35**

ifjf'k"V&XXVIII

¼lanHkZ% dafMdk 3-1-11-1(i"B&48½

vuqeksfnr nj ls vf/kd O;; dh fooj.kh

¼#i;s yk[k esa½

okgu@ vL= dk uke	;kstuk o"kZ	o"kZ ds nkSjku Ø;	vuqeksfnr nj ¼çfr bdkbZ½	dqy vuqeksfnr jkf'k	Ø; nj	dqy Ø; dh jkf'k	nj esa varj	dqy Ø; la-	dqy vf/kd O;;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी. पी. जिप्सी	2000-01	2002-03	10.00	110.00	12.02	132.22	2.02	11	22.22
क्रेन	2000-01	2002-03	9.00	117.00	11.52	149.76	2.52	13	32.76
खान रक्षित वाहन	2000-01	2002-03	55.00	220.00	60.32	241.28	5.32	4	21.28
कैदी भान	2000-01	2002-03	9.75	204.75	10.82	227.22	1.07	21	22.47
ए.के.47	2001-02	2003-04	0.05	20.00	0.07	28.00	0.02	400	8.00
बी पी कार	2001-02	2003-04	14.00	14.00	19.65	19.65	5.65	1	5.65
इनसास राइफल	2001-02	2003-04	0.22	64.50	0.26	78.60	0.05	300	14.10
खानरक्षित वाहन	2001-02	2003-04	55.00	550.00	60.32	603.20	5.32	10	53.20
जलतोप युक्त वाहन	2001-02	2003-04	24.00	264.00	28.00	308.00	4.00	11	44.00
बी पी जिप्सी	2001-02	2004-05	10.00	40.00	12.05	48.20	2.05	4	8.20
एल एम वी	2002-03	2004-05	55.00	330.00	60.32	361.92	5.32	6	31.92
81 मिमी मोर्टार	2002-03	2005-06	0.20	1.00	9.40	47.00	9.20	5	46.00
dqy				**1935.25** ;k **19.35** djksM+ #i;s		**2245.05** ;k **22.45** djksM+ #i;s			**309.80** ;k **3.10** djksM+ #i;s

ifjf'k"V&xxix

¼dfMdk ½ lnHkZ 3-2-5(i"B&56½

, l- vkj- vkbZ- fu"d"kZ dk lkj

ikfjokfjd C;kjk

बिहार में शामिल किए गए सभी परिवारों में तकरीबन 97.7 प्रतिशत परिवार के मुखिया पुरूष थे एवं तकरीबन 1.9 प्रतिशत परिवार की मुखिया महिलाएँ थी।

करीब 19.1 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों एवं 0.8 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के थे जबकि 53.3 प्रतिशत के करीब पिछड़ी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के थे।

जबकि करीब 17.4 प्रतिशत परिवारों के मुखिया ने प्राथमिक शिक्षा, 13.9 प्रतिशत ने माध्यमिक शिक्षा एवं करीब 8.8 प्रतिशत ने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की बात बताई। बिहार के शामिल संपूर्ण परिवारों में से केवल तकरीबन 6.8 प्रतिशत परिवार के मुखिया ही स्नातक थे।

परिवार के लिए बच्चों की कमाई के बारे में भी सभी परिवारों से जाँच पड़ताल की गई एवं पता चला कि तकरीबन 1.2 प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कमाऊ सदस्य थे। शामिल किए गए बच्चों के अध्ययन से पता चला कि 32.9 प्रतिशत बच्चे अपने माता पिता के कार्यों अथवा व्यापार में मदद करते थे एवं करीब 28 प्रतिशत बच्चे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर कार्य करते थे।

fo|ky; dk C;kjk

शामिल किए गए सभी विद्यालयों में से 0.5 प्रतिशत प्राथमिक, 0.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 10.8 प्रतिशत उच्च विद्यालय लड़कों के विद्यालय थे, 1 प्रतिशत प्राथमिक, 3.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 29.7 प्रतिशत उच्च विद्यालय बालिका विद्यालय थे एवं 98.5 प्रतिशत प्राथमिक, 96.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 59.5 प्रतिशत उच्च विद्यालय सह शैक्षणिक थे।

lo Z f'k{kk vfHk;ku dk vUrxZr cPps

छः से चौदह वर्ष के कुल बच्चों की अनुमानित संख्या 2.26 करोड़ है जिसमें से 1.23 करोड़ लड़के एवं 1.03 करोड़ लड़कियाँ हैं। यह अनुमान किया जाता है कि इन बच्चों में से 40 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर हैं जिसमें से 17.74 लाख लड़के एवं 22.33 लाख लड़कियाँ हैं।

अनुपात के तौर पर बिहार में 6–14 वर्ष आयु के प्रति 1000 बच्चों में से 177 बच्चे स्कूल से बाहर थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 बच्चों में से 184 एंव शहरी क्षेत्रों में 1000 बच्चों में से 108 विद्यालय के बाहर थे। लिंग विभाजन के अनुसार यह पाया गया कि 217 बालिकाएँ एवं 144 लड़के विद्यालय के बाहर थे।

lo Z f'k{kk vfHk;ku dk vUrxZr fo|ky;

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजन के आधार पर पाया गया कि करीब 8.1 प्रतिशत गाँव एवं 8.8 प्रतिशत शहरी प्रखंडों में विद्यालय नहीं थे।

यह बताया गया कि अध्ययन के तहत शामिल विद्यालयों में से करीब 98.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 99.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 70.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान निधि के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त किया गया था। इनमें से शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 98.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 80 प्रतिशत उच्च विद्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 98.4 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय 99.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 66.7 प्रतिशत उच्च विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर रहे थे।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत असैनिक कार्य एवं सुविधाएं

जिन विद्यालयों में असैनिक कार्य किये गये उनमें से करीब 20.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 36.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 10.8 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में विद्यालयों के लिए नए भवनों का निर्माण किया जा रहा था एवं करीब 58.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 59.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 18.9 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में निधि का उपयोग वर्तमान संरचनाओं की मरम्मती हेतु किया जा रहा था। 16.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 17.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 0.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने शौचालय निर्माण के बारे में बताया। करीब 2.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 4.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 0.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने भी विद्यमान शौचालय के अतिरिक्त लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण के बारे में बताया।

करीब 12.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 13.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 0.5 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त निधियों का उपयोग विद्यालयों में जलापूर्ति व्यवस्था के निर्माण हेतु किया जा रहा था।

असैनिक कार्यों के अलावे बहुत से विद्यालयों ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत निधि का उपयोग बच्चों के सीखने के लिए बेहतर वातावरण की सुविधा प्रदान करने हेतु किया जा रहा था। इनमें से कुछ पुस्तकालय पुस्तकें (6.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 14.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 0.6 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में), कम्प्यूटर्स (1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 1.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 0.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में), श्यामपट्ट (28.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 23.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 0.6 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में) एवं विद्युत फिटिंग (1.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 0.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में) थे। संदर्भ पुस्तकों (6.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 11. 8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 0.2 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में), कम्प्यूटर प्रशिक्षण (1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 0.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 0.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक वर्ग वाले उच्च विद्यालयों में) एवं आवश्यक मद जैसे खल्ली (34.1 प्रतिशत प्राथमिक, 27.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.51 प्रतिशत उच्च विद्यालय में) एवं झाड़न (33.2 प्रतिशत प्राथमिक, 27 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.5 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में) जैसे अन्य मदों पर भी सर्व शिक्षा अभियान निधि का उपयोग किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान की उपयोगिता

करीब 93.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 93.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 73.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों तक विद्यालय अनुदान पहुँच पाया था, करीब 84.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 86.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 65.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों द्वारा शिक्षक अनुदान प्राप्त किया गया करीब 2.2 प्रतिशत प्राथमिक एवं

8.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विकलांग बच्चों के लिए प्रावधानों के तहत अनुदान पहुँच पाया था।

tu lenk; dh Hkkxhnkjh

करीब 50.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 41.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 1.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने इलाके में शिक्षा समितियों का निर्माण किया गया था। करीब 49.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 41 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 1.2 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में विद्यालयों के विकास हेतु व्यय की जबावदेही के लिए समितियों एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का संयुक्त रूप से बैंक खाता खुलवाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत करीब 61.8 प्रतिशत विद्यालयों के सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

fo|ky; dh vk/kkjHkwr lajpuk

भवन, इमारत एवं सुविधाओं को जो किसी शैक्षणिक संस्थान को चलाने हेतु आवश्यक है, विद्यालय आधारभूत संरचना कहा जाता है। इस दृष्टि से राज्य में विद्यालय की आधारभूत संरचना की स्थिति के बारे में विद्यालय भवन का प्रकार एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। करीब 1.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एवं 2.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय कच्चे मकानों में चल रहे थे। जबकि 11.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 21.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 24.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्द्धपक्का मकान पाये गये। करीब 81.3 प्रतिशत प्राथमिक, 75.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 75.7 प्रतिशत उच्च विद्यालयों के पक्के भवन थे। करीब 5.6 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एवं 1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी भवन नहीं था।

सरकार का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना, जैसा कि बताया गया, 79.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 82.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 10.8 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में क्रियान्वित किया गया है। जबकि 86.1 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 84.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 80 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में अध्यापन सामग्री सभी वर्गों में दी गई है एवं करीब 14.2 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 12.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 20 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में अध्यापन सामग्री कुछ वर्गो में दी गई है। करीब 3.7 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों, 3.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने बताया कि कोई अध्यापन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है।

f'k{k.k ;kstuk dk çHkko

33.7 प्रतिशत अभिभावकों के कथनानुसार राज्य में बच्चों के विद्यालयों में नामांकित न होने का मुख्य कारण समर्थ न होना था। इसके अलावे उल्लेखित दूसरे कुछ महत्वपूर्ण कारण ''बच्चे विद्यालय जाना पसंद नहीं करते''(20.1 प्रतिशत) एवं ''विद्यालय जाने की उम्र नहीं'' (16.8 प्रतिशत) थे।

लिंग विभाजन के आधार पर यह पाया गया कि लड़कियों को नामांकित नहीं करने (36.7 प्रतिशत) तथा लड़कों को नामांकित नहीं करने (29.9 प्रतिशत) का मुख्य कारण माता–पिता का समर्थ नहीं होना था। दूसरे इलाकों में भी यही कारण मौजूद था। ग्रामीण क्षेत्रों के 33.6 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों के 34.3 प्रतिशत माता–पिताओं ने अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराने का मुख्य कारण समर्थ नहीं होना बताया।

f'k{kk dh xq.koÙkk

उन बच्चों में से जो विद्यालय आते है करीब 5.7 प्रतिशत के कथनानुसार उनके विद्यालय समय पर नहीं खुलते हैं। जबकि तकरीबन 2.9 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के बच्चों ने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक यानी 6.5 प्रतिशत था। यह उल्लेख करना दिलचस्प था कि करीब 5.5 प्रतिशत बच्चों के कथनानुसार उनके विद्यालय सभी कार्य दिवसों में नहीं खुलते है। विद्यालय कार्यकलाप के अलावे, शिक्षकों की भूमिका दयनीय थी। तकरीबन 1.3 प्रतिशत बच्चों के कथनानुसार शिक्षक विद्यालयों में अनियमित आते थे जबकि 4.3 प्रतिशत बच्चों ने सूचित किया कि विद्यालयो में कुछ हद तक नियमित थे। करीब 8.2 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि शिक्षक विद्यालयों में पूर्ण अवधि तक नहीं रहते है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 9.1 प्रतिशत बच्चों एवं शहरी क्षेत्रों में 5.1 प्रतिशत बच्चों द्वारा सूचित किया गया।

ykHkkFkhZ ;kstukvksa dk ykHk

राज्य में पाया गया कि करीब 30.3 प्रतिशत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिये जा रहे थे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के 32.7 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों के 21.5 प्रतिशत विद्यालयों में लागू थी।

करीब 25.6 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उन्हें मुफ्त पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुआ है एवं सभी बच्चों में करीब 66.7 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उन्हें पाठ्य पुस्तक समय पर मिल गया। विभिन्न स्थानों में से ग्रामीण क्षेत्रों के 65.8 प्रतिशत बच्चे समय पर पाठ्य पुस्तक प्राप्त किये जबकि शहरी क्षेत्रों में 71.3 प्रतिशत बच्चे समय पर पाठ्य पुस्तक प्राप्त किये।

lai.kZ larqf"V Lrj

संपूर्ण रुप से करीब 21.1 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि वे बहुत संतुष्ट थे जबकि 15.9 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे विद्यालयों में जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट नहीं थे।

ifjf'k"V&xxx

¼lanHkZ dafMdk % 3-2-6-3 (i"B&57½

lo f'k{kk vfHk;ku dk dk"k çokg vkj[k

¼vkadM+s % djksM+ #i;s esa½

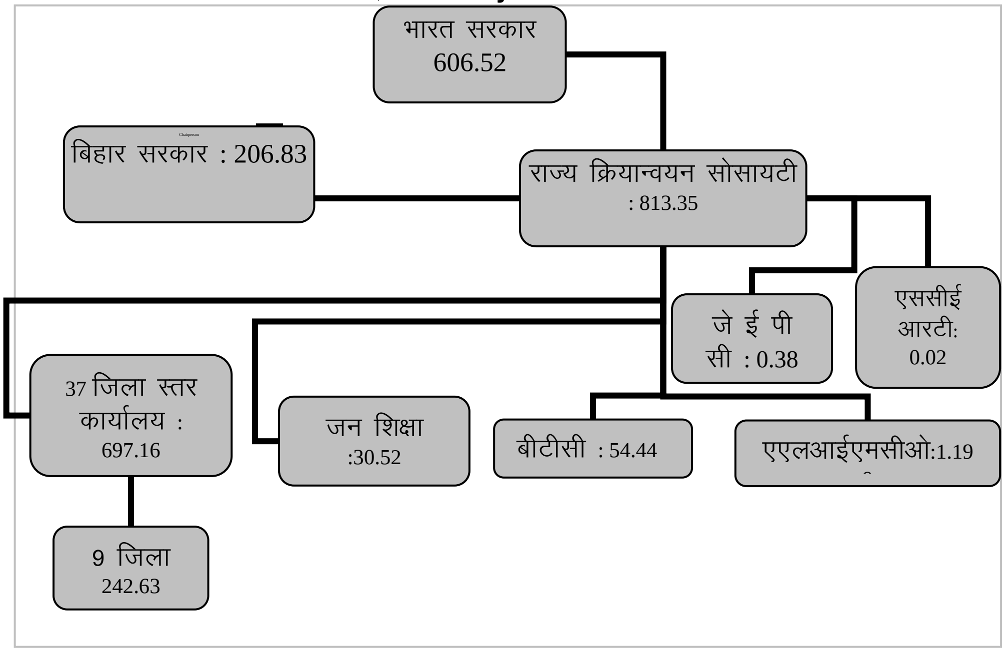

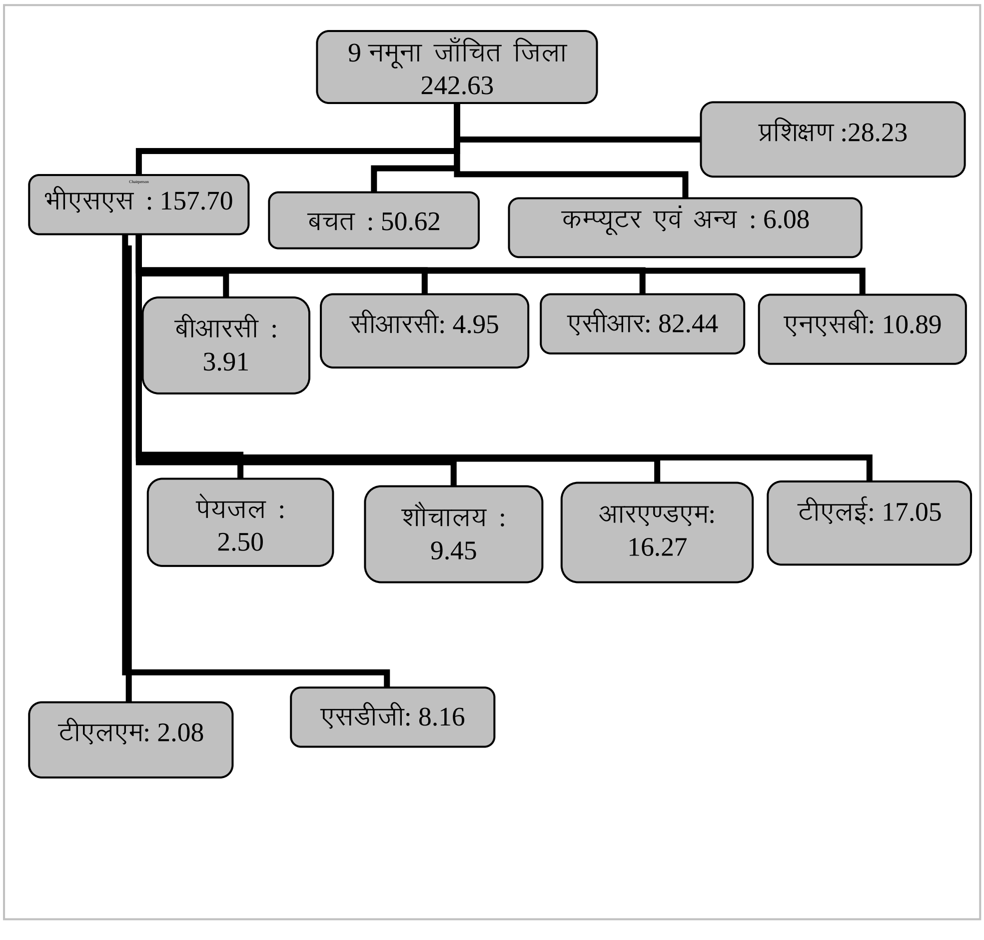

परिशिष्ट-xxxi

(संदर्भ : कंडिका 3.2.6.4 (पृष्ठ-57))

नमूना जाँचित नौ जिलों में निधि एवं व्यय की स्थिति

जिला का नाम	वर्ष 2001-05 की अवधि में डीपीसी को स्थानांतरित निधि	वर्ष 2001-05 की अवधि में प्राप्त निधि	वर्ष 2001-05 के दौरान व्यय	बचत (+) आधिक्य (-)
	(रुपये करोड़ में)			
औरंगाबाद	24.64	23.21	22.53	2.11(15%)
बेगूसराय	20.13	14.86	10.83	9.30(46%)
पूर्वी चम्पारण	57.73	55.70	43.15	14.58(25%)
मुजफ्फरपुर	26.94	23.48	20.14	6.80(25%)
पटना	25.65	25.91	25.14	0.51(2%)
पूर्णियाँ	11.53	9.23	8.89	2.64(23%)
सहरसा	11.23	10.73	14.17	(-) 2.94(26%)
समस्तीपुर	24.83	23.04	18.66	6.17(25%)
सारण	39.95	38.19	28.50	11.45(29%)
योग	**242.63**	**224.35***	**192.01**	**50.62(22%)**

(कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत को इंगित करते हैं)

(बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 2004–05 की अवधि मे स्थानांतरित 18.28 करोड़ रुपये विलम्ब से बैंक ड्राफ्ट (अगस्त 2005) के प्रेषण के कारण अगस्त 2005 में प्राप्त किए गए।)

निदेशक ने अपने जवाब में बताया कि समय पर निधि के स्थानांतरण एवं पावती प्राप्ति हेतु सभी एहतियाती उपाय किये गये है।

ifjf'k"V&XXXII

¼lnHkZ % dfMdk 3-2-7-1 (i"B % 59½

uk ueuk tkfpr ftyk e ftyk] Mh ih lh ,o tux.kuk }kjk çLrqr vkdMk rFkk Mkbl d 2003 dh rqyuk e 2004 d vkdMk e vrj

Øe la-	ftyk dk uke	ç[kM dh la[;k			lh vkj lh dh la[;k			xkao dh la[;k			fo|ky; dh la[;k			miyC/k f'k{kdk dh la[;k		
		2003 Mh vkbZ ,l bZ	2004 Mh vkbZ ,l bZ	ftyk }kjk 2005	2003 Mh vkbZ ,l bZ	2004 Mh vkbZ ,l bZ	Mh ih lh }kjk 2005	2003 Mh vkbZ ,l bZ	2004 Mh vkbZ ,l bZ	tux.kuk 2001 ls	2003 Mh vkbZ ,l bZ	2004 Mh vkbZ ,l bZ	Mh ih lh }kjk 2005	2003 Mh vkbZ ,l bZ	2004 Mh vkbZ ,l bZ	Mh ih lh }kjk 2005
1.	औरंगाबाद	11	11	11	111	124	115	1345	1562	1848	1521	1518	1521	2637	2432	3166
2	बेगूसराय	19	18	18	147	198	198	867	1350	1211	1131	1098	1079	2637	2432	3380
3	पूर्वी चम्पारण	27	27	27	198	211	211	1447	1447	1317	2118	2207	2181	4085	4017	4910
4	मुजफ्फरपुर	17	16	16	179	212	212	1805	1921	1796	2650	2663	2651	5658	6058	5884
5	पटना	23	23	23	276	279	279	1514	1516	1421	3158	3268	3208	5894	5078	6692
6	पूर्णियाँ	11	14	14	123	140	140	1160	1293	1281	1256	1250	1242	NA	658	3099
7	सारण	20	20	20	174	176	176	1415	1434	1765	1886	1908	1899	3450	3456	4397
8	सहरसा	10	10	10	87	121	121	441	441	468	774	775	775	1905	1919	2350
9	समस्तीपुर	20	20	20	175	175	175	1259	1259	1248	1505	1697	1693	3390	3679	4444
	;kx	**158**	**159**	**159**	**1470**	**1636**	**1627**	**11253**	**12223**	**12355**	**15999**	**16384**	**16249**	**29656**	**29729**	**38322**

ifjf'k"V&xxxiii

¼lanHkZ % dafMdk 4-1-4 (i`"B % 114½

lheV dk ncko;qDr 'kfDr dh rqyuk

çeMy dk uke	vis{kr			okLrfod		
	3 fnu	7 fnu	28 fnu	3 fnu	7 fnu	28 fnu
सिंचाई प्रमंडल सं.3, जमुई	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	नहीं किया गया	18 एमपीए	31 एमपीए
प. को. न. प्रमडल, खुटौना	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	–वही–	19 एमपीए	29 एमपीए
टी सी प्रमंडल, मोतिहारी	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	13 एमपीए	25 एमपीए	43 एमपीए
सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	15 एमपीए	18 एमपीए	38 एमपीए
प. को. न. प्र., दरभंगा	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	9 एमपीए	17 एमपीए	25 एमपीए
सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	13 एमपीए	18 एमपीए	22 एमपीए
टी सी प्रमंडल, नरकटियागंज	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	12 एमपीए	14 एमपीए	20 एमपीए
निस्सरण प्रमंडल, समस्तीपुर	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	9 एमपीए	14 एमपीए	25 एमपीए
एफ सी डी, बेगूसराय	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	10 एमपीए	21 एमपीए	29 एमपीए
गंगा पंप नहर प्रमंडल, बटेश्वरस्थान	16 एमपीए से कम नहीं	22 एमपीए से कम नहीं	33 एमपीए से कम नही	9 एमपीए	13 एमपीए	21 एमपीए

ifjf'k"V&XXXIV

¼lanHkZ % dafMdk 4-2-1 (i"B&120½

çFke fufonk ds fo:) vkiwfrZdrkZvksa dks ls fd;k x;k vf/kd Hkqxrku

¼ek=k ehVj esa ,oa jkf'k #i;s esa½

ikbi dk çdkj	ikbi dk O;kl	fnukad 3-11-04 dks fufonk ds rgr vkiwfrZ dh xbZ ek=k	lafpr nj		vUrj ¼dkWye 4&5½ çfr'kr dks"B esa	vf/kd Hkqxrku ¼dkWye 3 xquk dkWye 6½
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
			çFke fufonk	f}rh; fufonk		
के-7	100 मिमी	36988	701.54	531.44	170.10 (24)	6291659
	150 मिमी	24374	1021.56	736.14	285.42 (28)	6956827
	200 मिमी	16416	1489.98	974.81	515.17 (35)	8457031
	250 मिमी	1778	2007.61	1275.67	731.94 (36)	1301389
	300 मिमी	253	2588.85	1611.48	977.37 (38)	247275
के-9	150 मिमी	2620	1246.14	863.00	383.14 (31)	1003827
	200 मिमी	433	1667.79	1198.00	469.79 (27)	203419
	250 मिमी	50	2189.87	1605.00	584.87 (28)	29244
dqy						**24490671** ;k **2.45** djksM+ #i;s

ifjf'k"V&xxxv

¼lanHkZ % dfMdk 4-2-1 (i"B&120½

foyEc ls lkefxz;ksa dh vkiwfrZ fd, tkus ij tqekZuk vf/kjksfir ugha fd;k x;k

vkiwfrZ l-@ fnukad	vkiwfrZ dh xbZ ek=k ¼ehVj½						
	100 feeh	150 feeh	200 feeh	250 feeh	300 feeh	150 feeh	200 feeh
1117/22.03.05	2927	-	54 305 447 5794 88	20 62 268	121	-	131 30 23
723/07.03.05	3844 253 3087 726 3607 1960	-	28 310 393 1771	10 63 82	37	-	69 30 14 37
1361/30.03.05	-	395 825 825 1846 1237 165 460	-	-	-	-	-
1362/30.03.05	90 550 796 553 533 300 888	-	553 45 920 680 30 1536	25 204 30	-	-	-
1118/22.03.05	-	46 710	-	-	-	30 23	-
724/07.03.05	-	24 277 1231 874 3199 207 1974	-	-	-	30 37	-
1119/22.03.05	-	740 2389 916	-	-	-	500 2000	-
dqy	**20114**	**18340**	**12954**	**764**	**158**	**2620**	**334**
दर	701.54	1021.56	1489.98	2007.61	2588.85	1246.14	1667.79
मूल्य	14110775.56	18735410.40	19301200.92	1533814.04	409038.30	3264886.80	557041.86

vkiwfrZ dk ewY; 57912167-88 #i;s

vf/kjksfir tqekZuk ¼10 çfr'kr dh nj ls½ 5791216-78 #i;s

;k 58 yk[k #i;s

ifjf'k"V&xxxvi

¼lnHkZ % dafMdk 4-2-7 (i"B&126½

th , Mh vuqeksnu ls iwoZ bjdku }kjk fufonk vkef=r fd;k tkuk

Øe l-	,y lh l-	l;ä tkp	fufonk		th , Mh			29-4-06 dks orZeku fLFkfr	Hkkv tlu@ mi;ksfxrk LFkkukarj.k ds dkj.k vojks/k
			vkef=r	[kksyk	jsyos@ bjdku }kjk Hkh th xbZ	jkT; ljdkj }kjk vuqeksfnr	fofunsZ'k ,oa vU; funsZ'k esa varj		
1	72	06.04.05		07.12.04		168/ 12.05.05	विलोपित	नये स्थल की प्रारूप योजना प्राप्त की गई एवं जाँची गई	
2	30	06.04.05		07.12.04	24.02.05	168/ 12.05.05	विलोपित	विलोपित	
3	31	06.04.05		07.12.04	22.02.05	168/ 12.05.05	हवाई अड्डा की ओर जाने वाली उत्तरी पहुँच के एक पाया को विलोपित करने का निर्णय	काम आरंभ किया गया	हाँ
4	52/1			01.02.05	24.02.05	178/ 17.05.05	पहुँच के दोनों तरफ लंबा ढ़ाल को 50 में 1 से घटाकर 40 में 1 करना		
5	26	10.08.05		28.04.05	27.04.05	402/ 06.09.05	विलोपित	विलोपित (एल सी 25 में स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया)	
6	27	10.08.05		28.04.05	27.04.05	402/ 06.09.05	(xii) परिवर्तन जैसे ढ़ाल 35 में से 1 से अधिक नहीं, प्रत्येक जंक्शन पर उपयुक्त व्यास का रोटरी, 300 मीटर त्रिज्या के लिए अतिरिक्त चौड़ाई आदि। भूअर्जन, स्थल अनुमति, संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र से पूर्व कार्य आरम्भ न किया जाना चाहिए।		
7	1			28.04.05	18.03.05	261/ 22.06.05	आर ई दीवाल 5 मीटर से अधिक नहीं हो, अतिरिक्त चौड़ाई घूमाव 300 मीटर त्रिज्या, ढ़ाल पहुँच रोड के एक तरफ 38 प्रतिशत ढ़ाल को हटा देना चाहिए। भू–अर्जन स्थल अनुमति एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण के पूर्व कार्य आरंभ न किया जाना चाहिए।	संभव नहीं (विलोपित)	
8	2				18.03.05	261/ 22.06.05	–वही–	कार्य प्रगति में	

Øe l-	,y lh l-	l;ä tkp	fufonk		th , Mh			29-4-06 dks orZeku fLFkfr	Hkkv tu@ mi;kfxrk LFkkukarj.k dk dkj.k vojk/k
			vkef=r	[kqyk	jyo@ bjdku }kjk Hkst xbZ	jkT; ljdkj }kjk vuqeksfnr	fofunZ'k ,oa vU; funs'k ea vrj		
9	101			28.04.05	25.02.05	173/ 16.05.05	आर. ई. दीवाल 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त चौड़ाई घुमाव 300 मीटर त्रिज्या एवं ढ़ाल 3 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम 5 मीटर। यदि भूमि उपलब्ध होती तो पहुँच रोड के दोनों तरफ चौड़ा ढ़ाल सड़क होना चाहिए।	कार्य प्रगति में	हाँ
10	101/A			28.04.05	25.02.05	173/ 16.05.05	–वही– कोई कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए	–वही–	हाँ
11	1 एवं 79क							कार्य आरंभ किया गया (2 जाँच पाइल पूर्ण)	

ifjf'k"V&xxxvii

¼lanHkZ % dfMdk 4-3-1 (i"B¼130½

fdax ,vj lh 90 ch dh fof'k"Vrkvksa dh rqyuk mUur ekWMy ds fdax ,vj lh 90 th Vh ds lkFk

	fdax ,vj lh 90 ch	fdax ,vj lh 90 th Vh
कीमता (मानक सहित)	यू एस $ 2,765,000.00	US$ 2,950,000.00
इंजिन पावर	दो परात और व्हीटनी पीटी 6अ-21 550 एसएचपी	दो परात और व्हीटनी पीटी 6अ-135 750 एसएचपी
अधिकतम गति	246 केटीएस	272 केटीएस
प्रमाणित उच्चतम सीमा	30,000 फीट	यह केवल 22 मिनट में अपने उच्चतम सीमा 30,000 पर पहुँचता है, अपने उच्चतम सीमा पर पहुँचने के लिए पचास प्रतिशत से कम समय चाहिए।
जहाज की गति	239 केटीएस (275 एमपीएच)	275 केटीएस
उड़ने की दूरी	अधिकतम उड़ान भार (एम जी टी ओ डब्लू) पर 2709 फीट	अधिकतम उड़ान भार (एम जी टी ओ डब्लू) पर 2392 फीट
यात्री क्षमता	5 यात्री	7 यात्री
उतरने की दूरी		छोटा रनवे या अविकसित पट्टी पर उतर सकता है।